ग्रष्टम माला, खड 43, अंक 1

Thursday, 3rd November, 1988

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 43, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 2, गुरुवार, 3 नवम्बर, 1988/12 कार्तिक, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 24, 27, 28 और 34	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—161
तारांकित प्रश्न संख्या : 26, 29 से 33, 35 और 37 से 40	23—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 78 से 84, 86 से 141, 143 से 163, 165 से 174, 176 से 194, 196 से 202, 204 212, 214 से 225, 227 से 231 और 233	31—161
सभा पटल पर रखे गए पत्र	164
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	165—166
मैसर्स वोल्टास के साथ तथा मैसर्स पैप्सीको के सहयोग से पंजाब में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए पंजाब कृषि उद्योग निगम के प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य	167—173
श्री जगदीश टाईटलर	
समिति के लिए निर्वाचन	173—174
लोक लेखा समिति	
विशेषाधिकार समिति	174
प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना	
कार्य मन्त्रणा समिति	175
60वां प्रतिवेदन	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले : 175—179

(एक) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिवीजन में डेंगू बुखार और मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाना

श्री मदन पाण्डे 175

(दो) पुराने गोवा में इला स्थित कृषि अनुसन्धान काम्पलेक्स का दर्जा बढ़ाकर उसे एक पूर्ण संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक 176

(तीन) कच्चेमाल, आदि की कमी के कारण उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के लिए देश में इन्जीनियरी उद्योग की सहायता करने हेतु कदम उठाए जाना

डा० कृपासिन्धु भोई 176—177

(चार) देश में, विशेषकर उड़ीसा में पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जाना

श्री राधाकान्त डिगाल 177

(पांच) महाराष्ट्र के लिए खाद्य तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे 177—178

(छः) नीलांचल और दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का समय पहले वाला किया जाना तथा उड़ीसा से गुजरने वाली उन रेलगाड़ियों को, जो हटा ली गई थीं, पुनः चालू किया जाना

श्री बृजमोहन महन्ती 178

(सात) तमिलनाडु में टेलीफोन प्रणाली को तत्काल सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता

श्री कादम्बुर जनार्दनन 178—179

(आठ) पंजाब में हाल की बाढ़ के दौरान बिना किसी पूर्व चेतावनी के पानी छोड़ने के बारे में भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड की भूमिका की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 179

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को और आगे लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 179—231

श्री तम्पन थामस 179—183

श्री जैनुल बशर 183—187

विषय	पृष्ठ
डा० जी० एस० ढिल्लों	187—196
श्रीमती गीता मुखर्जी	196—200
श्री शरद दिघे	200—202
श्री मोहम्मद अयूब खां	202—203
श्री ए० सी० षण्मुख	204—205
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	206—207
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	207—210
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	210—212
श्री हेत राम	212—213
श्री शान्ताराम नायक	213—215
श्री भद्रेश्वर तांती	215—216
श्री पीयूष तिरकी	216—217
श्री महाबीर प्रसाद यादव	217—218
श्री सी० जंगा रेड्डी	218—220
श्री केयूर भूषण	220—222
श्री एन० वी० एन० सोमू	222—223
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	223—226
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	226
प्रो० सैफुद्दीन सोज	226—227
श्री पी० चिदम्बरम	227—231
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	232—235
नियम 193 के अधीन चर्चा	235—243
किसानों और खेतिहर मजदूरों की मांगें	
श्री सी० जंगा रेड्डी	

लोक सभा

गुरुवार, 3 नवम्बर, 1988/12 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

व्यापक फसल बीमा योजना की समीक्षा

[अनुवाद]

*21. श्री विजय एन० पाटिल† :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक फसल बीमा योजना में हो रहा घाटा कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई समीक्षा पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) सरकार का फसल बीमा के क्षेत्र में अपने वित्तीय भार में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग). वृहत फसल बीमा योजना के संचालन का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक दल का गठन किया गया था। दल की सिफारिशों पर विचार किया गया है और इस समय सरकार रबी 1988-89 से आगे इस योजना के संशोधन पर विचार कर रही है।

श्री विजय एन० पाटिल : स्पीकर सर, यह जवाब कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं है। जब से क्राप इंश्योरेंस योजना लागू हुई है तब से इसमें गवर्नमेंट को लगातार घाटा हो रहा है। 1985 में 83 करोड़ का, 1986 में 166 करोड़ का और 1987 में 290 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। हम हर तरह से एग्रीकल्चरल इकोनोमी को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं चाहे वह फर्टिलाइजर्स के माध्यम से हो, चाहे ऊर्जा के माध्यम से सब्सीडी देना हो, चाहे फार्मर्स को सपोर्ट प्राईस देकर हो। मगर जब नेचुरल केलेमिटीज आती हैं तो यह सवाल आता है कि कैसे किसान को प्रोटेक्शन दी जाए। उस समय इंश्योरेंश ही प्रमुख रूप से सोल्युशन दे सकती है।

इंश्योरेंश स्कीम आगे बढ़ने के बजाए, उसमें ढिलाई की जा रही है ऐसा देखने में आया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस ढिलाई की वजह यह है कि आपको लगातार इसमें प्रपोर्शन में घाटा हो रहा है? क्या आप प्रीमियम को बढ़ाने जा रहे हैं और गन्ना, केला और बाकी की जो कैश क्राप्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे जिससे कि आपका प्रीमियम बढ़ सके और घाटा कम हो? इससे सारी क्राप्स इसके अन्दर आ जायेंगी। आप कौन-से स्टेप्स लेने जा रहे हैं जिससे कि आपका घाटा कम हो और अच्छी तरह से यह स्कीम लागू हो?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत वेलिड सवाल पूछा है इन्होंने। यह ठीक बात है कि किसान की फसल कई दफा ओले से बर्बाद हो जाती है, सूखे से भी खराब हो जाती है। कभी बाढ़ आ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने फसल योजना चालू की है। लेकिन इसमें थोड़ा-बहुत लकूना रह गया है जिसकी वजह से पिछले दो सालों में बहुत शिकायतें आयी हैं सरकार ने इसमें जो प्रीमियम लिया वह 85-86 से ले करके 87-88 तक 56.84 करोड़ रुपया लिया है। सरकार को तीन सालों में 550 करोड़ का क्लेम देना पड़ रहा है। कई जगह से, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात से इस तरह की भी शिकायतें मिलीं कि कुछ लोगों ने गलत क्लेम किए हैं। बहुत सी जगहों पर एक ही दिन में 150 करोड़ के लोन लेकर उनको इसके अन्तर्गत कवर करके क्लेम किया गया, इस तरह की भी शिकायतें मिली हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए और स्कीम को चालू रखा जाए, प्रधानमन्त्री जी ने एक कमेटी बनाई, जिसमें पी० वी० नरसिंह राव अध्यक्ष है और मैं तथा वित्त मन्त्री महोदय उसमें हैं, इसकी दो तीन मीटिंग हुईं और फैसला लिया गया कि इस स्कीम को चालू रखा जाए। एक बार तो नौबत आ गई थी कि इस स्कीम को बंद कर दिया जाए। अभी यह स्कीम चालू है और इसमें थोड़ी तरमीम की गई है, पहले 150 परसेंट, जो लोन लेते थे, जैसे किसी ने 3000 रुपए लोन लिया, तो 4500 उसको मिल जाता था, अब इसको 100% कर दिया गया है, जो बैंक से लोन लिया है वही कवर होता है। प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं की गई है और इसकी लिमिट भी 10000 रुपए तक कर दी गई है। आगे इसको चालू रखने के लिए बहुत गहराई से विचार किया जा रहा है कि किस तरह से इस स्कीम को देश में चालू रखा जाए और सारे किसान इसमें कवर हों, चाहे कोई लोन ले या न ले। प्रीमियम ज्यादा किया जा सकता है, जिसने बीमा करवाना हो, वह करवाए। अभी ब्लाक यूनिट है, सारे ब्लाक में अगर 80 परसेंट नुकसान हो तब जाकर किसान को क्लेम मिलेगा। ब्लाक में 100-200 गांव होते हैं, सब में कभी एक साथ बाढ़ नहीं आती, न ही एक साथ ओले गिरते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, इसलिए हमने इसको पटवार सर्किल को यूनिट मानने के बारे में, पटवारी के पास रिकार्ड भी होता है और सारे किसान इसमें कवर हों, इस पर भी कमेटी विचार कर रही है। वर्तमान स्कीम रबी की फसल पर भी लागू होगी, अगला जो भी फैसला होगा, उसको सदन में अनाउंस किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : शहर की सारी फैक्ट्रियां जलें क्या तभी उनको क्लेम मिलता है?

श्री भजन लाल : इसमें तो अभी ऐसा ही है।

श्री विजय एन० पाटिल : मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि गन्ना, केला और अन्य कैश क्राप्स जो हैं, उनको कवर करने जा रहे हैं या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला है।

यह जो घाटा पिछले तीन सालों में हुआ है, इसकी बड़ी वजह यह भी है कि भारत के बड़े

हिस्से में सूखा पड़ा था, इस साल भी ज्यादा बारिश होने की वजह से पंजाब, आसाम आदि जगहों पर फसलों का नुकसान हुआ है।

श्री के० एस० राव : आंध्र में भी हुआ है।

श्री विजय एन० पाटिल : आंध्र में भी हुआ है। पिछले सालों में वहां जो क्लेम दिया गया है वह 60 परसेंट है, वहां पर क्लेम ज्यादा लिए गए हैं और घाटा भी वहीं हुआ है।

आप सारे देश में सब किसानों के लिए इस स्कीम को लागू करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। शुरू में जो उत्साह दिखाया गया था वह कम होता दिखाई दे रहा है और लोगों में इस तरह की धारणा बन रही है कि यह तो केन्द्र सरकार की लोगों को गुमराह करने की एक योजना थी, इस बारे में सरकार गम्भीर नहीं है, लोगों की इस धारणा को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय कैश क्राप्स की 3-4 फसलें गन्ना, कपास, तम्बाकू आदि शामिल नहीं हैं, इनको शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रीमियम आदि पर भी बहुत गहराई से विचार किया जा रहा है, जो भी फैसला किया जाएगा, उसमें इनका भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : कब करेंगे।

श्री भजन लाल : अगली जो खरीफ की फसल बोई जायेगी, उससे पहले ही करेंगे और किसी न किसी फैसले पर पहुंच जायेंगे। अगली फसल से पहले यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि सरकार किसानों के खिलाफ है और किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। किसानों के हित में ही चालू की है, बंद करने का सवाल नहीं है। और भी अच्छा बनाने के लिए कमेटी बनी है, जब अच्छा बन जायेगी तो अगले सैशन में आपको बतायेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमेशा यह धारणा रही है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जब कभी ऐसा अवसर आया हम अपनी जिम्मेवारी से प्रायः जी चुराते हैं। यहां मन्त्री मन्त्रालय के स्रोतों में विरोधाभास दिखाई देता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वृहत फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी अथवा ऋण लेने वाले किसानों के लिए क्योंकि किसान समुदाय के प्रति प्रायः विश्वास की कमी रही है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वृहत फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए लागू की जाएंगी अथवा केवल ऋण लेने वाले किसानों के लिए।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सदन में बताया था कि इस वक्त उन्हीं किसानों को कवर करते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, सारे किसान इसमें कवर नहीं हैं। अभी एक कमेटी बनी है और वह गहराई से विचार कर रही है कि कैसे किसानों को कवर किया जा सकता है, आने वाली खरीफ की फसल से पहले इस पर फैसला हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, आपने कुछ सैकिंड पहले यह ठीक ही टिप्पणी की है कि क्या मुआवजे के मामले में सभी फैक्टरियों को छोड़ दिया जाएगा। इस योजना में इस समस्या का मूल प्रश्न परिभाषित क्षेत्र की परिभाषा का है जो कि अब तक एक खण्ड अथवा एक मंडल अथवा एक ताल्लुक था। आप इस बात से भी सहमत हो गए हैं कि किसी समय सभी गांवों में क्षति न हुई हो लेकिन आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार परिभाषित क्षेत्र की वर्तमान परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गई है और उन किसानों को जिनकी फसल बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है वास्तव में लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व गांव अथवा उस राजस्व गांव से सम्बन्धित गांवों के एक छोटे समूह को एक यूनिट के रूप में लेगी। मैं इसके लिए माननीय मन्त्री से स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने इस स्कीम को नहीं माना। मैं भी उस समय हरियाणा में मुख्य मन्त्री था, मैंने भी इससे इन्कार कर दिया था कि तहसील या ब्लाक यूनिट कोई मुनासिब बात नहीं है सारे तहसील में नुकसान होगा तब किसी किसान को मिलेगा। तीनों प्रदेशों ने मेरे साथ इन्कार किया था। अब वही महकमा मेरे पास है। ब्यूरोक्रेसी कहां तक पार पड़ने देगी, यह मैं नहीं कह सकता। जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैं इस विचार का हूं, श्री नरसिंह राव और एस० बी० चव्हाण भी इस विचार के हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ अड़चनें हैं, उन अड़चनों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। प्रधान मन्त्री जी की भी इच्छा है कि सभी किसान इसमें कवर होने चाहिए, किसान की जो फसल बरबाद हो जाती है उसका मुआवजा मिलना चाहिए चाहे हम प्रिमियम फालतू करें। पटवार सर्किल के हिसाब से यूनिट होना चाहिए क्योंकि पटवारी के पास ही सब रिकार्ड होता है। छोटे हों तो दो गांव का एक पटवारी हो सकता है, तीन का हो सकता है, इससे लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। सारे किसान कवर हो जाएं चाहे लोन ले या न लें, प्रीमियम उससे लें। इस बात पर गहराई से विचार किया जा रहा है। मैं आपसे 100 फीसदी सहमत हूं कि किसानों बारे में कुछ करना चाहिए। जहां तक पार पड़ेगी हम कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसी बात से मैं भी सहमत हूं कि मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं आती।

श्री भजन लाल : अब इससे और ज्यादा क्या स्पष्ट होगा।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डाल सकते हैं।

[अनुवाद]

लेकिन नौकरशाही को उनके अधीन काम करना होगा। वह नौकरशाही के अधीन काम नहीं करते हैं।

श्री के० एस० राव : मैं माननीय मन्त्री की किसानों के प्रति सहानुभूति और समर्थन के लिए प्रशंसा करता हूं। देश के सम्पूर्ण किसान समुदाय को फसल बीमा योजना शुरू किये जाने पर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। कुल मिलाकर किसान समुदाय शांतिप्रिय माना जाता है और वह अभी भी

अपनी परम्पराओं और मूल्यों को बनाए हुए हैं। लेकिन हाल ही में, हमने देखा कि वे अपना धैर्य खो रहे हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि केवल हिंसक तरीकों अथवा संगठनों को बनाकर अथवा हड़तालों द्वारा ही अपनी वास्तविक मांगों को मनवा सकते हैं। वे इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि वह देखते हैं अन्य बहुत से वर्ग जो कि संगठित हैं, वे विभिन्न सरकारों से एक के बाद एक अपनी विशेष मांगों को मंजूर करवा लेते हैं। मैं केवल माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसी योजना लाए जिससे किसान समुदाय को लाभ हो, इससे पहले कि वे अपना धैर्य खो बैठे और गलियों में आ जाए और हिंसा पर उतर आएं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, तफसील से बात तो बतादी गई है उसको दोहरा कर मैं सदन का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहता। किसान के हित के लिए प्रधान मन्त्री जी ने कमेटी बनाई है और वह कमेटी गहराई से विचार कर रही है कि किसान की किस तरह मदद कर सकते हैं। किसान की फसल चाहे बाढ़ से या सूखा से या बीमारी लगने से खराब होती है तो उनको भी मुआवजा दिया जाए जैसे फैक्टरी या कार वालों को दिया जाता है, उनका बीमा होता है तो किसान को भी उसकी फसल का बीमा होना चाहिए। कमेटी बहुत जल्दी इसका फैसला लेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अधिक उत्पादन क्षमता के चावल की किस्म का विकास

[अनुवाद]

*22. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्†** :

श्री मोहनभाई पटेल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी किस्म का विकास किया है जिसकी फसल साठ दिन के अन्दर काटी जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या धान की इस किस्म की खेती के लिए कोई परीक्षण किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) धान की इस किस्म की खेती के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया ; और

(ङ) इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने तथा किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चावल की 60 दिनों में पकने वाली कोई भी किस्म अब तक जारी नहीं की गई है। लेकिन, चावल की कम समय में पकने वाली किस्मों पर अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं जिनका मूल्यांकन हो रहा है।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी किस्म का विकास किया है जिसकी फसल साठ दिन के अन्दर काटी जा सकती है। और उत्तर यह है कि चावल की 60 दिनों में पकने वाली कोई भी किस्म अब तक जारी नहीं की गई है। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी किस्म का विकास किया है जो कि विश्व में सबसे तेज गति से उगने वाली धान की किस्म है और यह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। मैं विश्वास करता हूं कि संसद के सदस्य होने के नाते हमें यह जानने का अधिकार है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का यह उत्कृष्ट दावा सत्य है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 70 दिन में पकने वाली कुछ वैराइटीज हैं, 60 दिन में पकने वाली वैराइटी पर अभी तक अनुसंधान चल रहा है इसलिए 'उसको' मार्केट में रिलीज नहीं किया गया है और न ही किसान को दिया गया है। जब तक उस पर पूरा अनुसंधान नहीं हो जाता कि उसकी ईल्ड कितनी है, किस समय बोया जाना चाहिए आदि सारा अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको दिया नहीं जायेगा और अभी उसके बारे में बताना मुनासिब नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं समझता हूं कि गत 25 वर्षों के दौरान हमने अधिक उपज देने वाली 270 से अधिक किस्में जारी की हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितनी किस्में ऐसी है जिनमें बीमारी नहीं लगती और क्या चावल की कोई ऐसी पौध विकसित करने के लिए कोई प्रयास किया गया है जिस पर सूखे का कोई प्रभाव न पड़े ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, देश में पिछले 20 सालों में राइस की 312 किस्मों पर आई० सी० ए० आर० ने रिसर्च किया और रिलीज किया है। इनमें कुछ वैराइटीज चावल की ऐसी भी हैं जो कम पानी में तैयार होती हैं। हमारी कोशिश है कि अकेले चावल के लिए ही नहीं, अन्य जिन्सों की भी ऐसी वैराइटीज विकसित की जाएं जो कम पानी में अच्छी फसल दे सकें क्योंकि हमारे देश में कई बरानी एरियाज हैं, जहां बरसात बहुत कम होती है या बरसात पर डिपैन्ड करना पड़ता है। हम बराबर इस कोशिश में हैं कि कम पानी में कौन सी फसलें अच्छी यील्ड दे सकती हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। इस पर अभी रिसर्च चल रहा है और जैसे जैसे अनुसंधान कार्य कम्पलीट हो जाता है हम उस वैराइटी को रिलीज कर देते हैं। इसलिए जल्दी पकने वाली अनेक वैराइटीज पर अभी अनुसंधान कार्य चल रहा है और जिस जिस वैराइटी का रिसर्च कम्पलीट हो जाएगा हम उसे रिलीज कर देंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, जहां हमें अपने वैज्ञानिकों का अभिनन्दन करना चाहिए, वहीं मैं आपके ध्यान में यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि जब हम जल्दी उगने वाली

वैराइटीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दूसरी ओर हमारे यहां अनेकों झाड़, पौधे और फसलें बीमारियां लग जाने से प्रतिवर्ष बर्बाद हो रहे हैं, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए भी हमारे वैज्ञानिकों को शोध कार्य करना चाहिए, जो अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है। शायद इस ओर उनका ध्यान नहीं है। जब संतरे पर बीमारी लगती है तो सारी संतरे की फसल नष्ट हो जाती है, कपास पर बीमारी लगती है तो उसके सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। अभी हमारे यहां नागपुर, भण्डारा और चन्द्रपुर जिलों में धान की खड़ी फसल बीमारी लग जाने से बर्बाद हो गयी और किसानों का भारी नुकसान हुआ। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फसलों पर बीमारियों की रोकथाम की दिशा में हमारे वैज्ञानिक क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी सदन को दें। बीमारी लग जाने से हाथ में आई हुई फसल, उस पर की हुई मेहनत सब बेकार हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। क्या सरकार को नागपुर, भण्डारा और चन्द्रपुर में धान की फसलों के बर्बाद होने की जानकारी है। उसे ध्यान में रखते हुए, आप किसानों को सरकार की ओर से क्या राहत या सहायता दिला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बीमारी से तो आदमी भी मर जाता है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस देश के वैज्ञानिकों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसे सारा देश मानता है। हमारा उत्पादन तीन गुना बढ़ा है। देश को आजादी मिलने के समय हमारा उत्पादन मात्र 50 मिलियन टन था जो आज बढ़कर 152 मिलियन टन हो गया है। यदि अच्छे बीज, खाद और बीमारियों की रोकथाम न हुई तो यह सम्भव नहीं था। इसमें भी कोई शक नहीं कि जब किसी फसल में बीमारी लगती है तो चाहे वह धान की फसल हो, गन्ने की फसल हो या कपास की फसल हो, उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा हमारे वैज्ञानिक किसानों को जानकारी देते हैं कि कौन सी दवाई का स्प्रे करने से इसे रोका जा सकता है, कौन सी दवाई किसानों को जमीन में बोने से पहले डालनी चाहिए और कौन सी दवाई पानी के साथ मिलाकर देनी है। हमारे वैज्ञानिक सारा ज्ञान देश के किसानों को समय समय पर देते हैं। हमारी कोशिश है कि देश में ऐसी वैराइटीज विकसित की जाएं जिनमें बीमारियां कम से कम लगती हों क्योंकि बीमारी की रोकथाम के लिए जब हम खड़ी फसल पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो उनका असर पौधे पर भी पड़ता है और उससे फसल भी प्रभावित होती है। अभी पिछले दिनों हमारे वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि हमें ऐसी वैराइटीज विकसित करनी चाहिए जिन पर बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो। जैसे कोई सेहतमंद आदमी है तो उसे बीमारियां कम लगती हैं और कमजोर आदमी को बीमारियां घेरे रहती हैं, वैसी ही स्थिति फसलों की भी है। हम चाहते हैं कि फसलों की वैराइटीज ऐसी मजबूत हों जिन्हें कोई बीमारी न लगने पाए। इस दिशा में हमारे साइंसदान लगे हुए हैं। माननीय सदस्य ने जैसा अभी कहा कि इनके क्षेत्र में धान और संतरे की फसलों को बीमारी लगी और वे नष्ट हो गयीं, ठीक बात है, मैं स्वयं नागपुर गया था और वहां भी मुझे लोगों ने बताया था। साइंसदानों की मीटिंग में भी इस विषय पर भी चर्चा हुई थी. कि संतरे की फसल पर बीमारी हमला न करने पाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, अच्छी पैदावार हो, इसीलिए हमने नागपुर में एक रिसर्च सैंटर खोला है ताकि उसके जरिए डिमौन्सट्रेशन करके किसानों को मौके पर जाकर दिखाया जाए कि संतरे पर कैसे स्प्रे करना चाहिए। इसी तरह से राइस के बारे में जो-जो बीमारी लगती है, हम किसान को पूरी जानकारी देते हैं और बीमारी की रोकथाम करने का कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आई० सी० ए० आर० और यूनिवर्सिटी तीनों चलाती हैं।

तीनों इस बात की कोशिश में लगी हुई हैं ताकि इस देश में किसानों की फसलों पर बीमारी कम से कम लगें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो धान की वैरायटी के बारे में रिसर्च हो रही है, इसमें क्या बासमती राइस भी शामिल है क्योंकि बासमती को उगाने में बहुत समय लगता है। चूंकि इसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है और हमारे देश में बासमती राइस बहुत पापुलर है, इसके लिए एक तो यह रिसर्च हो कि यह जल्दी पैदा हो और इसके झाड़ ज्यादा हों,। तो इस बारे में क्या कोई रिसर्च हो रही है और यदि हो रही है, तो वह क्या है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो रिसर्च हो रही है, इसमें बासमती भी शामिल है परमल भी शामिल है, जो ज्यादा समय पकने में लेते हैं। हम यह चाहते हैं कि बासमती चावल कम समय में पक जाए, ताकि किसान इस फसल को काटकर उस खेत में दूसरी फसल बो सकें, लेकिन जब तक वैरायटी ईजाद नहीं होती, तब तक मैं बता नहीं सकता हूं। हमारी कोशिश भी है कि इनके झाड़ भी ज़्यादा हों ?

नई बीज नीति

***23. श्री आर० एम० भोये† :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में "नई बीज नीति" बनाई है जिसमें किसानों को विश्व में कहीं भी उपलब्ध उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके और उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसे कार्यान्वित किया गया है ?

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) बीज विकास के बारे में नई नीति की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-6706/88] यह नई नीति 1 अक्तूबर, 1988 से प्रभावी हो गई है।

[हिन्दी]

श्री आर० एम० भोये : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में तो दिया है, लेकिन जो-जो अच्छी फसल देने वाली उपज हैं, उन में जो बीमारी लग जाती है, उसके बारे में मैंने पूछा है, जो मन्त्री जी ने अपने उत्तर में नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि जो फसलें ज्यादा उत्पादन देती हैं और जिन पर बीमारी लग जाती है, उनके बारे में सरकार कोई उपाय करने वाली है या नहीं ?

श्री भजन लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बीमारी इस समय देश में है, उसका तो अलग से इंतजाम है, लेकिन जो प्रश्न आपका था कि नई बीज नीति के तहत क्या फसलें हुई हैं, उस सम्बन्ध में, मैंने आपको बताया है कि इस सम्बन्ध में, इस बात का जरूर इंतजाम किया गया है कि जो भी बीज बाहर से आएगा, उसके अपने देश में आने पर पूरी जांच-पड़ताल की जाएगी कि उसमे ग्रोथ रेट क्या है और कोई रोग उसमें है या नहीं, तभी उस बीज जो कस्टम से क्लियरेंस कर के अंदर लिया जाएगा। वह बीज उतने समय तक वहां रोका जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि बाहर से कोई कीटाणु उसमें न आएं, इस बात का इंतजाम किया गया है।

श्री आर० एम० भोये : अध्यक्ष महोदय, जो नई बीज नीति है, उसमें ज्यादा उत्पादन देने वाली फसलें जो हैं, उन फसलों के बीज गरीब किसानों को कम कीमत पर दिलाने की कोई व्यवस्था की जाएगी या नहीं क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, जो फसल वे बोते हैं उनसे। उन गरीब किसानों के लिए इस नई बीज नीति में कुछ सुधार किया गया है या नहीं, ताकि उनको भी सहायता मिल सके।

श्री श्याम लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जो छोटे और मझोले किसान हैं, वे इस बाहर से आने वाले बीज को भी खरीद सकते हैं और जो सुविधाएं हम बीज के लिए दूसरी प्रकार से देते हैं वे सुविधाएं भी इनको प्राप्त रहेंगी और किसान यदि खुद बाहर से बीज मंगाना चाहे, तो वह खुद भी बाहर से बीज मंगवा सकता है। यह सुविधा इसमें दी गई है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रश्न के जबाब में एक लम्बा वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया हैं, परन्तु नई नीति का सार बीजों का आयात है। बाकी सब शब्दाडम्बर है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों तथा किसानों की संस्थाओं, बिना दलगत सम्बन्धों अथवा विभिन्न दलगत सम्बन्धों सहित, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ जैसे कि अमीर सिंह जो कृषि अनुसंधान संस्थान के बीज प्रौद्योगिकी विभाग के प्रथम अध्यक्ष और भारतीय बीज प्रौद्योगिकी सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, प्रो० एस० एस० जोशी, जो कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं···

अध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या आप एक वक्तव्य पढ़ रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रही हैं—अथवा, क्या आप वक्तव्य दे रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नहीं, श्रीमान; मैं यह पूछ रही हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है। क्या वे यह जानते हैं कि उन लोगों के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक विचार-धाराओं वाली किसान संस्थाओं ने भी यह कह कर कि इससे देश को हानि हुई है, इस बीज नीति की निन्दा की है ?

इस दृष्टिकोण से कि इससे स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास की क्षति होती है, तथा आम खुला लाइसेंस के अन्तर्गत यह गुणवत्ता नियन्त्रण सम्भव नहीं होगा। इन कदमों से उत्पादन प्रभावित

होगा और बहुराष्ट्रीयों को अनावश्यक लाभ मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी। क्या सरकार इस आलोचना और विभिन्न विचारों से भिज्ञ है? इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और इस अनर्थकारी बीज आयात नीति में परिवर्तन करेगी?

श्री श्याम लाल यादव: मेरे विचार में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया है। यह प्रश्न ही नई बीज नीति के बारे में है जिसकी घोषणा की जा चुकी है। इसलिए, इस पूरी नीति को सभा पटल पर रख दिया गया है। दूसरे, जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं और जो विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं, वे उसमें अवश्य होंगे। परन्तु सच यह है कि मोटे अनाजों, सब्जियों, फूलों तथा फलों के क्षेत्र में हम संकरित किस्में विकसित नहीं कर सके हैं और इनकी कमी रही है। मुझे यह कहना चाहिए कि इस बात का श्रेय माननीय प्रधानमन्त्री को जाता है कि इस मामले में उन्होंने इस वर्ष जुलाई में पहल की और दो महीने के अन्दर इस नीति को तैयार कर सितम्बर में देश के समक्ष रख दिया और पहली अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी: यह अच्छी नीति नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव: ऐसी बात नहीं है, विशेषतौर पर गेहूं और धान के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो प्रमुख फसल हम बोते हैं उसमें कोई छूट नहीं दी गई है।

केवल मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों के लिए निर्धारित श्रेणियों से आयात करने की अनुमति है। परन्तु एक लिखित शर्त है कि उन्हें बीजों का आयात करना होगा और विदेशी बीज भेजने वालों, बीज पैदा करने वालों के साथ दो वर्ष के अन्दर सहयोग करार करना होगा; और दो वर्ष के बाद वे मुख्य बीजों की प्रौद्योगिकी देश में हस्तांतरित कर देंगे; और दो वर्ष के बाद वे आयात नहीं कर सकते। इसलिए, इस पहलू पर आम खुला लाइसेंस नहीं है। केवल सब्जियों और फूलों पर आम खुला लाइसेंस है पर वह भी एक संकरित किस्म के लिए है। इसलिए, हमारे देश के किसी अनुसंधान और विकास पर इसका विपरीत असर नहीं होगा; और हमारे वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हुये हैं और वे इसे जारी रख सकते हैं। दूसरी ओर हमारी जनसंख्या के विभिन्न वर्गों किसानों, जनता तथा वैज्ञानिकों तथा कृषि क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों ने इस नीति का व्यापक रूप से स्वागत किया है। कृपा करके आप इससे सम्बन्धित कुछ पत्रों का अध्ययन करिये।

श्री एम० रघुमा रेड्डी: आयातित बीजों के मामले में केवल एक ही ऋतु में कृषि प्रयोग किया जायेगा जो पर्याप्त नहीं है। आयात करने से पहले कृषि प्रयोग तीन ऋतुओं तक किया जाना चाहिए केवल एक ऋतु के लिए नहीं। हम बीज पैदा करने वाले खेतों में कीड़े तथा अन्य बीमारियां देख रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय कम से कम तीन फसलों में कृषि प्रयोग करने के इस सुझाव पर विचार करेंगे तथा सम्बन्धित सरकार, जहाँ से हम उनका आयात कर रहे हैं, को सूचित करेंगे? यह एक महत्वपूर्ण चीज है।

श्री श्याम लाल यादव: प्रारम्भिक अवस्था में हम इसका परीक्षण प्रवेश बन्दरगाह पर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मोटे अनाजों, दालों, तथा तिलहनों के विषय में, वे केवल दो वर्ष तक इनका आयात करेंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी: यहाँ यह लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका परीक्षण एक फसल में करेगी।

श्री श्याम लाल यादव : इसे एक बार आने दीजिए फिर इसका परीक्षण और निरीक्षण किया जायेगा ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यहां इस बात का जिक्र किया गया है कि इसका परीक्षण केवल एक फसल में किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि कानून के अनुसार इसका परीक्षण तीन फसलों तक किया जाना चाहिए ।

श्री श्याम लाल यादव : पहली बार आने वाले बीजों का परीक्षण किया जायेगा ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मेरा प्रश्न उनकी समझ में नहीं आया है ।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैं थोड़ा क्लीअर कर देना चाहता हूं। जो सीड़ बाहर से आयेगा उसको वकायदा आई० सी० ए० आर० टैस्ट करेगा और टैस्ट करके सर्टिफाई करेगा कि यह बीज हिन्दुस्तान की धरती के लिये अच्छा है या नहीं और उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। जब तक आई० सी० ए० आर० सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक वह बीज किसान को नहीं दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह है कि क्या आप पहले उन बीजों को तीन साल फील्ड में ट्रायल करेंगे और उसके बाद ही उनको रिलीज करेंगे ।

श्री भजन लाल : जब वह बीज आयेगा तो हम एक साल में उन्हें टैस्ट करेंगे और टैस्ट करने के बाद में ही उन्हें देंगे। अगर तीन साल तक इंतजार करेंगे तो उन बीजों की वैल्यू ही खत्म हो जायेगी ।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : अभी तक वह मेरे प्रश्न को नहीं समझ पाये हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका जवाब आ गया है ।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, विदेशों से जो बीज मंगाने की बात कही गई है उसी से संबंधित मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि हमारे राज्य में परमार्शदात्री समिति की बैठक हुई थी। उसमें चिकोरी का बीज नहीं मिलने की बात हुई थी । जामनगर डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने भी चिकोरी के बीजों की आपसे मांग की थी। मेरा आपसे यह कहना है कि आप उन्हें चिकोरी के बीज जरूर दीजिए। आपने चिकोरी के बीजों को बाहर से मंगाने के बारे में कोई सोच-विचार किया है ?

श्री श्याम लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, चिकोरी का बीज विदेशों से मंगाया जाता है। इस वर्ष अक्तूबर तक लगभग पांच हजार किलोग्राम चिकोरी का बीज हालैण्ड से आ चुका है ।

आतंकवादियों को सहायता के मामले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत

[अनुवाद]

*24. **श्री हरुभाई मेहता†** :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता बंद करने के संबंध में वर्तमान पाकिस्तान सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वह भारत के विरुद्ध निर्देशित उग्रवादी गतिविधियों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देती है और न ही देगी जबकि वास्तव में इस प्रकार की सहायता निरन्तर दी जा रही है।

श्री हरुभाई मेहता : मैं यह जान सकता हूं कि क्या जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की मदद से आतंकवादी गतिविधियां भड़क उठी थी ? कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा के उस पार आतंकवादी ठहरे हुए हैं और जिसके परिणामस्वरूप कई बम विस्फोट हुए हैं यहां तक कि केन्द्र सरकार की इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। अत: क्या सरकार ने पाकिस्तान का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वास्तविक नियन्त्रण रेखा के उस पार आतंकवादियों को प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण न दिया जाए ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां, महोदय। हाल ही में इन गतिविधियों में वृद्धि हुई है और जैसा कि सर्वविदित है, हिंसा, विनाश और तोड़फोड़ की ये घटनाएं जम्मू तथा कश्मीर राज्य में हुई थी, हमें इस बात की जानकारी है कि इन गतिविधियों की योजना सीमा पार बनाई गई थी। हमने पाकिस्तानी अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है। परन्तु हमेशा की तरह उन्होंने इसे नकारा है और हमेशा की तरह हमारी बात बिल्कुल सच है। यह स्थिति है।

एक माननीय सदस्य : बचाव का रास्ता क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बचाव का रास्ता अपना बचाव करना है, बचाव का रास्ता सचेत रहना और देश में इन तत्त्वों से कड़े से कड़े ढंग से निपटना है। यह रास्ता है।

श्री हरुभाई मेहता : अस्थिरता पैदा करने की इन सभी गतिविधियों तथा प्रयासों का मुख्य संचालक वास्तव में कहीं और है। अब, मैं जान सकता हूं कि क्या अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं को हटाने की शुरुआत के बाद, चूंकि अमरीका के पास पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के लिए कोई बहाना नहीं है, पाकिस्तान को उपकरण पर सैनिक सहायता में कोई कमी हुई है अथवा कमी अपेक्षित है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, हमें इसकी जानकारी है कि प्रत्यक्षत: कमी बिल्कुल नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें बहुत सी सहायता पहले ही दे दी है इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि उन्हें कितनी सहायता दी गयी है। अव्यवस्था फैलाने के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता मिली है और वे अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला दक्षेस की बैठक में उठाया गया। यह द्विपक्षीय मामला है तथा इसमें अनेक अड़चने हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान की इन गतिविधियों को द्वेषपूर्ण कार्य माना है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य को मालूम है कि दक्षेस द्विपक्षीय मामलों को उठाने का मंच नहीं है। दक्षेस उन मुद्दों को उठाने और हल करने का मंच है जिनका सात देशों से सम्बन्ध है, यह दक्षेस का नियम है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब नहीं दिया गया है—क्या उसे द्वेषपूर्ण कार्य माना गया है ···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमें मित्रता की क्या बात है, सरकार को मालूम है कि यह क्या है तथा वह इससे निपट रही है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, भारत ने इसका सबूत दिया है। हमारे अधिकारियों का शिष्टमंडल वहां गया और पाकिस्तान के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का सबूत दिया परन्तु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इसमें सुधार करने या अपना वायदा पूरा करने के लिए तथा उसकी कथनी और करनी में अन्तर खत्म करने के लिए पाकिस्तान से किस प्रकार बातचीत की जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जो कुछ हो रहा है उसका सरकार ने उन्हें पक्का सबूत दिया है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जवाब नकारात्मक है। सरकार को मालूम है कि ऐसा हो रहा है। सरकार केवल यही कर सकती है वह उन्हें बार-बार बताती रहे—जैसे ही कोई नया सबूत मिले वह उन्हें बताया जाए यही किया जा रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में उन्हें राजनयिक माध्यम से नवीनतम जानकारी दी गयी थी। दोनों देशों के सह सचिवों तथा विदेश सचिवों की बैठकें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे सम्पर्क नहीं बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उन्हें नहीं बता रही है। परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

श्री शांताराम नायक : भारत सरकार ने समय-समय पर स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के पास इस बात के अनेक सबूत हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सहायता कर रहा है। अब मैं उस प्रश्न को पूछ रहा हूं जिसे मेरे साथी ने अभी दूसरे तरीके से पूछा है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में शत्रुता का कार्य या शत्रुतापूर्ण कार्य का एक विशिष्ट अर्थ है। अब तक सबूत एकत्रित करने के बाद सरकार ने सरकारी तौर पर कहा है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को जो सहायता दी जा रही है वह शत्रुतापूर्ण कार्य है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने इस प्रश्न का जवाब न देने की कोशिश की क्योंकि यह

मामला दोनों देशों की सरकार के आपसी सम्बन्धों का मामला है। इसलिए तकनीकी रूप से इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की कोई बात है, तो मैं बता दूं। पाकिस्तान वाले 70-80 फिशरमैनों को पकड़कर ले गए हैं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी से इस प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच गृह सचिव स्तर पर कम से कम दो बार विचार विमर्श हुआ है। विचार-विमर्श करने के बाद औपचारिक घोषणा की गयी तथा प्रस्ताव रखा गया कि सीमा पर संयुक्त रूप से गश्त लगायी जाए। अभी तक संयुक्त गश्त नहीं लगाई जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव अभी भी मान्य है, गश्त कब शुरू की जाएगी यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इस प्रस्ताव पर दोनों देशों के गृह सचिवों की अगली बैठक में बातचीत की जाएगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में नवीनतम स्थिति का पता करने के लिए नोटिस दिया जाए क्योंकि यह सूचना मुझे गृह मंत्रालय से मालूम करनी पड़ेगी।

बाढ़ से खाद्यान्नों को क्षति

*27. **श्री जगन्नाथ पटनायक† :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ की फसल को हुई क्षति तथा रबी की फसल पर इसके प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है ;

(ख) इसका चालू वर्ष के लिए 17 करोड़ मीट्रिक टन के खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या इस बारे में राज्यों के कृषि सचिवों की कोई बैठक हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख). बाढ़ों के कारण खाद्यान्न उत्पादन को सम्भावित हानि का कोई ठोस आकलन उपलब्ध नहीं है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

(ग) 29-30 सितम्बर, 1988 को नई दिल्ली में 1988-89 के लिए रबी अभियान पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तथा इसमें राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों/सचिवों ने भाग लिया।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कान्फ्रेंस में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) कान्फ्रेंस में राज्यों ने वर्ष 1988-89 के लिए संशोधित खाद्यान्न कार्य लक्ष्य 171.63 मिलियन मीटिक टन स्वीकृत किया जबकि पहले सरकारी लक्ष्य 166.57 मिलियन मीट्रिक टन दिया गया था।

(2) राज्यों को यह सुझाव दिया गया था कि वे खरीफ, 1989 और रबी 1989-90 के लिए अपने बीजों के निश्चित मांग पत्र समय से भेज दें।

(3) उर्वरक खपत में वृद्धि करने के लिए राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे अतिरिक्त केन्द्र खोलें और सार्वजनिक विवरण प्रणाली के अन्तर्गत खुदरा केन्द्र खोलें, ताकि जहां तक सम्भव हो वहां उर्वरकों की बिक्री हो सके।

(4) कृषि उत्पादन आयुक्तों से अनुरोध किया गया था कि वे समय-समय पर कीटनाशकों की कीमतों को मानीटर करते रहें।

(5) जबकि 1988 खरीस मौसम में ऋण की उपलब्धता पिछले वर्ष के मुकाबिले बेहतर थी फिर भी यह महसूस किया गया कि राज्यों द्वारा सहकारी देय राशि की अधिक वसूली के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि राज्यों के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण पात्रता सुनिश्चित हो सके।

(6) विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को एक घटक से दूसरे घटक में पैसा लगाने में लचीलापन लाने का सुझाव दिया था। यह माना गया था कि बीज के अलावा दूसरे घटकों के लिए कुल निर्धारण के लिए 10 प्रतिशत को कीटनाशियों में लगाया जा सकता है।

(7) मोटे अनाजों, दालों तथा तिलहनों के मूल्य समर्थन कार्यों को शुरू करने के लिए नेफेड की तत्परता के बारे में सभी राज्यों को बताया गया था। राज्यों को सलाह दी गई कि वे इन कार्यों में नेफेड के साथ सक्रिय रूप से सहयोग देने के लिए अपने विपणन सन्घों तथा प्रमुख सहकारी समितियों को मजबूत बनाए।

(8) राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे पानी छोड़ने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाएं और उपलब्ध पानी के इष्टतम प्रयोग और उससे और अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयुक्त फसल कार्यक्रम तैयार करें।

(9) राज्यों को सलाह दी गई कि वे उथले ट्यूबवेल्नों/खुदे कुओं (डग वेल्स) के लिए विशेष ऋण योजना तैयार करें और वर्षा ऋतु के पश्चात् कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाएं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मन्त्री महोदय से यह सवाल पूछा था कि यह जो भारी वर्षा और बाढ़ें आई उससे हमारी खरीफ की फसल को क्या नुकसान पहुंचा। डिफरेन्ट स्टेट्स ने जो स्टेटमेन्ट्स दिए और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो बताया है उससे पता चलता है कि 1.6

मिलियन टन का लाभ होगा और हमारा जो टार्गेट है 1988-89 का वह है अन्दाजन 171.63 मिलियन का। तो मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं कि यह जो शार्ट-फाल होगा उसको पूरा करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है और क्या प्रोग्राम बनाया है? आप्टिगम रबी प्रोडक्शन के लिए इन पुट्स वगैरह—फर्टिलाइजर, सीड्स इत्यादि टाइमली कैसे देंगे और क्या सपोर्ट मेजर्स खरीफ हार्वेस्ट के लिए उठायेंगे। इस सम्बन्ध में आपने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी डिवाइस की है वह जानकारी मैं आपसे चाहता हूं। इसके अलावा जो और रेकमेंडेशंस हुई हैं, कमीशन वगैरह की मीटिंग में, उसके बारे में भी यदि आपके यहां काई जानकारी हो तो वह भी बता दें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि शार्टफाल कोई होगा तो उसके लिए क्या प्रबन्ध किए हैं। हमारा टार्गेट 166.5 मिलियन टन पैदा करने का है और हमें उम्मीद है कि इस साल हमारा उत्पादन टार्गेट से ज्यादा होगा। अभी दोबारा जो रेव्यू किया गया 28-29 सितम्बर को उसमें यह फैसला किया गया कि बजाय 166.5 मिलियन टन के 171 मिलियन टन प्रोडक्शन करना है और हमें पूरा भरोसा है कि 171 गिलियन टन तक हम जरूर पहुचेंगे। अगर फसलों को वह नुकसान न हुआ होता, विभिन्न प्रदेशों में बाढ़ से अगर फसलों की यह तबाही नहीं हुई होती, तो हमारी पैदावार 171 मिलियन टन से भी ज्यादा होने की सम्भावना थी। हमने किसानों को बाकायदा अच्छी खाद और बीज देने की कोशिश की है और अलग से 70 करोड़ रुपया खरीफ के लिए दिया है। और जो हमारी आन-गोइंग स्कीमें हैं वह भी चालू हैं ताकि किसानों को जिन-जिन चीजों की आवश्यकता है उसके मुताबिक किसानों को सहूलियतें मोहैया कराई जायें। इसके लिए भारत सरकार ने हर सम्भव कोशिश की है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस क्षेत्र में रिलीफ मेजर्स के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं और स्टेट्स को आपने कितनी सेन्ट्रल असिस्टेन्स दी है? इसके अतिरिक्त मेरे इस सुझाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि जिन स्टेट्स में लगातार चार-पांच सालों से बाढ़ आ रही है वहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से जो प्लान-एडवांस किया जाता है उस प्लान-एडवांस के बजाए उन स्टेट्स को सेन्ट्रल असिस्टेन्स दी जाए?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने स्टेट्स को जो अलग-अलग पैसा दिया है उसकी जानकारी आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। अधिक अनाज उत्पादन करने की हमारी यह स्कीम 14 स्टेट्स में 169 डिस्ट्रिक्ट्स में है और इसमें पांच फसलों पर खास तौर से ध्यान दिया गया है—गेहूं, चावल, चना, अरहर और मक्का। इन पांचों फसलों के लिए 70 करोड़ रुपए खरीफ में रखा है। अभी 10 करोड़ 56 लाख रुपए गेहूं के लिए, 112 लाख रुपए चने के लिए रखे हैं तथा स्टेटों को हमने दिया है। बाकी हमारी आन-गोइंग स्कीम्स हैं, यदि मैं एक-एक स्कीम को गिनवाऊंगा तो सदन का काफी समय लग जाएगा। सारी स्कीमों के लिए हमने स्टेटों को बाकायदा पैसा दिया है। बहुत सी स्कीमों में 100 परसेंट ग्रान्ट है और बहुत सी स्कीमें हैं, जहां आधी ग्रान्ट है। आधा स्टेट देती हैं और आधा भारत सरकार देती है। मार्जिनल और छोटे किसानों के लिए अलग से सहूलियत है। हरिजनों के लिए और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से सहूलियतें हैं। ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं, यदि उनका मैं जिक्र करूंगा तो सदन का काफी समय लग जाएगा। हमने इनके राज्यों को बाकायदा पैसा दिया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कोई ठोस आंकलन उपलब्ध नहीं है। आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ठोस आंकलन उपलब्ध नहीं हैं। मैं

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, जो राज्य सरकारों का कृषक सम्मेलन हुआ था, क्या उसमें आपके सामने आंकड़े नहीं रखे गए कि क्या क्षति हुई है ? क्या भारत सरकार को मालूम है, हथिया का पानी न होने की वजह से खास तौर से बिहार में बहुत सी जगहों पर फसलों का नुकसान होने जा रहा है। रिहन्द से पानी भी नहीं आ रहा है इसलिए काफी परेशानी बढ़ गई है। बिहार सरकार ने यूपी सरकार से अनुरोध किया है कि रिहन्द से पानी दे, ताकि फसलों को पानी दिया जा सके और फसलों को मरने से बचाया जा सके। यदि ऐसा नहीं हो सकेगा तो काफी बड़ी क्षति होगी। क्या इन सारी बातों को रखकर आप कहते हैं कि 165 के बजाए 171 मिलियन टन का उत्पादन होगा ? इसका आधार क्या है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आधार 178 का नहीं रखा है। मैंने कहा है 166 से 171 होने की सम्भावना है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ठोस आधार नहीं बताए कि ठोस आधार क्या है, तो अध्यक्ष महोदय, बाढ़ आई है···

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : ठोस आंकलन नहीं है।

श्री भजन लाल : मैं कह रहा हूं कि आज बाढ़ एक जगह आई है। उस बाढ़ की वजह से कितनी फसल ठीक रहेगी और किती फसल बिल्कुल खराब हो गई यह तो फसल निकलने पर ही पता चलेगा। उसको इस वक्त बताना सम्भव नहीं है···(**व्यवधान**)···एक मिनट आप मेरी बात सुनने की कृपा करें। मैंने यह अर्ज किया है कि हमारा टारगेट 166.5 मिलियन टन का था, जो कि 171 से ऊपर होने की सम्भावना है। इसके लिए मैं कहता हूं कि 28-29 तरीख को हमने रिव्यूह किया है। सारे देश के 14 प्रदेशों में जहां अनाज ज्यादा होता है, वहां के आयुक्त और सैक्रेटरीज की मीटिंग बुलाकर उनसे सारी बातों की जानकारी हासिल की है कि कितना नुकसान हुआ है और नुकसान होने के बाद कितना अनाज बचा होगा। हर स्टेट ने जब आंकड़े दिए तो उसको जब जोड़ा गया तो वह 171 मिलियन टन बैठता है। इतना अनाज हर हालत में नुकसान होने के बाद होगा। इसलिए···(**व्यवधान**)···मेरी बात सुनने की कृपा करें। बिहार के बारे में···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री एम० आर० सैकिया : क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्य पर आधारित है···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जैसे फ्लड इजाजत लेकर नहीं आता, वैसे ही ये आ रहे हैं।

···(**व्यवधान**)···

श्री भजन लाल : दूसरा बिहार के बारे में, इन्होंने कहा कि पानी की कमी है। यह तो ज्यादा पानी से नुकसान होने का सवाल है। बाढ़ की वजह से···(**व्यवधान**)···

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैंने कहा है, पानी न होने से नुकसान हो रहा है। 28-29 तारीख को जो आंकड़े आपको मिले हैं, उसमें बाद यह स्थिति हुई है कि पानी की कमी हो रही है। उसके बाद आपको कोई जानकारी मिली है कि नुकसान हो रहा है। पानी की मांग हो रही है और उसके बाद भी आप यह कह रहे हैं।

श्री भजन लाल : सिन्हा साहब, जहां तक पानी देने का सवाल है, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि

···(व्यवधान)···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष जी, आप नैस्ट-क्वैश्चन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : डिसकशन करेंगे ।

···(व्यवधान)···

श्री भजन लाल : पहली बात जो उन्होंने कही है, उसको तो पूरा होने दीजिए ।···(व्यवधान) ···आप चाहते हैं कि 12 इस बात में बज जाएं । ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कि जहां तक पानी देने का सवाल है, इरीगेशन महकमा अलग है वाटर रिसोर्सेज का । उनको ज्यादा ज्ञान होता है कि पानी कौन सी कैनाल में कब चलने वाला है, कितने टाइम पर चलने वाला है और कैसे चलना है और उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, तो उनसे स्टेट गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए।

जहां तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमारी तरफ से जहां पानी ज्यादा आ गया, उसको निकालने का हम प्रबन्ध कर रहे हैं । उसके लिए पूरा पैसा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके । जमीन को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया है ताकि किसानों को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति की जा सके ।

श्री मनोज पांडे : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उत्तर बिहार में हर वर्ष बड़ी भयंकर स्थिति बाढ़ से हुआ करती है । क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार में रबी के लिए कोई विशेष योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की सलाह से चलाने की कोई बात की गई है ।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 14 प्रदेश जो ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं और उनमें बिहार भी शामिल है को स्पेशल पैसा दिया गया है और बिहार को भी स्पेशल पैसा दिया गया है ताकि वहां पर किसानों की पूरी मदद की जा सके और उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके । माननीय सदस्य ने कहा है कि बाढ़ से खराब स्थिति हो गई है । बाढ़ जहां आ गई हैं, वहां स्पेशल पैसा दिया गया है । वहां खाद पर सब्सीडी, बीज पर सब्सीडी दी गई है और जमीन जहां बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, जहां ट्यूबवेल्स खराब हो गए हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए, पम्पिंग सेट्स खराब हो गए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश की गई है ताकि वहां के लोगों को राहत दे सकें और ज्यादा उत्पादन उन प्रदेशों में किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन नं० 28, श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, प्रश्न संख्या 28 के साथ मेरे प्रश्न संख्या 34 पर भी विचार शुरू किया जाए । दोनों एक ही विषय से सम्बन्धित हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी टाइम नहीं है ।

श्री सी० माधव रेड्डी : 34 को भी करवा दें। दोनों का सबजेक्ट एक ही है।

अध्यक्ष महोदय : उनसे मूव करवा देते हैं। पहले आप मूव कर लें, श्री इन्द्रजीत गुप्त।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : हमें इस विषय पर विशेष चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं? मैंने पहले ही बता दिया कि हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 28—श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा प्रश्न संख्या 34—श्री ई० अय्यपू रेड्डी।

सोल ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रदर्शन

*28 **श्री इन्द्रजीत गुप्त**† :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोल ओलम्पिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन खेलों में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) खेल-कूद के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

XXIVवें ओलम्पिक खेल 17 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 1988 तक सियोल में आयोजित किए गए थे। भारतीय दल ने 11 खेल विषयों में भाग लिया था। भारतीय खिलाड़ियों का चयन भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन (आई० ओ० ए०) और राष्ट्रीय खेल संघों के परामर्श से तैयार की गई चयन पद्धति के अनुसार किया गया था। चयन पद्धति के अनुसार खिलाड़ी द्वारा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गत ओलम्पिक या हाल ही में हुए विश्व चैम्पियनशिप में छटा स्थान प्राप्त किया था, के मुकाबले में उसके समान या उससे बेहतर जो भी अधिक हो, प्रदर्शन किया गया होना चाहिए। अतुलनात्मक प्रतियोगिताओं के लिए चयन, सम्बन्धित संघ के इस सार्थक मूल्यांकन पर आधारित है कि चुना हुआ व्यक्ति कम से कम छटा स्थान प्राप्त कर पाएगा।

2. सियोल ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय दल का गठन उपर्युक्त चयन पद्धति के आधार

पर आई० ओ० ए० की सिफारिशों से किया गया था। इसके अलावा सरकार ने भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अनुरोध पर गत एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी भाग लेने की अनुमति दी थी बशर्ते कि अभी भी वे देश में सर्वोत्तम है और उन्होंने एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता प्रदर्शन के समान या उससे बेहतर प्रदर्शन किया हो। निशानेबाजी, टेनिस, टेबल टेनिस और और हाकी जैसे खेल विषयों में ऐसे एकल खिलाड़ी या टीम जिसने, स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित अर्हता पद्धति के अनुसार प्रारम्भिक प्रतियोगिताओं के जरिए अर्हता प्राप्त की थी को भाग लेने की सिफारिश भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा की गई थी और सरकार ने मंजूरी दी थी।

3. भारतीय खेल दल का प्रदर्शन कुछ एकल सम्भावनाओं को छोड़कर मोटे तौर पर प्रत्याशाओं के अनुसार था। चयन पद्धति में गत ओलम्पिक या विश्व चैम्पियनशिप के छटे स्थान के बराबर प्रदर्शन के लिए ही व्यवस्था है और चूंकि अधिकतर हमारे खिलाड़ियों ने केवल यह प्रदर्शन ही प्राप्त किया था इसलिए हमें किसी प्रदर्शनीय परिणामों की आशा नहीं थी। भारत ने 1952 ओलम्पिक से किसी एकल प्रतियोगिता में पदक नहीं जीता था। टीम प्रतियोगिताओं में, भारत ने 1972 ओलम्पिक में कॉस्य पदक और मास्को में हाकी में 1980 ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीता था परन्तु सभी श्रेष्ठ हाकी खेलने वाले देशों ने मास्को ओलम्पिक में भाग लिया था। 1984 ओलम्पिक में हमने फिर कोई पदक नहीं जीता था। हमें भारतीय दल से इस बार किसी पदक के जीतने की आशा नहीं थी।

4. तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सियोल ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों के कई अच्छे प्रदर्शन थे। हाकी में भारत छठे स्थान पर रहा था, जबकि 1986 में लन्दन में विश्व कप में हमारा 12वां स्थान था और यह एक अच्छा सुधार है। मुक्केबाजी में मनोज पिंगले और एस० सिराजदार ने प्रशंसनीय पांचवां स्थान प्राप्त किया था। कुश्ती में राजेश कुमार (48 कि० ग्रा०) और कुलदीप सिंह (52 कि० ग्रा०) ने अपनी सम्बन्धित श्रेणियों में नवां स्थान प्राप्त किया था। भारोत्तोलन में जी० मुथूस्वामी (52 कि० ग्रा०) ने 102.5 कि० ग्रा० उठाकर एक नया राष्ट्रमण्डलीय रिकार्ड कायम किया था। एथलेटिक्स में 4 × 400 मीटर में भारतीय महिला रिले टीम ने अपनी 1986 के एशियाई स्वर्ण पदक जीतने के समय में सुधार किया था। हमारी लड़कियों ने 400 मीटर और 800 मीटर में एशिया में सबसे तेज गति प्राप्त की थी।

5. सियोल में भारतीय दल द्वारा भाग लेना बीजिंग में 1990 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए हमारी तैयारी का एक भाग था। एशियाई खेल ही हमारा लक्ष्य है और एशियाई खेलों के लिए तैयारी बड़े उत्साह से शुरू की गई है। प्राथमिकता विषय और एकल प्रतियोगिताओं का पता लगाया गया है और इन विषयों में भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण शिविर पहले ही शुरू किए गए हैं और यह एशियाई खेलों तक जारी रहेंगे। हमारे खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सम्भव कोचिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं, उपस्कर, पौष्टिक भोजन और खेल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। उन्हें पर्याप्त प्रतियोगी प्रदर्शन भी दिया जाएगा, ताकि एशियाई खेलों के समय प्रदर्शन का चरम सीमा स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके।

सोल ओलम्पिक में किया गया व्यय

*34. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी† :**

डा० डी० एन० रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सोल ओलम्पिक में भाग लेने के लिए कुल कितना धन व्यय किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी ;

(ख) भारतीय दल के कुल कितने सदस्य थे और इसमें खिलाड़ियों, सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी अधिकारियों आदि की संख्या का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ओलम्पिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के मामले पर किसी खिलाड़ी के चयन में मानदण्डों और नियमों का उल्लघंन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार, ओलम्पिक खेलों के लिए भेजे गए खेल दल का हवाई भाड़ा, भोजन और आवास, किट और फुटकर पर हुए पूरे खर्च को वहन करती है। सरकार ने सिओल ओलम्पिक खेल 1988 में भाग लेने वाले भारतीयों के आवास और भोजन तथा फुटकर खर्च के लिए भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन को 97,782 अमरीकी डालर दिए थे। सरकार को अभी तक आई० ओ० ए०से वास्तविक खर्चों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। दल के हवाई भाड़े पर अनुमानित खर्च16,24,980 रुपए हैं, जिसके लिए सभी बिल एअर इण्डिया से अभी तक प्राप्त नहीं हुए है।

(ख) XXIVवें ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय दल में 47 प्रतियोगी, 18 टीम अधिकारीगण और 9 आई० ओ० ए० के प्रतिनिधि शामिल है। 27 गैर प्रतियोगी दल के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

चैफ-डी-मिशन	1
उप चैफ-डी-मिशन	1
कोषाध्यक्ष	1
कोच	14
प्रबन्धक	3
डाक्टर	2
मालिश वाला	1

मनोवैज्ञानिक	1
बावर्ची	2
ओलम्पिक अटेची (भारतीय दूतावास, सिओल से)	1
	27

(ग) जी नहीं। सभी खिलाड़ी आई० ओ० ए० और राष्ट्रीय खेल एसोसिएशनों/संघों के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित चयन पद्धति के अनुसार चुने गए है। आई० ओ० ए० के बाद में अनुरोध पर सरकार ने एशियाई खेल 1986 के स्वर्ण पदक विजेताओं द्वारा भाग लेने की अनुमति दी थी बशर्ते कि वे अभी भी देश में सर्वोत्तम थे और उन्होंने गत एशियाई खेल प्रदर्शनों के समान या उससे बेहतर प्रदर्शन स्तर प्राप्त किया था। निशानेबाजी, टेनिस, टेबल टेनिस और हाकी जैसे विषयों में जहां एकल खिलाड़ियों या टीम ने स्वयं सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित अर्हता पद्धति के अनुसार प्रारम्भिक टूर्नामेंट के जरिए अर्हता प्राप्त की हों, और ऐसी पद्धति पर आधारित चयन की आई० ओ० ए० द्वारा सिफारिश की गई थी और सरकार ने उसका अनुमोदन किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, विवरण से यह बताने की कोशिश की गयी है कि ऐसी आशा करना निराधार था कि अनेक पदक जीते जाएंगे। मैं इस विचार से सहमत हूं। इस देश की जनता ने बहुत पहले ही आशायें छोड़ दी थी कि हमारा देश कोई पदक जीतेगा। यह बात बिल्कुल नहीं थीं। बात यह है कि वह उस खेलकूद प्रणाली, जिसके आधार पर हम इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं के बारे में बताएं कि क्या सरकार इसमें कोई मौलिक परिवर्तन करने लिए तैयार है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान : इस पर पूरा डिस्कशन होना चाहिए।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कह तो दिया है। क्या बारी-बारी रजिस्ट्री करवा दूं। पहले क्वेश्चन तो पूछने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके बाद डिस्कशन एलाऊ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इससे एक मिनट में नहीं निपट सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यही करेंगे। मैंने ऐसा पहले ही कर दिया है। हम इस पर चर्चा करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

महिलाओं को समानता का दर्जा देने के लिए शिक्षा हेतु नीदरलैण्ड सरकार से सहायता

[अनुवाद]

*26. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नीदरलैण्ड सरकार की सहायता से, महिलाओं को समानता का दर्जा देने हेतु लोगों को शिक्षित करने सम्बन्धी एक योजना लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू की जाएगी ; और

(ग) इस योजना के लिए नीदरलैण्ड से मिलने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग). महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा का कार्यक्रम 10 जिलों—गुजरात और कर्नाटक प्रत्येक में तीन-तीन जिलों में तथा उत्तर प्रदेश में 4 जिलों से 1988-89 में क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। नीदरलैंड की सरकार ने कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनी रुचि अभिव्यक्त की है और एक भारत डच संयुक्त मूल्यांकन मिशन (इण्डो-डच ज्वाइन्ट एप्रेजल मिशन) ने परियोजना का अध्ययन किया है। नीदरलैंड की सरकार ने प्रदान किए जाने वाले सहायक साधन और सहायता के ब्यौरे अभी तय नहीं किए हैं।

भारत-श्रीलंका समझौते के बारे में श्रीलंका का प्रस्ताव

*29. श्री उत्तम राठौड़ : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने हाल ही में श्रीलंका और भारत के बीच शान्ति और मैत्री सन्धि का समझौता करने के लिए दोनों देशों के बीच वर्तमान समझौता अधिक व्यापक बनाने/उसके स्थान पर नया समझौता करने का कोई प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) औपचारिक रूप से मसौदा प्राप्त होने और इसकी विषय-वस्तु की भली-भांति जांच और मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार की प्रतिक्रिया प्रतिपादित की जा सकती है।

शिक्षा का स्तर एक समान बनाना

*30. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का स्तर एक समान बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में किन कठिनाइयों अथवा बाधाओं का, यदि कोई हैं, सामना करना पड़ रहा है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख). देश में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में ठोस एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालयों के बीच स्तरों में तुलनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न उपाय करता रहा है। इनमें शिक्षकों की अर्हताओं, भर्ती, प्रशिक्षण में सुधार तथा आजीविका प्रोन्नति, दाखिले के लिए अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रथम डिग्री प्रदान करने हेतु अनुदेश के न्यूनतम स्तर निर्धारित करना पाठ्यक्रम की अवधि, किसी वर्ष में शिक्षण दिवसों की संख्या, आदि पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु को फिर से तैयार करना और आधुनिक बनाना, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना; परीक्षा सुधार, आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में मिलावट की जांच

*31. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के द्वारा वितरित किए जाने वाले दूध में मिलावट की जांच करने की वर्तमान पद्धति क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूध में मिलावट की जांच के लिए कितने नमूने एकत्र किए गये और उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में विटामिन 'ए' और 'डी' की मात्रा कितनी-कितनी है ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) दूध के प्रोसेसिंग के विभिन्न स्तरों पर अर्थात् टैंकों में दूध का संचयन करते समय, पैकिंग लाइनों तथा शीतागार में दूध भेजते समय दूध की क्वालिटी की जांच की जाती है ताकि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा सके। दूध को तब तक बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि यह खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मानकों को पूरा करता अर्थात् जब तक इसमें कम से कम 3 प्रतिशत वसा और 8.5 प्रतिशत एस०एन० एफ० नहीं होता। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को दूध का वितरण करते समय दूध की गाड़ियों/डिपुओं से नमूने लिए जाते हैं ताकि दूध निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लिए गए नमूनों और मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	डिपुओं/दूध की गाड़ियों से लिए गए नमूनों की कुल संख्या	मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या
1986	1568	14
1987	342	5
1988 (26-10-88 तक)	160	1

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना टोंड दूध को विटामिन 'ए' युक्त बना रहा है। टोंड दूध में कुल विटामिन 'ए' प्रति लीटर 3600 अन्तर्राष्ट्रीय इकाई तक रखा गया है। दिल्ली दुग्ध योजना के टोंड दूध में विटामिन 'डी' की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है।

बंगलादेश में राहत कार्य में लगे भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टर

*32. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने वहां सहायता कार्य में लगे भारतीय वायु सेना के चार हैलीकाप्टरों को वापस बुलाने के लिए कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश की सरकार ने 20 सितम्बर को हमारे हाई कमीशन को सूचित किया कि भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टर वापिस मंगा लिए जाएं चूंकि बंगलादेश को इस प्रकार की सहायता दूसरे देशों से प्राप्त हो चुकी है। इसलिए भारतीय हैलीकाप्टर की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

रबी की फसलों के लिए केन्द्रीय सहायता

*33. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का रबी की फसलों के लिए राज्यों को कोई विशेष सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) चालू फसलोन्मुखी योजनाओं के अलावा रबी 1988-89 के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को 10.56 करोड़ रु० का विशेष आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चने का उत्पादन करने के लिए 1.12 करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) आवंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

राज्य	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन—गेहूं	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के लिए किए गए आवंटन में से चने के विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन
1. बिहार	145.00	24.00
2. गुजरात	112.45	—
3. हरियाणा	98.70	8.00
4. मध्य प्रदेश	145.00	28.00
5. पंजाब	48.75	—
6. राजस्थान	173.65	32.00
7. उत्तर प्रदेश	332.45	20.00
अखिल भारत	1056.00	112.00

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत नई परियोजना शामिल करने सम्बन्धी उड़ीसा का प्रस्ताव

*35. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत किसी नई परियोजना को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार द्वारा परिलक्षित निर्माण कार्यों की सूची और केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया नीचे दर्शाई गई है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3	4
	केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षित		
1.	उड़ीसा में राज्य राजमार्ग सं० 10 के 63 कि० मी० पर सफाई नदी पर पुल का निर्माण	140.00	केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षित के अन्तर्गत उपलब्ध 45 लाख रु० का सहायता अनुदान राज्य सरकार को इस काम की लागत को आंशिक रूप से वहन करने के लिए प्रदान किया गया है।
	केन्द्रीय सड़क निधि (आबंटन) लेखा		
1.	उड़ीड़ा में आनन्दपुर-भदरक मार्ग पर वैतरणी नदी पर एच० एल० पुल का निर्माण	354.29	उड़ीसा सरकार द्वारा फरवरी, 1985 में भेजे गए इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि (आबंटन) कार्यक्रम के तहत अपनी जमा राशियों का पूर्ण उपयोग कर लिया था। तदनुसार राज्य सरकार को अगस्त, 1985 में स्थिति से अवगत करा दिया गया था।
2.	बौद्ध-कियाकता मार्ग पर महानदी पर पुल का निर्माण	1080.00	
3.	राज्य राजमार्ग-II पर नदी कुसाई सीता कुकुर्कता और मुसला कालिंग आदि पर कमजोर और संकरे छोटे पुलों का पुनर्निर्माण	300.00	
4.	सेरंगा के समीप, सुखिन्दा भुवन, कामाख्या नगर और परजंग होते हुए जयपुर मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जंकशन तक सड़क का सुधार	100.00	
5.	सी० डी० कार्यों सहित बोइयारी गुडा-रामगिरी-गुप्तेश्वर मार्ग का सुधार	150.00	

1	2	3	4
6.	राज्य राजमार्ग (सम्बलपुर-सुन्दरगढ़) पर बसुन्धरा और घोदादिहा पर पुल	50.00	
7.	रायगढ़-पुकाल्लीकहारा मार्ग और कुदलिहार रेंगा मार्ग का निर्माण	78.00	

राज्यों को कच्चे लोहे की सप्लाई

*37. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को सप्लाई किए गए कच्चे लोहे की मात्रा का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में कच्चे लोहे की भारी कमी की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित स्टाकयार्डों उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कच्चे लोहे की मात्रा की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आगामी महीनों में कच्चे लोहे की सप्लाई में वृद्धि होगी; देशी उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त, सरकार ने देशी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए लगभग 2 लाख टन के आयात की भी अनुमति दे दी है ।

विवरण

(हजार टन)

राज्य	कच्चे लोहे का प्रेषण		
	1985-86 के दौरान	1986-87 के दौरान	1987-88 के दौरान
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	15.4	10.4	9.1
आसाम	0.6	—	4.7

1	2	3	4
बिहार	19.1	16.5	24.8
चण्डीगढ़	—	5.9	—
दिल्ली	20.7	26.7	16.2
गुजरात	177.8	142.6	118.6
गोआ	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—
हरियाणा	34.7	38.5	32.5
जम्मू व कश्मीर	1.0	1.7	1.1
कर्नाटक	18.3	13.2	12.5
केरल	4.4	5.1	2.1
मध्य प्रदेश	59.4	69.1	66.9
महाराष्ट्र	42.0	63.2	51.0
मणिपुर	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—
उड़ीसा	27.2	81.4	37.5
पंजाब	227.5	190.1	181.0
राजस्थान	15.4	15.1	20.4
तमिलनाडु	88.8	107.1	88.0
त्रिपुरा	—	—	—
उत्तर प्रदेश	112.5	110.9	113.4
पश्चिम बंगाल	205.3	230.1	260.4
कुल	1070.1	1127.6	1040.2

पोत पर्यन्त निष्प्रभार के आधार पर आयात सुनिश्चित करने के लिए पेनल

*38. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी . क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आयात समझौते पूरी तरह पोत, पर्यन्त निष्प्रभार के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किसी उच्च स्तरीय पेनल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पेनल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उच्च स्तरीय पैनल नहीं बनाया है कि सरकार द्वारा नियंत्रित सभी सरकार नियंत्रित आयात करार सख्ती से एफ० ओ० बी० आधार पर हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सब्जियों के ऊंचे भाव

*39. डा० जी० विजय रामा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1988 के अन्त में राजधानी में ताजे हरे मटर का भाव प्रतिकिलो 32 रुपये तक पहुंच गया था ;

(ख) क्या सरकार को किसानों को प्रतिकिलो मिलने वाले मूल्य की जानकारी है ;

(ग) क्या कृषि उपज की सभी मदों का नियमित रूप से उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का एक कृषि उपज विपणन प्राधिकरण स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्राधिकरण के क्या कृत्य होंगे ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) दिल्ली में, महीने के अन्त में ताजे हरे मटर का खुदरा मूल्य सितम्बर, 1988 में 20.000 रुपए प्रति किलोग्राम था।

(ख) किसानों को प्राप्त होने वाले मूल्य मौसम दर मौसम और स्थान दर स्थान परिवर्तित होते रहते हैं।

(ग) सभी फार्म उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं का एक फार्म उत्पाद विपणन प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोने की खोज

*40. श्री एच० बी० पाटिल :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने की खोज के कार्य में तेजी लाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी/विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). देश में पुरानी स्वर्ण खानों में भण्डारों की लगातार समाप्त होने से, देशी स्वर्ण उत्पादन में कमी के फलस्वरूप, स्वर्ण गवेषण में सफलता प्राप्त करने के लिये अन्य के साथ-साथ, उन्नत प्रौद्योगिकी, विशेषतया भू-भौतिकी और भू-रसायन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में उन्नत प्रौद्योगिकी, अपनाये जाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है । आर्थिक रूप से विदोहन योग्य स्वर्ण भण्डारों में वृद्धि के लिये, स्वर्ण गवेषण में तीव्रता लाने के आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

विदेशों से आए शरणार्थी

[अनुवाद]

78. श्री मुरलीधर माने : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों जैसे अफगानिस्तान और श्रीलंका से 30 सितम्बर, 1988 तक कितने शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया है ;

(ख) उनमें से कितने शरणार्थियों ने वापस जाने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उन्हें अपने-अपने देशों को वापस भेजने के लिए कोई कदम उठाया गया है अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क)

1. अफगानिस्तान : भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की परम्परा को बनाए रखते हुए अफगान राष्ट्रिक भारत की यात्रा पर आते रहे हैं । सरकार, भारत में अस्थायी रूप से रह रहे अफगान राष्ट्रिकों को शरणार्थी नहीं मानती है ।

2. श्रीलंका : 30 सितम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार कुल 1,34,053 शरणार्थी भारत में आए थे ।

(ङ) से (घ).

1. अफगानिस्तान : प्रश्न नहीं उठता।

2. श्रीलंका : श्रीलंका के शरणार्थियों की वापसी एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और 10 अक्टूबर, 1987 तक की स्थिति के अनुसार 44,646 शरणार्थी श्रीलंका वापिस लौट गए थे। राज्यविहीन अथवा भारतीय नागरिकता के रूप में दावेदार होने के आधार पर कुछ शरणार्थियों ने भारत में रहने दिए जाने का अनुरोध किया है।

धान की नई किस्म का विकास

79. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी किस्म का विकास किया है जिसमें भूमि और जल में विद्यमान लवणता का सामना करने की क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह किस्म न केवल लवणता का सामना करने में सक्षम है वरन अधिक पैदावार देने वाली भी है ;

(घ) क्या इस किस्म के धान के बीज की बिक्री समुद्र तटीय राज्यों में की जायेगी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या धान के बीजों की इस किस्म की सप्लाई आगामी रबी की फसल के दौरान की जायेगी ; और

(च) यदि हां, तो इसकी प्रति हेक्टेयर खेती/उत्पादन की लागत और फसल का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

दालों का उत्पादन

80. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक दालों का वर्ग-वार और राज्य-वार कितना उत्पादन (टन में) हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता थी ; और

(ग) दालों का कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक दालों के राज्यवार उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) 1985-86 से 1988 तक के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्न प्रकार है :—

दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति कुल उपलब्धता (अनंतिम) (कि.ग्रा/वर्ष)
1985	13.9
1986	15.3
1987	13.2
1988	12.2

(ग) दालों की खेती सामान्यतः उर्वरक और अधिक उत्पादनशील किस्म के बीजों जैसे आदानों की अपर्याप्त सप्लाई को परिस्थितियों सहित वर्षा सिंचित परिस्थितियों में सीमान्त भूमि पर की जाती है। इन फसलों की खेती पर कृमियों और रोगों का भी अधिक प्रभाव होता है, जिससे इनकी खेती में जोखिम तत्व अधिक होते हैं। दालों की फसलों की प्रबन्ध भी सामान्यतः कमजोर है। दालों का उत्पादन बढ़ाने में ये मुख्य कठिनाइयां हैं।

विवरण

1985-86 से 1987-88 तक दालों का कुल उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

राज्य	1985-86	1986-87	1987-88 (अनन्तिम)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	629	534	644
असम	66	60	61
बिहार	887	895	821

1	2	3	4
गुजरात	338	235	143
हरियाणा	678	479	112
हिमाचल प्रदेश	13	9	6
जम्मू व कश्मीर	29	29	18
कर्नाटक	489	527	694
केरल	26	26	19
मध्य प्रदेश	2610	2433	2488
महाराष्ट्र	1164	975	1414
उड़ीसा	1031	1051	1040
पंजाब	204	180	99
राजस्थान	1767	879	472
तमिलनाडु	322	392	363
उत्तर प्रदेश	2811	2751	2456
पश्चिम बंगाल	264	250	227
अन्य	33	34	33
अखिल भारत	13361	11738	11110

राष्ट्रीय खनिज नीति का मसौदा

81. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस नीति के अन्तर्गत किन कानूनों और नियमों, यदि कोई हों, में संशोधन किया जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिजों के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति का प्रारूप तैयार किया गया है; जो इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

एल्यूमिनियम की कमी

82. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्युमिनियम की भारी कमी है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई एल्यूमिनियम की सिलियों का निर्यात करने का निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिकूल परिस्थिति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) वर्ष 1987-88 की तुलना में, वर्ष 1988-89 के दौरान प्राथमिक एल्युमिनियम का उत्पादन व उपलब्धि निम्नलिखित रही :--

आंकड़े (000 टन में)

उत्पादन/आयात	1987-88	1988-89	वृद्धि
अप्रैल से सितम्बर	124	159	+35
अक्तूबर से मार्च	154	201	+47
कुल	278	360	+82
एम० एम० टी० सी० द्वारा आयात	55	—	—55
कुल	333	360	+27

वर्ष 1988-89 के दौरान मांग लगभग 360,000 टन आंकी गई है, और उसकी तुलना में घरेलू उत्पादन भी 360,000 टन होने की आशा है, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी का 80,000 टन अनुमानित उत्पादन भी शामिल है।

(ख) और (ग). नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को), देशी खपत के लिए विद्युत संवाहक (ई० सी०) ग्रेड एल्यूमिनियम के उत्पादन के सांविधिक दायित्व को पूरा करने के बाद, लगभग 380,000 टन फालतू एल्यूमिना तथा लगभग 15,000 टन उच्च ग्रेड एल्यूमिनियम धातु का निर्यात करेगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में फालतू अध्यापक

83. **श्री सैफुद्दीन अहमद :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन में

अतिरिक्त अध्यापक के बारे में 28 जुलाई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अगस्त, 1988 के लिए गए केन्द्रीय नीति निर्णय के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में किसी भी योग्य शिक्षक को फालतू घोषित नहीं किया जाएगा और छंटनी नहीं की जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन से सभी प्रकार से स्थिति को सुनिश्चित किया है। किसी भी शारीरिक शिक्षा शिक्षक को फालतू घोषित नहीं किया गया है। शारीरिक शिक्षा के साथ योग को मिलाने से, योग शिक्षकों तथा शा० शि० शिक्षकों का समायोजन अब एक सतत प्रक्रिया है योग शिक्षकों के अन्तर क्षेत्रीय स्थानान्तरणों पर फालतू किए जाने से शिक्षकों के कारण उन पर प्रभाव नहीं पड़ा है इस स्तर पर योग शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन, मांग और आयात

84. **श्री रेणुपद दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) इसकी क्षेत्र-वार कुल मांग कितनी है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान देश में तैयार इस्पात के उत्पादन की मात्रा तथा इसकी अनुमानित मांग नीचे दिए अनुसार थी :—

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन	अनुमानित मांग
1986-87	108	118
1987-88	116	128

वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए इस्पात के लम्बे उत्पादों की मांग जिनका इस्तेमाल सामान्यतया निर्माण क्षेत्र में किया जाता है, क्रमश: लगभग 72 लाख टन और 75 लाख टन थी। चपटे उत्पादों और अन्य उत्पादों की मांग सामान्यतया जिनका इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, क्रमश: लगभग 45 लाख टन और 52 लाख टन थी।

10+2 प्रणाली के अन्तर्गत संस्कृत की पढ़ाई

86. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शैक्षिक संस्थानों में 10+2 प्रणाली के लागू होने से संस्कृत की पढ़ाई को गहरा धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों में संस्कृत की लोकप्रियता की कमी को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रबन्ध करने सहित 10+2 प्रणाली प्रारम्भ करने से अध्ययन की योजना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष से माध्यमिक परीक्षा के लिए अध्ययन की योजना में परिवर्तन किया है जिसमें छात्र को हिन्दी, अंग्रेजी तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना अपेक्षित होगा। हिन्दी "ए" स्तर का पाठ्यक्रम लेने वाले छात्रों को हिन्दी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत सहित सात श्रेण्य और यूरोपीय भाषाओं में से एक भाषा ले सकेंगे। राज्यों की अपनी ही एजेंसियां हैं जो उनके स्कूलों में अध्ययन के लिए योजना को तैयार करती है और उन्हें निर्धारित करती हैं।

केरल में नारियल के बागान लगाने में प्रगति

87. **श्री टी० बशीर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में केरल सरकार से राज्य में नारियल के बागान लगाने में प्रगति के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में केरल के रोगग्रस्त क्षेत्रों में रोगग्रस्त और लाभकारी नारियल के पेड़ों के स्थान पर दूसरे पेड़ लगाए जाने तथा इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। परियोजना में नई पौधों और अन्य आदान सामग्री की सप्लाई की व्यवस्था करने तथा साथ ही साथ नारियल के बगीचों में सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने पर जोर दिया गया है। सात वर्षों के लिए परियोजना की लागत 7857.81 लाख रुपए रखी गयी है।

(ग) परियोजना की जांच की जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में गांवों की सड़कों के लिए राज्यों की धनराशि का आबंटन

88. **श्री पूर्ण चन्द मलिक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में गांवों के लिए सड़कों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को अब तक दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छठी योजना में 6.50 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले 8 राज्यों को 13.54 करोड़ रु० की लागत के कार्य स्वीकृत किए गए थे और निधियों की उनकी आवश्यकता के आधार पर उन्हें वास्तव में 4.0 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की गई थी। इस प्रकार निधियों का कोई आबंटन नहीं किया गया था। सातवीं योजना अवधि के दौरान उन कुछ अतिरिक्त राज्यों को 3.12 करोड़ रु० की लागत के कार्य भी स्वीकृत किए गए थे जिनके लिए पहले कोई कार्य स्वीकृत नहीं किए गए थे। छठी योजना तथा सातवीं योजना (1985-89) के दौरान अब तक राज्यों को (राज्यवार) स्वीकृत किए गए कार्यों की लागत और रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास-स्वीकृत किए गए कार्यों की लागत तथा रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृत किए गए कार्यों की लागत	रिलीज की गई निधियां	
			छठी पंचवर्षीय योजना	1985-89 (31-10-88 तक)
1	2	3	4	5
1.	बिहार	133.27	32.80	48.00
2.	गुजरात	143.00	30.00	94.15

1	2	3	4	5
3.	हिमाचल प्रदेश	100.37	51.33	45.15
4.	मध्य प्रदेश	428.45	148.30	241.52
5.	मणिपुर	256.12	40.00	175.12
6.	उड़ीसा	196.44	61.00	126.67
7	राजस्थान	51.26	33.57	17.70
8.	तमिलनाडु	45.00	3.00	41.36
	योग (क)	1353.91	400.00	789.67
1.	आन्ध्र प्रदेश	73.70	—	63.33
2.	असम	20.00	—	14.35
3.	कर्नाटक	55.86	—	29.12
4.	केरल	13.50	—	12.28
5.	महाराष्ट्र	69.99	—	22.00
6.	राजस्थान	35.85	—	31.11
7.	सिक्किम	10.50	—	10.50
8.	त्रिपुरा	13.44	—	7.16
9.	पश्चिम बंगाल	18.99	—	4.60
	योग (ख)	311.83	—	194.45
	कुल योग (क+ख)	1665.74	400.00	984.12

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए सहायता

89. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हाल में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप वहां राष्ट्रीय राजमार्गों को कितनी क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1988 में बाढ़ के कारण हुई क्षति की बहाली की राज्य सरकार द्वारा यथा परिलक्षित अनुमानित लागत 657 लाख रु० है ।

(ख) और (ग). बहाली कार्य चल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जांच किए जाने के बाद निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाने हैं ।

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का कार्यान्वयन

90. चौधरी सुन्दर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1986 से पेंशन योजना के कार्यान्वयन के बारे में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को इस योजना के लाभ दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत दो कर्मचारी पेंशन पाने के पात्र नहीं थे क्योंकि 'केन्द्र' में उनकी अर्हक सेवा दस वर्ष से कम थी।

भारतीय सड़क क्षेत्र के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता

91. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भारतीय सड़क क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आएगी ; और

(ग) राशि के वितरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर में जिन स्कीमों को चरण-I में विश्व बैंक ऋण सहायता के तहत निष्पादित किया जा रहा है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 (पृ० 43-44) में दिया गया है।

राज्य सेक्टर में जिन परियोजनाओं को विश्व बैंक ऋण सहायता के तहत निष्पादित करने के लिए अनुमोदित किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

इसके अलावा हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ बातचीत पूरी हुई है और परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

(ग) राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए उनको सहायता की 70 प्रतिशत राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दे दी जाती है। इसकी 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में होती है।

विवरण-2

परियोजनाओं में सम्बन्धित राज्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

बिहार		
भागलपुर पुल	4.0 कि०मी०	दोनों ओर 1.5 मीटर फुटपाथ के साथ दोहरी लेन वाले पुल का निर्माण
भागलपुर पुल के पहुंचमार्ग	14.0 कि० मी०	दोहरी लेन वाले पहुंच मार्गों का निर्माण
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर	51.0 कि० मी०	दोहरी लेन में बदलना तथा सुदृढ़ करना
सोनपुर-छपरा	50.0 कि० मी०	वही
महाराष्ट्र		
पुणे-अहमदनगर	113.6 कि० मी०	वही
अहमदनगर-कोपारगों	95.0 कि० मी०	वही
अहमदनगर-औरंगाबाद	105.4 कि० मी०	वही
औरंगाबाद-मन्था	124.0 कि० मी०	वही
अकोला-कनहरगाँ	96.0 कि० मी०	वही
नागपुर-कमपाद	69.0 कि० मी०	वही

पालगर-वाडा	47.0 कि० मी०	दोहरी लेन में बदलना तथा सुदृढ़ करना
वाडा-अम्बाडी	23.0 कि० मी०	वही
राजस्थान		
अलवर-भिवारी	90.0 कि० मी०	वही
अलवर-करौली	145.0 कि० मी०	वही
उदयपुर-दबोक	16.0 कि० मी०	वही
दबोक-चित्तौड़गढ़	97.0 कि० मी०	वही
अजमेर-चित्तौड़गढ़	186.0 कि० मी०	वही
सिरोही-आबूरोड	63.0 कि० मी०	वही
आबू रोड-माउंट आबू	23.0 कि० मी०	वही
फतेहपुर-चुरू	36.0 कि० मी०	वही
चुरू-हरियाणा बार्डर	79.0 कि० मी०	वही
सिकार-हरियाणा बार्डर	133.0 कि० मी०	वही
उत्तर प्रदेश		
सोनौली-गोरखपुर	93.0 कि० मी०	वही
गोरखपुर-बलिआ	153.0 कि० मी०	वही
फैजाबाद-इलाहाबाद	143.0 कि० मी०	वही
इलाहबाद-दोहरीघाट	208.0 कि० मी०	वही

19 सितम्बर, 1988

सिविल कार्यों के अलावा परियोजना में प्रशिक्षण, उपकरण और क्षेत्रवार अध्ययन शामिल हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 450 मिलियन अमरीकी डालर और ऋण सहायता 170 मिलियन अमरीकी डालर तथा आई डी ए ऋण 62 मिलियन एस डी आर है जो 80 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है।

विवरण-1

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य	रा० रा० संख्या	कार्य का नाम	लम्बाई कि० मी०	स्वीकृत राशि	शुरू होने की तारीख	समापन की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	एन ई०-1	राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के मुख्य दिल्ली बम्बई खण्ड में अहमदाबाद और बदोदरा नगरों को जोड़ने वाला नए दोहरे कैरेजवे का निर्माण	92 कि० मी०	134.91	1-5-87	जून, 1992
2.	हरियाणा	एन एच-1	मुरयल से करनाल (74.80-130.0 कि० मी०) तक मौजूदा कैरेजवे को चौहरी लेन में बदलना तथा सुदृढ़ करना	80 कि० मी०	40.16	1-5-87	जून, 1991
3.	पंजाब	एन एच-1	सरहिन्द से जालन्धर (252.525-372.7 कि० मी०) तक के मौजूदा कैरेजवे को चौहरी लेन में बदलना तथा सुदृढ़ करना	121 कि० मी०	67.58	6-87	दिस०, 1990

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	तमिलनाडु	एन एच-45	एक अतिरिक्त दोहरी लेन कैरेजवे का प्रावधान तथा 27 से 67 कि० मी० तक मौजूदा दोहरी लेन को सुदृढ़ करना तथा 67-160 कि० मी० तक सुदृढ़ करना	40 (4 लेन) 93 कि० मी०	54.79	11-3-87	दिसम्बर, 1990
5.	उत्तर प्रदेश	एन एच-2	गंगा नदी पर एक बड़ा पुल सहित वाराणसी नगर में दोहरी लेन वाले बाईपास का निर्माण	30 कि० मी०	49.52	15-11-87	जून, 1991
6.	पश्चिम बंगाल	एन एच-2	मुख्य कलकत्ता दिल्ली खण्ड में देन-कुनी और पालसिट के केन्द्रों को जोड़ने वाली सर्विस रोड तथा ग्रैड इन्टरसेक्सन के साथ एक दोहरी लेन वाली नई सड़क का निर्माण	65 कि० मी०	58.41	3-87	जून, 1990 जुलाई 1990

	लागत लाख रु०
(I) वाहन बेड़े के आधुनिकरण और सड़क प्रयोग प्रभारों का अध्ययन	74.50
(II) मोबाइल ब्रिज इन्सपेक्शन यूनिट की खरीद	110.00
(III) उपकरणों की खरीद	260.00
(IV) सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद	288.00

विवरण-3

क्र० सं०	राज्य	रा० रा० सं०	कार्य का नाम
1.	सिविल कार्य		
1.	रा० रा० परियोजना		
I.	आन्ध्र प्रदेश	5	अनकापल्ली से विशाखापतनम तक चौहरी लेन में बदलना और सुदृढ़ करना
II.	हरियाणा और उत्तर प्रदेश	2	बल्लभगढ़ से मथुरा तक चौहरी लेन में बदलना और सुदृढ़ करना
2.	राज्य राजमार्ग		
III.	अन्ध्र प्रदेश		हैदराबाद-रामगुंटम रोड में सुधार
IV.	कर्नाटक		अंकोला-हुबली रोड में सुधार
V.	तमिलनाडु		पूर्वी तट सड़क के मद्रास-कुड्डालूर खण्ड में सुधार
II.	उपकरण		
III.	क्षेत्रवार अध्ययन और परामर्शी सेवाएं		
			कुल लागत लगभग 350 करोड़ रुपए

शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन

92. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत अनेक शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं ;

(ख) क्या ऐसे शिक्षक स्कूलों में उन कमजोर विद्यार्थियों की ओर उचित ध्यान नहीं देते हैं जो प्राइवेट ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इसका उल्लेख करने के लिए उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर भवन में आग लगना

93. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के छः मंजिली पुस्तकालय भवन में 14 अक्टूबर, 1988 को भीषण आग लगने की घटना हुई थी ;

(ख) क्या अग्निकांड के बारे में किसी जांच का आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इनके परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) अनुसंधान कार्य के नष्ट होने तथा भवन में अग्निकांड से नुकसान होने के कारण कितने धन की हानि हुई ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने इस घटना की जांच करने के लिए रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० के सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

हरी खाद का प्रयोग

94. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने हरी खाद का पुनः पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो नई खोज का ब्यौरा क्या है और भारत तथा विदेशों में आमतौर से प्रयोग में की जा रही प्रौद्योगिकी से यह किस प्रकार भिन्न है ;

(ग) क्या इस नई प्रौद्योगिकी का क्षेत्र परीक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्राप्त लाभ के परिणाम गैर-सरकारी कृषक क्षेत्रों में भी उपलब्ध होते हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) धान की रोपाई से एक दिन पहले 60 दिन पुराने ढैंचा को मिट्टी में मिला दिया जाय तो उसका असर रासायनिक उर्वरक के रूप में 60 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देने की तुलना में अच्छा होता है। इसके अलावा, हरी खाद तथा 60 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने पर चावल की उतनी ही पैदावार प्राप्त हुई जितनी उर्वरक के रूप में 120 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देने पर प्राप्त होती है। इस तरह ढैंचा के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर 60 किलो नाइट्रोजन की बचत हुई।

आमतौर पर, हरी खाद की फसलें चावल की फसल की रोपाई से 15-20 दिन पहले मिट्टी में मिला दी जाती हैं। लेकिन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जो खोज की गई है उसके आधार पर एक दिन पहले हरी खाद को खेत में मिलाने की सिफारिश की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सिफारिश पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने पंजाब के किसानों द्वारा खरीफ के मौसम में उपयोग में लाने के लिए एक मुश्त कृषि क्रियाओं के साथ की है। किसानों के खेतों पर किए जाने वाले परीक्षणों में प्रगति हो रही है।

इन्दिरा आवास योजना का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

95. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में इन्दिरा आवास योजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस आवास योजना का विस्तार देश के उन नगरों में करने का है, जहां गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ियों और कच्चे मकानों में रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इन्दिरा आवास योजना को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है। योजना के अन्तर्गत अभी तक आयोजित और निर्मित किए गए सूचित मकानों की संख्या क्रमशः 497630 तथा 380619 है। इस सम्बन्ध में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों द्वारा अभी तक आयोजित तथा निर्मित किए गए सूचित मकानों की संख्या का राज्य/संघ-शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	आयोजित मकानों की संख्या	निर्मित किए गए सूचित मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	44663	37664

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	35
3.	असम	7640	2119
4.	बिहार	46730	44545
5.	गोवा	250	216
6.	गुजरात	19750	14831
7.	हरियाणा	3287	3086
8.	हिमाचल प्रदेश	2152	495
9.	जम्मू और कश्मीर	2997	638
10.	कर्नाटक	15798	14745
11.	केरल	30110	35489
12.	मध्य प्रदेश	21732	13034
13.	महाराष्ट्र	39000	26033
14.	मणिपुर	210	174
15.	मेघालय	386	156
16.	मिजोरम	203	64
17.	नागालैण्ड	498	396
18.	उड़ीसा	16666	12645
19.	पंजाब	10393	2035
20.	राजस्थान	19651	13491
21.	सिक्किम	412	262
22.	तमिलनाडु	99882	71331
23.	त्रिपुरा	3210	2251
24.	उत्तर प्रदेश	79434	69975
25.	पश्चिम बंगाल	62082	14725

1	2	3	4
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	100	7
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	113	80
29.	दमन व दीव	—	—
30.	दिल्ली	—	उपलब्ध नहीं
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पाण्डिचेरी	284	97
	अखिल भारत	497630	380619

बाढ़ द्वारा क्षति

[अनुवाद]

96. **श्री चौरेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राहत कार्यों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष-प्रति-वर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान बाढ़ों आदि से प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) बाढ़ नियन्त्रण राज्य का विषय है। बाढ़ नियन्त्रण तथा अन्य सम्बन्धित परियोजनाओं की योजना बनाने, जांच करने और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इस क्षेत्र के लिए निधियों की व्यवस्था राज्य द्वारा अपने अपने वार्षिक बजटों में की जाती है जो उनके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर होती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर तकनीकी मामलों में सहायता देती है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) सन् 1954 से एक राष्ट्रीय बाढ़ प्रबन्ध कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यों से मार्च, 1987 तक देश के 320 लाख हैक्टेयर अनुमानित संरक्षणीय क्षेत्र में से करीब 133.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है।

(2) केन्द्रीय जल आयोग ने कई प्रमुख अन्तः राज्यीय नदियों पर बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले 147 केन्द्रों की स्थापना की है।

(3) काफी समय से बाढ़ से प्रभावित होते आ रहे क्षेत्रों को सहायता देने के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

(4) राज्य क्षेत्र में शामिल की गयी बाढ़ प्रबन्ध योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष ऋण दिए हैं।

(5) मार्च, 1988 में एच० एम० जी० नेपाल के साथ एक समझौता किया गया है, जिससे नेपाल से भारत की ओर बहने वाली नदियों के ऊपरी स्रवण क्षेत्रों में स्थापित 7 केन्द्रों के वर्षा सम्बन्धी आंकड़े सही समय पर प्राप्त किए जा रहे हैं तथा इसे बाढ़ की पूर्व सूचना देने और चेतावनी देने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

(6) बाढ़ों से होने वाली क्षति को कम करने के लिए एक माडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल तैयार किया गया था तथा इसे अपनाए जाने के लिए 1975 में राज्यों में परिचालित किया गया था।

(7) 1987 की गम्भीर बाढ़ों के समय दो उच्च-स्तरीय समितियां, एक उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, तथा दूसरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उडीसा राज्यों के लिए नवम्बर, 1987 में बनाई गई। ताकि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन किया जा सके तथा उनके लिए दीर्घकालिक आधार पर उचित मात्रा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुझाव दिए जा सकें।

विवरण

1985-87 के दौरान बाढ़ों से प्रभावित राज्यवार क्षेत्र

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)		
		1985	1986	1987
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.060	13.400	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.040	—	—

1 2	3	4	5
3. असम	6.500	4.300	15.30
4. बिहार	7.900	17.550	41.64
5. गोवा	—	—	शून्य
6. गुजरात	0.030	नगण्य	नगण्य
7. हरियाणा	2.100	0.300	शून्य
8. हिमाचल प्रदेश	3.900	शून्य	नगण्य
9. जम्मू और कश्मीर	नगण्य	—	5.14
10. केरल	1.500	0.500	0.015
11. कर्नाटक	नगण्य	नगण्य	नगण्य
12. मध्य प्रदेश	शून्य	1.800	नगण्य
13. महाराष्ट्र	0.010	.400	0.015
14. मणिपुर	0.200	.500	0.27
15. मेघालय	—	नगण्य	0.95
16. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17. नागालैंड	0.080	शून्य	—
18. उड़ीसा	9.100	12.400	—
19. पंजाब	8.600	0.500	शून्य
20. राजस्थान	1.200	5.400	0.912
21. सिक्किम	1.00	—	0.01
22. तमिलनाडु	—	0.040	शून्य
23. त्रिपुरा	0.230	0.030	शून्य
24. उत्तर प्रदेश	40.300	10.400	6.0
25. पश्चिम बंगाल	1.800	18.000	18.61
26. अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.005	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादर, नगर एवं हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	0.110	0.010	शून्य
	अखिल भारत	83.770	88.140	88.862

राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना

97. **श्री के० राममूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन यातायात सुचारु रूप से चलाने के लिए 1984 में लागू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना वाहन-यातायात सहायता चौकियों की व्यवस्था की गई थी, अब बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक स्थापित प्रायोगिक वाहन यातायात सहायता चौकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). राजमार्ग गश्त स्कीम के एक पायलट परियोजना 1983-84 में शुरू की गई है। पायलट परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के पांच खंड (दिल्ली-चंडीगढ़, कलकत्ता-दुर्गापुर, अहमदाबाद-सूरत, बम्बई-कोल्हापुर, मद्रास-डिंडीगल) आते हैं जहां समुचित दूरियों पर स्थित 36 ट्रैफिक-एड-पोस्टों के माध्यम से खंड के गश्त की एक स्कीम होगी और होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का समाचार भेजना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार, वाहनों को हटाना तथा यातायात का अवाध आवागमन सुनिश्चित होगा। यह पायलट परियोजनाओं राज्यों द्वारा अन्य खंडों पर अपनाने के लिए उदाहरण के रूप में पेश की गई थी और प्रारम्भिक अवधि के बाद स्कीम बन्द कर दी गई है जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना थी।

सहायक आयुक्तों द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों का निरीक्षण

98. **श्री राज कुमार राय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्तों को केन्द्रीय विद्यालयों का निरीक्षण करना होता है ;

(ख) यदि हां, तो ये निरीक्षण कितने अन्तराल पर किए जाते हैं ; और

(ग) उन केन्द्रीय विद्यालयों के नाम क्या हैं, जिनका गत तीन वर्षों के दौरान एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों का निरीक्षण सहायक आयुक्तों अथवा उनकी ओर से शिक्षा अधिकारी द्वारा तीन वर्षों में एक बार किया जाता है।

(ग) मुक्तेश्वर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में काम के दबाव और अन्य व्यस्तताओं के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान एक बार भी दौरा नहीं किया जा सका।

ब्रिटिश क्रिकेट टीम का दौरा

99. **श्री शान्ताराम पोतदुखे :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शरद ऋतु में भारत में क्रिकेट दौरे पर आने वाली इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाया है, जिसके दक्षिण अफ्रीका के साथ सम्पर्क है ;

(ख) क्या भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) इंग्लैंड के टेस्ट और कंट्री क्रिकेट बोर्ड (टी० सी० सी० बी०) को यह सूचना मिलने पर कि आठ खिलाड़ी जिनका दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल सम्बन्ध है, उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा और टी० सी० सी० बी० इन खिलाड़ियों के स्थान पर ऐसे खिलाड़ियों को बदल सकती है जिनका दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध नहीं है, तो उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत का दौरा रद्द कर दिया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को हुआ लाभ और हानि

100. **श्री कमल चौधरी : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को संयंत्र-वार कितना लाभ और हानि हुई ; और

(ख) यदि कोई हानि हुई हो, तो उसे और कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान "सेल" की संयंत्र-वार लाभ तथा हानि की स्थिति निम्नानुसार है :—

संयंत्र/इकाई	लाभ (+)/हानि (—) (करोड़ रुपयों में)
भिलाई इस्पात संयंत्र	(—) 30.21
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(—) 54.75
राउरकेला इस्पात संयंत्र	(+) 15.02
बोकारो इस्पात संयंत्र	(+) 171.21
अलॉय स्टील प्लांट	(—) 39.98
सेलम स्टील प्लांट	(—) 3.91
अन्य/समायोजन	(+) 5.89
"सेल"	(+) 63.27
"इस्को"	(—) 115.75

(ख) "सेल" अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों के द्वारा अपनी लाभदायकता में वृद्धि करने के प्रयास कर रहा है :—

(1) वर्तमान सुविधाओं की क्षमता का उपयोग तथा संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और रख-रखाव के स्तरों में सुधार;

(2) बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राडक्ट-मिक्स में वृद्धि;

(3) ऊर्जा की खपत में कमी ;

(4) उपोत्पादों के उत्पादन में वृद्धि तथा अवशिष्ट और गौण पदार्थों की बेहतर प्राप्ति ;

(5) श्रमिकों को दूसरे संयंत्रों में खपाकर तथा पुनः प्रशिक्षण देकर श्रम उत्पादकता में सुधार ;

(6) प्रौद्योगिकीय उन्नयन सहित संयंत्रों का आधुनिकीकरण ;

(7) माल-सूची तथा चलती पूंजी का बेहतर प्रबन्ध ;

(8) अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ाना ;

(9) अनुत्पादक क्षेत्रों में व्यय पर नियंत्रण ।

नेपाल नरेश के साथ हुई चर्चा का परिणाम

101. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के महाराजा की हाल की यात्रा के दौरान 1950 में हुई संधि के अन्तर्गत भारत-नेपाल सम्बन्धों पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यद्यपि विपक्षीय हित के मामलों पर प्रधानमन्त्री और नेपाल नरेश के बीच विचार-विमर्श हुआ था परन्तु 1950 की संधि में यथा उल्लिखित भारत-नेपाल सम्बन्धों पर विशिष्ट रूप से विचार-विमर्श नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिजी में भारतीय मूल के लोगों के प्रति भेदभाव

102. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी के संविधान में, जिसे हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है, भारतीय मूल के नागरिकों के प्रति भेदभाव किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख). फिजी ने अभी तक नए संविधान को नहीं अपनाया है । लेकिन एक नए संविधान का मसौदा प्रकाशित किया गया है और इस प्रस्तावित संविधान के बारे में वहां के विभिन्न वर्गों के विचार प्राप्त करने के लिए एक जांच तथा सलाहकार समिति गठित की गई है ।

नए संविधान के मसौदे के प्रावधान भारतीय मूल के फिजियों के विरुद्ध निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण है । इसमें एक सदनीय संसद की व्यवस्था है जिसमें 71 सीटें होंगी जिनमें से 59 सीटों पर चुने हुए उम्मीदवार होंगे और 12 नामित किए जाएंगे । भारतीय मूल के फिजी के नागरिक केवल 22 सीटें प्राप्त करने के हकदार होंगे हांलाकि उस देश में उनका सबसे बड़ा जातीय वर्ग है । मूल फिजियों के लिए 28 सीटें रखी गई हैं । संभवतः 12 सदस्य, जो राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री द्वारा नामित किए जाने हैं वे भी फिजी मूल के लोग होंगे । सामान्य निर्वाचक दल को जिसमें चीनी और यूरोपीय वंश के लोग होंगे, 8 सीटें प्राप्त होंगी । एक सदस्य रोतुमा का होगा ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सशस्त्र सेनाओं के कमांडर, जो रक्षा मन्त्री भी होगा, पुलिस सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों को सिर्फ फिजी मूल के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है।

(ग) फिजी के इस प्रस्तावित संविधान के बारे में एक सरकारी वक्तव्य 20 सितम्बर, 1988 को जारी किया गया था। इस वक्तव्य का पाठ विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार ने फीजी की अंतरिम सरकार द्वारा अनुमोदित फिजी के संविधान के प्रारूप की मुख्य बातों पर गौर किया है। हालांकि मसौदे का पूर्ण पाठ अभी प्रतिक्षित है फिर भी अब तक उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि प्रस्तावित संसद में विभिन्न समुदायों को उचित और न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने कोई प्रयास नहीं किया गया है। अपदस्थ प्रधानमन्त्री डा० बवादरा ने यह कहा है कि "इस संविधान ने भारतीय लोगों को ऐसे देश में तीसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है जहां उनकी जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत है।" भारत सरकार ने खेद के साथ इस बात पर गौर किया है कि तथाकथित मसौदे में संसद में चुनाव के जरिये भरी जाने वाली सभी सीटों के लिए साम्प्रदायिक मताधिकार व्यवस्था को अपनाए जाने जैसे कई ऐसे प्रावधान हैं, जो अलोकतांत्रिक, भेदभाव मूलक होने के साथ-साथ शांति, स्थिरता और जातीय मेलमिलाप के लिए भी हानिकर हैं।

भारत सरकार ने अंतरिम सरकार के इस वक्तव्य पर गौर किया है कि संविधान के प्रारूप पर शीघ्र ही विचार-विमर्श की एक प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। भारत सरकार को आशा है कि यह प्रक्रिया स्वतन्त्र और लोक तांत्रिक होगी ताकि सर्व स्वीकार्य संविधान के निर्धारण में सभी वर्गों के लोग भाग ले सकें। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा डिक्री को निरस्य किए जाने के अपने पूर्व आह्वान को दोहराया है।

श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका

103. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के सप्ताहों में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा क्या भूमिका निभायी गई है ; और

(ख) क्या भारतीय शांति सेना श्रीलंका में प्रांतीय परिषदों के लिये होने वाले चुनावों से सम्बन्धित चुनाव प्रक्रिया में श्रीलंका सरकार की सहायता कर रही है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का कार्य भारत-श्रीलंका समझौते का कार्यान्वयन और श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रान्तों में रह रहे सभी समुदायों की हिफाजत और सुरक्षा का सुनिश्चय करना है। भारतीय शांति सेना अपना यह दायित्व निभा रही है।

(ख) श्रीलंका सरकार को विशिष्ट रूप से चुनाव से सम्बन्ध कार्यों में सहयोग देना, भारतीय शांति सेना के दायित्व का अंग नहीं है। तथापि, अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय शांति सेना प्रान्तीय परिषद के चुनावों के दौरान उत्तरी पूर्वी प्रान्तों में रह रहे लोगों की उचित हिफाजत और सुरक्षा से संबद्ध उचित सहायता देती रहेगी।

इस्पात के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस मन्जूर करना

104. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान इस्पात के निर्माण के लिए किन-किन कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गए ;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान, लाइसेंस बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का और लाइसेंस जारी करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ). लौह धातुकर्मीय उद्योग से सम्बन्धित वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत, कुछ पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में इस्पात-निर्माण की 50,000 टन प्रतिवर्ष की नई क्षमताएं स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति

105. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मानसून की वजह से केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को कितनी क्षति हुई है ; और

(ख) इन राजमार्गों को इनकी मूल स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राज्य सरकार द्वारा यथा-परिलक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों को कुल 424.780 लाख रु० की क्षति हुई ।

(ख) अस्थायी बहाली कार्य चल रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण

106. **श्री विष्णु मोदी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण प्रारम्भ करना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). 91 केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को एन० सी० सी० प्रशिक्षण दिया जाता है।

कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र चालू करना

107. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र चालू करने का विचार है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ). सरकार ने कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया था और इस परियोजना के लिए कुछ प्रारम्भिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। तथापि साधनों की समग्र कठिनाइयों के कारण, सातवीं योजनावधि में विजयनगर सहित सभी नई इस्पात परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की मात्र सांकेतिक व्यवस्था की गई थी।

भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा भोपाल में एक परेषण एजेंसी स्टाक यार्ड खोलना

[हिन्दी]

108. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने भोपाल में एक परेषण एजेंसी स्टाक यार्ड खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

चकमा आदिवासी शरणार्थी

[अनुवाद]

109. **श्री अजय विश्वास** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा के शिविरों में कितने चकमा आदिवासी शरणार्थी ठहरे हुए हैं :

(ख) क्या भारत सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए हाल ही में बंगलादेश सरकार से बातचीत की है ;

(ग) यदि हां, तो बंगलादेश सरकार के समक्ष क्या-क्या नवीनतम प्रस्ताव रखे गए हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों पर बंगलादेश सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 5-9-1988 की स्थिति के अनुसार त्रिपुरा के शिविरों में 44,965 बंगलादेशी चकमा शरणार्थी थे ।

(ख) से (घ). जी, हां । 29-9-1988 को बंगलादेश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। हमने इस बात पर बल दिया कि यह जिम्मेदारी बंगलादेश की सरकार की है कि वह शरणार्थियों में विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाए ताकि वे बंगलादेश लौट सकें। बंगलादेश के पक्ष ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया और कहा कि इस सम्बन्ध में कदम उठाए जा रहे हैं।

भूकम्प से प्रभावित राज्य

[हिन्दी]

110. **श्री मोहनलाल झिकराम :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्रीमती माधुरी सिंह :

श्रीमती डी० के० भंडारी :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आये भूकम्प एवं बाढ़ के झटकों से प्रभावित होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सम्पत्ति के नुकसान होने, कितने लोगों की मौत होने तथा कितने लोगों के बेघर होने का अनुमान है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता की मांग की गई है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 21 अगस्त, 1988 को आए भूकम्प के कारण हुए नुकसान के बारे में दी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता और उनको दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	मांगी गई सहायता	मंजूर की गई अधिकतम व्यय सीमा
	(करोड़ रुपए)	
1. बिहार	152.89	24.31
2. सिक्किम	32.77	9.24
3. पश्चिम बंगाल	43.57	8.82*

*इसमें बाढ़ से हुई क्षति भी शामिल है ।

विवरण

बिहार :

1. प्रभावित जिलों की संख्या : 18
2. मानव मौतों की संख्या : 282
3. जख्मी व्यक्तियों की संख्या : 3766
4. क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या : 149334
5. भवनों, सड़कों, पुलों, पुलियों, हस्पतालों, पशु पालन, डेरी तथा मात्स्यकी, बिजली घरों, बांधों, सिंचाई प्रणालियों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को नुकसाव पहुंचने की सूचना दी गई है ।

सिक्किम :

1. प्रभावित जिलों की संख्या : 4
2. मानव मौतों की संख्या : 2
3. क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या : 12806
4. फसलों, जल आपूर्ति के पाइपों, धार्मिक संस्थानों, सड़कों, पुलों, भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, पशुधन, सिंचाई प्रणालियों, वनों, पशु-पालन, बिजली घरों आदि को नुकसान पहुंचने की सूचना है ।

पश्चिम बंगाल :

1. मानव मौतों की संख्या : शून्य
2. जख्मी व्यक्तियों की संख्या : 5

भवनों विशेषकर दार्जिलिंग सदर उप-प्रभाग में, दार्जिलिंग, रेलवे स्टेशन जलपत्थर टेलीफोन केन्द्र भवन/सेनिटोरियम, भूतियां वस्ती टाऊन आऊट पोस्ट और दार्जिलिंग के कलैक्टोरेट भवन को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है तथा कुछ स्थानों पर पानी की पाइप लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

भूस्खलन और दरारें पड़ने के कारण कलिपोंग तथा दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के बीच सड़क संचार में व्यवधान पड़ा है।

शाहजहांपुर उर्वरक परियोजना चालू करने के लिए कुछ कम्पनियों को विचाराधीन कम्पनियों की सूची में शामिल न किया जाना

[अनुवाद]

111. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पर आधारित शाहजहांपुर उर्वरक परियोजना चालू करने के लिए छः कंपनियों को विचाराधीन कम्पनियों की सूची से निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्ततः कौन सी कम्पनी आगे आई है और सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख). निम्नलिखित आवेदकों ने शाहजहांपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना में सूची दर्शायी हैं :—

1. श्री कृष्ण कोशल, एक गैर-आवासीय भारतीय।
2. श्री द्विज के० पाण्डेय, एक गैर-आवासीय भारतीय।
3. मै० शक्ति रिसोंस इण्टर नेशनल।
4. मै० ओसवाल एग्रो मिल्स।
5. कृषक भारती कोआपरेटिव लि०।
6. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०।

(ग) मामला विचाराधीन है और सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

बंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर उपमार्ग का निर्माण

112. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में भीड़-भाड़ को कम करने तथा 80 कि० मी० की दूरी कम करने के विचार से कृष्णागिरी से सिरा तक बारास्ता के० जी० एफ० कोलार चिक्कबालापुर, गोरीविनापुर

और मधुगिरी होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). कर्नाटक राज्य सरकार ने सीरा से मुलबागल तक मधुगिरी, गोरीबीदनूर, चिक्काबल्लापुर और चिंतामणि होते हुए 160 कि० मी० लम्बी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है। तथापि, सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

केरल को केन्द्रीय सहायता

113. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी ऐसे अध्ययन दल को नियुक्त करने का अनुरोध किया है जो केरल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अध्ययन दल ने यदि कोई निष्कर्ष निकाले हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ङ). जी, हां। केरल सरकार ने सूखा, भूकम्प और बाढ़ के सम्बन्ध में राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए अगस्त, 1988 में एक अनुपूरक ज्ञापन और अक्तूबर, 1988 में एक अनुपूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय दल ने 3 से 6 अक्तूबर, 1988 के बीच केरल का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत कार्यों संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केरल को राहत उपायों के लिए 10.55 करोड़ रु० के अधिकतम व्यय की सीमा मंजूर की गई है।

बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि

114. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हेतु प्रयास कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में बासमती चावल का उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ग) वर्ष 1988-89 में बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) से (ग). सरकार, बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती चावल के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	किया गया निर्यात (हजार मीटरी टन में)
1985-86	235
1986-87	237
1987-88	366

बासमती चावल के उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। वाणिज्य मन्त्रालय ने वर्ष 1988-89 के दौरान 3.50 लाख मीटरी टन बासमती चावल का निर्यात करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा खनिजों और बहुमूल्य धातुओं की खोज

115. **श्री हरिहर सोरन :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में देश के विभिन्न भागों में कुछ बहुमूल्य धातुओं सहित भारी मात्रा में खनिजों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन स्थानों पर वाणिज्यिक स्तर पर कार्य की क्या संभावनाएं हैं और इन संसाधनों के वाणिज्यिक उत्पादन कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). भारतीय भू-सर्वेक्षण ने हाल के क्षेत्रीय गवेषण (राज्यवार) के दौरान निम्नलिखित खनिज भंडारों का आकलन किया है :—

(मिलियन टन में)

आंध्र प्रदेश

(1) कोयला 590.85

(2) स्वर्ण अयस्क		4.18
असम और मेघालय		
(1) कोयला		0.322
बिहार		
(1) कोयला	:	2098.35
(2) ताम्र अयस्क		1.59
(3) फास्फोराइट/एपेटाइट		1.3
मध्य प्रदेश		
(1) कोयला	:	3179.23
उड़ीसा		
(1) कोयला	:	4817.39
(2) मैंगनीज	:	7.60 (+30% मैंगनीज युक्त)
(3) क्रोमाइट		8.95
पश्चिम बंगाल		
(1) कोयला	:	1438.73
(2) फास्फोराइट/एपेटाइट	:	4.00
तमिलनाडु		
(1) लिग्नाइट	:	1313.81
(2) चूना पत्थर	:	128.6
राजस्थान		
(1) सीसा-जस्ता अयस्क	:	21.27 (लगभग 4 से 8% सीसा-जस्ता युक्त)
(2) ताम्र अयस्क	:	3.92 (0.9 से 1.46% ताम्र युक्त (0.5 से 0.6% ताम्र युक्त 28.78)
(3) ताम्र-सीसा-जस्ता अयस्क	:	1.80 (4% सीसा-जस्ता-ताम्र युक्त)
(4) फास्फोराइट/एपेटाइट	:	3

गुजरात

(1) लिग्नाइट : 6.77

कर्नाटक

(1) मैंगनीज : 18.89 (+35% मैंगनीज युक्त)

(2) स्वर्ण अयस्क 2.6

हिमाचल प्रदेश

(1) चूना-पत्थर 1098

हरियाणा

(1) टिन अयस्क 12 (0.15% टिन युक्त)

उत्तर प्रदेश

(1) फास्फोराइट/एपेटाइट 5

महाराष्ट्र

(1) टंगस्टन 2000 (सांद्र 65% टंगस्टन ट्राइआक्साइड)

(ग) इन खनिजों का वाणिज्यिक विदोहन, परवर्ती गवेषण और साध्यता अध्ययन माध्यम से निक्षेपों की प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता की पुष्टि के बाद, ही सम्भव होगा।

आजाद के पत्रों की सील खोलना

116. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्टूबर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में "आजाद पेपर्स आउट इन 1978" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आजाद के पत्रों की सील निर्धारित समय से पहले खोलने और उनकी विषय वस्तु पहले पढ़ने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, दोनों में ही सावधानी-पूर्वक जांच की गई थी और बिना किसी सन्देह के यह सिद्ध हो गया था कि ये सीलें बिल्कुल ठीक हैं। 29 सितम्बर, 1988 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इन सीलों को खोलने से पहले कभी भी विषय-वस्तु को पढ़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बात के पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाने पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, न्यायालय द्वारा सील खोलने का आदेश दिया गया।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी दर्जा

117. श्री के० प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण बोर्डों को उचित काननी दर्जा प्रदान करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख). केन्द्रीय कल्याण बोर्ड, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक धर्मार्थ कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया गया था और इसी रूप में यह 1 अप्रैल, 1969 से कार्य कर रहा है।

भारत सरकार ने नवम्बर, 1981 में राज्य बोर्डों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायक कम्पनियों के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय ले लिया था। राज्य सरकारों को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के अनुदेश जारी कर दिए गए थे। परन्तु किसी भी राज्य बोर्ड को अभी तक सहायक कम्पनी के रूप में पन्जीकृत नहीं किया गया है। 4-5 जुलाई, 1988 को नई दिल्ली में हुए राज्य समाज कल्याण मन्त्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर फिर से विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है।

कच्चे लोहे की कमी

118. श्री राधाकान्त डिगाल :

श्री वी० तुलसीराम :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उपभोक्ताओं को कच्चे लोहे की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार कच्चा लोहा सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिये गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क की कम दर पर 2 लाख टन कच्चे लोहे के आयात के लिए उपाए किए हैं।

(ग) और (घ). "सेल" को अनुदेश दिया गया है कि वह माध्यम अभिकरण अर्थात् एम०एम० टी० सी० को आयात करने का आर्डर दे तथा वह विवरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जे० पी० सी० द्वारा निर्धारित मूल्यों पर माल की सप्लाई करे।

परिवहन के अयोग्य बसों को न चलाना

119. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 और 24 सितम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी टी सी क्रिएट्स कन्फ्यूजन ओवर फेयर्स" तथा "डायर थ्रट टु कम्यूटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परिवहन के आयोग्य तथा जिनकी हालत सन्तोषजनक नहीं है, ऐसी सभी बसों को सड़क से न हटाने के क्या कारण हैं ;

(ग) अनेक बस स्टैंडों के पुनर्समायोजन करने, जिसके कारण लोगों को अधिक किराया देना पड़ रहा है, क्या कारण है ; और

(घ) राजधानी में बस सेवा में सुधार करने तथा बस स्टैंडों/स्टॉप के पुनर्समायोजन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) सिर्फ ऐसी बसों को ही सड़क पर चलाने की अनुमति दी जाती है, जो सड़क पर चलने की स्थिति में हैं।

(ग) विभिन्न कारणों से ट्रैफिक पुलिस प्राधिकारियों की सलाह/निर्देश पर कुछ बस स्टैंडों का समायोजन किया गया है। इन बस स्टैंडों के समायोजन से भाड़े पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनवरत आधार पर किए गए उपायों में—यात्रियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों में उनके साथ औपन हाउस बैठकें आयोजित करना, छात्रों की शीर्ष समिति के साथ नियमित विचार-विमर्श, बेड़े के अधिकाधिक उपयोग करने की दृष्टि से रूटों को युक्तिसंगत बनाना, "ट्रिप मिस" करने की घटना कम करने के उद्देश्य से अनुरक्षण शिड्यूल का पालन, पुरानी बसों को चरणबद्ध रीति से स्क्रैपिंग, गहन रूट चैकिंग तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों और मुख्य कार्यालय में जन-साधारण से चौबीसों घंटे शिकायतें प्राप्त करने के लिए शिकायत-कक्ष खोलना शामिल है। पुलिस और जनसाधारण से प्राप्त सुझावों के आधार पर बस स्टैंडों/स्टापों का समायोजन किया जाता है।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में खाद्य प्रसंस्करण एकक

120. **श्री पी० एम० सईद** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में इस समय कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में द्वीपसमूह में और अधिक खाद्य प्रसंस्करण सन्यन्त्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग)· सरकार की मिनिकाय (लक्षद्वीप) में एक डिब्बा बन्दी फैक्ट्री है, जो कि इस समय टूना की डिब्बाबन्दी करती है। इस फैक्ट्री की स्थापित क्षमता 1,80,000 डिब्बा प्रति वर्ष है। सातवीं योजना के दौरान 23.70 लाख रुपए के स्वीकृत परिव्यय से क्वालिटी "मास" (टूना मछली का उत्पाद) का उत्पादन करने और उसका विपणन करने की एक योजना मन्जूर की गई है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा होम डिलीवरी एजेंटों की नियुक्ति

121. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपभोक्ताओं को दूध सप्लाई करने के लिए कुछ होम डिलीवरी एजेंट नियुक्त किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन नियुक्तियों के लिए मानदण्ड का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन एजेंटों के लिए कितना कमीशन निर्धारित किया गया है ;

(घ) ये नियुक्तियां कौन-कौन से क्षेत्रों में की गई है ;

(ङ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का ऐसे कुछ एजेंटों की नियुक्ति करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) होम डिलीवरी एजेंटों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों में निम्न शर्तें हैं :—

(1) आयु 18-55 वर्ष के बीच।

(2) गरीब लोगों को प्राथमिकता।

(3) एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना कोई कमीशन नहीं देती। तथापि, होम डिलीवरी एजेंटों की घरों पर दूध की सप्लाई करने के लिए उपभोक्ताओं से 20 पैसे प्रति लीटर लेने की अनुमति है।

(घ) पिछले कई वर्षों में पूरी दिल्ली में होम डिलीवरी एजेंट नियुक्त किए गए हैं।

(ङ) और (च). इस समय कोई ऐसी मांग न होने के कारण, होम डिलीवरी एजेंट नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात संयंत्रों के लिए "स्क्रैप का आयात"

122. श्री के० एस० राव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु इस्पात संयंत्रों और एकीकृत इस्पात सन्यन्त्रों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए "स्क्रैप" का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) "स्क्रैप" के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). मेटल स्क्रैप कार्पोरेशन ने, जो कि स्क्रैप का आयात करने के लिए माध्यम अभिकरण है, गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मात्रा का आयात किया है :—

	1985-86	1986-87	1987-88
मात्रा (लाख टनों में)	14.52	21.24	18.50
मूल्य (करोड़ रुपयों में)	239.53	327.37	330.58

बिहार में कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करना

123. **श्री गौरीशंकर राजहंस** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कालेजों को सबसे कम संख्या में स्वायत्त कालेजों का दर्जा प्रदान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई योजना में सातवीं योजना के अन्त तक 500 स्वायत्त कालेजों के विकास की परिकल्पना की गयी है। प्रत्येक राज्य में विकसित किये जाने वाले स्वायत्त कालेजों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। यह बिहार सरकार और राज्य के विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार के लिए स्वायत्त स्तर प्रदान करने के वास्ते जितने भी कालेज उचित समझें, उनका चयन कर सकते हैं। तथापि, बिहार सरकार अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय से किसी कालेज को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्त्रियों में साक्षरता की दर कम होना

124. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला स्वरोजगार सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने यह टिप्पणी की है कि देश में स्त्रियों में साक्षारता की दर अभी भी कम है ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में स्त्रियों में साक्षारता की दर बहुत कम है और इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा स्त्री साक्षरता की दर में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्वरोजगाररत महिला आयोग अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में निरक्षरता बहुत अधिक पाई जाती है। अत्यधिक निरक्षरता का मुख्य कारण यह है कि स्कूलों में लड़कियां कम संख्या में प्रवेश लेती हैं और प्रवेश के बाद काफी संख्या में पढ़ना छोड़ देती हैं। अधिक संख्या में लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने का कारण घरेलू कार्य में अपनी माताओं की सहायता करना, छोटे भाई—बहनों की देखभाल करना और बाल श्रमिक के रूप में परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग करना तथा ऐसी सामाजिक धार्मिक प्रथाएं हैं जिनके कारण लड़कियां अपने घरों से अधिक दूर स्कूलों में नहीं आ जा सकतीं।

(ग) शिक्षा विभाग ने इस मामले में निम्नानुसार कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है :—

1. प्रौढ़ महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जाने के लिए तैयार करना।

2. अधिक संख्या में महिला-अनुदेशकों की नियुक्ति करना भले ही इसके लिए न्यूनतम योग्यताओं में छूट देनी पड़े।

3. ऐसे अनुदेशकों की शिक्षा जारी रखने के व्यवस्था करना ताकि वे अच्छे और सक्षम बन सकें।

4. कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की अधिकाधिक सहभागिता।

5. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में प्रौढ़ महिला शिक्षार्थियों की व्यापक सहभागिता।

6. लिटरेसी मिशन मैनेजमेंट से महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल करना।

7. स्वयं सेवी एजेंसियों, विशेष कर महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयं सेवी एजेंसियों को अधिकाधिक संख्या में शामिल करना।

8. महिला श्रमिकों की ओर श्रमिक विद्यापीठों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना।

9. महिलाओं को समानता और शक्ति प्रदान करने के कारगर एजेंटों के रूप में महिला अनुदेशकों का विशेष ओरियन्टेशन और प्रशिक्षण।

10. महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना जो नये कौशल प्रदान करने उनके, वर्तमान कौशलों का उन्नत करने और नये आय उत्पादक कार्यकलापों से सम्बद्ध होंगे।

11. साक्षरता कौशलों को बनाये रखने के लिए अवसर प्रदान करना तथा इस शिक्षा का उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयोग करना।

12. महिला कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों और राज्य संसाधन केन्द्रों में सैल स्थापित करना।

मार्केट यार्ड

125. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कुल कितने "मार्केट यार्ड" कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार कृषि उत्पाद विपणन केन्द्रों को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1988 के अन्त तक, 6052 बाजार यार्डों को विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बनाए गए कृषि उपज बाजार अधिनियमों के क्षेत्राधिकार में लाया गया है।

(ख) जी नहीं। कृषि उपज बाजारों का विनियमन राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जिन्होंने कृषि उपज बाजारों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त कानून तैयार नहीं किए हैं, को कानून बनाने के लिए राजी कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुष्क भूमि पर खेती की तकनीक

126. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के केवल 15 प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है ;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शेष भूमि पर "शुष्क भूमि पर खेती की तकनीक" अपनाए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विकसित की गई तकनीक का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं। वर्ष 1983-84 के दौरान 142.7 मिलियन हैक्टर जोत वाला क्षेत्र, भूमि उपयोग आंकड़ों के लिए सूचित किए गए 46.9 प्रतिशत का सूचक है।

(ख) अगले कुछ दशकों में निम्न कारणों से बारानी खेती वाला क्षेत्र धीरे-धीरे कम होता जाएगा :—

(एक) 113 मिलियन हैक्टेयर के पूर्ण सिंचित कमान्ड क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें धीरे-धीरे सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि करनी होगी। इससे बारानी क्षेत्र में कमी आएगी।

(दो) राष्ट्रीय वन-नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीमान्त भूमि को वन चरागाह के रूप में बदलना।

(तीन) गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि की प्रतियोगी मांगे।

(ग) बारानी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि क्रियाएं विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 1970 में बारानी खेती पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना शुरू की गई थी। इसके 23 समन्वयक अनुसंधान केन्द्र हैं जो देश के विभिन्न कृषि जलवायवी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न समन्वित फसल सुधार प्रायोजनाओं ने बारानी फसलों के अनेक सुधरे कल्टीवर विकसित किए हैं। बारानी खेती पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना द्वारा विकसित उन्नत उत्पादन तकनीकें ये हैं: (एक) फसल उगाने वाले कारगर मौसम के अनुकूल उपयुक्त किस्मों और फसलों का चयन करना; (दो) फसल सघनता को बढ़ाना और अन्त: फसल और अनुक्रम फसल उगाकर जोखिम को कम करना; (तीन) मिट्टी में नमी बढ़ाने के लिए सुधरे मृदा संरक्षण उपायों और कृषि क्रियाओं को अपनाना। (चार) एक मुश्त सुधरी कृषि क्रियाएं; (पांच) वैकल्पिक भूमि उपयोग पद्धति।

व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं में किसानों के खेतों पर किए गए अनेक परीक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि बारानी खेती की सुधरी कृषि विधियों को अपनाकर बारानी फसल की पैदावार को 100-200 प्रतिशत तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इन परिणामों से प्रोत्साहित होकर भारत सरकार ने 1986-87 के दौरान बारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 99 जिलों में शुरू किया गया है जहां पर वर्षा का स्तर 500-1122 मि० मी० है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परियोजनाओं को मंजूरी

[हिन्दी]

127. श्री तेजा सिंह डबी:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजना-वार अनुमानत: कितनी पूंजी खर्च होगी और इनका वार्षिक उत्पादन कितना होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा भी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए घोषित सुविधाएं इस प्रकार हैं :

(1) पैकेजिंग और परिरक्षण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परिशिष्ट-I में रखा जाएगा ;

(2) उद्योगों के व्यापक विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

(3) बैंक वित्त के प्रयोजनों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च अग्रता वाला क्षेत्र माना जाएगा।

(4) प्रसंस्करण उद्योग कच्चे माल के संग्रहण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समिति बना कर कच्चा माल प्राप्त कर पाएगा। उन्हें अनिवार्यतः विस्तार सेवा, बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध करने होंगे ताकि उन्हें कच्चे माल की उचित सप्लाई आश्वासित हो सके। उन्हें निदर्शन प्रयोजनों के लिए कुछ भूमि भी प्राप्त करनी होगी लेकिन यह देश में मौजूदा भूमि उच्चतम सीमा के अन्तर्गत होगी।

(5) उत्पादकों की सरकारी समितियां गठित करना व्यवहार्य होगा। इसके लिए उन्हें सभी आदान सुलभ करने होंगे और इस तरह उत्पादित माल की समूची मात्रा को निर्धारित मूल्य पर भी खरीदना होगा। ये मूल्य बहुत ही पहले निर्धारित करने होंगे। ऐसी सहकारी समितियों का गठन करते समय कच्चे माल की व्यवस्था करने और परिणामतः 100 प्रतिशत निर्यात करने के प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए विदेशी सहयोगियों की अनुमति दी जाएगी।

(6) सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करने के लिए खाद्य प्रसस्करण उद्योगों को आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएगे।

(7) कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिरक्षण के लिए शीत गोदामों में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। शुल्क सम्बन्धी ढांचा और अन्य शुल्क जो इस उद्योग के लिए सहायक नहीं हैं, के बारे में सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ यथोचित विचार-विमर्श करने के बाद फिर से व्यवस्थित किए जायेंगे। नए शीत गोदामों को बढ़ावा देते समय छोटे किसानों की आवश्यकता पर बारीकी से विचार किया जाएगा और उनकी व्यवस्था की जाएगी।

(8) देश में मत्स्य पालन उद्योग के बारे में समग्र नीति ढांचा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

(9) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को रियायती भाड़ा दरें देने के लिए ओपन स्काई नीति का अनुसरण किया जाएगा जिससे विदेशक माल वाहकों और भारतीय माल वाहकों को अपने एक सरकूलर मार्ग में भारतीय बन्दरगाहों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(10) पूंजीगत उपकरणों और प्रोसेस टैक्नोलाजी दोनों के लिए अद्यतन टेक्नोलाजी आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

(11) विदेशों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय कृषि खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे यह हमारे अर्ध-संसाधित खाद्य का निर्यात, उसका और प्रसंस्करण तथा उक्त देशों में उसका विपणन कर सकता है।

(12) पड़ौसी देशों में अच्छी साख रखने वाली विदेशी कम्पनियों को हमारे संसाधित खाद्यों को अपने ब्रांड नाम से बेचने की अनुमति प्रदान कर हमारे अर्ध-संसाधित खाद्य का निर्यात करने के लिए एक साधन मिल जाएगा।

(13) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इजाजत दी जाएगी।

(14) विश्लेषण के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया कर गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं का उच्च श्रेणीकरण किया जाएगा तथा ऐसी प्रयोगशालाओं में कार्यरत स्टाफ की निपुणता का भी उच्च श्रेणीकरण किया जाएगा।

एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का पेप्सीको के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

128. **श्री नवीनचन्द्र रावणी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के फिरोजपुर जिले में अबोहर में स्थापित होने वाली कृषि-आधारित प्रसंस्करण संयंत्र के लिए पेप्सीको के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु एग्रो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 25 अप्रैल, 1985 में एक प्रस्ताव किया।

(ख) यदि हां, तो क्या उसके द्वारा 54 करोड़ रुपए मूल्य के फलों के रस का निर्यात करना था और पेप्सीको को केवल 35 प्रतिशत इक्विटी शेयर देने थे ;

(ग) तकनीकी जानकारी के लिए कितना शुल्क देय है ; और

(घ) प्रस्ताव को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आवेदक द्वारा दी गई विभिन्न परियोजनाओं में ये परियोजनाएं शामिल हैं :

(1) निर्यात दायित्व द्वारा निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य पर आधारित विदेशी मुद्रा अर्जन 5400 लाख रुपए।

(2) ईक्विटी पूंजी के केवल 35 प्रतिशत तक पूंजी सहभागिता।

(3) एकमुश्त, रायल्टी, तकनीकी जानकारी फीस आदि के रूप में सहयोगियों को अन्य अदायगियां 14 लाख रुपये।

(घ) यह प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार किया गया था क्योंकि इसमें पेप्सी सांद्रण का आयात और पैप्सी ट्रेड मार्क के अन्तर्गत बिक्री के लिए पेय निर्माताओं को उसकी सप्लाई करना निहित था। ये दोनों बातें मौजूदा नीतियों के अनुरूप नहीं थीं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़

[हिन्दी]

129. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों में उसके कर्मचारियों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। इस वर्ष के दौरान ऐसे आठ मामले हुए, जिनमें से केवल पांच मामलों में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के शामिल होने की सूचना है। आठ मामलों में से दो मामलों में शिकायतकर्ताओं ने अपनी पहचान नहीं जाहिर की है जिसके फलस्वरूप कोई जांच नहीं शुरू की जा सकी और कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। चक मामले में, शिकायतकर्ता ने न तो लिखित रूप में और न ही मौखिक रूप में अपेक्षित ब्यौरे दिए। अन्य तीन मामलों में इस किस्म की घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए बस के चालक दल के सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अन्य दो मामलों में बस चालक दल के सदस्यों ने महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने वालों को पकड़ने में अपूर्व साहस दिखाया है।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने शैक्षिक संस्थाओं के समीप कुछ संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया है और ऐसे क्षेत्रों में अपनी निगरानी तेज कर दी है। किए गए कुछ अन्य उपायों में महिला स्पेशल ट्रिपों का प्रावधान, चालक दल और दोषियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, क्षेत्रों, मुख्यालय तथा केन्द्रीय संचार केन्द्र में शिकायत कक्ष स्थापित करना और चालक दल के सदस्यों को यह निर्देश जारी करना शामिल है कि वे यात्रियों के प्रति नम्रता का व्यवहार करें।

केरल में खाद्यान्न उत्पादन

[अनुवाद]

130. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केरल में खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य कितना था ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किस सीमा तक लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में भारी गिरावट आई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने इस राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केरल राज्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते खाद्यान्न उत्पादन का 1654 हजार मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की उपलब्धि इस प्रकार रही :—

	1985-86	1986-87	1987-88 (अनन्तिम)
उत्पादन - (हजार मीटरी टन)	1203	1162	1061

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी होने का कारण मुख्यतया चावल वाले क्षेत्र में कमी होना था। चावल के क्षेत्र में कमी होने के कारण अन्य फसलों के लिए क्षेत्र का उपयोग किया जाना है।

(ङ) उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार सहित चावल के मिनिकिटों की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक कवरेज और उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाकर उत्पादकता बढ़ाना है।

प्रमुख पत्तन सुधार समिति की सिफारिश

131. **श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तन सुधार समिति ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति ने भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की तरह एक केन्द्रीय पत्तन प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव के कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय परिणामों का कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ;

(च) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों को वाणिज्यिक और फलप्रद एककों के रूप में संचारित करने का है ; और

(छ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें मुख्यतः पत्तन संगठन और प्रशासन, वित्तीय प्रबन्ध, पत्तन सेवाओं की लागत और मूल्य, औद्योगिक सम्बन्ध और उत्पादकता, विकास और आधुनिकीकरण, पत्तन प्रचालन और बहुआयामी नेटवर्क तथा आधारभूत सुविधाओं के बारे में हैं।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने केन्द्रीय पत्तन प्राधिकारण के गठन की सिफारिश की जिसे देश में पत्तन विकास की सकल आयोजना सौंपी जा सकेगी।

(घ) और (ङ). विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है जिसके फलस्वरूप विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया गया है।

(च) और (छ). महापत्तन पहले से ही वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर सेवापरक यूनिट के रूप में चल रहे हैं जिसमें उत्पादकता में सुधार और लागत में कमी पर बल दिया जाता है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की चार यूनिटों का बन्द होना

132. **श्री वी० तुलसी राम :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

डा० वी० एल० शैलेश :

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की सभी चारों यूनिटों को बन्द करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उर्वरक उत्पादन में बारम्बार गतिरोध आने के कारण हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को कुल कितना घाटा हुआ है ;

(घ) क्या इन यूनिटों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष रूप से किन्हीं विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो इन यूनिटों के पूरी तरह से पुनर्स्थापन के लिए उनके द्वारा क्या सिफारिशें/टिप्पणियां की गई और उन पर अनुमानतः कितना पूंजीगत व्यय होगा ; और

(च) सरकार को इस मामले में और विगत कई वर्षों से इन यूनिटों के संकटग्रस्त करने वाली खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख). जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 31-3-1988 तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) द्वारा कुल 623.32 करोड़ रु० का संचित घाटा उठाया गया था।

(घ) नामरूप-I और II, दुर्गापुर तथा बरौनी स्थित चार एककों के सम्पूर्ण सर्वेक्षण के लिए मै० हाल्दोर टोप्सो को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। नामरूप-III, जिसका प्रारंभ 1-10-1987 को हुआ था, को सम्पूर्ण सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया।

(ङ) परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट में इन एककों की तीन स्तरों पर 486.39 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर पुनर्वास की सिफारिश की है।

(च) बिजली की कटौती/खराबी के कारण उत्पादन हानि को रोकने की दृष्टि से दुर्गापुर और नामरूप में केप्टिव पावर संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि बरौनी में केप्टिव पावर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इन एककों के पुनर्वास के लिए परामर्शदाताओं की सिफारिश पर निर्णय लेने की कार्यवाही की जा रही है।

पुर्तगाल के बैंक में रोके गए गोवा के लोगों के सोने के जेवरात

133. डा० ए० के० पटेल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के बैंक में रोके गए गोवा के लोगों के सोने के जेवरात अब तक उन्हें वापिस नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब जमा कराया गया था और इस समय उनका अनुमानित मूल्य क्या है ; और

(ग) उन जेवरातों को वापिस लेने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) गोआ के लोगों के सोने के जेवर, जो पुर्तगाल के बैंक में जमा थे, अभी तक लौटाए नहीं गए हैं।

(ख) ये सोने के जेवर 1961 में गोआ के मुक्त होने से पहले पुर्तगाली बैंक में जमा किए गए थे। इन सोने के जेवरों का वर्तमान मूल्य अनुमानतः लगभग 5.44 करोड़ रु० है।

(ग) सरकार इस मामले को 31 दिसम्बर, 1974 को भारत-पुर्तगाल सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद से सक्रिय रूप से उठा रही है। इस मामले को विदेश मन्त्रालय के मन्त्री और आधिकारिक स्तरों पर पुर्तगाली पक्ष के साथ उठाया है। लिस्बन स्थित भारत का राजदूतावास ने भी इस मामले को पुर्तगाल की सरकार के उच्चतम राजनीतिक और आधिकारिक स्तरों पर कई अवसरों पर उठाया है। हमें पुर्तगाल की सरकार ने बार-बार इस आशय के आश्वासन प्राप्त हुए हैं कि वे इस मामले का समाधान यथाशीघ्र करना चाहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत और पुर्तगाल के विदेश मंत्रियों की बैठक में पुर्तगाली पक्ष ने इस आश्वासन को दोहराया है जिस करार के आधार पर सोने के जेवर लौटाए जाएंगे। लेकिन अभी उस करार पर हस्ताक्षर करने के तौर-तरीकों के सम्बन्ध में सहमति के बारे में हमें पुर्तगाल की सरकार से औपचारिक पत्र प्राप्त होना है।

शीतोष्ण फलों का मूल्य निर्धारण

[हिन्दी]

134. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न प्रकार के शीतोष्ण फलों के समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार है ताकि इन फलों के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब लागू किया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या शीतोष्ण फलों के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार विचार शीतोष्ण फलों के उत्पादक राज्यों से इस विषय में परामर्श करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ). चूंकि शीतोष्ण फल खराब होने वाले होते हैं और उनका उत्पादन स्थानीकृत होता है, इसलिए इन फलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत लाने पर विचार करना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

तथापि, यदि किसी राज्य सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त होता है तो केन्द्रीय सरकार सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखने के बाद मंडी हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत उचित मंडी हस्तक्षेप मूल्य के निर्धारण पर विचार कर सकती है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किए गये बीजों का उपयोग

[अनुवाद]

135. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम, निगम द्वारा सप्लाई किए गए बीजों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अन्तिम प्रयोक्ताओं के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली है ;

(ग) वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या बीजों की परिष्कृत किस्मों के उपयोग के बारे में कुछ राज्यों में विरोध प्रकट किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कौन-सी प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं सरकार के ध्यान में आई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो तत्काल उचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के काम-काज की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उचित कार्यवाही की जाती है।

(घ) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति

136. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनेक स्नातकोत्तर अध्यापकों को नियुक्त पत्र भेजे गए थे ; और

(ख) नियुक्त किए गए इन अध्यापकों का विषयवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा विषयवार और क्षेत्रवार की गई पदोन्नति का प्रस्ताव प्रत्यक्ष पदोन्नतियां

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिकी	रसायन शास्त्र	जीव विज्ञान	इतिहास	अर्थ शास्त्र	भूगोल	वाणिज्य
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अहमदाबाद	3	8	5	1	2	4	2	2	1	3
2.	भोपाल	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—
3.	बम्बई	2	7	7	1	4	2	—	4	1	2
4.	भुवनेश्वर	11	5	3	5	1	3	6	4	2	—
5.	कलकत्ता	2	8	7	9	6	10	1	2	—	1
6.	चण्डीगढ़	7	2	2	7	3	4	3	4	5	—
7.	दिल्ली	—	4	—	2	1	—	—	4	—	—
8.	गोहाटी	4	1	—	—	1	1	—	2	—	—
9.	हैदराबाद	—	—	—	1	1	8	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू	1	8	3	2	2	4	3	3	2	2
11.	जयपुर	2	1	2	6	—	3	3	1	2	1
12.	लखनऊ	2	8	4	—	2	1	2	1	1	2
13.	मद्रास	5	—	—	2	3	2	—	—	—	1
14.	पटना	7	1	—	3	3	6	—	3	1	1
15.	सिल्चर	5	1	3	—	2	2	—	—	4	—
	योग	51	54	38	41	32	51	20	30	19	15

विवरण-2

वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा विषयवार और क्षेत्रवार दी गई पदोन्नति का प्रस्ताव विभागीय पदोन्नतियां

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिकी	रसायन शास्त्र	जीव विज्ञान	इतिहास	अर्थ शास्त्र	भूगोल	वाणिज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अहमदाबाद	2	1	3	—	—	1	1	1	1	—
2.	भोपाल	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बम्बई	1	—	—	—	2	—	—	2	2	—
4.	भुवनेश्वर	7	6	2	3	1	2	1	1	—	—
5.	कलकत्ता	3	2	5	—	—	2	5	—	1	—
6.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
7.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	गोहाटी	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—
9.	हैदराबाद	—	4	—	—	—	—	4	5	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू	3	3	1	1	2	3	1	2	—	—
11.	जयपुर	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—
12.	लखनऊ	1	4	1	1	1	2	1	1	1	—
13.	मद्रास	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
14.	पटना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	सिल्चर	11	4	4	4	3	7	1	9	5	—
	योग	29	29	21	9	11	19	16	23	11	—

हज समिति अधिनियम में संशोधन

137. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज समिति अधिनियम में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित विधान को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था में है ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रारूप को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार हज तीर्थयात्राओं की संख्या कितनी थी और वे किन-किन स्थानों से रवाना हुए ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). विदेश मन्त्रालय के केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड ने 14 अक्तूबर, 1988 को अपनी बैठक में हज समिति अधिनियम, 1959 में संशोधन करने के लिए अपनी उपसमिति द्वारा तैयार विधेयक के मसौदे पर सरकार को की जाने वाली अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया ।

बोर्ड की सिफारिशों पर अब सरकार विचार करेगी और उक्त विधेयक जो हज समिति अधिनियम, 1959 का स्थान लेगा, संसद में यथाशीघ्र पेश किया जाएगा ।

(घ) केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए प्रबन्धों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में हज के लिए जाने वालों की संख्या और इस बात का ब्यौरा नीचे दिया गया है कि कहां से, कैसे और कितने यात्री गए ।

वर्ष	समुद्र द्वारा बम्बई से	हवाई जहाज द्वारा				जोड़
		बम्बई	दिल्ली	मद्रास	कलकत्ता	
1986	4,685	14,842	4703	—	—	24,230
1987	4,682	12,734	5,904	1,304	—	24,624
1988	4,650	13,515	6,336	—	599	25,100

तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

138. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में यदि किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो वे क्या हैं ; और

(घ) इन कठिनाइयों को हल करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथासम्भव शीघ्र रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1988 के राष्ट्रीय खेल/क्रीड़ा

139. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1988 के राष्ट्रीय खेल/क्रीड़ा का हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था ;

(ख) क्या भिन्न-भिन्न खेलों/क्रीड़ाओं का भिन्न-भिन्न विद्यालयों/स्थलों में आयोजन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल/कूद प्रतियोगिता नई दिल्ली में 11-10-88 से 14-10-88 तक आयोजित की गयी थी।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	स्थान	मद	भाग लेने वाले लड़कों/लड़कियों की संख्या	रक्षण कोचों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	नं० I दिल्ली कैंट	लड़के एथेलीट	420	42
	—वही—	लड़कियों का वालीबाल	180	18
2.	आर० के० पुरम सेक्टर II	लड़कों का वालीबाल	180	18
	—वही—	लड़कों की खो-खो	150	15

1	2	3	4	5
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर	लड़कों का हाकी	240	24
4.	जनकपुरी	लड़कों की वालीबाल	180	18
5.	आर० के० पुरम सेक्टर 4	लड़कों का टेबल टेनिस	75	7
	—वही—	लड़कों का बैडमिन्टन	75	7
6.	आई० एन० ए० कालोनी	लड़कों की कबड्डी	150	15
7.	झड़ोंदा कलां	लड़कों का फुटबाल	240	24
8.	एंड्रयुजगंज	लड़कों की क्रिकेट	240	24
9.	लारेंस रोड	लड़कियों की हाकी	240	24
10.	टैगौर गार्डन	लड़कियों की बास्किट बाल	180	18
11.	आर० के० पुरम सेक्टर 8	लड़कियों का टेबिल टेनिस	75	7
	—वही—	लड़कियों का बैडमिन्टन	75	7
12.	गोल मार्किट	लड़कियों की कबड्डी	150	15
13.	मस्जिद मोठ	लड़कियों की खो-खो	150	15
14.	नं० 2 दिल्ली कैंट	लड़कियों की एथेलीट	270	27
		कुल	3270	325

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद

140. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद के गठन के बारे में ब्यौरा तैयार कर लिया है ;

(ख) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद द्वारा क्या-क्या कार्य किए जाएंगे ;

(ग) इसके कब तक कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है ; और

(घ) परिषद के सदस्यों के नामों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि नीति में

बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य सुविधाओं की साझेदारी तथा अन्तर-विषयक अनुसंधान विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जाएगा जिसमें सामान्य रूप से उच्च शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, कानूनी और अन्य व्यवसायिक क्षेत्र शामिल होंगे। इसके अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास में शामिल विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। परिषद के गठन इसके कार्यों इत्यादि सहित ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

"दक्षेश" राष्ट्रों की स्थाई समिति की बैठक

141. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1988 में काठमाण्डू में "दक्षेश" राष्ट्रों की स्थाई समिति की बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार किए गए विषयों के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) बैठक में विचार किए गए विषयों पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस बैठक मे जिन मसलों पर विचार किया गया वे भारत की सहमति से कार्यसूची में शामिल किए गए थे और इस बैठक में लिए गए सभी निर्णयों में भारत भी एक पक्षधर है।

विवरण

अगस्त, 1988 को काठमाण्डू में अपने दसवें सत्र के दौरान स्थाई समिति ने :

—सन् 1988/1989 में की जाने वाली गतिविधियों की सूची पर अपनी स्वीकृति दी।

—सार्क कृषि सूचना केन्द्र के सम्बन्ध में प्राप्त संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृत किया और बंगलादेश से अनुरोध किया कि वह इस केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक प्रबन्ध करें।

—समेकित कार्य योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।

—सार्क गतिविधियों को सुचारु बनाने के लिए कई उपायों पर सहमति हुई।

—प्राकृतिक आपदा के कारणों और परिणामों तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण के अध्ययन हेतु लक्ष्य, निर्देश पद, कार्यविधि, वित्त व्यवस्था और समय-सीमा के निर्धारण पर स्वीकृति हुई।

—इसके अलावा :

—नए सदस्यों के प्रवेश की शर्तें और तरीकों पर ;

—सदृश संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की सम्भावनाओं और तौर-तरीकों पर;

—सार्क गतिविधियों में गैर-सरकारी संगठनों के पुनः भाग लेने के तरीके पर सहमति हुई।

—शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए सदस्य देशों से प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया।

—सार्क सचिवालय से सम्बद्ध कई प्रशासनिक मामलों पर विचार हुआ।

कर्नाटक में समन्वित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन

143. **श्री श्रीकांत बस नरसिंहराज वाडियर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में समन्वित बाल विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान कर्नाटक में समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत कितनी माताएं और बच्चे लाभान्वित हुए; और

(घ) इस प्रकार हुए लाभ का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) 31-3-86 तक और 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं के स्थान दर्शाने वाला एक विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ). 31-3-87, 31-3-88 और 31-8-88 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सेवा के लाभभोगियों की संख्या और सेवाओं की किस्म दर्शाने वाला एक विवरण-2 (पृ० 94-95) के रूप में संलग्न है।

विवरण-1

कर्नाटक में 31-3-86 तक और वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	परियोजना/तालुक/क्षेत्र का नाम	
		केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र
1	2	3	4
(अ) 31-3-86 तक स्वीकृत परियोजनाएं			
1.	बंगलौर	बंगलौर शहर-I —	बंगलौर शहर-II अनेकल
2.	बंगलौर ग्रामीण	कनकपुरा निलामंगला	—
3.	बेलगाम	रायबाग सोन्दाती (पारसागर)	अथानी
4.	बेलारी	कुडलागी हरपानाहली	सन्दूर
5.	बीदर	बासावाकल्याण भालकी सन्धापुर (उड़द) मुमानाबाद	बीदर
6.	बीजापुर	सिन्दगी इन्दी मिदोल	जामाखान्डी बदामी
7.	चिकमंगलूर	मुदीगेर	कादूर कोपा
8.	चित्र दुर्ग	कोलालकेर हिरियूर होसादुर्ग चालाकेर	देवनगेर शहर

1	2	3	4
9.	दक्षिण कन्नड़ा	बेलथानगाडी कुन्डापुर सुलिया मंगलौर शहर	कारकाला उदुपी
10.	धारवार	रेनेबेनर हिरेकेरर शिरहाटी गदाग मडारगी रोन	धारवार होनागल
11.	गुलबर्ग	अफजलपुर शोरापुर चिंचोली सेदम	चिटापुर जेवाएगी यादगिरी
12.	हासन	छानारायापटना होलेनारासीपुर बेलूर	हासन
13.	कोडागू	पोनामपेट	सोमावारपेट
14.	कोलार	बेगरपेट मेलूर मुलबगल	चिकबालापुर
15.	माण्डया	नागमंगला मालवाली	श्रीरंगापटना पांडवपुरा
16.	मैसूर	टी० नरसीपुर हुंसूर एच० डी० कोट कोलीगल मैसूर शहर	
17.	रायचूर	कसटागी लिंगासुगर	येलबरगा

1	2	3	4
18.	शिमोगा	चानागिरि	सोरब
		भादरावाथी	सागर
		होनाली	
19.	टुमकूर	टमकूर सिटी	पावागदा
		मधुगिरि	कोटाटागेर
			कुनींगल
20.	उत्तर कन्नड़ा	कुनटा	अंकोला
		येलापुरा	सूपा

(ब) 1986-87 में स्वीकृत 8 अतिरिक्त परियोजनाएं

1.	बेलारी	होसपेट	—
2.	धारवाड़	हुबली	—
3.	गुलबर्ग	गुलबर्ग शहर	—
4.	कोलार	बागेपल्ली	—
5.	मैसूर	गुंडुलपेट	—
	—तदैव—	येलन्दर	—
6.	रायचूर	देवादुर्ग	—
7.	टुमकूर	सीरा	—

(स) 1987-88 के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त परियोजनाएं

—शून्य—

(द) 1988-89 में स्वीकृत 14 अतिरिक्त परियोजनाएं

1.	बंगलौर	बंगलौर उत्तरी	—
2.	बेलारी	हाडागाली	—
3.	बीजापुर	मुदेबिहल	—
4.	चिकमंगलूर	सिरिन्गेरी	—
5.	चित्रदुर्ग	जागलर	—
		चित्रदुर्ग	—

1	2	3	4
6.	दक्षिण कन्नड़ा	पुटटूर	—
7.	गुलबर्ग	शाहपुर	—
		अलान्द	—
8.	कोडागू	विराजपेट	—
9.	कोलार	श्रीनिवासपुर	—
10.	टुमकूर	चिकानायाकानाहाली	—
11.	उत्तर कन्नड़ा	करवर	—

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का प्रस्ताव

144. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार एक नीतिपूरक मामले के रूप में राज्य विधानों के अधीन कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है।

विवरण-2

31-3-1987, 31-3-1988 और 31-8-1988 में कर्नाटक में आई० सी० डी० एस० योजना के अन्तर्गत सेवाओं से लाभभोगी महिलाओं और बच्चों की संख्या

वित्तीय वर्षों के दौरान रोग प्रतिरक्षण टीके

तक	रिपोर्ट की गई परियोजनाओं की संख्या	रोग प्रतिरक्षण टीके लगाए गए बच्चों की संख्या				महिलाओं की संख्या जिन्हें टी. टी. के टीके लगाए गए
		डी पी टी	डी टी	बी सी जी	पोलियो	
31-3-86	48	2,16,455	89,955	2,58,621	2,15,892	34,525
31-3-87	82	2,32,432	2,11,119	2,67,422	2,30,999	2,08,099
31-3-88	85	2,52,246	1,77,000	3,13,206	2,42,471	2,40,005
31-8-88	90	92,211	50,008	1,34,662	92,314	85,767

अन्य सेवाएं

तक	बताई गई परियोजना की संख्या	पूरक पोषाहार (एस एन)			स्कूल पूर्व शिक्षा (पी एस ई)	
		पूरक पोषाहार प्रदान कर रही आंगनवाड़ियों की सं०	बच्चे (0—6 वर्ष)	महिलाएं	स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान कर रही आंगनवाड़ियों की सं०	लाभभोगी बच्चों की सं० (3—6 वर्ष)
31-3-87	82	12,236	8,16,700	1,23,940	13,198	4,47,550
31-3-88	79	11,714	7,58,390	1,13,480	11,796	4,10,730
31-8-88	81	12,002	7,46,058	1,13,260	12,037	4,12,929

भारतीय जलपोत "निर्वाण विषम" का कोलम्बो पत्तन पर फंसना

145. **श्री आर० एम० भोये :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जलपोत "निर्वाण विषम" के चालक दल के 25 सदस्य पिछले पांच महीनों से कोलम्बो पत्तन पर फंसे पड़े हैं और उन्हें कोलम्बो पत्तन के पत्तन अधिकारी से खाने और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लगभग भीख मांगनी पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). मैसर्स निर्वाण शिपिंग कम्पनी के स्वामित्व वाला जहाज निर्वान विष्णु 10-3-1988 से तीन माह के लिए मैसर्स वाई शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, सिंगापुर के पास टाइम-चार्टर पर था। चार्टरकर्ता ने मार्च, 1988 में जहाज का अधिग्रहण किया और कोलम्बो के लिए जहाज का लदान किया। चूंकि जहाज के अधिकारियों और चालक दल को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, अतः मास्टर एवं जहाज अधिकारियों तथा चालक दल ने कोलम्बो की अदालत में जहाज को जब्त करने के लिए अनुरोध किया ताकि उनके बकाया वेतनों और अन्य खर्चों की वसूली की जा सके। जहाज के मास्टर ने सूचित किया कि कोलम्बो की अदालत द्वारा अधिकारियों सहित चालक दल के 17 सदस्यों को भारत भेज दिया गया। इस समय जहाज में 3 अधिकारी और चालक दल के 3 सदस्य हैं। मामला कोलम्बो की अदालत द्वारा अन्तिम रूप से निपटाए जाने के लिए लम्बित है। यह सूचना दी गई है कि मैसर्स निर्वाण शिपिंग कम्पनी एक बीमार कम्पनी है और वित्तीय संकट से ग्रस्त है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना

146. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए प्रारूप राष्ट्रीय संदर्शी योजना (1988-2000 ई०) के सम्बन्ध में हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनेक महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने संसद, राज्य विधान सभाओं और अन्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव रखा था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य तथा खेल और महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना को अन्तिम रूप देने से पहले हुई बैठकों में दिए गए सुझावों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया गया है और निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत सिफारिशें की गई हैं :—

(1) ग्रामीण विकास और कृषि

(2) रोजगार और प्रशिक्षण

(3) सहायक सेवाएं, ईंधन, चारा, पानी, शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र/आवास

(4) शिक्षा

(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(6) कानून बनाना

(7) राजनैतिक सहभागिता और निर्णय लेना।

(8) मीड़िया एवं संचार

(9) स्वयंसेवी कार्य

(ग) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में पंचायत से जिला परिषद स्तर तक और स्थानीय नगर पालिका निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। यह भी सिफारिश की गई है कि संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवार खड़ी करें। महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने इन सिफारिशों का समर्थन किया है।

(घ) सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

उड़ीसा में सरकार के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को सहायता

147. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में छोटे और सीमांत किसानों को सहायता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई 1988 के अन्त तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में विभिन्न विशेष केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को दी गई केन्द्रीय सहायता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भी सहायता दी गई है, जिसमें छोटे तथा सीमान्त किसान भी शामिल हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	योजना का नाम	1988-88 के लिए केन्द्रीय आबंटन	जुलाई, 1988 तक निर्मुक्त की गई केन्द्रीय धनराशि
1	2	3	4
1.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना		
	(क) सामान्य घटकों के लिए	203.69	66.15
	(ख) इस योजना के अन्तर्गत विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी उथले नलकूपों/खुदे कुओं के कार्यक्रम के लिए	723.54	361.77
2.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1778.87	850.60
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मिलियन वेल्स योजना के अन्तर्गत 12,500 कुओं के निर्माण सहित)	3030.00	1676.93 (अक्तूबर, 1988 तक)
4.	उन्नत कृषि उपकरणों तथा हाथ के औजारों का कस्टम हायरिंग करने तथा उनको लोकप्रिय बनाने के लिए कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	13.05	3.25

1	2	3	4
5.	विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	45.01	21.50
6.	प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम चरण-5, 1988-90 प्रति परिवार प्रति वर्ष 500 रुपए की दर पर महत्वपूर्ण आदान किए जाते हैं। चरण-5 के दौरान 600 फार्म परिवार लाभान्वित होंगे।	3.00	1.64

पारादीप पत्तन पर माल की ढुलाई

148. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन पर वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कितने माल की ढुलाई की गई ;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान इस पत्तन पर कितने माल की ढुलाई होने का अनुमान है ; और

(ग) पारादीप पत्तन पर वर्ष 1988-89 के दौरान प्रस्तावित माल की ढुलाई का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1987-88 के दौरान पारादीप पोर्ट ने 5.187 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया।

(ख) और (ग). वर्ष के पहले छह महीने (अप्रैल, 1988 से सितम्बर, 1988 तक) के दौरान पोर्ट ने निम्नलिखित ट्रैफिक हैंडल किया :—

सामग्री का नाम	ट्रैफिक (लाख टन)
लौह अयस्क	8.86
उर्वरक और उर्वरक सम्बन्धी कच्चा माल	3.68

सामग्री का नाम	ट्रैफिक (लाख टन)
थर्मल कोल	3.72
कोकिंग कोल	5.83
अन्य	6.85
कुल	28.94

आशा है कि शेष छह महीनों में पोर्ट उतनी सामग्री वाला लगभग उतना ही कार्गो हैंडल करेगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गैर-नियन्त्रणाधीन खानों से लौह अयस्क की खरीद करना

149. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने उड़ीसा के बांसपानी-बारबील-बारजाम्दा क्षेत्र में अपने नियन्त्रणाधीन खानों से भिन्न खानों से तथा मयूरभंज की खानों से सीधे लौह-अयस्क खरीदने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा यह निर्णय लदान के लिए बिना पर्याप्त के ही ले लिया गया है ;

(ग) क्या इससे खानों का कार्यकरण गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण खानें बन्द हो गई हैं और भारी पैमाने पर छंटनी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) दिनांक 31-3-1988 को एम० एम० टी० सी० के साथ "सैल" के अन्तिम करार की समाप्ति के पश्चात् "सैल" अपने इस्तेमाल के लिए लौह अयस्क की प्राप्ति सीधे खान मालिकों से करता रहा है।

(ख) "सैल" द्वारा खरीदे गए लौह अयस्क के लदान की व्यवस्था स्वयं संभारकों द्वारा की जानी होती है। कुछ छोटे खान मालिकों के सम्बन्ध में मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (उड़ीसा राज्य सरकार का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) उनकी ओर लदान-व्यवस्था समन्वित करने पर राजी हो गया है।

(ग) और (घ). "सैल" द्वारा बाहरी स्रोतों से लौह अयस्क की खरीद "सैल" की आवश्यकता और गृहीत खानों से होने वाले उत्पादन के बीच पड़ने वाले अन्तराल तक सीमित है। चूंकि इन खानों

के उत्पादन का पर्याप्त भाग एम० एम० टी० सी० द्वारा निर्यात किया जा रहा है अतः इन खानों के कार्य चालन में किसी प्रकार की गड़बड़ी का सम्बन्ध "सैल" की नीति से नहीं है।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्ताव

150. श्री शांताराम नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). नए राष्ट्रीय राजमार्गों का घोषित किया जाना कई बातों पर निर्भर करता है, यथा, राज्य सरकारों द्वारा प्रक्षेपित जरूरतें, अखिल भारतीय आधार पर अलग-अलग सड़कों की पारस्परिक प्राथमिकता, नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरा करना और इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा किसी मौजूदा राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तरी गोआ में नवोदय विद्यालय

151. श्री शांताराम नायक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी गोआ में नवोदय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) क्या विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो मद-वार अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(घ) विद्यालय कब तक शुरू हो जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं। योजना के अनुसार स्कूल चलाने के लिए अस्थायी आधार पर राज्य संघ शासित सरकारों द्वारा 30 एकड़ उपयुक्त निःशुल्क भूखण्ड तथा पर्याप्त खाली इमारतें प्रदान की जानी अपेक्षित होती हैं। राज्य सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय समिति को इस विद्यालय के लिए भूखण्ड स्थानांतरित किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ). अस्थायी तौर पर राज्य द्वारा प्रदान किए गए भवनों में इस विद्यालय ने 10 अक्तूबर, 1988 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

"फंड्स पासिटी हिट्स एजुकेशन टार्गेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

152. श्री मोहन भाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फंड्स पासिटी हिट्स एजुकेशन टार्गेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या धन की कमी का शिक्षा के सभी लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने निरक्षरता की समस्या के हल के लिए अन्य क्या सुझाव दिये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने 13-14 सितम्बर, 1988 को हुई अपनी बैठक में इस तथ्य को नोट किया कि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सीमित राज्य संसाधनों के कारण उनमें अच्छी वृद्धि की गयी थी, लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यक्रमों के साथ प्रत्येक सम्पूर्ण राज्य को शामिल करना सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए यह सिफारिश की गयी कि प्रारंभिक शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहनी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास का प्रस्ताव

153. श्री टी० बाल गौड़ : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सरकार ने बकिंघम कैनाल, कोमानूर कैनाल, एलूरू कैनाल और काजीनाडा कैनाल में सुधार के लिए 4 अलग-अलग प्रस्ताव भेजे थे। राज्य सरकार के प्राप्त हुए इन चार अलग-अलग प्रस्तावों की जांच करने पर यह पता चला कि इन कैनाल प्रणाली में सुधार के लिए इस कैनाल प्रणाली के एकीकृत विकास की एक व्यापक स्कीम की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे एकीकृत आधार पर कैनाल प्रणाली में सुधार के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार करें।

राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना

154. **श्री टी० बाल गोड़ :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने एक राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान स्थापित करने की रूप-रेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना करने के लिये 7 लाख रुपये की राशि आवंटित की है ;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने उक्त प्रयोजन के लिये भूमि और भवन प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना की व्यवहार्यता और विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए कुछ समय पहले एक कार्यकारी दल गठित किया गया गया था। कार्यकारी दल ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की विस्तृत जांच होने तक वर्ष 1988-89 के दौरान इस सम्बन्ध में 7 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ भूमि देने की इच्छा व्यक्त की है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अब विस्तृत जांच की गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल ऐसे संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

155. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्री वी० तुलसी राम :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्रवार, कितनी लागत आने का अनुमान है ?

(ग) किन शर्तों पर विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया गया है या सहमति हुई है ; और

(घ) आधुनिकीकरण से क्या लाभ होने का सरकार का अनुमान है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए अनुमानित लागत निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपये) (आधार आंकड़े)
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1357 (वर्ष 1986 की तीसरी तिमाही)
बोकारो इस्पात संयंत्र (अनन्तिम)	1100 (वर्ष 1987 की तीसरी तिमाही)
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1600 (वर्ष 1986 की चौथी तिमाही)
"इस्को"—बर्नपुर का कारखाना	2928 (वर्ष 1986 की तीसरी तिमाही)

(ग) दुर्गापुर, राउरकेला और "इस्को" के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में आद्योपान्त आधार पर एक—मुश्त सौदों के द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता तथा ऋण सहित विदेशी प्रौद्योगिकी मांगी गई है। विभिन्न बोलियों को अन्तिम रूप देते समय सही शर्तों का फैसला किया जाएगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र को सोवियत ऋण से आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए रूसियों को आद्योपान्त कार्य के लिए बुलाया जाएगा।

(घ) आधुनिकीकरण के द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा कार्य की उन्नत पद्धतियां अपनाने के परिणामस्वरूप :—

(1) मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से इन संयंत्रों की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि होगी ;

(2) प्रतिटन उत्पादित इस्पात की ऊर्जा की विशिष्ट खपत में कमी आएगी ;

(3) श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि होगी ; तथा

(4) प्रतिटन विक्रेय इस्पात की निर्माण लागत में कमी आएगी।

जलमार्गों से माल की ढुलाई

156. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने माल की ढुलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले जलमार्गों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन जलमार्गों का चयन किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने जलमार्गों से माल की ढुलाई की लागत का मूल्यांकन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो रेल और सड़क की तुलना में जलमार्गों से माल की ढुलाई पर कितनी लागत आएगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने अपने बेड़े की क्षमता और अवस्थापना सम्बन्धी

संसाधनों को ध्यान में रखते हुए माल के परिवहन के लिए निम्नलिखित अन्तर्देशीय जल रूटों को चुना है और वह उनका नियमित रूप से उपयोग कर रहा है :—

(क) कलकत्ता—बंगलादेश—कलकत्ता

(ख) कलकत्ता—पाण्डु—कलकत्ता

(ग) कलकत्ता—करीमगंज—कलकत्ता

(घ) कलकत्ता—हल्दिया—कलकत्ता

(ङ) कलकत्ता—सागीर एंकरेज—कलकत्ता

(च) हल्दिया—बजबज—हल्दिया

(छ) कलकत्ता—पटना—कलकत्ता

(ग) और (घ). राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) की रिपोर्ट के अनुसार रेलों और सड़क मार्गों की तुलना में जलमार्गों के माध्यम से परिवहन की तुलनात्मक लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(प्रति टन कि०मी० लागत पैसों में)

दूरी (कि०मी० में)	रेलवे (डीजल) ट्रेक्शन सिंगल लाइन प्रचालन वैगन लोड मूवमेंट		सड़क परिवहन		अन्तर्देशीय जल परिवहन (सेल्फ-प्रोपेल्ड जहाजों के लिए/75 प्रतिशत लोड फैक्टर पर क्षमता)		
	कोयला	उर्वरक	कोयला	उर्वरक	500 टन	1000 टन	1500 टन
50	23.6	23.4	27.0	35.0	13.7	10.3	9.4
100	14.6	14.3	21.0	17.4	9.1	6.5	5.8
300	8.6	8.4	15.0	19.0	6.1	4.1	3.4

सिन्ध प्रान्त में हाल ही में हुए उपद्रवों के लिए पाकिस्तान द्वारा भारत पर आरोप

157. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्ध प्रान्त में हाल ही में हुए उपद्रवों के बारे में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आरोप लगाए जाने का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार के प्रति कोई विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) जी हां।

(ख) सरकार इन आरोपों को पूर्णतया निराधार मानते हुए अस्वीकार करती है।

(ग) पाकिस्तान को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि इस प्रकार के निराधार आरोप भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं।

बाढ़ पीड़ित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

158. श्री मोहन भाई पटेल :

श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री एच० वी० पाटिल :

श्री कमल चौधरी :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री रामप्यारे पनिका :

श्री पी० जे० कुरियन :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री विष्णु मोदी :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :

श्री सोमनाथ रथ :

श्री बी० एल० शैलेश :

श्री पी० एम० सईद :

श्रीमती डी० के० भंडारी :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

श्री तेजासिंह बर्दी :

श्री जनकराज गुप्ता :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

भाई शमिन्दर सिंह :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री हरीश रावत :

श्री सरफराज अहमद :

श्री चिंतामणि जेना :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री बी० एस० विजयराघवन :

श्री के० कुन्जम्बु :

श्री के० मोहनदास :

श्री एस० डी० सिंह :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री विजय एन० पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ से जब जान-माल फसल और मवेशियों की अनुमानतः कितनी क्षति हुई और कितने व्यक्ति बेघर हुए ;

(ग) प्रत्येक राज्य-संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई ;

(घ) इस बारे में केन्द्रीय दल ने किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया ;

(ङ) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक बाढ़ पीड़ित राज्य/संघ क्षेत्र की स्थिति से निपटने के लिए दी गई वास्तविक सहायता तथा तत्सम्बन्धी मानदंड का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) भविष्य में बाढ़ नियन्त्रण के लिए क्या कदम उठाये गए अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख). 1988 में आई बाढ़ से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा इन राज्यों द्वारा जीवन और सम्पत्ति को पहुंची क्षति के बारे में मांगी गई जानकारी संलग्न विवरण-I (पृष्ठ 110-111) में दे दी गई है।

(ग) से (च). प्रभावित राज्यों द्वारा बाढ़ राहत के सम्बन्ध में मांगी गई सहायता, केन्द्रीय दल के दौरे, अभी तक इन राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया

गया है। बाढ़ से प्रभावित राज्यों को मार्जिन धनराशि के अलावा, ब्याज को अधिकतम सीमा के कुल 75 प्रतिशत तक गैर योजना अनुदान दिया जाता है।

(छ) बाढ़ प्रबन्ध का कार्य राज्य योजनाओं का एक भाग है तथा अतः बाढ़ से सुरक्षा की योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर तकनीकी मामलों पर सहायता देता है।

विवरण-2

1-11-88 को

मांगी गई सहायता, केन्द्रीय दलों के दौरे तथा मंजूर की गई सहायता का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय दलों के दौरे की तारीख	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपये)	मंजूर की गई सहायता (करोड़ रुपये)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5-7 सितम्बर, 88	271.56	28.76	
2.	अरुणाचल प्रदेश		67.56		दल गठित किया गया
3.	असम	25-29 सितम्बर 88	824.21	85.36	
4.	गुजरात	13-16 सितम्बर, 88	172.52	27.02	
5.	हरियाणा	17-21 सितम्बर, 88 और 11-15 अक्तूबर 88	180.75	31.97	
6.	हिमाचल प्रदेश	13-16 अक्तूबर, 88	259.51		दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	5
7.	जम्मू एवं कश्मीर	28 अगस्त, से सितम्बर	111.87 (बाढ़ की पहली लहर और बौछारे)	14.46	बल से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
		28-31 अक्तूबर	171.59 (बाढ़ की दूसरी लहर)		
8.	कर्नाटक	2-5 नवम्बर, 88	79.61		दल दौरा कर रहा है।
9.	केरल	3-6 अक्तूबर, 88	92.86	10.55	
10.	पंजाब	26-30 अक्तूबर, 88	864.47		दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
11.	महाराष्ट्र	1-4 नवम्बर, 88	174.96		दल दौरा कर रहा है।
12.	मेघालय		7.09		अन्तिम ज्ञापन की प्रतीक्षा है।
13.	मिजोरम		9.50		ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है।
14.	राजस्थान		29.32		ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है।
15.	सिक्किम (भूचाल सहित)	4-8 अक्तूबर, 88	32.78	8.49	
16.	त्रिपुरा	6-7 अक्तूबर, 88	6.41		ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है।
17.	उत्तर प्रदेश	14-17 अक्तूबर, 88	507.78		दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।
18.	पश्चिम बंगाल	4-7 अक्तूबर, 88	125.53	23.56	

विवरण-1

1988 के बाढ़ के कारण हुई क्षति की सीमा

(अनन्तिम 31-10-1986 को)

क्र० सं०	राज्य	कुल जिले	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	फसल की क्षति (लाख हैक्टेयर में)	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	मृतक मानवों की सं० (संख्या)	मरे पशु (संख्या)	सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति (लाख रु० में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	11	11	1·78	0.54	0.27	10669	100	570	
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	15	5·06	23.43	5.06	48694	100	4233	
3.	असम (चौथी लहर)	18	17	42.23	83.11	7.84	434535	229●	34201*	22127.5
4.	बिहार	31	23	10.50	62.34	3.95	14504	52	29	150·64
5.	गुजरात	19	18	15·97	29.90	3.12	31698	161	14286	9499.91
6.	हरियाणा (दूसरी लहर)	12	8	7.09	15.16	4.43	68376	37*	332*	30007.34
7.	हिमाचल प्रदेश	12	12	5.30	25.40	4.42	20758	221	2423	13742.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर (दूसरी लहर)	14	12	1·35	15.34	1.35	68141	144*	14133*	10000.00
9.	कर्नाटक	20	20	37.75		6.07	11513	108	120	7550.44
10.	केरल	14	14	1.06		1.08	9903	57		

11.	महाराष्ट्र	31	31	31.79	80.43	31.79	3088715	681	354	8343.00
12.	मणिपुर	8	3	0.03	0.06	0.03	1043	1	2	7.27
13.	मेघालय	5		0.38	0.31	0.21	136	10	206	107.19
14.	उड़ीसा	13	5	1.23	3.23	1.23	5000	5	110	
15.	पंजाब (दूसरी लहर)	12	12	27.90	43.00	27.90	552003	756*	67540*	45762.00
16.	राजस्थान	27	2	0.22		0.10	945	2		72.95
17.	सिक्किम	4	4	0.01		0.10	67	2	35	2815.00
18.	त्रिपुरा (दूसरी लहर)	3	3	0.04	1.00	0.04	792		14*	115.00
19.	उत्तर प्रदेश	57	46	30.79	182.04	16.41	321691	708	1947	
20.	पश्चिम बंगाल	17	8	4.33	34.29	2.09	289765	60*	169*	
21.	मिजोरम	3	3		0.90					
	कुल :	354	267	224.81	610.48	117.38	2238948	3334*	143673*	150353.24

*पूर्व लहरों की जानकारी शामिल है।

फसल बीमा योजना

159. श्री मोहन भाई पटेल :

डा० कृपा सिन्धु भोई :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान कुल कितनी भूमि में फसलों का बीमा किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितना नुकसान हुआ ;

(ग) 1987-88 के दौरान प्रत्येक राज्य में किसानों को दावों की कितनी धनराशि दी गई ;

(घ) क्या बीमा कम्पनियों द्वारा बड़ी संख्या में सीमांत और गरीब किसानों की इस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान, कवर किया गया क्षेत्र देय क्षतिपूर्ति दावों और अब तक वास्तव में अदा की गई राशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं। 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान उन किसानों, जिनकी फसल का बीमा बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किया गया था, की कुल संख्या के 60 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं।

(ङ) ऊपर (घ) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता है।

विवरण

(लाख रुपए में)

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1985-86			1986-87			1987-88		
		कवर किया गया क्षेत्र	दावे		कवर किया गया क्षेत्र	दावे		कवर किया गया क्षेत्र	दावे	
			देय	प्रदत्त		देय	प्रदत्त		देय	प्रदत्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.42	543.77	441.84	12.49	3844.89	2869.67	22.05	1140.96	—
2.	असम	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	0.17	3.15	3.15	0.26	3.15	0.90
3.	बिहार	1 05	1.82	1.82	0.81	कोई दावा नहीं		10.57	1157.41	386.72
4.	गोआ	—	कोई दावा नहीं		0.01	2.81	2.81	0.02	0.27	—
5.	गुजरात	7.25	5482.10	5482.10	114.12	5107.63	4983.23	16.11	21466.56	—
6.	हिमाचल प्रदेश	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	0.03	5.08	5.08	0.05	18.19	5.53
7.	जम्मू व कश्मीर	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	0.11	0.31	0.31	0.67	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	कर्नाटक	1.91	364.64	3.39	3.39	327.54	327.54	4.44	708.62	—
9.	केरल	0.45	39.19	39.19	0.64	134.50	134.50	0.52	11.86	10.44
10.	मणिपुर	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	0.05	कोई दावा नहीं	
11.	मेघालय	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	एस एन आई	0.02	नगण्य	नगण्य
12.	मध्य प्रदेश	4.07	36.57	36.57	16.22	1120.59	1120.59	15.98	542.72	—
13.	महाराष्ट्र	9.39	2067.45	2067.45	17.56	3954.65	3954.65	17.09	1838.81	—
14	उड़ीसा	1.94	12.24	12.24	3.09	10.14	10.14	4.10	1328.62	—
15.	त्रिपुरा	0.01	3.93	3.93	0.08	1.28	1.28	0.04	0.20	0.20
16.	तमिलनाडु	1.52	79.40	79.40	2.34	75.50	75.50	2.93	52.06	—
17.	उत्तरप्र देश	20.03	17.44	17.44	13.53	82.88	82.88	18.94	317.23	299.50
18.	पश्चिमी बंगाल	2.16	36.34	36.34	2.99	214.23	213.23	2.87	195.70	195.70
19.	अण्डमान और निकोबार	0.01	कोई दावा नहीं		0.01	0.24	0.24	0.01	0.61	—
20.	दिल्ली	—	कोई दावा नहीं		0.01	कोई दावा नहीं		नगण्य	0.08	0.08

21. पांडिचेरी	0.03	2.94	2.94	0.03	0.86	0.86	0.04	0.04	—
22. राजस्थान	2.69	13.15	13.15	12.76	2212.98	1932.72	एस एन आई	एस एन आई	एसएनआई
	76.93	8701.08	8599.05	98.39	17098.23	15998.63	116.76	28783.09	898.87

टिप्पणी :—एस० एन० आई०—योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

चीन के साथ सीमा के मसले को हल करना

160. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के साथ सीमा के मसले को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ख) क्या इस मसले पर चीन के साथ हाल ही में कोई बातचीत हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) इस मामले पर भविष्य में चीन से क्या बातचीत करने का विचार किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस सम्बन्ध में चीन के साथ आधिकारिक स्तर की बातचीत के आठ दौर हो चुके हैं। राजनीतिक स्तर पर भी सम्पूर्ण हुए हैं।

(ख) विदेश सचिव की बीजिंग की हाल की यात्रा के दौरान सीमा के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ). बातचीत एक सतत प्रक्रिया है। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि सीमा के प्रश्न का स्थायी, शांतिपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य समाधान होने तक सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखी जाएगी। प्रधान मन्त्री की चीन की यात्रा के दौरान और आगे बातचीत की जाएगी।

उड़ीसा में "पिग आयरन प्लांट" की स्थापना

161. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक लाख टन वार्षिक उत्पादन की क्षमता वाले एक पिग आयरन प्लांट को स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत, स्थापना-स्थल और उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावित तिथि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). पारादीप, जिला कटक में विभिन्न ग्रेडों के 1,00,000 टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के लिए मेसर्स इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को दिनांक 10-7-1987 को एक रजिस्ट्रेशन संख्या 952 (87) डी० एल० आर० दे दी गई है। परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 45 करोड़ रुपये है और कारपोरेशन ने बताया है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए अपेक्षित अनुमानित समय केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति जारी करने की तारीख से 48 महीने का होगा।

नई बीज-आयात-नीति

162. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी उत्पादकों और अनुसंधान संस्थाओं ने नई बीज-आयात-नीति का विरोध किया है, क्योंकि वास्तव में, इससे भारतीय कृषि दशाओं के लिए उपयुक्त बीज की विकसित किस्मों के विकास में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास बेकार हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती

163. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती को रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गए हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर परिषद् और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एकक इस हानिकारक पद्धति के बारे में सम्बन्धित राज्यों को समझाने के अपने प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने में सफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में झूम खेती के नियंत्रण के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान कई योजनायें/परियोजनायें शुरू की गयी हैं / कार्यान्वित की जा रही हैं। इन प्रयत्नों ने स्थायी खेती के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए शिलांग स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने 6 केन्द्रों और 6 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से झूम खेती बदलने के लिए तकनीक आदान प्रदान कर रहा है और किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय प्रदर्शनों की व्यवस्था कर रहा है।

विवरण

झूम खेती के नियंत्रण के लिए विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) झूम खेती के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी परियोजना

लाख रुपये में

राज्य का नाम	उन परिवारों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई है	निर्मुक्त की गयी धनराशि	टिप्पणी
1. असम	200	12.695	5वीं योजना के दौरान
2. मेघालय	100	8.267	,,
3. नागालैंड	100	5.65	,,
4. त्रिपुरा	100	3.00	,,
5. अरुणाचल प्रदेश	800	75.26	1986-87 तक
6. मिजोरम	800	87.525	,,

मूलतः यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना थी लेकिन बाद में, 1-4-1979 से यह योजना राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गयी। तथापि, भूतपूर्व संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में यह योजना 1986-87 तक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत जारी थी।

(2) राज्य योजना के लिए 100 प्रतिशत सहायता के साथ झूम खेती के नियंत्रण के लिये योजना

राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता से झूम खेती के नियंत्रण के लिए एक योजना 1987-88 से सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शुरू की गई है। 1987-88 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए निर्मुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1987-88 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल लक्षित परिवार	1987-88 के दौरान निर्मुक्त की गयी केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1. असम	2400	—
2. अरुणाचल प्रदेश	2200	65.00

1	2	3
3. मणिपुर	3000	87.00
4. मेघालय	2252	65.00
5. मिजोरम	1982	72.00
6. नागालैंड	4800	145.00
7. त्रिपुरा	1800	53.00
कुल	18434	487.00

(3) उत्तर-पूर्वी परिषद् क्षेत्र

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झूमिया परिवारों को स्थायी खेती पर बसाने की दृष्टि से उत्तर-पूर्वी परिषद् की योजना के तहत सात समेकित पनधारा प्रबन्ध परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(4) आदिवासी कल्याण

आदिवासी कल्याण कार्यक्रम के तहत झूम खेती के नियंत्रण के लिए 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमशः 25.00 लाख रुपये, 10.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गयी है।

(5) सातवीं योजना के लिये राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम

राज्य क्षेत्र के तहत पशुपालन और मृदा व जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए भी धनराशियां मुहैया की गयी हैं। इनमें झूम खेती नियंत्रण पर मुख्य बल दिया गया है।

इम्फाल शहर के चारों ओर रिंग रोड़ के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

165. **श्री एन० टोम्बी सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने इम्फाल शहर के चारों ओर रिंग रोड़ के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि मणिपुर सरकार ने इम्फाल टाउन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53 को जोड़ने

वाले एक बाई पास को सुलभ कराए जाने के लिए अनुरोध किया था भारत सरकार ने इम्फाल बाई पास के लिए सर्वेक्षण, जांच-पड़ताल और उपयुक्त एलाइनमेंट निर्धारित करने के लिए अप्रैल, 87 में 3.137 लाख रु० की राशि के एक प्राक्कलन को पहले ही संस्वीकृति दे दी है।

हिन्दी प्रसार के लिये पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न संस्थानों को केन्द्रीय सहायता

166. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर, नागालैंड और असम में हिन्दी के प्रसार के लिये किन-किन संस्थानों और संगठनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक संस्थान और संगठन को कितनी-कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त संगठनों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) वित्तीय अनुदानों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जहां तक सहायक अनुदान पहले संस्वीकृत करने का सम्बन्ध है, संगठनों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखों का लेखा परीक्षित विवरण तथा कार्यान्वयन और वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा विभाग) के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्टें भी प्राप्त की जाती हैं। सहायक अनुदान के सभी प्रस्तावों की पहले राज्य स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात मन्त्रालय में केन्द्रीय सहायक अनुदान समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाता है। प्रस्तावित अनुदान की मात्रा संगठन के विगत में किये गये कार्य निष्पादन के साथ-साथ हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए इसकी भावी परियोजनाओं पर निर्भर करती है।

विवरण

क्रम सं०	संस्थान का नाम	वर्ष 1987-88 के लिए संस्वीकृत सहायक अनुदान की राशि
1	2	3
असम		
1.	बारनगर राष्ट्रभाषा विद्यालय, कामरूप	11,250 रुपये
2.	बामुन्डी हिन्दी विद्यालय, कामरूप	11,325 ,,

1	2	3
3.	अमर प्रगति सांस्कृतिक चौड़ा और समाज उन्नयन केन्द्र, गुवाहाटी	17,475 रुपये
4.	श्री मारवाड़ी पुस्तकालय, गुवाहाटी	15,150 ,,
5.	प्रांतीय समाज कल्याण केन्द्र, लखीमपुर	22,650 ,,
6.	लोकप्रिय गोपनीनाथ बारदोलाई राष्ट्रीय संस्थान, बोको	12,600 ,,
7.	असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जोरहाट	65,520 ,,
8.	उर्वशी राष्ट्रभाषा प्रचार विद्यालय, गुवाहाटी	13,200 ,,
9.	उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, लखीमपुर	71,550 ,,
10.	राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, सिल्चर	21,150 ,,
मणिपुर		
1.	बानखेई राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, इम्फाल	24,375 ,,
2.	मणिपुर हिन्दी शिक्षक संघ, इम्फाल	10,800 ,,
3.	बांगोजंग वूमन्स गर्ल्स सोसाइटी बांगाजिंग	10,410 ,,
4.	राष्ट्रभाषा शीघ्रालिपि कालेज, दम्फाल	1,08,900 ,,
5.	आल मणिपुर हिन्दी टीचींग एसोसिएशन, इम्फाल	12,750 ,,
6.	आदिम जाति हिन्दी महाविद्यालय सदर हिल्स	10,875 ,,
7.	मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, इम्फाल	62,100 ,,
8.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल	1,35,300 ,,
9.	सरस्वती हिन्दी विद्यालय, प्राशेन	12,600 ,,
10.	हिन्दी आशुलिपि और मुद्रा लेखन प्रशिक्षण संस्थान, इम्फाल	10,500 ,,
11.	उरिपोक हिन्दी महाविद्यालय, इम्फाल	18,300 ,,
12.	थाम्पसना हिन्दी महाविद्यालय, थियाम	10,500 ,,
13.	नाम्बोल हिन्दी प्रचार परिषद, नाम्बोल	21,345 ,,
14.	हिन्दी प्रचार परिषद, काकचिंग	19,275 ,,

1	2	3
नागालैंड		
	1. नागालैंड भाषा परिषद, कोहिमा	22,875 रुपए
मिजोरम		
	1. मिजोरम हिन्दी प्रचार समिति, एजवाल	1,31,250 ,,
मेघालय		
	1. हिन्दी प्रसार मण्डल, शिलांग	21,990 ,,
	2. मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, शिलांग	37,050 ,,
अरुणाचल प्रदेश		
	1. उत्तर पूर्वांचल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इटानगर	1,10,805 ,,

उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमण्डल की चीन यात्रा

167. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :**

श्री शान्तिलाल पटेल :

श्री महेन्द्र सिंह :

डा० बी० एल० शैलेश :

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 में प्रधानमन्त्री की प्रस्तावित चीन यात्रा के प्रबन्ध हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमन्त्री की चीन यात्रा के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विदेश सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल आवश्यक रूप से इस प्रयोजन के लिए अक्तूबर, 1988 के प्रथम सप्ताह में बीजिंग गया था।

(ख) जी, नहीं।

एमनेस्ट्री इण्टरनेशनल रिपोर्ट

168. **श्री शांति लाल पटेल : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एमनेस्ट्री इन्टरनेशनल की हाल ही की रिपोर्ट देखी है जिसमें भारत के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) एमनेस्ट्री इन्टरनेशनल की रिपोर्ट में भारत की घटनाओं को इकतरफा और तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की घटनाओं को तो प्रमुखता दी गई है लेकिन भारतीय राष्ट्रिकों को जो असंख्य अधिकार और स्वतन्त्रताएं प्राप्त हैं तथा प्रैस को जो आजादी है, उसका कोई उल्लेख नहीं है।

सार्वभौम मानवाधिकारों के प्रति भारत पूरी तरह तथा पक्की तौर पर वचनबद्ध है। आजादी के लिए हमारी अपनी लड़ाई और सभी राष्ट्रों की आजादी के लिए हमारा सतत समर्थन हमारी इस वचनबद्धता की ही अभिव्यक्ति है। इसका अन्तिम और अनिवार्य निहित लक्ष्य यह है कि शोषण के सभी रूप हमेशा के लिए खत्म हों। हमारे संविधान में आधारभूत अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। हमारा समाज एक खुला समाज है। हमारे यहां विधि सम्मत शासन व्यवस्था है और स्वतन्त्र न्यायपालिका है और यह बात सुविदित है कि ये सभी तन्त्र इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सके। फिर भी तथाकथित उल्लंघनों के विशिष्ट आरोपों की गम्भीरतापूर्वक छानबीन की जाती है। एमेनेस्ट्री इन्टरनेशनल की रिपोर्ट में लगाए गए अधिकांश आरोप यद्यपि निराधार पाए गए हैं लेकिन जहां कहीं ये आरोप सिद्ध हुए हैं वहां अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

सरकार के दृष्टिकोण को समय-समय पर समुचित रूप से जताया जाता रहा है।

भारत-चीन सम्बन्ध

169. **डा० कृपा सिंधु भोई : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार करने के लिए हाल ही में उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : चीन के साथ सुधरते हुए सम्बन्धों के अनुरूप में सरकार ने और कार्यात्मक सहयोग के लिए हाल ही में कई प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे के देश में भेजे हैं तथा अनेक करार सम्पन्न किए हैं। मई, 1988 में एक द्विपक्षीय सांस्कृतिक करार और जून, 1988 में वार्षिक विपक्षीय व्यापार प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नागरिक उड्डयन के क्षेत्रों के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ है। उम्मीद है कि प्रधानमन्त्री की आगामी चीन यात्रा से इस प्रक्रिया को और गति मिलेगी।

श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी

170. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**

श्री राम प्यारे पनिका :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिसम्बर, 1988 के अन्त तक श्रीलंका से भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी के लिए कोई अन्य समय सीमा निर्धारित की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय शांति सेना की श्रीलंका प्रवास की अवधि को भारत-श्रीलंका समझौते के कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है ।

भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक

171. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 13 अगस्त, 1988 को बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या नेपाल ने औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को सुदृढ़ करने के लिए भारत की सहायता की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या दोनों देशों ने कोई पैनल भी बनाया है ; और

(च) यदि हां, तो इसमें दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ करने में कितनी मदद मिलेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह फैसला किया गया था कि आर्थिक सहयोग के विभिन्न विषयों पर कार्यवाही करने

के लिए व्यापार एवं पारगमन के बारे में, आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग के सम्बन्ध में और जल संसाधन के बारे में तीन उप आयोग नियुक्त किए जाएं।

(ग) जून, 1984 में व्यापार, पारगमन एवं अप्राधिकृत व्यापार सम्बन्धी भारत-नेपाल अंतर सरकारी समिति की सातवीं बैठक में भारत ने नेपाल को भारत-नेपाल संयुक्त उद्यमों के माध्यम से नेपाल में निर्यातोन्मुख उत्पादन सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया।

(घ) इस पर सहमति हुई कि आंतरिक स्रोत-आधारित उद्योग और कृषि उद्योग संयुक्त उद्यमों की स्थापना के सम्भावित क्षेत्र हैं।

(ङ) उपयुक्त संयुक्त उद्यमों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त भारत-नेपाल अध्ययन दल गठित किया गया है।

(च) भारत-नेपाल संयुक्त उद्यमों का संवर्धन द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरित, श्वेत और नीली क्रांतियां

172. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनता के लिए बेहतर पोषणाहार की दृष्टि से हरित, श्वेत और नीली क्रांतियां सफल रही हैं ; और

(ख) उक्त क्रांतियों के आरम्भ में अनाज, दालें, तिलहन, फल और सब्जियां प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में उपलब्ध थे और वर्ष 1987-88 के अनुसार उनकी उपलब्धता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1950-51 से खाद्यान्नों, दूध और मछली के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिससे देश को पोषक तत्व सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान हुआ है।

(ख) उन मदों, अर्थात खाद्यान्नों, दालों, दूध तथा मछली, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, की प्रति व्यक्ति उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

खाद्यान्न (प्रतिदिन ग्राम)		394.9	465.5
		1951	1987 (अनन्तिम)
दालें	(तदैव)	60.7	36.2
		1951	1987 (अनन्तिम)
दूध	(तदैव)	111.4	160.8
		1971-72	1987-88
मछली	(तदैव)	1.52	3.36
		1950-51	1986-87

टंगस्टन का उत्खनन

173. **श्री के० राममूर्ति :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में पाए 100 लाख टन टंगस्टन के भण्डार तथा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल स्थित टंगस्टन के भण्डारों के उत्खनन के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : उत्तर प्रदेश के जिले में 0.1 प्रतिशत टंगस्टन ट्राइआक्साइड वाले 2,00,000 टन टंगस्टन अयस्क के सीमित भण्डारों की सूचना मिली है। अन्य राज्यों में टंगस्टन ट्राइआक्साइड के भण्डार इस प्रकार हैं :—

राजस्थान	2608 (टन)
महाराष्ट्र	17666
पश्चिम बंगाल	298
कर्नाटक	5926
आन्ध्र प्रदेश	62

टंगस्टन का वाणिज्यिक आधार पर विदोहन साध्यता-पूर्व अध्ययन पूरा होने तथा अर्थोपयोगी प्रचुर भण्डारों की पुष्टि के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

इस्पात संयंत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं

174. **श्री के० राममूर्ति :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसंधान और अभिकल्प केन्द्र द्वारा पूरे किए गए इस्पात संयंत्रों की उत्पादकता बढ़ाने सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ख) लोहा तैयार करने के लिए किए जाने वाले भारी पूंजी-निवेश को कम करने के लिए लौह निर्माण की वैकल्पिक प्रविधि की जिन नई प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने सुझाव दिए हैं उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केन्द्र ने इस्पात संयंत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कई अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली हैं। अब तक इस केन्द्र द्वारा 122 परियोजनाएं पूरी की गई हैं और इनमें से 59 परियोजनाएं संयंत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(1) बोकारो, राउरकेला और भिलाई के इस्पात संयंत्रों में "सेल" की संयुक्त फेंकन प्रौद्योगिकी का विकास।

(2) धमन भट्टी के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए (+) 80 मिली मीटर आकार के धमन भट्टी ग्रेड के कोयले की प्रतिशतता में कमी।

(3) "इस्को" बर्नपुर की खुले मुंह की भट्टी में वायु के इंजेक्शन।

(4) कोयले के समिश्रण के एवरेजिंग तथा ग्रुपवार क्रशिंग के द्वारा कोयले के समिश्रण की क्वालिटी में सुधार।

(5) भिलाई इस्पात संयंत्र में एल० डी०-कन्टिन्युअस कास्टिंग पद्धति द्वारा इस्पात से बनी रेल की पटरियों का उत्पादन।

(6) अलाय स्टील प्लांट के विगन्धकिकरण में सुधार लाने के लिए चूने के इंजेक्शन की तकनीक का विकास, जिससे क्लीनर का उत्पादन किया जाता है।

(ख) इस समय इस्पात विभाग की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति लघु स्तर पर लोहा बनाने के लिए धमन भट्टी के कोयले के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन के रूप में लिग्नाइट पर आधारित कोक के विकास के लिए एक कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रही है। इस उद्देश्य के लिए "सेल" का अनुसंधान और विकास केन्द्र सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं के सहयोग से लिग्नाइट पर आधारित कोक के बारे में सुव्यवस्थित विशेषताओं का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के परिणामों के आधार विकास के लिए और उपाय किए जाएंगे।

पशु प्लेग का उन्मूलन

176. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 5 और 6 अक्तूबर, 1988 को भारत के दौरे पर आये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मिशन के समक्ष भारत सरकार ने पशु प्लेग के उन्मूलन हेतु एक परियोजना का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में पशु प्लेग नियंत्रण तथा टीकों के निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पशु प्लेग टीका उत्पादन तथा गुण नियंत्रण, रोग निदान और निगरानी ; टीकों के परिवहन के लिए शीत चेन तथा पशु प्लेग नियंत्रण के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में यूरोपीय समुदाय के कमीशन से तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग मांगा गया है।

(ग) कमीशन से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

बारापुझा-एलूर पुल का डिजाइन

177. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में बारापुझा-एलूर पुल के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुल की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मुनम्बम मत्स्य-बंदरगाह का विकास

178. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में मुनम्बम स्थित मत्स्य बन्दरगाह के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बन्दरगाह के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मुनम्बम में मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण के लिए केरल सरकार को 335 लाख रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जो कि अनुमानित लागत 710 लाख रुपए का पचास प्रतिशत है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित धनराशि

[हिन्दी]

179. **श्री राजकुमार राय :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(ख) अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 2192.00 लाख रुपये की नकद धनराशि आबंटित की गई थी। वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य को 2195.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

(ख) योजना के शुरू होने के वर्ष अर्थात् 1985-86 से लेकर जून, 1988 तक उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 69975 मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना मिली है। रियायती दरों पर खाद्यान्नों के मूल्य सहित इन मकानों के निर्माण पर इस अवधि के दौरान 6100.49 लाख रुपए की राशि व्यय किए जाने की सूचना मिली है।

पंजाब में ग्रामीण संस्थान

[अनुवाद],

180. **श्री कमल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में ग्रामीण संस्थान स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना के लिए इस मन्त्रालय के अधीन कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

अखिल भारतीय पुस्तक विपणन सहकारी समिति की स्थापना का प्रस्ताव

181. **श्री कमल नाथ** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट, का विचार एक अखिल भारतीय पुस्तक विपणन सहकारी समिति को स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट की वार्षिक कुल बिक्री कितनी रही ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन प्रभाग के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तक वितरण एजेंसी स्थापित करने हेतु एक व्यापक परियोजना तैयार कर रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के प्रभावशाली वितरण हेतु रेलवे स्टेशनों और बस-स्टैण्डों सहित विभिन्न स्थानों पर संयुक्त एम्पोरिया/फुटकर दुकानें खोलेगा। यह एजेंसी, पुस्तक वाहन, पुस्तक क्लब और स्थानीय पुस्तक मेले भी आयोजित करेगी।

(ग) गत तीन वर्षों में न्यास द्वारा अर्जित बिक्री राजस्व निम्नलिखित है :

1985-86 — 17.76 लाख रुपए

1986-87	—	19.22 लाख रुपए
1987-88	—	12.31 लाख रुपए

दिल्ली में बाढ़ से नुकसान

182. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ से कितने परिवार प्रभावित हुए थे और उन्हें अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये ;

(ख) क्या कोई आर्थिक सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि हाल की बाढ़ों से 8122 परिवार प्रभावित हुए थे। उन्हें टेन्ट आदि जैसे उचित आश्रय प्रदान किए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 500 रुपए की अनुगृह राशि दी थी।

एल्यूमिनियम के मूल्यों में वृद्धि

183. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान एल्यूमिनियम के मूल्यों में वृद्धि हुई है और गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम अधिमूल्य पर बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). केवल प्राथमिक एल्यूमिनियम सिल्लियों, पिण्डकों, तारछड़ों तथा तार-सरियों, के मूल्यों पर ही कानूनी नियंत्रण है तथा इनके मूल्यों का विगत संशोधन 19-7-88 को किया गया था। प्राथमिक एल्यूमिनियम को प्राथमिक उत्पादकों द्वारा अधिमूल्य पर बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

प्राथमिक एल्यूमिनियम (एल्यूमिनियम सरियों सहित) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के तहत किया जाता है। चूंकि प्रारम्भिक एल्यूमिनियम का लंदन धातु बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य देशी नियंत्रित मूल्य से काफी अधिक होता है, अतः खुले बाजार में प्राथमिक एल्यूमिनियम के क्रय-विक्रय पर उस मूल्य का प्रभाव पड़ता होगा, जिस पर आयातित प्राथमिक एल्यूमिनियम उपलब्ध होता है।

एल्यूमिनियम कम्पनियों पर बकाया धनराशि

184. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एल्यूमिनियम कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे एल्यूमिनियम विनियमन की भारी राशि, जोकि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, वसूल की जानी बकाया है ; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). सभी एल्यूमिनियम कम्पनियों ने जनवरी, 1988 तक पिछली बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तथा वे देयराशि एल्यूमिनियम विनियमन खाते में नियमित रूप से जमा कर रहीं हैं। तथापि पिछली बकाया राशि पर निम्नलिखित ब्याज राशि की वसूली अभी होनी है :

हिन्डालको :	4.63 करोड़ रुपए
इन्डाल :	5.31 करोड़ रुपए
मालको :	0.48 करोड़ रुपए

वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।

इराक में विकास सम्बन्धी कार्य आरम्भ करना

185. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इराक में बड़े पैमाने पर विकास सम्बन्धी कार्य करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधिमण्डल इराक गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). हाल ही में एक संयुक्त व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उन सम्भावनाओं और अवसरों का मौके पर जायजा लेने के लिए इराक गया था जो वहां पर इराकी पुनर्निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय जनता और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को उपलब्ध होंगे। ऐसा ही एक प्रतिनिधि मण्डल ईरान भेजने का भी प्रस्ताव है। विशेष रूप से गठित एक अध्ययन दल ने अलग से उनके पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में भारतीय भागेदारी के संभाव्य क्षेत्रों के बारे में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। उनकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम का निर्यात

186. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड बहरीन स्थित एक कम्पनी के साथ एल्यूमिनियम की दीर्घकालीन निर्यात करने की योजना बना रही है ;

(ख) क्या एल्यूमिनियम निर्यात को एल्यूमिनियम आयात से जोड़ा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग). इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चावल का उत्पादन

187. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान चावल के उत्पादन का क्या लक्ष्य है ;

(ख) क्या चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) चालू वर्ष (1988-89) के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 679.5 लाख मीटरी टन है।

(ख) और (ग). जी, हां। 1985-86 के दौरान 638.3 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 40 लाख मीटरी टन से अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना है।

रतलाम जिले (मध्य प्रदेश) के कालूखेरा में नवोदय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

188. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 28 जुलाई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम जिला (मध्य प्रदेश) के कालूखेरा में एक नवोदय विद्यालय खोलने के बारे में निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाहो) : (क) से (ग). जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं इसके साथ ही सम्भावी वित्तीय प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए नवोदय विद्यालय समिति की कार्यकारी समिति ने 9 सितम्बर, 1988 को हुई इसकी बैठक में 1989-90 के दौरान देश में अब और कोई नये विद्यालय न खोलने का निर्णय लिया।

बैक्टीरियल लीचिंग के माध्यम से खनन इन्जीनियरी में अनुसंधान के लिए अमरीका द्वारा प्रस्ताव

[अनुवाद]

189. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय विज्ञान संस्था द्वारा बंगलौर में बैक्टीरियल लीचिंग के माध्यम से घनन इन्जीनियरी में अनुसंधान के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इससे खनन उद्योग में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) इसे कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्पंज लोहे पर आधारित इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमताओं के लिए अनुमति

190. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री के० एस० राव :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पंज लोहे पर आधारित इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमताओं के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का मुख्य प्रयोजन क्या है ;

(ग) इससे आयात कम करने में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) स्पंज लौह उद्योग का विकास स्क्रैप पर निर्भरता के विकल्प के रूप में कहां तक सहायक होगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री ए० एल० फोतेदार) : (क) और (ख). सरकार मुख्य रूप से स्पंज लोहे के आधार पर इस्पात निर्माण की अतिरिक्त क्षमताओं को अनुमति देने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि कुछेक प्रकार के तैयार इस्पात की मांग तथा उपलब्धता में आने वाले वर्तमान तथा अनुमानित अन्तराल को पाटा जा सके।

(ग) इस बात का सही-सही अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि इस्पात का आयात करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में इस्पात के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तथापि, इस्पात के आयात में कमी आने की सम्भावना है।

(घ) देश में जिस मात्रा तक स्पंज लोह का उत्पादन होगा, उस सीमा तक इस्पात स्क्रैप पर निर्भरता कम हो जाएगी।

गेहूं और चने के बीजों की कमी

191. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री हरिहर सोरन :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी, रबी मौसम में गेहूं और चने के बीजों की भारी कमी का पूर्वानुमान लगा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इन बीजों की कमी को कम करने के लिए कोई कदम उठाया गया है और राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में उचित सलाह दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस बारे में राज्य सरकारों ने कहां तक सहमति प्रकट की है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। कुछ कमी है।

(ख) रबी, 1988-89 के लिए गेहूं और चने के प्रमाणिकृत/क्वालिटी बीजों की कमी क्रमशः 3.59 लाख क्विंटल और 0.65 लाख क्विंटल तक है। गेहूं और चने के बीजों की कमी मुख्य रूप से पिछले रबी मौसम (1987-88) के दौरान बीज का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में पड़े सूखे के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, हाल में आई अप्रत्याशित बाढ़ों के कारण गेहूं के बीजों की कुछ स्थानों पर अतिरिक्त कमी होने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ). जी, हां। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अंकुरण आदि का विधिवत् परीक्षण करने के बाद बीजों की कमी को पूरा करने के लिए बीज उत्पादकों, राज्य सहकारी समिति, भारतीय खाद्य निगम और राज्य आपूर्ति निगम आदि जैसे विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से अच्छे बीजों की वसूली करें।

(ङ) राज्य सरकारों ने कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय प्रबन्ध करने हेतु केन्द्रीय सरकार की सलाह को स्वीकार कर लिया है।

बंगलौर में पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय खोला जाना

192. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में काम का भारी दबाव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के काम के दबाव को कम करने के लिए बंगलौर में दूसरा पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). वर्ष 1988 के दौरान बंगलौर सहित लगभग सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यभार बढ़ गया है। सुरक्षा और अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों की कार्य-प्रणाली की निरन्तर समीक्षा की जाती है। इसमें इन कार्यालयों को कारगर और आधुनिक बनाने के उपाय और विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय खोलने की सम्भावना शामिल है।

उड़ीसा में बलदेव जैन मंदिर

193. **श्री हरिहर सोरन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा में क्योंझर स्थित बलदेव जैन मंदिर को एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित करने का है और इसका रख-रखाव करने के लिए कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). जी, नहीं। क्योंझर, उड़ीसा में बलदेव जू मंदिर नामक मंदिर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है और इसलिए केन्द्रीय संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

मुआवजा निधि का उपयोग

194. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य दोनों की ही और दुर्घटना होने पर घटना स्थल से भाग जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा वितरित करने की गति धीमी है और इस प्रयोजन निर्धारित अधिकांश राशि का उपयोग नहीं हो पाता है ;

(ख) क्या 31 मार्च, 1987 तक उक्त निधि की राशि 482 करोड़ रुपए थी किन्तु केवल 53 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). टक्कर मारकर भागने वाली दुर्घटनाओं के मामले में तोषण मुआवजे के दावेदारों को जिला कलक्टर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भुगतान किया जाता है जिनके हाथ में राज्य/संघ क्षेत्र में नोडला अधिकारी अर्थात परिवहन आयुक्त/परिवहन निदेशक के माध्यम से धनराशि दी जाती है। एवार्ड और भुगतान करने के लिए जिला/कलक्टर जिला मजिस्ट्रेट ही दावा निपटान आयुक्त होते हैं।

राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31-3-1987 और 31-10-88 की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :—

	31-3-1987	31-10-88
1. दावों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र	2415	4105
2. जिन आवेदन पत्रों को अन्तिम रूप दिया गया और जिन पर निर्णय लिया गया	1704	3177

	31-3-1987	31-10-1988
3. जिन आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है	435	772
4. तोषण मुआवजे के भुगतान की राशि	53 लाख रु०	97 लाख रु०
5. निधि की स्थिति	4.82 करोड़ रु०	3.51 करोड़ रु०

(ग) राज्यों/संघ क्षेत्रों में नोडल प्राधिकारियों को दावा सम्बन्धी मामलों का यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

बर्मा से भारतीयों को वापस लाना

196. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में उपद्रवों के कारण अनेक भारतीयों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस देश से भारतीय परिवारों को वापस लाने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) बर्मा में वर्तमान गड़बड़ी के फलस्वरूप भारतीय मूल के लोगों सहित बर्मा की काफी जनसंख्या प्रभावित हुई है।

(ख) बर्मा निवासी भारतीय नागरिकों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ कि उन्हें बर्मा से निकाला जाए। तथापि, राजदूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को 17 सितम्बर ,1988 से निकाल लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण एककों को बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही योजना

197. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु संस्थागत ढांचे में संशोधन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु तीन परिषदें स्थापित करने का विचार है ;

(ग) ये परिषदें उद्योगों को किस सीमा तक सहायता और बढ़ावा देंगी ;

(घ) क्या मन्त्रालय द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यवाही योजना तैयार की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विकास परिषदें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करने के लिए अपेक्षित नीति में परिवर्तन करने के बारे में विचार-विमर्श करेंगी और अपने सुझाव मन्त्रालय को देंगी, विभिन्न संगत गतिविधियों की प्रभावकारिता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगी और यदि उनमें कोई संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है तो उनके बारे में अपने सुझाव देंगी।

(घ) जी हां।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) खाद्य/फल और सब्जी/मछली प्रसंस्करण के लिए विकास परिषदों का गठन।

(2) राज्य सरकारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक नोडल विभाग का गठन करने के लिए कहा गया है।

(3) मन्त्रालय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित ब्यौरों पर एक डेटा बेस तैयार किया जाएगा।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर सैक्टरवार वर्किंग ग्रुप गठित किए जाएंगे।

(5) राज्यवार कार्य योजना को अन्तिम रूप देने के लिए सम्बन्धित एजेन्सियों की क्षेत्र राज्य स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(6) मन्त्रालय के लिए एस० एण्ड टी० सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। (यह विकास परिषद के साथ अत्यधिक तालमेल रखेगी)

(7) फल पर आधारित वर्तमान संयंत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उपाय किए जाएंगे और इन यूनिटों तथा उत्पादकों में तालमेल कायम किया जाएगा।

(8) खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में लम्बित सभी प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी और उनका निपटान किया जाएगा।

(9) नये प्रस्तावों की यथा सम्भव शीघ्र जांच की जाएगी और उनके बारे में सिफारिशें की जाएंगी।

(10) आयात, विदेशी सहयोग से सम्बन्धित वर्तमान नियमों और कार्यविधियों को युक्ति-युक्त बनाने के कार्रवाई की जाएगी।

(11) उद्योग के लिए वित्तीय और कराधान पैकेज को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग

198. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आवंटित की गई धनराशि का कुछ राज्यों में दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से इन अनियमितताओं के समाचार मिले हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). केवल बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित की गयी राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रैस रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

हानिकारक रसायनों का प्रयोग समाप्त करना

199. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल संरक्षण विशेषज्ञों ने कपास और तिलहन जैसी फसलों में बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक रसायनों के प्रयोग को समाप्त करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने सिंथेटिक पाइरोथ्राइड को अधिक मात्रा में प्रयोग करने का विशेष रूप से सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं तथा राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) विभिन्न फसलों पर रसायनों के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए, जिससे कि कीटों की समस्या काफी बढ़ गई है, सरकार ने सातवीं योजना अवधि से समन्वित कीट प्रबन्ध को फसल रक्षण का मुख्य सिद्धांत बना दिया है। हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल न किया जाना और प्राकृतिक जैव-नियन्त्रण एजेंटों का संरक्षण समन्वित कीट प्रबन्ध के मुख्य घटक हैं।

(ख) विशेषज्ञों ने कीटनाशी दवाओं के अन्य समूहों के साथ प्रत्यावर्तन करते हुए सिंथेटिक पाइरेथ्रोएड्स के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग का सुझाव दिया है।

(ग) सरकार ने कृषक समुदाय में समन्वित कीट प्रबन्ध की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय और केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने राज्य कृषि विभागों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में 1981-82 और इसके आगे किसानों के खेतों में समन्वित कीट प्रबन्ध के सम्बन्ध में विभिन्न प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

(2) देश में बंगलौर (कर्नाटक), भुवनेश्वर (उड़ीसा), बर्दवान (पश्चिम बंगाल), फरीदाबाद (हरियाणा), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), रायपुर (मध्य प्रदेश), सोलन (हिमाचल प्रदेश), श्री गंगानगर (राजस्थान), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) तथा सूरत (गुजरात) में केन्द्रीय जैव नियन्त्रण 11 केन्द्र स्थापित किए हैं जिनके उद्देश्य हैं :—

—उपयोगी तथा प्रभावकारी परजीवियों तथा परभक्षियों को अभिज्ञात करना ;

—उनका पालन ;

—जैव नियन्त्रण एजेंटों की उपयोगिता का प्रदर्शन और

—किसानों के लिए उन्हें जारी करना।

इन्होंने अब तक 16374.4 लाख जैव नियन्त्रण एजेंट जारी किए हैं।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सात राज्यों अर्थात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल में चावल के सम्बन्ध समन्वित कीट प्रबन्ध के बारे में प्रचालन अनुसंधान परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं।

(4) समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सातवीं योजना के दौरान समेकित कीट प्रबन्ध के एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र को मंजूरी दी है।

(5) राज्य कृषि विभागों ने अपने पद्धतियों के पैकेज में समेकित कीट प्रबन्ध को शामिल किया है जिनमें प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग, कल्चरल तथा मैकेनिकल पद्धतियां जैव-नियन्त्रण पद्धतियां तथा कीटनाशियों का केवल आवश्यकता पर आधारित और युक्तिसंगत उपयोग शामिल है।

(6) समेकित कीट प्रबन्ध को लोकप्रिय बनाने के लिए कीट और रोग निगरानी के घटक का भारी महत्व है। अतः देश के विभिन्न भागों मे स्थित 32 केन्द्रीय निगरानी/केन्द्रीय वनस्पति रक्षण केन्द्रों द्वारा राज्य के कृषि विभागों के सहयोग से महत्वपूर्ण फसलों पर कीट और रोग सम्बन्धी नियमित सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों से किसानों को कीटनाशियों के आवश्यकता पर आधारित तथा युक्तिसंगत उपयोग में मदद मिल रही है।

(7) विभिन्न राष्ट्रीय मंचों से केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम के विभिन्न घटकों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलापों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है।

उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन

200. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन की योजना शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1987-88 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में कितने किसानों को लाभ मिला है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के सभी जिलों में जिसमें आदिवासी उप-योजना क्षेत्र भी शामिल हैं, मछुआ विकास एजेंसियों के माध्यम से मत्स्य पालन के विकास को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है। ये मछुआ विकास एजेंसियां मत्स्य पालकों को आवश्यक वित्तीय तकनीकी और विस्तार सम्बन्धी सहायता प्रदान कर रही हैं, ताकि वे टैंकों और तालाबों में मछली पालन का कार्य कर सकें। अनुसूचित आदिवासी मछुओं को तालाब के विकास की लागत और पहले वर्ष के लिए अपेक्षित आदानों जैसे डिम्पोना आहार और उर्वरक पर प्रति हैक्टेयर अधिकतम 10,000 रुपए तक 50 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है जबकि गैर-आदिवासी मछुओं को प्रति हैक्टेयर अधिकतम 5000 रुपए तक 25 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। 1987-88 के दौरान उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के करीब 1,200 मछुओं को लाभ पहुंचा है।

आपरेशन फ्लड दो के अन्तर्गत उड़ीसा में डेरी विकास कार्यक्रम

201. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपरेशन फ्लड दो के अन्यर्गत उड़ीसा में डेरी विकास कार्यक्रम के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सातवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

202. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट बसों से अलग अलग कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें मारे गए तथा घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की शर्तों को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम रूटों के गैर-निजीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

वाहन	दुर्घटनाओं की संख्या			घायल व्यक्ति	मारे गए व्यक्ति
	साधारण	घातक	कुल		
1. दिल्ली परिवहन निगम की बसें	2191	101	2292	819	107
2. दि० प० नि० के पास चल रही बसों सहित प्राइवेट बसें	299	116	415	469	128

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 अभी लागू होना है।

भुखमरी से हुई मौतें

204. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान कितने व्यक्तियों की भुखमरी के कारण हुई मौतों का पता चला है और गत तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ख) देश में भुखमरी से होने वाली मौतों को न होने देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भूख के कारण कोई भी मौत होने की सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप में अन्तरद्वीपीय नौ-परिवहन के लिए जलपोत

205. **श्री पी० एम० सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में अन्तरद्वीपीय नौ-परिवहन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक जलपोत कब तक चलाना आरम्भ कर दिया जाएगा ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए एक जलपोत खरीद लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो जलपोत की क्षमता कितनी है ; और

(घ) किन-किन द्वीपों के मध्य नौ-परिवहन सेवा आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और इसकी आवृति कितनी होगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) प्राप्त टैण्डरों के अनुसार पहले और दूसरे जहाज की डिलीवरी ठेका दिए जाने की तारीख क्रमशः 49 और 51 सप्ताह में मिल जाने की सम्भावना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि जहाज प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः जिस द्वीप में जहाजों को चलाया जाना है उसके सम्बन्ध में और फ्रीक्वेंसी के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा समारोहों के लिए दूध की सप्लाई

206. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विवाह तथा अन्य समारोहों के अवसर पर उपभोक्ताओं को बड़ी मात्रा में दूध की सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी बल्क सप्लाई के प्रति लीटर कितना मूल्य लिया जाता है ; और

(घ) क्या यह बल्क सप्लाई ड्रमों में की जाती है अथवा पोलीथिन की थैलियों में ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). जी, हां । आवेदकों की यथार्थ आवश्यकताओं की जांच करने के पश्चात् शादियों तथा अन्य समारोहों के लिए दूध की सप्लाई की जाती है ।

(ग) और (घ). शादी तथा अन्य समारोहों के लिए दूध की सप्लाई 3.60 रु० प्रति लीटर की दर से की जाती है तथा यह सप्लाई सामान्यतः 5 लीटर के पोलीथीन पाऊचों में की जाती है ।

राष्ट्रीय भाषा नीति

207. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ओर साहित्यिक और क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों को बढ़ावा देने और दूसरी ओर देश की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को विकसित करने और उसे स्वीकार करने को ध्यान में रखते हुए किसी राष्ट्रीय भाषा नीति का तैयार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिभाषा फार्मूला के अतिरिक्त प्रस्तावित नीति का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सातवीं योजना के दौरान ऐसी नीति तैयार करेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उन भाषाओं के

सम्बन्ध में दोहराया गया है जिस नीति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। संसद द्वारा अनुमोदित और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के सन्दर्भ में तैयार की गई कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ भाषा विकास की नीति और कार्यक्रमों का और आगे उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव

208. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान स्थापित करने एवं अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार आरम्भ करने के प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह संस्थान कब तक खोला जाएगा तथा साहित्य अकादमी द्वारा वार्षिक पुरस्कार दिया जाना कब से आरम्भ किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). एक अनुवाद संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लेने को ध्यान में रखते हुए कई पहलुओं की जांच की जा रही है। संस्कृति विभाग ने 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए पुरस्कार आरम्भ करने के लिए साहित्य अकादमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। साहित्य अकादमी को 1989 से आगे पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया को शुरू करने की आशा है।

समन्वित बाल विकास सेवा योजना का कार्य-निष्पादन

209. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोषण प्रतिष्ठान से समन्वित बाल विकास सेवा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग). केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दवाईयों की किट की व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल्यांकन करने और सलाह देने के लिए न्यूट्रिशन फाउण्डेशन आफ इण्डिया को अध्ययन कार्य सौंपा गया था। अध्ययन से, जो अब पूरा हो चुका है, अन्य बातों के साथ-

साथ यह पता चलता है कि दवाईयों की किट की व्यवस्था करने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और समुदाय के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना आसान हो गया है और इससे आंगनवाड़ियों में उपस्थिति भी बढ़ी है।

'विश्वविद्यालय का दर्जा' दिये गये संस्थान

210. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर: क्या मानव ससाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान किसी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन विशेष बातों को ध्यान में रखकर इन संस्थानों को यह दर्जा दिया गया है ;

(ग) क्या यह दर्जा प्रदान करने के लिए कोई अन्य संस्थान भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-3 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी उच्च शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली एक संस्था के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सीमा क्षेत्र में उन संस्थाओं को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं के रूप में घोषित करने का प्रावधान किया गया है जो ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से विश्वविद्यालय नहीं हैं और अभी तक विश्वविद्यालय स्तर पर किसी शैक्षिक क्षेत्र में उच्च स्तर का कार्य कर रही है और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं का स्तर प्रदान करने से वे उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान से सम्बन्धित आदर्श विकसित कर सकेंगी। 1986-87, 1987-88 तथा चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित सात संस्थाओं को विश्व-विद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं घोषित किया गया है।

(i) बिरला प्रौद्योगिक संस्थान, मेसरा, रांची।

(ii) राजस्थान महाविद्यापीठ, उदयपुर।

(iii) तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे।

(iv) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

(v) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति।

(vi) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी।

(vii) श्री अविनाशलिंगम गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर।

(ग) और (घ). छः संस्थाओं को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं घोषित करने के लिए, जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर सम्बद्ध मन्त्रालयों/भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारो तथा अन्य एजेन्सियों के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार के विचारार्थ अपने विचार/सिफारिश तैयार करने के लिए आठ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। किसी संस्था को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित करने के लिए कोई निर्धारित समय अनुसूची नहीं बताई जा सकती। अतः इन प्रस्तावों पर विभिन्न एजेन्सियों के साथ परामर्श करके विस्तृत जांच करने तथा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं का स्तर चाहने वाली संस्थाओं द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।

बैंकाक में डॉन मुआं हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में मारे गये भारतीयों के आश्रितों को मुआवजा

[हिन्दी]

211. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 सितम्बर, 1988 को डॉन मुआं हवाई अड्डे पर वियतनाम के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गए भारतीयों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) मृतक व्यक्तियों के आश्रितों की सरकार द्वारा क्या राहत और अन्य सुविधाएं दी गई और उन्हें मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ; और

(ग) कितने व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे की राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. श्री ए० बी० पटवर्धन,
   वियतनाम में भारत के राजदूत

2. श्रीमती एस० पटवर्धन,
   भारतीय राजदूत की पत्नी

3. मास्टर एच० पटवर्धन,
   भारतीय राजदूत के सुपुत्र

4. डी० आर० बंसल, निदेशक,
   शिक्षा विभाग,
   नई दिल्ली

5. डा० एस० के० सैनी, रीडर,
   जनसंख्या शिक्षा सैल,
   एन० सी० ई० आर० टी०,
   नई दिल्ली

6. डा० आर० एम० मिश्रा, निदेशक,
जनसंख्या शिक्षा सैल और प्राध्यापक,
राज्य शिक्षा संस्थान,
इलाहाबाद

7. श्री एच० एस० गिल, निदेशक,
एस० आई० एस० ई० और जनसंख्या शिक्षा परियोजना,
क० सं० 66-67, सेक्टर-17-ए,
चण्डीगढ़

8. श्री एस० ए० रामकृष्णा राव, निदेशक,
डी० एस० ई० आर० टी०, और जनसंख्या सैल,
बंगलौर, कर्नाटक

9. डा० बी० के० बालो, निदेशक,
एस० सी० ई० आर० टी०
और जनसंख्या शिक्षा सैल, सोलन (हिमाचल प्रदेश)

10. डा० आई० पी० मोवाची, निदेशक,
राज्य शिक्षा संस्थान और जनसंख्या, शिक्षा सैल,
रायखड़, अहमदाबाद (गुजरात)

11. श्री एस० देवदास, हनोई (वियतनाम)
सिमको का प्रतिनिधि

(ख) वियतनाम के नागर विमानन प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक मुआवजा दिया जाता है। हनोई में हमारे राजदूतावास को सूचित किया गया है कि मुआवजा वारसा अभिसमय और हेग प्रोतोकोल के अनुसार दिया जाएगा। इनके अनुसार, प्रत्येक यात्री के लिए मुआवजा 250,000 फ्रेंच गोल्ड फ्रैंक (लगभग 3 लाख रु०) होगा। सामान के लिए मुआवजा 250 फ्रेंच गोल्ड फ्रेंच (लगभग 300 रु०) प्रति किलोग्राम और हाथ द्वारा उठाए जाने वाले सामान के लिए 500 फ्रेंच गोल्ड फ्रैंक (लगभग 6000 रुपए) प्रति व्यक्ति होगा। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और नियोक्ता क्रमशः के खर्च पर शव हवाई जहाज द्वारा भारत लाए जाने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई थी।

(ग) वियतनाम एयरलाइन्स द्वारा यात्रा कर रहे सभी यात्रियों का बीमा वियतनाम बीमा कम्पनी द्वारा किया गया था। इस कम्पनी द्वारा मुआवजे की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी किए जाने की सम्भावना है।

राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरी और चिकित्सा पाठ्य-पुस्तकें

[अनुवाद]

212. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्जीनियरी और चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकों को राजभाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तकें राजभाषा में कब तक उपलब्ध होगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा इसकी सतत योजना के अन्तर्गत अब तक हिन्दी में इन्जीनियरी की 65 विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और चिकित्सा की 72 पुस्तकें तैयार की गयी हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के पास इन्जीनियरी और चिकित्सा पर क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पूंजीगत ढांचे का पुनर्स्थापना करने का प्रस्ताव

214. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का संचित घाटा 68.42 करोड़ रुपये था ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की पूंजीगत ढांचे की पुनर्स्थापना करने के प्रस्तावों में इस कम्पनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये इसके 1985-86 तक के घाटे की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव शामिल था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

गंगावरम में उपप-त्तन

215. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने गंगावरम में एक उप-पत्तन स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है,

(ख) क्या पत्तन न्यास अथवा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने इस्पात परियोजना के पीछे गंगावरम में एक उप-पत्तन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). विशाखापत्तनम पोर्ट ने गंगावरम में एक सेटेलाइट पोर्ट निर्मित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता

अध्ययन को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। एशियाई विकास बैंक को पोर्ट सेक्टर के लिए भावी योजना तैयार करने हेतु अध्ययन का काम सौंपा गया है।

एल्यूमिनियम का मूल्य

216. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में ई० सी० श्रेणी के एल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इससे देश में केबल के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी तथा उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) देश में एल्यूमिनियम के अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसके मूल्य को स्थिर रखने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) सरकार द्वारा इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विद्युत कंडक्टर ग्रेड सहित प्राथमिक एल्यूमिनियम धातु के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण है। सरकार ने समय-समय पर एल्यूमिनियम उद्योग के लागत ढांचे का औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से अध्ययन कराया है। ब्यूरो द्वारा मुख्य आदान सामग्री की लागत तथा उद्योग द्वारा अपनाये गए लागत-कटौती उपायों को ध्यान में रख कर, विभिन्न आदान-सामग्री के खपत-मानक निर्धारित किए जाते हैं। इन सभी संगत आंकड़ों और मानकों को ध्यान में रखकर एल्यूमिनियम की उत्पादन लागत आकलित की जाती है, जिसके आधार पर एल्यूमिनियम के उचित उपभोक्ता मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

गोआ में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

217. **श्री शांताराम नायक :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी वाले क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करते समय ठेकेदारों को किन-किन विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है ;

(ख) क्या गोआ में राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में इस प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो गोआ में प्रत्येक वर्ष मॉनसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) गोआ में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर जून, 1988 से आज तक यदि कोई राशि व्यय की गई तो कितनी राशि व्यय की गई ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य मन्त्रालय के प्रकाशन "सड़क और पुल निर्माण कार्यों के लिए विशिष्टियां" के अनुसार निष्पादित किया जाता है और निष्पादन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उसे इन विशिष्टियों के अनुसार किया जाए।

(ग) वर्षा ऋतु में जब पेवमेंट की सपोर्टिंग बेड सबसे कमजोर होती है, उस समय गोवा सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण है :—

(I) वाणिज्यिक वाहनों का बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग,

(II) पेवमेंट की पर्त सम्बन्धी मोटाई का अपर्याप्त होना, और

(III) खराब ड्रेनेज।

(घ) गोवा में जून, 1988 से आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत पर 55.48 लाख रुपए खर्च हुए।

खाद्यान्न उत्पादन में विकास दर

218. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1949-50 से वर्ष 1964-65 तक खाद्यान्न उत्पादन में विकास दर लगभग 3.1 प्रतिशत थी, किन्तु वर्ष 1967-68 से 1984-85 तक यह घटकर 2.6 प्रतिशत हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस समय खाद्यान्न उत्पादन में विकास दर की प्रवृत्ति क्या है और प्रथम दो विकास दरों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 1949-50 से 1964-65 तक 3.24 प्रतिशत प्रति वर्ष और 1967-68 से 1984-85 तक 2.92 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन की विकास दर में कमी मामूली है और उत्पादन की विकास दर जनसंख्या की विकास दर की तुलना में अब भी अधिक है। इस प्रकार यह भारत की अर्थ व्यवस्था के विकास पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्ष (1985-86 से 1987-88) वर्षा और मौसम की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं थे। तथापि, चालू वर्ष के दौरान वर्षा और मौसम की स्थिति बहुत अच्छी रही है और यदि खाद्यान्नों का प्रत्याशित/लक्षित उत्पादन प्राप्त कर लिया गया तो, 1985-86 से 1988-89 के दौरान विकास की दर पिछली अवधियों की तुलना में काफी अच्छी होगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटेन की पेशकश

219. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार/ब्रिटिश कम्पनी सहायता संघ ने कुछ समय पूर्व दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए बहुत उदार शर्तों पर मुक्त सहायता देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो ऋण/सहायता शर्तों सहित ब्रिटेन की पेशकश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कुल आकलन क्या था ;

(घ) इस समय आयोजित किए जा रहे आधुनिकीकरण की कुल लागत, विदेशी अनुबन्धित पार्टियों, अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा और वित्तीय स्रोतों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) ब्रिटेन की पेशकश अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार ने एक ब्रिटिश फर्म के तीन पैकेजों अर्थात धमन भट्ठी, सिंटर संयंत्र और मूल आक्सीजन भट्ठी के लिए ठेकों के सम्बन्ध में दी गई बोली के समर्थन में अधिकतम 93.1 मिलियन पाउंड तक के ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित पैकेज के 35 प्रतिशत के बराबर सहायता-अनुदान देने की पेशकश की है। यह पेशकश 8 प्रतिशत की सर्वसम्मत दर पर 5 से 10 वर्षों में वापसी योग्य निर्यात ऋण की सैद्धान्तिक पेशकश के साथ की गई है। सहायता/अनुदान को ब्रिटिश माल और सेवाओं के साथ जोड़ा जाएगा जिसे वर्ष 1993-94 तक चरणबद्ध किया जा सकता है।

(ग) ब्रिटिश स्टील कार्पोरेशन (ओवरसीज) ने वर्ष 1986 में किए गए अध्ययन में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की लगभग 1450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, जिसमें निर्माण, आदि के दौरान शुल्क कर और ब्याज सम्मिलित नहीं है, परिकल्पना की थी, परन्तु इसमें यह शर्त होगी कि अधिकांश उपकरण यूनाइटेड किंगडम से आयात किए जाएंगे।

(घ) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की योजना 16 आद्योपान्त पैकेजों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है जिनमें से 6 अन्तर्राष्ट्रीय होंगे और 10 देशी होंगे। परियोजना की वर्तमान स्वीकृत लागत (वर्ष 1986 की तीसरी तिमाही के मूल्यों के आधार पर) 437 करोड़ रुपए की विदेशी-मुद्रा सहित 1357 करोड़ रुपए की होगी। पैकेजों की अन्तिम रूप में दी गई बोलियों पर आधारित निश्चित लागत अनुमान तथा लागतों को अद्यतन बनाने का काम इस समय किया जा रहा है। जिसके बाद उस पर सरकार की अनुमति ली जाएगी। परियोजना के लिए धन "सेल" के आन्तरिक स्रोतों के जरिए और अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के विदेशी-मुद्रा भाग को विदेशी पार्टियों द्वारा की जाने वाली सहायता/अनुदान/उधार के जरिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। जिन विदेशी बोलीदाता/पार्टियों ने अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए बोली दी है, वे निम्नानुसार हैं :

(1) मैसर्स मान्नेसमान देयाग, पश्चिम जर्मनी।

(2) मैं० मित्सुबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज, जापान।

(3) मैं० डावी कम्की (स्टाकटन) लि०, यू० के०।

(4) मैं० निप्पन कोकान, जापान।

(5) मैं० कोन्कास्ट ए० जी०, स्विटजरलैंड।

(6) मैं० सिम्पेल केम्प ए० जी०, पश्चिम जर्मनी।

(7) मैं० फांके इन्जी० लि० पश्चिम जर्मनी।

अन्तिम संविदाकारी पार्टियों की जानकारी बोलियों को अन्तिम रूप देने के पश्चात मिलेगी; बोलियों की इस समय जांच की जा रही है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बोलियों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान

[हिन्दी]

220. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रत्येक राज्य को चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की सहायता दी गई ;

(ख) देश में विशेष रूप से राजस्थान में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धि क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरी कृष्ण शास्त्री) : (क) कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान 21.71 करोड़ रुपए दिए गए थे। राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) राजस्थान राज्य में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नलिखित दो मदों के तहत संलग्न विवरण-2 में दिया गया है :

I. उपलब्ध करायी गई अनुसंधान सुविधाएं

II. वर्तमान प्रमुख उपलब्धियां

(ग) कृषि में कृषि विज्ञान केन्द्रों की उपलब्धियां संलग्न विवरण-3 में दी गई हैं।

विवरण-1

वर्ष 1988-89 में राज्यवार दी गई सहायता की राशि

	राज्य	(रुपये लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	176.35
2.	असम	65.85
3.	बिहार	123.61
4.	गुजरात	57.90
5.	हरियाणा	122.68
6.	हिमाचल प्रदेश	153.14
7.	अम्मू और कश्मीर	11.52
8.	कर्नाटक	104.37
9.	केरल	122.36
10.	मध्यप्रदेश	121.51
11.	महाराष्ट्र	204.17
12.	उड़ीसा	62.85
13.	पंजाब	109.79
14.	राजस्थान	119.12
15.	तमिलनाडु	177.73
16.	उत्तर प्रदेश	232.91
17.	पश्चिमी बंगाल	76.23
18.	दिल्ली	128.35
19.	मणिपुर	0.50
	कुल :	2170.94

विवरण-2

राजस्थान राज्य में अनुसंधान में हुई प्रगति

I. उपलब्ध कराई गई अनुसंधान सुविधाएं

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2 राष्ट्रीय संस्थान-केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर की स्थापना की है। इनके राजस्थान में 3 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। बीकानेर में एक राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तीन संस्थानों, जिनके मुख्यालय राजस्थान के बाहर हैं, के चार क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र राजस्थान में हैं।

देशभर में चल रही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भा० कृ० अ० प० के 50 अनुसंधान केन्द्र चल रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत 16 क्षेत्रीय/उप अनुसंधान केन्द्र हैं जो क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं।

टैक्नालाजी हस्तांतरण के क्षेत्र में 7 कृषि विज्ञान केन्द्र, 10 व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं और 3 राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना केन्द्र राजस्थान राज्य में कार्य कर रहे हैं।

II. वर्तमान प्रमुख उपलब्धियां

रबी/ग्रीष्म-मूंगफली और सूरजमुखी की अधिक पैदावार देने वाली नई किस्में विकसित की गई हैं। खाद्य फसलों में गेहूं की राज० 3077, बाजरा की एम. एच. 133 और एम. एच. 169 और गन्ने की को. एल. के. 8001 और को. एल. के. 7901 नयी किस्में विकसित की गई हैं। देशभर में श्री गंगानगर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं जहां व्यावसायिक स्तर पर चुकन्दर की खेती की जाती है। चुकन्दर की दो नई किस्मों पंत एस-10 और आई. आई. एस. आर. कम्प. 7 को रिलीज करने की सिफारिश की गई थी।

धान, गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली और मिर्च के सफेद सूंडी और रोडेन्ट पेस्ट के नियन्त्रण के उपाय विकसित किए गए हैं। नेमाटोड कीड़े से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उनकी (नेमाटोड) रोकथाम के उपाय की भी सिफारिश की गई है। बीजों और मिट्टियों से पैदा होने वाले प्रमुख बीमारियों को रोकने के लिए बीज उपचार की विधि का विकास किया गया है।

बेर की गोला तथा बनारस करका किस्में, अनार की जल्लौर सीडलैस तथा गणेश किस्में तथा खजूर की खडरावी तथा मेदजूल किस्में आशाजनक पायी गयी हैं। बेर तथा मरु क्षेत्र में उगने वाले दूसरे फलों की उन्नत प्रसार तकनीकों का मानकीकरण किया गया है। पौपी किस्म आई. सी-42 को रिलीज कर दिया गया है। अफीम पौपी की जवाहर किस्म से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। जीरा सौंफ की अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा रोजा डेमेसेना तथा उससे निकाले गए गुलाब के तेल की उपज में सुधार लाने के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया है और उसे किसानों तक पहुंचाया गया है।

क्षेत्र की प्रमुख फसलें यानी बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंग, सरसों, तिल तथा अण्डी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बारानी तकनीकों का विकास किया गया है। उन्नत घास वाली भूमि तथा चरागाह, जल प्रबन्ध, वनरोपण तथा शेल्टर बेल्ट तकनीकों के लिए प्रबन्ध क्रियाएं विकसित की गई हैं।

सौर चूल्हा, संग्रह तथा भण्डारण किस्म के सोलर वाटर हीटर आदि जैसे—सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के उपयोग के तरीकों का विकास किया गया है। इनका विका- गैर परम्परागत वैकल्पिक कच्ची सामग्रियों के इस्तेमाल द्वारा किया गया है।

केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान में "भारत मेरीनो" नामक भेड़ तैयार की गई। भेड़ की "चोकला" तथा "नाली" सेन्थेटिक का विकास किया गया है जो प्रति वर्ष 1.8 कि० ग्रा० ऊन देती है।

ब्रायलर खरगोशों से करीब 45 प्रतिशत लौथ (कैराकस) प्राप्त किया गया। यह भी पाया गया कि पालीईस्टर मिश्रित बढ़िया ऊन से ऐसा रेशा तैयार किया जा सकता है जो सूटिंग तथा शर्टिंग के लिए उपयुक्त है।

विवरण-3

कृषि विज्ञान केन्द्रों की उपलब्धियां

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान राज्य में 7 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है जो किसानों, युवा किसानों, पढ़ाई छोड़कर घर बैठे नौजवानों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले विस्तार कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रमुख उपलब्धियां ये हैं कि उन्होंने अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और विस्तार के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई की है जो इस प्रकार है :—

1. कैम्पस के बाहर कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 3266 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे 65676 किसानों और कृषक महिलाओं को लाभ हुआ।
2. कृषि विज्ञान केन्द्रों ने विशेष रूप से तिलहनों और दाल उत्पादन कार्यक्रम पर 526 विभिन्न क्षेत्र प्रदर्शनों और 20 ब्लाक प्रदर्शनों का भी आयोजन किया है।

राजस्थान को सूखा राहत

221. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जो चालू वर्ष के दौरान सूखे से प्रभावित हैं ;

(ख) क्या राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी जिलों में सूखे की स्थिति है ;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के ऐसे जिलों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हाल ही में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को क्या सहायता प्रदान की है ;

(ङ) क्या सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कोई राहत केन्द्र खोले गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) राहत कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केवल मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति की सूचना दी है ।

(ख) राजस्थान सरकार ने किसी भी भाग में सूखे की स्थिति की सूचना नहीं दी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता है ।

(घ) राजस्थान सरकार ने सूखा राहत के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता है ।

(च) और (छ). यह राज्य सरकार का काम है कि वह प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करें ।

खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

222. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 16.7 करोड़ मिट्रिक टन निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है ;

(ग) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की विकट स्थिति से उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा नहीं आयेगी ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). सातवीं योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के एक भाग के रूप में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रधानमन्त्री के निर्देश पर सदस्य (कृषि), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कृतक बल गठित किया गया था । कृतक बल के सुझावों और 1987-88 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान हुए 1443 लाख मीटरी टन के औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, 1988-89 में 1665.7 लाख मीटरी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) और (घ). पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में हाल में आई बाढ़ के कारण इन राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों से फसलों का 4-5 प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है । 1988-89 के लिए निर्धारित 1666.7 लाख मीटरी टन उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य की रबी 1988-89 के दौरान उत्पादन में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप पा लिए जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किए गए बीजों की गुणवत्ता

[अनुवाद]

223. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उत्पादित बीजों का प्रयोक्ताओं को सप्लाई करने से पहले विशिष्टता/समरूपता तथा स्थिरता के लिए परीक्षण नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं। किसी किस्म के परीक्षण के समय और उसकी निर्मुक्ति से पहले विलगता, समरूपता तथा स्थिरता के लिए परीक्षण करने होते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम अधिसूचित/निर्मुक्त किस्मों के बीजों का उत्पादन करता है। बीजों का खेत और प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, ताकि निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के साथ उनकी अनुरूपता का पता लगाया जा सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

224. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अभ्रक का उत्पादन और निर्यात

225. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक का वर्ष-वार कितना उत्पादन और निर्यात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए अभ्रक का विदेशी मुद्रा में प्रति इकाई मूल्य कितना है ; और

(ग) सरकार का विचार अभ्रक का उत्पादन/निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) गत तीन वर्षों का अभ्रक का उत्पादन इस प्रकार है :—

उत्पादन वर्ष	मात्रा (टन में) उत्पादन
1985	7335
1986	7519
1987	10547

अभ्रक और अभ्रक के उत्पादों का निर्यात इस प्रकार है :—

निर्यात	
1985-86	34,550
1986-87	33,760*
1987-88	32,320*
	(*अनन्तिम)

(ख) 'अभ्रक व अभ्रक उत्पादों के प्रमुख खरीदार पूर्व यूरोपीय देश हैं जिनके साथ भारतीय रुपये में लेन-देन है, इसलिए प्राप्त प्रति इकाई मूल्य विदेशी मुद्रा में बताना कठिन है। तथापि, अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के निर्यात का प्रतिटन औसत मूल्य 1985-86 में 11,000 रु०, 1986-87 में 13,000 तथा 1987-88 में 14,000 रु० के लगभग था।

(ग) अभ्रक के उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अभ्रकधारी स्थलों का पता लगाने हेतु खोज कर रहा है।

(2) भारतीय खान ब्यूरो ने अभ्रक क्षेत्रों में अभ्रक पैगमेटाइटों का पता लगाने एवं खानों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी परामर्शी कार्य हाथ में लिए हैं।

(3) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अभ्रक पैगमेटाइटों के भूवैज्ञानिक, संरचनात्मक प्रस्तर-खनिजीय तथा भूरासायनिक पहलुओं से सम्बन्धित एक शोध-परियोजना भी आरम्भ की गई है, जिसमें बिहार अभ्रक पट्टी की चार अभ्रक खानें शामिल हैं। अब तक के अभ्रक शोधों के आधार पर अभ्रक के गवेषण के दिशानिर्देश तैयार करके जारी कर दिए गए हैं।

(4) अभ्रक स्क्रैप को छोड़कर, अभ्रक पर से निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(5) अभ्रक उत्पादों को उन उत्पादों की सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें शत-प्रतिशत निर्यात प्रधान यूनिटों, की सुविधाएं दी गई हैं।

(6) विदेशों में बिक्री प्रोन्नति दौरे करने और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने को बढ़ावा दिया गया है।

(7) मूल्यवान अभ्रक उत्पादों के निर्माण और निर्यात हेतु अभ्रक उद्योग के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(8) अभ्रक व्यापार निगम अभ्रक के बारे में मौलिक आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान कार्यों के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

227. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने का विचार है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 46, 47 और 49 के विकास के लिए 87.90 करोड़ रु० की राशि की स्कीमों को शामिल किया गया है।

फारस की खाड़ी में युद्ध विराम

228. **श्री प्रतापराव वी० भोसले :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी में 20 अगस्त, 1988 से युद्ध विराम लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का युद्ध पश्चात निर्माण कार्य में खाड़ी के देशों को सहायता देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस युद्ध-विराम का स्वागत किया है और विश्वास करती है कि युद्ध-विराम के बाद ईरान और इराक के बीच उचित और स्थायी शांति की स्थापना होगी।

(ग) और (घ). सरकार ने ईरान और इराक के पुनर्निमाण कार्यक्रमों में भाग लेने की अपनी

इच्छा से उन्हें अवगत कराया है । सहायता की हमारी पेशकश का स्वागत हुआ है और इन क्षेत्र में विशिष्ट सम्भावनाओं के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के साथ बातचीत चल रही है ।

केरल में जल-भूतल परिवहन के समन्वित विकास के प्रस्ताव

229. **श्री के० मोहनदास** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में जल-भूतल परिवहन के समन्वित विकास के लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण का विविधिकरण

230. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के विस्तार और विविधिकरण हेतु एक परियोजना कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने प्रशिक्षण केन्द्र शामिल/किये जाने खोलने की आशा है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और उनको प्रोन्नत करने से सम्बन्धित एक परियोजना प्रस्ताव इस समय श्रम मन्त्रालय और अर्थ विभाग के विचाराधीन है । परियोजना सम्बन्धी घटकों के ब्यौरे तथा उनकी कवरेज विश्व बैंक से सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन से पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

231. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में कई मामलों में पासपोर्ट जारी करने में छह से नौ माह की देरी लग जाती है ;

(ख) क्या कोचीन कार्यालय से पासपोर्ट जारी करने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस प्रक्रिया को अल्द पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन द्वारा बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्रों को निपटाने को ध्यान में रखते हुए, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अधिकांश मामलों में पासपोर्ट 7-8 हफ्तों में जारी कर दिए जाते हैं। 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार कोचीन स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 1,357 पासपोर्ट आवेदन-पत्र 6 महीने से अधिक अवधि से अनिर्णीत थे। उनमें से 1,240 मामले आवेदकों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत थे और अब उन्हें 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद समाप्त किया जा रहा है।

(ख)से(घ). वर्ष 1988 के सौरान कोचीन स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के सिलसिले में सरकार को आवेदकों से 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण राज्य पुलिस प्राधिकारियों से पुलिस साक्यांकन रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होना था और कुछ मामलों में आवेदन फार्मों में दी गई अधूरी सूचना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को शीघ्र कार्रवाई करने और इसकी सूचना आवेदकों को देने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। 4 शिकायतें शिकायत अधिकारी, कोचीन को प्राप्त हुई थीं और उन्हें अब निपटा दिया गया है। मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 19 जुलाई 1988 को पासपोर्ट अदालत लगाई और 15 शिकायतें मौके पर ही निपटा दीं।

(ङ) और (च). अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा पिछले कलैंडर वर्ष के कार्य के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष जनवरी-मार्च में वो वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण-एकक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जाती है। इस प्रकार कर्मचारियों की सख्या प्रत्येक वर्ष कार्य की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जाती है।

अगले राष्ट्रमंडल खेल

233. श्री हुन्नाब मोल्लाह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन किसी देश को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत अगले राष्ट्रमण्डल खेल भारत में आयोजित करने में असफल रहा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख). XIVवे राष्ट्रमण्डलीय खेल, 1990 में न्यूजीलैंड (आकलैंड) में आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 1984 के लिए XVवें राष्टमण्डलीय खेल हाल ही में राष्ट्रमण्डलीय खेल संघ द्वारा विक्टोरिया (कनाडा) को दिए गए हैं।

(ग) और (घ). चूंकि कनाडा ने भारत की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त किए थे इसलिए भारतीय ओलम्पिक संघ (आई० ओ० ए०) की दिल्ली में 1984 राष्ट्रमण्डलीय खेल आयोजित करने के लिए बिड में हार हुई थी।

12.00 मध्याह्न

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एन०टी० रामा राव के दामाद के खिलाफ एक स्पष्ट निर्णय दिया है और कृषक परिषद के मुख्य निदेशक के रूप में उनका चयन खारिज कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उससे क्या लेना है ?

श्री शान्ताराम नायक : उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह कार्य दुर्भावनापूर्ण है और यह सत्ता का दुरुपयोग है। बहुत ही स्पष्ट निर्णय दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया है उन्होंने कहा है कि यह कार्य दुर्भावनापूर्ण है और यह सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिए मुख्यमन्त्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता।

श्री शान्ताराम नायक : क्या आप राष्ट्र में सदाचार के रखवाले नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं यह अभी नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

श्री शान्ताराम नायक : श्री माधव रेड्डी इस पर वक्तव्य दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : इतनी सारी वायुयान दुर्घटनायें हुई हैं। मैंने नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मसला उठाना चाहता हूं। समुचा विपक्ष को अपमानित महसूस करता है क्योंकि कांग्रेस के विरोध को कांग्रेस से दुश्मनी के

रूप में लिया जाता है और कांग्रेस के साथ दुश्मनी राष्ट्र के साथ दुश्मनी है···(व्यवधान) प्रधान मन्त्री को संसद से क्षमा मांगनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं है । इसका कोई आधार नहीं है ।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मुझे अफसोस है कि सच्चाई को जानते हुए भी प्रो० मधु दंडवते एक दम गलत बयान दे रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा दिया जा चुका है । उनके ही शब्दों को मैं राज्य सभा में पढ़ चुका हूं । इसलिए आपका बयान एकदम गलत है । आपने जो कहा है मैं उसका विरोध करता हूं । उन्होंने यह कभी नहीं कहा । उन्होंने कुछ और कहा था । आप उस बात से इन्कार नहीं कर सकते । मैं उसे राज्य सभा में पढ़ चुका हूं और मैं उसे यहां भी पढ़ने को तैयार हूं । यह बिल्कुल गलत है । उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के दुश्मन राष्ट्र के दुश्मन हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह इस बात का स्पष्टीकरण इस सदन में क्यों नहीं दे सकते ।

श्री एच० के० एल भगत : वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आप कुछ बोलना चाहते थे ; आप बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखिए । यदि आप मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उन्होंने भाषण नहीं दिया । भाषण प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया था । वह क्यों स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं ?

[हिन्दी]

आपको पसन्द है जो उन्होंने बोला है ? (व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी सुनिये जो कुछ मैंने देखा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनिये। जो कुछ जानकारी मैंने हासिल की है और जो कुछ मैं जान पाया हूं। यदि ऐसा कोई वक्तव्य जैसा की आप आरोप लगा रहे हैं प्रधान मन्त्री ने सदन में दिया होता तो मैं सदन में इस पर चर्चा करने देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनिये आप सुनते क्यों नहीं हैं ? उन्होंने इसका खंडन किया है। मैंने खुद अपने कानों से प्रेस को दिया गया उनका वक्तव्य सुना है। उन्होने विशिष्ट रूप से इसका खडन किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें इसका खंडन यहां करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ? उन्होंने यह वक्तव्य सदन में नहीं दिया। यदि उन्होंने उसे यहां दिया होता तो मैं उन्हें वक्तव्य देने के लिये कहता।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप प्रधानमन्त्री के वक्तव्य पर शक कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें आज सुबह टी० वी० पर सुना है। उन्होंने कहा है क्या आपने उन्हें नहीं सुना ?

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधानमन्त्री ने आरोप लगाया है कि विपक्ष कांग्रेस का उन्यन है और राष्ट्र का दुश्मन है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो आरोप लगा रहे हैं वह प्रेस द्वारा लगाये गये आरोप है। उसी संचार माध्यम से, उसी टी० वी० से मैंने उन्हें वक्तव्य देते हुए सुना है कि उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया यही मैंने सुना है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें उसे यहां स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा क्यों करे ? उन्होंने यहां कोई वक्तव्य नहीं दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं सहमत नहीं हूं उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका संवाददाता सम्मेलन में खण्डन किया है मैंने सुना है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें उसे यहां स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने वक्तव्य यहां दिया होता तो मैं उन्हें ऐसा करने को कहता

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने यहां कोई वक्तव्य नहीं दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : तकनीकी दृष्टिकोण मत अपनाइये ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल ही नहीं उठता । यह तकनीकी दृष्टिकोण का सवाल नहीं है । मैं व्यावहारिक हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे एक साधारण प्रश्न करना चाहूंगा । मान लीजिए वह अध्यक्ष के बारे में सदन के बाहर कुछ कहते हैं क्या आप उसका संज्ञेय नहीं लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यहां उस तरह की कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बाहर किया है । उन्होंने इसका खन्डन भी बाहर किया है । कोई समस्या नहीं है ।

श्री नामग्याल सभा पटल पर पत्र रखिये ।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्य-करण की समीक्षा, हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कांडला पत्तन कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) (संशोधन) विनियम, 1988

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-6574/88]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत कांडला पत्तन कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) (संशोधन) विनियम, 1988, जो 8 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 913(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6575/88]

12.07-1/2 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : मैं महोदय, 5 सितम्बर 1988 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अवधारण) विधेयक, 1988

(2) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 1988

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1988

(4) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1988

(5) भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, 1988

(6) आरोविल प्रतिष्ठान विधेयक, 1988

(7) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1988

(8) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1988

(9) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1988

(10) जामिया मिलिया इस्लामिया विधेयक, 1988

महोदय, 5 सितम्बर 1988 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित बारह विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथा प्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1988

(2) एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1988

(3) राष्ट्रीय जलमार्ग, (ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया-धुबरी विस्तार) विधेयक, 1988

(4) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग का निवारण) विधेयक, 1988

(5) आयुध (संशोधन) विधेयक, 1988

(6) राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1988

(7) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण विधेयक, 1988

[महासचिव]

(8) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1988

(9) श्रम विधि (कुछ स्थापनों द्वारा विवरणी देने और रजिस्टर रखने से छूट) विधेयक, 1988

(10) अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 1988

(11) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1988

(12) मोटर यान विधेयक, 1988

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, माननीय सदस्य ने यह अभी सभा में कहा है। उन्होंने यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह किसने कहा ?

प्रो० मधु दण्डवते : गोवा से आप माननीय सदस्य ने कहा, "आप देश के शत्रु हैं।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यदि यह रिकार्ड में है तो उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। यदि माननीय सदस्य ने इस तरह की बात कही है···

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने यह कहा है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने कहा कि आप देश के शत्रु हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, बैठिए। मैं खड़ा हूं, आप क्यों जिद कर रहे हैं, आप शरीफ आदमी हैं, बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आनरेबल मेंबर ने यह बात कही है तो।

[अनुवाद]

उन्हें अवश्य ही इसे वापस लेना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना कथन स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने ऐसा कहा ?

श्री शांताराम नायक : महोदय, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं वही कहूंगा जो मैंने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह की बात कार्यवाही वृतान्त में है? यदि आपने यह कहा है तो मैं चाहूंगा कि आप क्षमा मांगे।

श्री शांताराम नायक : यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा ऐसे वक्तव्य देना मुझे पसन्द नहीं है। आप यह बाहर कह सकते हैं। लेकिन मैं यह सभा में नहीं कहने दूंगा। श्री जगदीश टाइटलर।

12.09 म० प०

मैसर्स वोल्टाज के साथ तथा मैसर्स पैप्सीको के सहयोग से पंजाब में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए पंजाब कृषि उद्योग निगम के प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1986 में मैसर्स पंजाब कृषि उद्योग निगम (पी० ए० आई० सी०) ने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने और पंजाब के होशियारपुर जिले में एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए एक संयुक्त आवेदन-पत्र दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : टाटा समूह के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में अमेरीका की मैसर्स पैप्सीको के साथ विदेशी सहयोग भी सम्मिलित है। (व्यवधान)

मेरा वक्तव्य समाप्त होने पर आप अपनी टिप्पणियां करें, पहला वाक्य बोलने के बाद ही ऐसा न करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टाइटलर, आप अपना वक्तव्य पूरा कीजिए।

12.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री जगदीश टाईटलर : जुलाई, 1986 में मैं० पंजाब कृषि उद्योग निगम (पी० ए० आई० सी०) ने औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने और पंजाब के होशियारपुर जिले में एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए एक संयुक्त आवेदन किया था। मैं० वोल्टास के साथ इस संयुक्त उद्यम में मैं० पैप्सीको निगमित, संयुक्त राज्य अमरीका का विदेशी सहयोग शामिल था।

मैं० पंजाब कृषि उद्योग निगम के प्रस्ताव पर पहले विधिवत् चुने हुए अकाली दल के मन्त्रि-मण्डल द्वारा और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा विचार किया। इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) एक कृषि अनुसन्धान केन्द्र ;

(ii) आलू/अनाज प्रसंस्करण यूनिट ;

(iii) फल/सब्जी प्रसंस्करण यूनिट ;

(iv) अमादक पेय सार (साफ्ट ड्रिंक कंसेण्ट्रेट) विनिर्माण यूनिट।

पूर्ण क्षमता का उपयोग करने पर यह परियोजना 80,000 टन फल और सब्जियों तथा 30,000 टन आलू और अनाज का इस्तेमाल प्रति वर्ष करेगी।

औद्योगिक लाइसेन्स के आवेदन पत्र के अनुसार प्रस्तावित अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 9.00 करोड़ रु० है। इसका विवरण इस प्रकार से है :—

(i) पंजाब कृषि उद्योग निगम	36.1 प्रतिशत, 3 करोड़ 25 लाख रु० के बराबर
(ii) टाटा	24 प्रतिशत, 2 करोड़ 16 लाख रु० के बराबर
(iii) पैप्सीको	3 करोड़ 59 लाख रु० कुल निवेश का 39.9 प्रतिशत

इस परियोजना से जुड़े हुए मुद्दों की सम्बन्धित विभागों द्वारा सावधानीपूर्वक प्राथमिक जांच की गई। इसके बाद अपर सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में एक समेकित जायजा लिया और निम्न-लिखित सुझाव दिए :—

(i) किसी वर्ष में विनिर्मित अमादक पेय सार की कुल बिक्री उस वर्ष में कम्पनी की कुल बिक्री के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से 10 वर्षों की अवधि तक परियोजना प्रति वर्ष अपनी कुल बिक्री का 50 प्रतिशत निर्यात करेगी जिसमें से 40 प्रतिशत कम्पनी के अपने निर्मित उत्पाद होंगे और 10 प्रतिशत अन्यों द्वारा निर्मित विशिष्ट सूची उत्पाद होंगे। उपरोक्त 10 वर्ष की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आगम परियोजना के विदेशी मुद्रा निर्गम के 5 गुना से कम नहीं होगा।

(iii) अमादक पेय सारों के निर्माण के लिए मालिकाना संघटकों को आयात नहीं किया जाएगा और जहां तक सम्भव हो देश में ही उपलब्ध कच्चेमाल का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में अनुपलब्ध कच्चेमाल और रसायनों का आयात समय-समय पर लागू आयात नीति द्वारा नियन्त्रित होगा और किसी प्रकार की विशेष आयात रियायतें नहीं दी जाएंगी।

(iv) देशीय बिक्री के लिए किसी भी विदेशी ट्रेडमार्क के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर अन्ततः आर्थिक कार्य सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति ने इस पर विचार किया। मैं० पंजाब कृषि उद्योग निगम का प्रस्ताव पूर्णरूपेण औद्योगिक लाइसेन्स और विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में नीति के ढांचे और नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया। जिन शर्तों पर यह अनुमोदन प्रदान किया गया था, वे प्रवर्तकों को बता दी गई और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद मैं० पंजाब कृषि उद्योग निगम और मैं० वोल्टास ने विदेशी कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि किसी भी नीति निर्देशक सिद्धान्त अथवा नियमों और विनियमों के ढांचे का उल्लंघन या उनकी तोड़-मरोड़ या उनसे विचलन नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि लगातार बातचीत के माध्यम से विदेशी सहयोगकर्ता द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित शर्तों के मुकाबले बेहतर शर्तें प्राप्त की गई हैं। आर्थिक कार्य सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति के निर्णय ने निश्चित तौर पर पंजाब के हालात को ध्यान में रखा है जिनमें इस राज्य में एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है जिसमें निवेश हो सके, रोजगार पैदा हो, कृषि में विविधता लाई जा सके, ग्रामीण आय बढ़ सके और ये सभी मिलकर आने वालों वर्षों में पंजाब में सम्भवतः पुनः शान्ति और स्थिरता ला सकें। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों और कृषक समुदाय द्वारा इस प्रस्ताव को मिले व्यापक समर्थन से भी भारत सरकार का यह निर्णय प्रभावित हुआ। इस प्रस्ताव के विभिन्न लाभ हैं :—

(1) कुल प्रस्तावित निवेश का 74 प्रतिशत खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए है।

(2) पूर्ण क्षमता प्राप्त करने पर यह परियोजना 80,000 टन फल और सब्जियां और 30,000 टन आलू और अनाज का इस्तेमाल करेगी और इस प्रकार इन कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर बाजार उपलब्ध कराएगी।

(3) यह खाद्य प्रसंस्करण की उच्च प्रौद्योगिकी लाएगी और इस उद्योग का विकास करेगी।

[श्री जगदीश टाईटलर]

(4) यह ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अतिरिक्त रोजगार क्षमता उत्पन्न करेगी ।

(5) मौजूदा कराधान के स्तर पर यह अनुमानतः प्रति वर्ष 150 करोड़ रु० से भी अधिक अतिरिक्त कर राजस्व उत्पन्न करेगी ।

(6) कुल उत्पादन मूल्य का 50 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा जिसमें से 40 प्रतिशत कम्पनी के अपने उत्पाद और 10 प्रतिशत अन्यों द्वारा निर्मित उत्पाद शामिल होंगे ।

(7) निर्यात बाध्यता जोकि ऐसे सहयोगों के लिए सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, 10 वर्ष तक रहेगी । प्रवर्तक (प्रोमोटर) भी इस बात पर सहमत हैं कि अनुमोदन के के तुरन्त बाद निर्यात कार्यकलाप शुरू हो सकता है ।

(8) निवल विदेशी मुद्रा आय कुल विदेशी मुद्रा निर्गम के 5 गुना से अधिक के बराबर होगी । इसका अर्थ यह हुआ कि इस परियोजना पर भारत द्वारा विदेशी मुद्रा में खर्च जाने वाले प्रत्येक डालर के लिए कम्पनी 5 डालर की निर्यात आय सुनिश्चित करेगी ।

(9) आयात पूरी तरह भारत सरकार की मौजूदा नीतियों के अनुसार किए जाएंगे और आयात के समय प्रचलित सभी सीमा शुल्क उन पर लगेंगे ।

(10) रूस, चीन और अन्य कई देशों के साथ मौजूदा करारों की तुलना में भारत में पैप्सीको जिन शर्तों पर सहमत हुई है वे कहीं बेहतर हैं । रूस और चीन में उनके आयात-निर्यात का अनुपात 1 : 1 है जबकि, जैसाकि ऊपर बताया गया है, भारत में यह अनुपात 1 : 5 है ।

(11) पैप्सीको द्वारा स्थापित किया जाने वाला कृषि अनुसन्धान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद और पंजाब विश्वविद्यालय, लुधियाना के परामर्श से कार्य करेगा ।

(12) अमादक पेय का निर्माण परियोजना की कुल बिक्री के 25 प्रतिशत तक ही सीमित करेगा ।

(13) अमादक पेय सार भारत में ही एक ऐसी कम्पनी द्वारा तैयार किया जाएगा जिसके अधिकांश शेयर (60 प्रतिशत) भारतीय कम्पनियों के होंगे । रूस और चीन दोनों में ही तैयार सार देश से बाहर स्थित उनके विदेशी संयंत्रों से आयात किया जाता है ।

(14) चूंकि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यूनिट केवल राज्य में ही लगाए जाएंगे और उन्हें एक राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगम का समर्थन प्राप्त होगा, इसलिए

ऐसी आशा की जाती है कि बिचोलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और बन्धुवा उपभोग के माध्यम से कृषकों को स्थिर आय उपलब्ध होगी।

(15) इस परियोजना से काफी सीमा तक फल और सब्जियों का अपव्यय कम हो जाएगा।

(16) देशीय बिक्री के लिए किसी विदेशी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

इस विषय में कुछ सम्भ्रान्ति रही है कि सरकार ने मै० पैप्सीको से विदेशी सहयोग की अनुमति क्यों प्रदान की जबकि 1977 में कोका-कोला निगम को निकाल बाहर किया गया था। कोका-कोला निगम को स्पष्ट रूप से भारत में अपनी इक्विटी 40 प्रतिशत तक कम करने और सार भारत में ही तैयार करने के लिए भी कहा गया था। कोका-कोला निगम को देश में ही रहने के लिए कहा गया था। निगम ने इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया और इसके स्थान पर भारत में अपना कारोबार बन्द करना उचित समझा। ध्यान दिया जाए कि मै० पैप्सीको ने अपेक्षित इन दो शर्तों का अनुपालन किया है।

यह परियोजना काफी सीमा तक पंजाब में कृषि में विविधता लाएगी। इस विविधता की सिफारिश एक विशेषज्ञ समिति ने की थी जिसने महसूस किया कि पंजाब की मौजूदा कृषि-पर्यावरणी प्रणालियां गन्दम और धान की कृषि के लिए भूमि के बार-बार इस्तेमाल के कारण, जिसके लिए एक ही प्रकार के पानी, पोषक तत्वों आदि की जरूरतें होती है, निम्न कोटि की हो रही हैं। पंजाब में बागवानी फसलों के लिए केवल 1.9 प्रतिशत क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है जबकि राष्ट्रीय औसत 6.25 है। समिति ने 2000 ई० तक कुल फसली क्षेत्र के 6.25 प्रतिशत तक बागवानी फसलों के अन्तर्गत लाने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। व्यापक विविधता के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसी अनुप्रवाही प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होगी जो बागवानी के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दे, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिले और नुमायशी तथा प्रसंस्करण किस्मों के बीच अन्तर किया जा सके। ऐसा अनुमान किया गया है कि अनाज की खेती से प्राप्त होने वाली लगभग 7000 रु० प्रति हैक्टेयर कृषि आय बागवानी के कारण बढ़कर 5,000 रु० से 120,000 रु० प्रति हैक्टेयर तक हो सकती है। ऐसा संयुक्त परियोजनाओं से काफी सीमा तक फलों और सब्जियों के अत्यधिक अपव्यय में भी कमी आएगी। ऐसा अनुमान है कि राष्ट्रीय आधार पर हम प्रति वर्ष लगभग 3000 करोड़ रु० के फल और सब्जियों का अपव्यय करते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस समय भारत में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का केवल 1.5 प्रतिशत ही प्रसंस्कृत किया जाता है।

इस प्रकार की आशंकाएं कि खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के कारण आम आदमी को ताजा फल-सब्जियां नहीं मिलेंगी या मूल्य बढ़ेंगे, सम्भवत: अनुचित हैं। भारत में फलों और सब्जियों की उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कहीं कम है। यही कारण है कि भारत सरकार ने संकर बीजों के आयात को अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी नीति की अलग से घोषणा की है। उदाहरणार्थ, भारत में प्रति हैक्टेयर लगभग केवल 7000 अनानास के पौधे लगाए जाते हैं जबकि मुझे बताया गया है कि हवाई में प्रति हैक्टेयर लगभग 17000 पौधे उगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, फिलीपीन में हारमोन उपचार से वर्ष में 9 महीने आम की फसल ली जाती है जबकि हमारे देश में यह फसल बहुत

[श्री जगदीश टाईटलर]

कम समय की होती है। ऐसे सुधारों के अलावा यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं आरम्भ में उन अत्यधिक मात्राओं का इस्तेमाल करेंगी जिनका प्रति वर्ष अपव्यय होता है। भारत सरकार और अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय विदेशी सहयोग और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने की नीति का अनुसरण कर रहा है। 1985 से 1987 की अवधि के दौरान ऐसे 20 सहयोगों की अनुमति प्रदान की गई।

सदस्यों को विदित होगा कि अमादक पेय उद्योग का लाइसेन्स अब समाप्त कर दिया गया है। ऐसी कम्पनियों सहित जिनमें 40 प्रतिशत से कम विदेशी शेयर हों भारतीय कार्यालयों को देश में अमादक पेय सारों के विनिर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसा अनुमान किया गया है कि अन्य बाजारों की तुलना में भारत में अमादक पेयों का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत कम है। इसलिए यह सही है कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं और पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण विकास देखा भी गया है। भारतीय बाजार में इस समय लगभग 30,000 लाख बोतलों का उपभोग किया जाता है। अपनी चरम क्षमता की स्थिति में यह परियोजना देश के मौजूदा अमादक पेय विनिर्माण के 20 से 25 प्रतिशत तक का उत्पादन करेगी। इससे हमारे देश में अमादक पेय क्षेत्र की मौजूदा बाजार प्रवृत्तियों को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी जहां कि एक ग्रुप का बाजार के लगभग 60 प्रतिशत पर एकाधिकार है और दो अन्य ग्रुपों का बाजार शेयर लगभग 15 से 20 प्रतिशत है। इसलिए तेजी से बढ़ रहे बाजार में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरम्भ होने वाला अमादक पेय बाजार के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सेदारों में से एक होगा।

कईयों ने इस बारे में भी सावधान किया है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश कुछ परामर्शदाताओं के माध्यम से हुआ है और इससे किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होगी। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ कोई भी बिचोलिया या दलाल या परामर्शदाता जुड़ा हुआ नहीं है। यह प्रस्ताव एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र निगम ने किया था और केवल उसे ही लाइसेन्स दिया गया है। देश में पहले ही स्वीकृत कई अन्य प्रस्तावों की तरह इस प्रस्ताव में भी संयुक्त उद्यम और विदेशी सहयोग का प्रस्ताव है। भारत सरकार इसे एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में देखती है जो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को उन्नत करेगा, ग्रामीण आय और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाएगा तथा हमारे देश की निर्यात नीति में भी सहायता देगा। अन्त में मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हम अपने लोकतन्त्र की मजबूती और स्थिरता में विश्वास करते हैं और सरकार हमारी प्रणाली की मूलभूत आन्तरिक मजबूती से उठती है। इसे किसी भी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता।

अन्त में कृषि के आंगन में विकासात्मक कार्यकलाप ले जाने सम्बन्धी सरकार की प्रतिबद्धता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि में लगी हुई है। सरकार इस बात से कायल है कि केवल कृषि के तीव्र विकास के माध्यम से ही गरीबी को हटाया जा सकता है। यही कारण है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया है। हालांकि यह एक सामान्य तर्क है फिर भी यह परि-

वर्तनकारी है। खाद्य प्रसंस्करण से हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय निवेश कृषि का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे उद्योगों के विकास से कृषि आय बढ़ेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ता लाभान्वित होगा। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम सही दिशा में एक सही कदम है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों में से कुछेक इस प्रकार हैं :—

(क) देशीय प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का विकास ;

(ख) प्रसंस्कृत फल और सब्जी के लिए विश्व बाजारों की उपलब्धता ;

(ग) कृषि प्रसंस्करण और पैकेजिंग की मौजूदा प्रौद्योगिकी के सार को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुकूल बनाना। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए नोटिस दे सकते हैं। मैं अभी इस चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप नोटिस दे दीजिए, मैं इसे देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे पूरा विश्वास है कि इसे अनुमति दे दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नोटिस देते हैं तो इसे देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नोटिस दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अगला विषय लेते हैं।

श्री अमल दत्ता।

12.22 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री कल्पनाथ राय के राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त होने वाली इस सभा की लोक लेखा समिति में रिक्त हुए स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए सहयोजन हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री कल्पनाथ राय के राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल, 1989 को समाप्त

[उपाध्यक्ष महोदय]

होने वाली इस सभा की लोक लेखा समिति में रिक्त हुए स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए सहयोजन हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा ऐसे नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.23 म० प०

विशेषाधिकार समिति

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 10 दिसम्बर, 1987 को 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा के दौरान वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) के विरुद्ध श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, संसद सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।" (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप इसे अगली लोक सभा में रखें। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : आप इस प्रस्ताव को पूर्णतया छोड़ दें। उन्हें इसे वापस लेने के लिए कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका तो आप दोनों को निर्णय लेना है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 दिसम्बर, 1987 को 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा के दौरान वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) के विरुद्ध श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, संसद सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.24 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

60वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 2 नवम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 60वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 नवम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 60वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिवीजन में डेंगू बुखार और मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाना

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

"देश के कई भागों में डेंगू मस्तिष्क ज्वर तथा एन्सीफ्लाइटिस आदि बीमारियों ने भयंकर रूप धारण कर लिया है तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, विशेषकर गोरखपुर मण्डल में इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया है जिसके फलस्वरूप लगभग 2000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं तथा हजारों व्यक्ति इस रोग की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बीमारी की भीषणता को देखते हुए प्रदेश व केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रियों का दौरा दो बार हो चुका है तथा दवाओं आदि की व्यवस्था के बावजूद रोग घटने का नाम नहीं ले रहा है। सम्भवतः इस रोग के कारण तथा निवारण दोनों की ही अभी तक अज्ञात हैं।"

मेरा अनुरोध है कि गोरखपुर मेडीकल कालेज द्वारा प्रस्तुत शोध परियोजना को तुरन्त लागू करावें तथा देश के अन्य भागों में शोधकर्ताओं को वहां भेजकर रोग के कारण तथा निवारण दोनों का निदान करा कर इस महामारी का मुकाबला सम्पूर्ण शक्ति से कराने की व्यवस्था कराएं।"

(दो) पुराने गोवा में इला स्थित कृषि अनुसंधान काम्पलैक्स का दर्जा बढ़ाकर उसे एक पूर्ण संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : गोवा में 1976 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अनुसंधान केन्द्र है। यह सैंट्रल प्लांटेशन क्रोप्स रिसर्च इंस्टिच्यूट, केसरगढ़ के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

प्रारम्भ में उपयुक्त भूमि और भवन की कमी के कारण अनुसन्धान कार्य गोवा सरकार के फार्मों और निजी व्यक्तियों के फार्मों पर किया जाता था। 1982 में केन्द्र पुराने गोवा में इला में चला गया है जहां इसके पास 19.6 हैक्टेयर भूमि है। जिस पर अनुसंधान चल रहा है और 1987 में गोवा सरकार ने केन्द्र को 34.4 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई है जिस पर अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

गोववा अब एक पूर्ण राज्य है और इसलिए उपनिदेशक के अन्तर्गत एक अनुसंधान केन्द्र की बजाय अब राज्य में एक निदेशक के अन्तर्गत पूर्ण संस्थान तथा अन्य आवश्यक यन्त्र होने चाहिये। यह भी उचित तथा ठीक नहीं है कि एक पूर्ण राज्य के अनुसन्धान केन्द्र का दूसरे राज्य में कार्यरत संस्थान द्वारा प्रशासनिक नियन्त्रण किया जाए। गोवा में न तो कृषि विश्वविद्यालय है और न ही कोई कालेज है।

ऐसी परिस्थितियों में केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय को इल्ला पुराना गोवा में स्थित कृषि केन्द्र को एक पूर्ण संस्थान में परिवर्तित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

(तीन) कच्चे माल, आदि की कमी के कारण उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के लिए देश में इन्जीनियरी उद्योग की सहायता करने हेतु कदम उठाए जाना

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : देश में इन्जीनियरिंग उद्योग खतरनाक स्थिति में है। कच्चे माल की कमी, निम्न क्षमता उपयोग और वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन्जीनियरिंग यूनिटें संकट का सामना कर रही हैं इस्पात की सगातार कमी इस उद्योग की बरबादी का कारण बन रही है।

पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश ढलाई-कारखाने कच्चे लोहे की अपर्याप्त और अनियमित पूर्ति के कारण पिछड़ गए हैं। भारत सरकार की पूर्ण आवश्यकता योजना भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विशेष आकारों की महीन या मोटी कॉइलों के लिए उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती जिसके कारण इन यूनिटों को बहुत कम समय में पहले से ही बहुत अधिक वित्तीय प्रबन्ध करने पड़ते हैं। बहुत छोटे संयंत्र पिघलाने वाले स्क्रैप की कमी और अन्तराष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती कीमतों के कारण बन्द होने की दशा में हैं।

मैं सरकार को निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने का सुझाव देना चाहूंगा ताकि इन्जीनियरिंग यूनिटें संकट की इस स्थिति से उभर सकें :—

(1) स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को स्वदेशी स्टील की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अधिक उत्पादन करने के बजाय भिन्न-भिन्न योजनाओं के माध्यम से

दुलर्भ कच्चे माल की अपनी वर्तमान वितरण प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए ; और

(2) आयात शुल्क, स्क्रैप पर छूट, उत्पाद शुल्क में छूट और छोटी स्टील यूनिटों को माडवेट सुविधा आदि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार करने के प्रस्ताव को और अधिक विलम्ब किए बिना लागू किया जाना चाहिए।

(चार) देश में, विशेषकर उड़ीसा में पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जाना

श्री राधाकान्त डिगाल (फूलबनी) : उड़ीसा में बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी को तस्करी से बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। वन अधिकारियों के एक वर्ग विशेष की मिली-भगत से वनों में से टिम्बर, टीक, साल और शीशम की नियमित रूप से तस्करी हो रही है। वृक्षों की अवैध रूप से कटाई के बावजूद अधिकारियों का रुख उदासीन है। वे ऐसे कार्यों को नजर-अन्दाज करते रहते हैं क्योंकि तस्करों के उच्च स्तरीय सम्बन्ध होते हैं। एक अनुमान के अनुसार अकेले बालनगीर जिले में वन का 58 प्रतिशत भाग नष्ट किया जा चुका है। फूलबनी जिले में भी बहुत बड़े क्षेत्र में वन को नष्ट किया जा चुका है। राज्य के बहुत से क्षेत्रों में काठ-कोयले के विनिर्माण के लिए लकड़ी के लट्ठे जलाए जाते हैं जिन्हें 40 रु० से 50 रु० प्रति बैग की दर से बेचा जाता है डिपों में पड़े लाखों रुपए की कीमत का बहुत बड़ा स्टॉक कीड़ों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वन विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से टिम्बर को प्रायः बैलगाड़ियों और ट्रकों द्वारा बाहर ले जाया जाता है और प्रायः नदी के मार्ग से नावों द्वारा भेजा जाता है। एक अनुमान के अनुसार राज्य में प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा लगाई गई आग से 100 करोड़ रुपये के वन उत्पाद नष्ट हो जाते हैं।

वृक्षों की निरन्तर कटाई से राज्य में परिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य को बार-बार बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वनों की बड़े पैमाने पर हो रही कमी के कारण किसानों को कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आवश्यक अनुदेश देने और वनों को बरबादी से बचाने का आग्रह करता हूं।

(पांच) महाराष्ट्र के लिए खाद्य तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : जहां तक खाद्य तेल का सम्बन्ध है महाराष्ट्र राज्य अभाव वाला राज्य है। महाराष्ट्र में मूंगफली का तेल मुख्य पाक माध्यम है और इस तेल की आवश्यकता सामान्य व्यापार चैनलों द्वारा गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अन्य अधिशेष राज्यों से पूरी की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार मासिक आधार पर आयातित खाद्य तेल का आबंटन करती है। जुलाई, 1988 तक खाद्य तेल का मासिक आबंटन 11,000 मि० टन था। अगस्त, 1988 से केन्द्रीय सरकार ने 2500 मि० टन की वृद्धि की है।

महाराष्ट्र राज्य देश में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है जहां लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। यदि प्रत्येक कार्डधारी के लिए 2 कि० ग्रा० आबंटन निर्धारित किया जाए तो इस शहरी जनसंख्या की अनुमानित आवश्यकता 7,600 मि० टन प्रतिमाह होगी और यदि प्रति कार्डधारी के लिए 1 कि० ग्रा० आबंटन निर्धारित किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता प्रतिमाह लगभग

[श्री शरद दिघे]

10,600 मि० टन होगी। इस प्रकार वर्तमान 13,500 मि० टन के आबंटन की तुलना में राज्य की कुल आवश्यकता 18,000 मि० टन है। केन्द्र सरकार से प्राप्त आबंटन की मात्रा राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। मैं केन्द्र सरकार से इसे 18,000 मि० टन तक बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

(छः) नीलांचल और दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का समय पहले वाला किया जाना तथा उड़ीसा से गुजरने वाली उन रेलगाड़ियों को, जो हटा ली गई थी, पुनः चालू किया जाना

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : 1 नवम्बर, 1988 से लागू की गई नई रेलवे समय सारणी से दिल्ली से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए अत्यधिक असुविधाजनक है। नीलांचल और दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस का समय पहले वाले समय से दो घन्टे अधिक बढ़ा दिया गया है। इन गाड़ियों का दिल्ली और पुरी से चलने का समय भी बहुत ही असुविधाजनक है। अब इन गाड़ियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बजाय निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कर दिया गया है यह भी असुविधाजनक है। वस्तुतः उड़ीसा के संसद सदस्यों ने माननीय रेलवे मन्त्री से विचार-विमर्श करते समय साफ तौर पर अपने ये विचार व्यक्त किए थे कि यह परिवर्तन असुविधाजनक होगा और वर्तमान व्यवस्था ठीक है अतः वर्तमान व्यवस्था ही रहनी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि रेल मन्त्रालय ने समय में परिवर्तन कर दिया और नीलांचल तथा दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस दोनों गाड़ियों के कवरेज समय में वृद्धि कर दी।

यह बड़े दुख की बात है कि रेल मन्त्रालय ने उड़ीसा से जाने वाली बहुत सी गाड़ियां बन्द कर दी हैं। जिससे यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। बालेश्वर जिले में नई रेलवे समय सारणी को बदलने और गाड़ियों को रद्द करने के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है।

मैं रेल मन्त्री से पुराने समय फिर से लागू करने और नीलांचल तथा दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस के पहुंचने के समय को बहाल करने की मांग करता हूं। मैं सरकार से हटाई गई गाड़ियों को भी पुनः चलाने की मांग करता हूं।

(सात) तमिलनाडु में टेलीफोन प्रणाली को तत्काल सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : तमिलनाडु के बहुत से भागों में टेलिफोन व्यवस्था लगभग बन्द होने के कारण बहुत सी टेलीफोन प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने विभाग और संचार मन्त्रालय को टेलीग्राम और ज्ञापन के माध्यम से बार-बार प्रतिवेदन दिए हैं। किन्तु इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

तमिलनाडु के बहुत से भागों में निराश टेलीफोन प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने बन्द और धरने आयोजित किए और बहुत से जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या में जुलूस निकाले। बन्द पूर्णतः सफल और शान्तिपूर्ण रहे। यद्यपि तिरुनेलवेली और डिंडीगुल जैसे कुछ नगरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सम्भावना थी किन्तु जुलूस का नेतृत्व कर रहे अति विशिष्ट व्यक्तियों ने इसे नियन्त्रित कर लिया।

इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने दूर संचार-विभाग पर टेलीफोन बिलों को एकत्रित करने और गैर-भुगतान के लिए उनका कनैक्शन काटने पर रोक लगा दी क्योंकि टेलीफोन प्रयोक्ताओं की दलील न्ययोचित थी। इसलिए मैं संचार मन्त्रालय से नमिलनाडु में टेलीफोन प्रणाली व्यवस्था को ठीक करने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।

(आठ) पंजाब में हाल की बाढ़ के दौरान बिना किसी पूर्व चेतावनी के पानी छोड़ने के बारे में भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड की भूमिका की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अभी आई बाढ़ के कारण पंजाब में बहुत अधिक विनाश हुआ है। 697 से अधिक लोगों की जानें गई, 184 लोग लापता हैं और लगभग 5,000 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से फिर गए हैं। बाढ़ के सीधे 43 लाख लोग प्रभावित हुए, एक लाख से अधिक घर नष्ट हो गए और 80,000 मवेशी मारे गए। राज्य में 152 सड़के और 2,333 योजक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। 150 रु० की धान की फसल और 35 करोड़ रु० की कपास की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई। पंजाब में आई बाढ़ केवल प्राकृतिक विपदा नहीं थी बल्कि मनुष्य भी इसका कारण है।

भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने पहले तो सामान्यतः 1680 फुट पानी रखने की जगह 1685 फुट पानी जमा कर लिया और इसके बाद जनता को बिना कोई पूर्व सूचना दिए इसे छोड़ दिया। परिणाम-स्वरूप वर्षा के पानी में 5 से 7 लाख अधिक क्यूसेक पानी की वृद्धि हुई—विशेषतः होशियार पुर, लुधियाना, जालन्धर, कपूरथला फिरोज पुर, गुरुदास पुर, अमृतसर, संगरूर और भटिंडा जिलों में।

मैं पंजाब के लोगों को 2000 करोड़ रुपए की सहायता देने और 5,000 रुपए तक के सभी बकाया ऋणों को माफ करने की मांग करता हूं। बी० एम० बी० की भूमिका के लिए न्यायिक जांच शुरू की जानी चाहिए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए नए मानदण्ड तैयार किए जाने चाहिए।

12.39 म० म०

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को और आगे लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 2 नवम्बर, 1988 को सरदार बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेगा। श्री तम्पन थामस जारी रख सकते हैं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं पुनः दोहराता हूं कि पंजाब समस्या केवल राजनीतिक तरीके से ही सुलझ सकती है। इस समस्या का राज-नीतिक हल ढूंढ़ते समय प्रधान मन्त्री और भारत सरकार का दृष्टिकोण कतई व्यावहारिक नहीं है और मामले को राजनीतिक ढंग से सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

[श्री तम्पन थामस]

यहां तक कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करने के मामले में भी सरकार की ओर से ऐसा कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया है जिसमें सरकार द्वारा कोई ठोस सुझाव दिया गया हो, ताकि बैठकों में भाग लेने वाले विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि सुझाव, सुधार या योगदान दे सकें। प्रधान मन्त्री ने क्या किया ? जब भी कोई बैठक बुलाई गई उसने विपक्ष से सुझाव देने को कहा। यह देखना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है कि समस्या हल हो गई है और इसे बुलाया नहीं गया है। पंजाब के सम्बन्ध में अपने एक वक्तव्य में उसने कहा, "पंजाब समस्या पर बातचीत करने के लिए मुझे कोई दिखाई नहीं देता।" एक समय प्रधानमन्त्री ने यह वक्तव्य दिया था, "मुझे बातचीत के लिए कोई नहीं दिखाई देता है।" मैं समस्या के समाधान के लिए किससे बात करूं।, यदि प्रधानमन्त्री इस तरह बात करते हैं तो देश के नेतृत्व का क्या होगा ? यदि वह महसूस करते हैं कि समस्या के समाधान करने के लिए ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई बातचीत की जा सके तो समस्या का समाधान कैसे होगा ? क्या वह विपक्ष तथा अन्य राजनीतिक दलों से ठोस सुझावों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं।

श्री बूटा सिंह ने कलकत्ता प्रेस से साक्षात्कार में कहा था कि पंजाब समस्या को राजनीतिक ढंग से सुलझाना है तथा इसके लिए वह विपक्षी दलों से बातचीत करेंगे, परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब प्रधानमन्त्री ने 31 अक्टूबर, को लालकिले की प्राचीर से भाषण दिया तब उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल देश के दुश्मन हैं। इससे विपक्षी दलों के प्रति उनका रवैया स्पष्ट हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जोभी कांग्रेस का विरोध करता है वह देश का विरोध करता है। क्या वह या कांग्रेस पार्टी देश है ? वह यह क्यों सोचते हैं कि वह देश हैं, तथा वह सम्राट हैं ? यदि हम इस ढंग से कार्य करते हैं तो पंजाब समस्या का राजनीतिक समाधान नहीं होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की संसद में कुछ भी स्थिति हो, वास्तविकता यह है हम सभी राष्ट्र निर्माण में बराबरी के भागीदार हैं तथा राजनीतिक दलों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा सभी कारगर सुझावों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। फिर भी यह स्पष्ट है कि अब तक इस दिशा में प्रयास नहीं किया गया है, तथा प्रधानमन्त्री का रवैया इसके बीच में रुकावट बन गया है।

वास्तव, में कांग्रेस पार्टी व सरकार इस मामलों को चुनौती हथकण्डा बनाने के लिए जारी रखना चाहते हैं। वे लोग अन्य राज्यों में यह कहकर वोट लेना चाहते हैं कि पंजाब समस्या है तथा यदि सशक्त केन्द नहीं होगा तो उनके जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं होंगे। अत: मुझे शक है कि सरकार इस समस्या के समाधान हेतु वास्तव में चिन्तित है। क्योंकि उस मामले में उनका रवैया ऐसा ही है।

क्या पंजाब में लगाया गया राष्ट्रपति शासन स्थिति में सुधार ला पाया है ? यद्यपि "ब्लैक थण्डर" व अन्य कार्यवाहियां की गयी हैं परन्तु उग्रवादियों ने दुगुनी ताकत के साथ मुकाबला किया है। एक समय ऐसा लगता था कि उग्रादियों द्वारा की जा रही हत्यायें कम हो रही हैं परन्तु निम्नलिखित बातों से पता चलेगा कि ऐसा नहीं है :

महीना	1983	1984	1985	1986	1987	1988
जनवरी	1	4	2	24	63	143

महीना	1983	1984	1985	1986	1987	1988
फरवरी	3	35	3	22	41	141
मार्च	5	17	2	26	65	265
अप्रैल	3	44	9	32	80	214
मई	3	50	11	37	71	340
जून	3	77	5	42	74	422

इन आंकड़ों से पता चलता है, कि उग्रवादियों द्वारा की जा रही हत्यायें बढ़ रही हैं।

इस सदन ने सरकार को स्थिति से निबटने के लिए पूरे अधिकार व शक्तियां दे रखी हैं। हमने आतंकवादी विरोधी अधिनियम पारित किया था, परन्तु सरकार 14 महीने तक नियम बनाना ही भूल गई। यह लापरवाही किसने की ? संसद ने स्थिति से निबटने के लिए अधिनियम पारित कर दिया, परन्तु सरकार नियम बनाकर लागू करना भूल गयी। ऐसी और बहुत सी बातें हुई। 59 वां संविधान संशोधन विधेयक भी बिना किसी विरोध के पारित किया गया आपसे कहा था कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे समस्या से निबट लिया जाएगा। परन्तु क्या हुआ ? कुछ नहीं। मेरा अभिप्राय है कि सरकार अन्धेरे में बिल्ली पकड़ रही है। उन्हें ऐसा कोई अन्दाज नहीं है कि वह कहां है, तथा उसे कैसे ढूंढ़नी है। उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। सरकार के पास इसे सुलझाने के लिए इच्छा व निश्चय होना चाहिए। परन्तु मुझे लगता है कि सरकार इतनी ईमानदार नहीं है कि स्पष्टतः इस बात को स्वीकार कर ले। यदि सरकार गम्भीर है तथा वफादार है, तो सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए क्या हम लोग सहायता करने के लिए तैयार हैं। मैंने गृह मन्त्री द्वारा बुलाए गए पहले सम्मेलन में भाग लिया था। मैंने अपने दल का प्रतिनिधित्व किया था। हम पंजाब जाने को तैयार हैं, वास्तव में हमारे प्रतिनिधि वहां गए थे। आप जानते हैं हत्यायें केवल कांग्रेस जन या हिन्दुओं की ही नहीं हुई। सभी समुदायों के लोगों पर हमला किया गया था, तथा सरकार उनकी जान नहीं बचा पाई थी मैं नहीं जानता कि यह सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है अथवा सोच रही है।

यह माना गया है कि उग्रवादी गतिविधियां केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि सारे विश्व में फैल गयी हैं। यह अस्थिर करने का प्रयास सारे विश्व में चल रहा है। यदि आप पंजाब, श्रीलंका या कहीं और देखें तो आप पाएंगे कि कोई न कोई कहीं न कहीं से लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है तथा उग्रवादी गतिविधियां करवाकर देशों को कमजोर कर रहा है। यहां विदेश नीति की भूमिका है। सरकार इस तरह की स्थिति का किस प्रकार सामना करे जो सरकार इस मामले का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है, उसे बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए यदि बातचीत से काम न चले तब दूसरा कदम उठाना चाहिए। क्या इस मामले पर ठोस बातचीत हुई है ? ऐसा कहा गया है पाकिस्तान से लगी सीमा को बन्द कर दिया गया है, क्या प्रभावी ढंग से किया गया है ? बहुत से लोग अभी भी पाकिस्तान जाते हैं तथा वहां प्रशिक्षण लेकर लौटते हैं, उसके बाद अपनी गतिविधियों

[श्री तम्पन थामस]

द्वारा देश को कमजोर करते हैं यही चीज पठानकोट में हुई थी, वह एक या दूसरे इलाके को नजर में रखते हैं। अतः सरकार एक प्रभावशाली विदेश नीति बनाने में विफल रही है तथा इन गतिविधियों की भर्त्सना करने व रोकने में विफल रही है। यदि उचित कदम उठाए गए होते, तो इसकी झलक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में मिलती। ब्रिटेन ने उग्रवादियों से निबटने के लिए भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है, "हम इस मामले में आपसे सहयोग करेंगे परन्तु आप आगे आईये। क्या आप आगे आये ? तब हमें पता चला कि उग्रवादियों को कनाडा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने यह प्रशिक्षण न दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए ? आपने विदेशों से आ रहे धन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, जिससे उग्रवादियों को कमजोर किया जा सकता है। महोदय, इन सभी मामलों में सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। प्रधानमन्त्री की यह कहने की आदत है "हमें बनाना है" और इस "बनाना" का अब नया मतलब है। अब दुनिया भर में लोग भारत को कह रहे हैं कि यह "बनाना रिपब्लिक" है मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मामले को सुलझाना चाहती है। आप सब तरह की चीजें कर रहे हैं, और विदेशों में लोग आपको "बनाना रिपब्लिक" कह रहे हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह "बनाना" का क्या अर्थ है ?

[हिन्दी]

श्री तम्पन थामस : बनाना इज केला। बनाना है, बनाना है। क्या बनाना है ? राष्ट्र को बनाना है। कभी भी नहीं होगा। क्या करें।

[अनुवाद]

हमें और देश 'बनाना', 'केला' कहते हैं। जिसे खाया जाता है। सरकार देश को एक करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार इस कार्य में विफल रही है।

अब जब वे लोग विदेशी हाथ की बात करते हैं, तो पेप्सी कोला की बात आती है। पेप्सी कोला एक ऐसा उद्यम है जिसके ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की बात बहु-प्रचलित है। सरकार ने पेप्सी कोला को पंजाब में अपने उद्योग को चलाने की अनुमति दी है। उग्रवादी गतिविधियों व अन्य तोड़फोड़ व अनुशासन भंग करने की विधियों पर सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या यह सब बढ़ेंगी या कम होंगी। सरकार ने इसमें गल्ती की है। पंजाब के किसान अपने फलों संसाधन चाहते हैं। खैर, मैं इस मामले की गहराई में नहीं जाता हूं। राजनीतिक दृष्टि से मैं कहूंगा कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी कमजोर करने की गतिविधियों के लिए भारत में बाजार चाहती थीं, और सरकार ने पेप्सी कोला का लाइसेंस दे दिया है।

अतः यदि हम समस्या को देखें तो हम पायेंगे कि सरकार हर तरह से असफल रही है। केवल एक ही बात रह गयी है कि पंजाब के लोग एक राष्ट्र हैं। वह खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। यह केवल कुछ मुठ्ठी भर लोगों का नारा है जिनको कि सरकार पहचान नहीं पा रही है तथा पता नहीं लगा पा रही है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पंजाब के लोग इस खालिस्तान आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यदि केवल वे इसके पीछे होते, तो स्थिति ऐसी नहीं होती। अतः प्रनन्नता की बात यह है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकी है।

पुलिस बल में, आपस में काफी मतभेद हैं। श्री चमन लाल पद त्याग करके क्यों चले जाए? गृह मन्त्री को पुलिस बल में व्याप्त इस द्वेष भावना का कारण हमें बताना चाहिए। दूसरे में पुलिस का खुफिया विभाग क्या कर रहा है? क्या वे पहले से किसी बात का पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं? केवल कुछ घटनाओं के बाद ही, वे कहते हैं कि उन्होंने पुलिस का पहरा लगा दिया है और ऐसा कुछ कर दिया है। यहां रॉ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि जैसी कई गुप्तचर एजेंसियां हैं। क्या कभी एक भी ऐसा अवसर आया है जबकि उन्होंने आपको यह बताया हो कि ऐसी-ऐसी घटना होने जा रही है और यह कार्यवाही की जाना चाहिए?

राष्ट्रपति शासन लागू करना पंजाब समस्या को हल करने का उपचार नहीं है। इसको राजनीतिक तरीके से हल करना होगा और आपको अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करना होगा और सदभावना के साथ आपकों कुछ और ठोस प्रस्ताव लाने होंगे।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की समस्या अभी भी गम्भीर बनी हुई। पिछले अनेक वर्षों से इस सदन में अनेक बार पंजाब के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं और यह पता नहीं कि अभी कितने दिनों तक पंजाब के बारे में चर्चा करते रहेंगे।

पंजाब में आतंकवादियों का खेल अभी भी जारी है और अभी भी रोजना हम समाचार सुनते हैं कि कुछ-न-कुछ लोग कभी कम और कभी ज्यादा खून की बली देते हैं। उनका कत्ल किया जाता है। इस समय देश में कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया पंजाब के मामले को लेकर इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि शायद इस देश के लोग पंजाब की घटनाओं से आदी हो चुके हैं। बड़ी-बड़ी संख्या में जब लोग मारे जाते हैं, तो भी बहुत जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठ पाती है। मुझे याद है, जब 25-30 आदमी मारे जाते थे, तो इस माननीय सदन में एक हंगामा शुरू हो जाता था और सदस्यगण उत्तेजित होकर पंजाब की घटनाओं की निन्दा करते थे और बहस की मांग करते थे। लेकिन अब बड़ी-से-बड़ी संख्या में भी लोग मारे जाते हैं तो इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पंजाब की वर्तमान स्थिति से समझौता करते जा रहे हैं और इस वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया जा रहा है।

अभी कल मैं "इण्डिया टूडे", जो कि एक मैगजीन है, पढ़ रहा था। उसमें पंजाब की स्थिति के बारे में एक लेख है। उसमें लिखा था—मध्य प्रदेश के किसी दुकानदार ने एक बोर्ड लगा रखा है कि तब तक उधार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि पंजाब की समस्या हल नहीं होगी। इसका मतलब यह है, उसको यह उम्मीद है कि पंजाब की समस्या हल नहीं होगी और उसका उधार देना शुरू नहीं होगा। यह एक बड़ी दुखद स्थिति है और इस दुखद स्थिति से पूरे देश को, विशेषकर पंजाब को, निपटना पड़ रहा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इसमें क्या किया जाए। हमारे विरोधी दल के लोग आलोचना करते है कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर रही है और वे नहीं चाहते हैं कि वहां और अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहे। लेकिन फिर इसका हल क्या है। इसके हल के लिए हमारे विरोधी दल के लोग कोई सुझाव नहीं देते। वे यह कहते हैं कि पंजाब की समस्या के बारे में सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए लेकिन किस बात पर बातचीत करनी चाहिए। संसद का यह मंच सबके के

[श्री जैनुल बशर]

लिए खुला है। अगर हमारे विरोधी दलों के पास कोई फार्मूला है पंजाब की समस्या को हल करने का, तो इस मंच के सामने उनको रखना चाहिए लेकिन मैं यह दुःख के साथ कहता हूं कि पिछली बार भी जब पंजाब के बारे में बहस हुई थी, तो किसी भी माननीय सदस्य ने, किसी भी पार्टी के माननीय सदस्य ने पंजाब के हल के लिए कोई फार्मूला पेश नहीं किया था। केवल वे यह कहते रहे कि विरोधी दलों से बात होनी चाहिए। किस चीज पर बात होनी चाहिए, किस आधार पर बात होनी चाहिए, क्या फार्मूला है, जिस पर बात होनी चाहिए, यह कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का जहां तक ताल्लुक है, सरकार हर तरह से कोशिश कर चुकी है। सरकार ने और खासकर प्रधानमन्त्री जी ने सत्ता में आते ही पंजाब समझौता किया। पंजाब में चुनाव हुए। चुनाव के बाद अकाली दल की सरकार बनी लेकिन वह सरकार भी पंजाब की स्थिति से ठीक से निपट नहीं पाई। वह सरकार जो पंजाब के लोगों ने चुनी थी और अकाली दल को शासन सौंपा था लेकिन अकाली दल ही आपस में बंट गया, आपस में उनमें झगड़े शुरू हो गए और उन झगड़ों के बाद, एक दूसरे का इस तरह से झगड़ा हुआ कि वे मिलकर पंजाब की समस्या का समाधान नहीं कर सके और स्थिति रोजाना बिगड़ती गई, रोजाना खराब होती गई। बरनाला जी, जो वहां के मुख्य मन्त्री थे, उनकी नीयत पर हमको कभी शक नहीं था। बरनाला जी ने बहुत कोशिश की। हम लोगों ने उसकी तारीफ भी की और उनकी पीठ भी ठोकी लेकिन वे भी असफल रहे। अकाली दल ने भी उनका साथ नहीं दिया और वे इस चीज को नहीं कर सके। फिर वहां पर मजबूरन राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन में जरूर इस बात की कोशिश की गई कि पंजाब के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और पंजाब में आतंकवादियों के बढ़ते हुए खौफ को दूर किया जाए, उनकी बढ़ती हुई शक्ति को कम किया जाए। मुझे खुशी है कि सरकार ने इसमें अवश्य सफलता पाई है और आतंकवादियों के बढ़ते हुए हौसले पस्त हुए हैं, आतंकवादियों की बढ़ती हुई शक्ति में काफी कमी आई है और बहुत खूंखार किस्म के आतंकवादियों को पकड़ा भी गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ घटनाएं बराबर होती जा रही हैं और इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है।

सबसे बड़ी बात, जो पहले से ही सामने आ गई थी, वह यह थी कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पंजाब के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उनको मदद देता है, उनको सहायता देता है और वे आसानी से बोर्डर क्रास करके इस तरफ चले आते हैं और यहां पर कार्यवाही करके वे बोर्डर के उस पार चले जाते हैं। इसके लिए भी सरकार ने काफी कोशिश की और पाकिस्तान की सरकार से बातचीत की। पहले पाकिस्तान में फौजी शासन हुआ करता था। अब परिस्थितियों ने कुछ करवट बदली है और पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं। आशा है कि वहां कोई जनतांत्रिक सरकार आएगी। हमारी सरकार को उससे बातचीत करनी चाहिए। फौजी शासन के लिए तो मजबूरी थी। फौजी शासन और खासकर पाकिस्तान का फौजी शासन हमेशा हिन्दुस्तान के खिलाफ लोगों को उत्तेजना बढ़ाता था अपनी घरेलू परेशानियों के कारण। वहां पर जनतांत्रिक सरकार की मांग थी। उस मांग से नजर बदलने के लिए, लोगों का ध्यान बदलने के लिए वह कुछ न कुछ भारत के साथ छेड़-छाड़ करता रहता था और हमारा यह तजुर्बा है कि जब भी पाकिस्तान में जनतांत्रिक सरकार आई है, भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध अपेक्षाकृत फौजी शासन के बहुत अच्छे रहे हैं।

1.00 म० प०

हमें आशा करनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक जनतांत्रिक सरकार बनेगी और अगर ऐसी सरकार बनती है तो हमें उस सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में वहां पीपल्स पार्टी की नेता श्रीमती बेनजीर भुट्टो के भी बहुत उत्साहवर्द्धक बयान आए हैं और हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बशर क्या आप अपना भाषण जारी रखना चाहते है ?

श्री जैनुल बशर : महोदय, मैं अपने भाषण को मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को और आगे लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

—[जारी]

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि स्थिति वाकई गम्भीर है और इस स्थिति में किया भी क्या जाए। इस समय तो राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति शासन आवश्यकता से एक दिन भी अधिक रखना उचित नहीं होगा। जो वर्तमान परिस्थिति पंजाब में है, उसमें इस समय तो राष्ट्रपति शासन का कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। हमारे अनेकों माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा है कि इस मामले में फिर से बातचीत करके राजनैतिक हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार किससे बातचीत करेगी। आज पंजाब में संत लोंगोवाल जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिससे कि बातचीत की जा सके और जिस पर पंजाब के सभी लोगों का पूरा भरोसा हो सके। मैं यह देख रहा हूं कि सरकार एक ऐसी काली कोठरी में पड़ी है जहां कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे बातचीत की जा सके। बरनाला साहब का बादल साहब के अकाली दल से बातचीत की जाए या किसी और अकाली दल से बातचीत की जाए। क्या बातचीत करके कट्टर-

[श्री जैनुल बशर]

पंथियों को मनाने में कामयाब होंगे या फिर बातचीत आतंकवादी शक्तियों से की जाए जिन्होंने आज पंजाब को पूरी तरह से अपने खूनी पंजों के अन्दर रौंद रखा है और अभी भी निरीह स्त्री, पुरुष, मेहनतकश मजदूर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं, वहां मारे जा रहे हैं। उनकी हत्या करने में वे जरा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। मैं समझता हूं, सरकार इस मामले में असहाय प्रतीत होती है कि बातचीत किससे की जाए जिससे पंजाब की समस्या का स्थाई समाधान हो सके। हमारे विरोधी दल के लोग राजनैतिक समाधान की बात करते हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि बातचीत किससे की जाए, जिस राजनैतिक पार्टी से बात की जाए। जहां तक मेरी नजर जाती है, पंजाब में इस समय कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है और कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे सरकार बातचीत करने में कुछ सफलता प्राप्त कर सके। मैं नहीं जानता कि सरकार के दिमाग में क्या है और सरकार क्या है सरकार क्या सोच रही है। मान साहब, रोडे साहब या प्रकाश सिंह बादल साहब का नाम जब भी अखबारों में आता है कि सरकार इनसे बातचीत करना चाहती है, इनसे समझौता करना चाहती है तो इस तरह की स्थिति हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और अपना अनुमान लगाते हैं कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा संगठन, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे बातचीत की जा सके और बातचीत सफलतापूर्वक की जा सके हालांकि बातचीत का रास्ता सबसे अच्छा है। बातचीत की पहल हमारी सरकार ने की थी संत लोंगोवाल से जिनका व्यक्तित्व बड़ा महान था। जिनकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। आशा थी कि वह पंजाब के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चल सकते थे। उनके साथ समझौता किया गया और उसके बाद जो घटनाएं घटीं यह इतिहास में जा चुकी हैं। अब स्थिति विचित्र है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलता है तो बातचीत अवश्य होनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है या कोई ऐसा संगठन मिलता है जिससे बातचीत करने में कोई सफलता हासिल होती है तो बातचीत करनी चाहिए। एक बात जिसके लिए मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूं वह यह है कि पिछले दिनों सरकार ने पंजाब के लोगों को विश्वास में लिया है। पंजाब के लोगों से सीधे सम्पर्क स्थापित किया है और इसके लिए पंजाब के शासन की, केन्द्र के गृह मन्त्रालय की मैं प्रशंसा करता हूं। पिछले दिनों बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधान मन्त्री ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। हमने दूरदर्शन में देखा था कि पंजाब के सभी वर्गों के लोग प्रधानमन्त्री के पास आये थे और सभी के चेहरों से ऐसा लग रहा था कि यह पंजाब की समस्या का स्थाई हल चाहते हैं। कोई यह नहीं चाहता कि जो वर्तमान स्थिति है वह कायम रहे। इसलिए पंजाब के लोगों को विश्वास में लिया जाना बहुत ही सराहनीय काम है। इस काम को सरकार और आगे बढ़ायेगी। क्योंकि पंजाब के सभी वर्गों के लोगों का विश्वास भारत सरकार में पैदा होगा तो पंजाब की समस्या धीरे-धीरे सुलझने की तरफ बढ़ेगी।

पिछले दिनों सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही की वह भी एक सराहनीय कार्य स्वर्ण मन्दिर में हथियारों को ले जाने पर रोक लगाई गई है और जिस तरह से वहां हथियारों का सफाया किया गया है वह भी सराहनीय काम है। पंजाब की पुलिस जिसकी हम इस बात की आलोचना किया करते थे कि पंजाब की पुलिस का मनोबल गिर गया है, पंजाब की पुलिस एक तरफा कार्यवाही करती है, पंजाब पुलिस के अन्दर आतंकवादियों की घुसपैठ है इसको बहुत हद तक पंजाब की सरकार ने और केन्द्र के गृह मन्त्रालय ने कम किया है। हम देख रहे हैं कि पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है।

इस सम्बन्ध में एक मामले को मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा जो हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के आई० जी० श्री चमन लाल जी ने छुट्टी ले ली है और असाधारण परिस्थिति में प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और कहा कि स्वर्ण मन्दिर में रोडे को जाने से नहीं रोका गया। इसलिए मैं यह कदम उठा रहा हूं। मैं नहीं समझता कि बड़े अधिकारी के लिए क्या आचार संहिता बनाई गई है। क्या इस प्रकार की परिस्थिति में आई० जी० स्तर का पुलिस का अधिकारी इस तरह से काम कर सकता है। इसका एक असर जरूर यह हुआ कि पुलिस के मनोबल को ठेस पहुंची है। क्या परिस्थिति थी इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि उक्त अधिकारी ने जिस तरह से आचरण किया है वह शोभनीय नहीं था और पजाब की परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं था।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पंजाब में इस तरह का वातावरण पैदा नहीं होने पाये कि पंजाब के लोग यह समझें कि यहां जन-तांत्रिक प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी जाएगी। हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि पंजाब में जितनी जल्दी सम्भव हो सके विधान सभा के चुनाव किए जायें। वहां की एक लोकप्रिय सरकार बनाई जाये। अभी नहीं तो दो-तीन महीने बाद ही सही, लेकिन इस बात का परीक्षण किया जाना चाहिए और इस बात के लिए अगर थोड़ा बहुत जोखिम भी लेना हो तो लिया जाना चाहिए···वहां के लोगों को विश्वास में लेकर पजाब विधान सभा के चुनाव जितनी जल्दी हो सके, कराये जाने चाहिए। पंजाब के लोगों को राष्ट्रपति शासन में रहने का आदि नहीं बनने दिया जाना चाहिए। पंजाब के लोगों में इस तरह की धारणा नहीं आने देनी चाहिए कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन अनगिनत दिनों के लिए लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन के अलावा दूसरा कोई विकल्प वहां नहीं है। यदि वहां के लोगों को हम विश्वास में लेना चाहते हैं, वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं तो हमें जनतांत्रिक प्रणाली को बहुत दिनों तक निलम्बित नहीं रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पंजाब में चुनाव कराने चाहिए। साथ ही साथ, जहां आवश्यक हो, पूरे बल के साथ आतंकवाद को दबाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पंजाब में सरकार ऐसा कर भी रही है परन्तु अभी कुछ और भी करने की आवश्यकता है, गुंजाइश है। हमने देखा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार आदि प्रांतों से गए मजदूरों पर भी पंजाब के आतंकवादियों ने हमले किए। पंजाब में दूसरे प्रान्तों से जितने लोग मजदूरी के लिए आते हैं, वे अपनी परेशानियों, अपनी बेरोजगारी से मजबूर होकर आते हैं और पंजाब की स्थिति खराब होते हुए भी आते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत मशक्कत करके, उस स्थिति का मुकाबला करते हुए, अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं लेकिन उन पर भी आज आक्रमण हो रहे हैं। उन पर आक्रमणों को रोकने और उन्हें पंजाब में सुरक्षा प्रदान किए जाने की दिशा में सरकार को प्रभावकारी कदम उठाने चाहिएं। इन शब्दों के साथ, सदन में, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि और 6 महीने बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करता हूं कि पंजाब में इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जनतांत्रिक प्रणाली अधिक दिनों तक निलम्बित न रखी जाए और जितनी जल्दी हो सके, पंजाब विधान सभा के चुनाव कराए जाने चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : मैं इस सांविधिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इसके लिए दिए गए कारणों से असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूं बल्कि इसके साथ ही साथ मैं राष्ट्र-

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

पति शासन को चौथी बार बढ़ाए जाने के उद्देश्यों और कारणों से पूर्णतः असहमत हूं क्योंकि पंजाब में यह स्थिति पैदा की गई हैं। मेरा यह विचार है कि एक लोकप्रिय अथवा एक चुने गए सदन अथवा एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल की राज्यपाल का शासन अथवा राष्ट्रपति का शासन कोई विकल्प नही है। हम इसे एक बार बर्दाशत कर सकते हैं। हम इसे दूसरी बार बर्दाशत कर सकते हैं। हम इसे तीसरी बार बर्दाशत कर सकते हैं। अब हम चौथी बार इसे बर्दाशत कर रहे हैं। इसके बाद मैं यह भी देखता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। मैं निष्कपट रूप से चाहता हूं कि अगामी छः महीनों के दौरान पंजाब में कुल मिलाकर राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बसों में गोली मारे जाने की घटनाए बढ़ रही हैं, लोगों की भीड़ के स्थानों पर गोली बारी की घटनाएं बढ़ रही है इससे मुझे काफी निराशा होती है। जैसाकि मैंने देखा है, बरनाला को बर्खास्त किये जाने के बाद, जितना मैंने अधिक देखा उतना मुझे अधिक अनुभव हुआ है कि स्थिति ज्यों जी त्यों है। मेरे विचार में वह एक गलत कदम था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तब आप उसे भूतलक्षी प्रभाव से वापस ले लीजिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : यह मेरा व्यक्तिगत मत है, एक ऐसे व्यक्ति का मत जो सीमावर्ती क्षेत्र से आया है। यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जब संत लोगोवाल और श्री राजीव गांधी के बीच समझौते पर विचार किया गया था और उसे स्वीकार किया गया था। श्री सैफुद्दीन चौधरी के बारे श्री भाटिया ने कहा था उसके बारे में कुछ टिप्पणियां की थी—मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि वह (श्री चौधरी) उपस्थित हैं। जब समझौता लागू हुआ, तो उस समझौते के अन्तर्गत जो चुनाव हुए वह सम्पूर्ण अकाली दल के लिए थे। उस समय कोई संयुक्त अकाली दल नहीं था। और उस समय कोई अन्य अकाली दल नहीं था। लोगोंवाल-राजीव समझौते द्वारा पैदा हुए अच्छे वातावरण के अन्तर्गत बादल, सुरजीत सिंह बरनाला और अन्य लोगों ने चुनाव लड़ा था। मैंने देखा कि समझौते कोई भी हो, चाहे यह असम अथवा शीलंका या मिजोरम हो इनकी शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन जैसे ही इनसे प्रगति हुई। गड़बड़ी शुरू हो गई और सभी समझौतों का हश्र एक जैसा रहा··· (व्यवधान)। अब चुनावों के बाद, मैं सदन को ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं, जैसाकि मैंने पिछली बार कहा था, समझौते के समय हमारी विपक्षी पार्टियों की सफलता के समय मैंने किसी समय भी अधिक प्रसन्नता अनुभव कभी नहीं की। हमने लगभग उनकी इच्छानुसार ही ऐसा किया था। श्री रामुवालिया आपको इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग हमारे विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, वह तब इस स्थिति में होंगे कि किसी प्रकार का हल लेकर आगे आएंगे। पंजाब के भविष्य और कल्याण और उसके हल के बारे में सोचने की बजाए, उन्होंने इस पर झगड़ा करना शुरू कर दिया कि उनकी पार्टी में नम्बर एक कौन है और पार्टी में नम्बर दो कौन है। उनकी पार्टी मे नम्बर एक पर दो व्यक्ति थे और नम्बर दो पर भी दो व्यक्ति थे और उनकी इसी प्रतिद्वन्द्विता तथा अन्तर-पार्टी झगड़े के कारण, सम्पूर्ण वातावरण, जो समझौते के अन्तर्गत तैयार किया गया था लगभग बिगड़ गया। बादल, मुख्य मन्त्री बनना चाहते थे, बरनाला मुख्य मन्त्री बनना चाहते थे, बलवंत सिंह नम्बर दो व्यक्ति बनना चाहते थे, एक और अन्य व्यक्ति नम्बर दो व्यक्ति बनना चाहते थे, और बेचारे संत लोगोंवाल के सामने बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो गई थी। अतः

उन्होंने, उस समय अकाली दल के अध्यक्ष के नाते, बरनाला को पार्टी का नेता चुना और बलवंत सिंह को नम्बर दो चुना और कुछ मन्त्री बादल ग्रुप से लिए और कुछ मन्त्री बरनाला ग्रुप से लिए और उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। इसी बीच, जब वे कार्य कर रहे थे, और जब हमने सोचा कि ठीक प्रकार से कार्य चलता रहेगा, तभी बसन्त सिंह खालसा, हरभजनसिंह और मेजर सिंह, तीनों मन्त्रियों ने कठिनाई पैदा करनी शुरू कर दी। तस्करी और भ्रष्टाचार के कुछ आरोप थे। लेकिन मैं उस समय के दो मन्त्रियों जिन्हें बाद में मन्त्रिमण्डल में नहीं लिया गया था। द्वारा दिए गए उत्तर पर हैरान था। दुर्भाग्यवश वे मेरे अपने जिले, अमृतसर के थे। स० मेजर सिंह ने कहा था कि तस्करों में मेरे कुछ वोटर हैं जो मेरी सहायता करते थे क्योंकि पाकिस्तान सीमा से अधिकतर लोग इसी प्रकार के हैं। उन्होंने कहा था, "मैंने भी उनकी सहायता ली है। मैं उस क्षेत्र का हूं···" (**व्यवधान**)। और दूसरे श्री हरभजनसिंह ने कहा था कि वह ब्यास के किनारे के मांड क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा था, "मैं आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कर सकता हूं यदि वे मेरे क्षेत्र में रहते हैं और यदि वे लोगों में घुलमिल जाते हैं क्योंकि मैं उस क्षेत्र का हूं जोकि उनके छुपने का स्थान है ?"

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर): मैंने किसी भी समाचार पत्र में ऐसा कभी नहीं पढ़ा है कि मेजर सिंह ने कहा था कि वह एक तस्कर था।

डा० जी० एस० ढिल्लों: मैंने कहा था वह उन लोगों में से हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। मैं भी उन लोगों में से हूं जो अमृतसर जिले में रहते हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: यह हो सकता है···

डा० जी० एस० ढिल्लों: उन्होंने मुझे भी बताया था कि वे उस क्षेत्र के हैं। वह उन लोगों में से हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। श्री रामूवालिया ऐसा कहना कहां गलत है। इसमें क्या गलती है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: इसमें कुछ गलती नहीं है। मैं भी उसी क्षेत्र का हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों: अब, यदि वे मेरे जिले में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो मैं इस कारण से उस जिले में रहने का अपना अधिकार नहीं छोड़ दूंगा। मैं उन लोगों में से हूं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। अब श्री बादल और अन्य लोगों ने अपना अकाली दल बना लिया है और इन लोगों को अपना अकाली दल। लेकिन इसके बावजूद भी, बरनाला सरकार का बहुमत था और जैसाकि मैंने पहले कहा था यह एक प्रकार से उन्हें बर्खास्त करना गलत हिसाब लगाना अथवा किसी प्रकार का गलत मूल्यांकन था, आप जो भी समझें बरनाला सरकार को हटना पड़ा, या उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। यदि विधान सभा को स्थगित रखा जाता और यदि इसको बनाए रखा जाता अथवा इस प्रकार कुछ किया जाता, तो भी बाद में लोकप्रिय सरकार बनाई जा सकती थी। लेकिन उसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। सरकार को फिर से स्थापित करने और बनाए रखने की कोई आशा नहीं थी। मुझे हाल की बाढ़ के कारण इसका और अधिक दुख हो रहा है और मैंने अगस्त में और दोबारा गत सप्ताह दोनों जिलों का दौरा किया। मैंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के स्थानों का 10 दिनों तक दौरा किया है। वहां लोग बहुत दुखी हैं वहां उनके कोई विधान सभा सदस्य नहीं है जिसे वह अपने कष्टों के बारे में बता सकें। फिर भी वहां एक संसद सदस्य है जोकि 8 विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह कहां-कहां जा सकता है ? वह कुछ अधिकारियों के

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

पास जा सकता है और उनकी बात सुन सकता है। लोग अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। लेकिन वह एक ऐसी बात है जिसे मैं समझता हूं बिल्कुल उपयोगी नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि वहां विधान सभा सदस्य होने चाहिए और वहां पर लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति एक शासन के दौरान अगर कोई प्रसन्न है तो वह नौकरशाही है।

महोदय, मैं इस बात पर हैरान हूं जैसाकि आपने देखा होगा और पंजाब के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि गत तीन अथवा चार महीनों अथवा उससे भी अधिक समय से कुछ सचिव यहां अथवा वहां कुछ कार्यों के उद्घाटन के अवसरों पर जाते रहे हैं। इससे पूर्व ऐसे कार्यों के उद्घाटन के अवसरों पर मन्त्री वहां जाया करते थे।

अब अधिकारी वर्ग उद्घाटन समारोहों में शामिल होने वाले माननीय व्यक्ति बन गए हैं। आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे माननीय अमुक-अमुक सचिव विकास विभाग अथवा माननीय प्रमुख अतिरिक्त सचिव समारोह का उद्घाटन करेंगे। सभी माननीय मन्त्री महोदयों का स्थान अब माननीय सचिवों ने ले लिया है। अब इस महत्वपूर्ण शब्द "माननीय" का प्रयोग इस प्रकार किया जा रहा है। अतः हम लोग इन 'माननीय' लोगों के अधीन कार्य कर रहे हैं। स्वयं राज्यपाल और उनकी पत्नी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग दौड़ में लगे हैं। वे वहां लोगों का दुःख बांटने में लगे हुए हैं। वे आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों के आश्रितों के पास जाते हैं। वे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों तथा उससे प्रभावित स्थानों का दौरा कर रहे हैं।

मैंने एक बात महसूस की है कि यह अधिकारी वर्ग जिसे बहुत अधिक कार्य भार उठाना चाहिए, कुछ नहीं कर रहा है। वे केवल अपने कार्यालय के 'माननीय' लोग हैं। महोदय, इसका उल्लेख किया गया है। भाटिया जी ने श्री रोड़े के स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश का उल्लेख किया था। मैं नहीं जानता कि भाटिया जी ने इसे इस प्रकार से कैसे पेश किया। रोड़े में भिंडरवाले के सगे भाई का बेटा होने के नाते शांतिप्रिय लोगों तथा आतंकवादियों का एक अद्भुत सम्मिश्रण हैं। आपरेशन ब्लैक थंडर के बाद दो उपलब्धियां हुई थी। शिरोमणि गुरू द्वारा प्रबन्धक कमेटी का अधिकार पुनः वापिस दिलाया गया। लेकिन रोड़े को जत्थेदार नियुक्त किया गया उनको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने जत्थेदार नियुक्त नहीं किया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति एक निर्वाचित इकाई है जो विभिन्न स्थानों के सभी गुरुद्वारों को नियंत्रित करती है। लेकिन यदि किसी सम्प्रदाय के 120 से 130 लाख लोगों में से कुछ इकट्ठे हो जाएं यदि 50,000 या 20,000 हजार या इससे भी कम लोग मिल जाते हैं वे उसे सरबत खालसा का नाम दे देते हैं। 'सरबत' का अर्थ है 'सब लोग' तथा उसके बाद वे (रोड़े) अन्दर अकाल तख्त में गए। अनेक समाचार पत्रों में छपे वे चित्र देखने लायक थे जब सरदार प्रकाश सिंह बादल तथा सब विशेष रूप से सरोपे तथा मालाएं लेकर अकाल तख्त स्वर्ण मन्दिर जा रहे थे तथा इस होड़ में थे कि कौन उसे सबसे पहले हार पहनाता है। केवल सुरजीत सिंह बरनाला ही ऐसे थे जो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे थे, वे इस प्रकार की अगवानी या स्वागत अथवा वे इसे जो कुछ भी कहते हैं नहीं चाहते थे। इन लोगों ने यह कहते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि "आप श्रद्धालुओं तथा लोगों को बाहर से अन्दर आने के लिए क्यों रोक रहे हैं। उन्हें अन्दर आने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सरकार उन्हें क्यों रोकती है? लेकिन आपरेशन

ब्लैक थंडर के बाद एक बात की उपलब्धि हुई वह यह कि थोड़े से अथवा कुछ हजार लोगों के मिलने से बहुत से पहले घुस आए लोक बाहर निकाल दिए गए। किसके द्वारा? गुरुचरण सिंह तोहड़ा तथा बादल की अध्यक्षता में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी तथा अन्य दलों ने यह कहा कि केवल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को ही अकाल तख्त के प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार है। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त किया था। उन्हें प्रारम्भ में तथाकथित सरबत खालसा के लोगों के द्वारा जो कि एक कमेटी के रूप में काम कर रहे थे हटा दिया गया। उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। अत: जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने पुन: कार्यभार संभाल लिया। अब स्थिति यह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ही अब प्रमुख इकाई है और वे लोग ही कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं। लेकिन उसके बाद एक उपलब्धि और हुई। जब उन्होंने सरकार से कहा कि रोड़े को तथा अन्य लोगों को यहां आने की अनुमति न दें, उन्होंने ही यह कहकर पहले की स्थिति को बदला कि "सरकार उन्हें रोकने वाली कौन होती है।" उन्हें उनका संरक्षण मिल गया वे लोगों को इसकी अनुमति दें अथवा न दें। लेकिन इसके दो बड़े परिणाम हुए—शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का पुन: सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया जाना तथा अवांछित श्रद्धालुओं को अन्दर आने से रोका जाना। उन्हीं लोगों को रोका जाना जिनके लिए यह लोग मालाएं तथा सरोपे लेकर भागते थे। उनके लिए वे कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को अनुमति न दी जाएं। तो यह स्थिति थी। मुझे नहीं पता बाद में क्या स्थिति हुई। अकाली दल के कुछ जत्थेदार हैं। रोड़े को सरबत खालसा ने अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया था। उन्हें हटा दिया गया। दूसरे आए। वह भी चले गए। अब स्थिति यह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने अकाल तख्त के जत्थेदार की नियुक्ति की है तथा उसे चुनौती देने वाला कोई और नहीं है। भिंडरवाला को स्वर्ण मन्दिर के अन्दर ले जाने वाला कौन था? तोहड़ा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने स्वर्ण मन्दिर परिसर को खाली कर दिया था तथा शहर के बाहर आश्रय लिया था। वही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी फिर से हाल ही में सारा कार्याभार संभालने आ गई। वही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने अलग-अलग प्रेरणाओं तथा मार्ग दर्शन के अधीन स्वर्ण मन्दिर परिसर में अपना कार्यभार संभाला।

अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अधिकारियों का अगला चुनाव 30 नवम्बर को होगा। हम देखेंगे कि क्या वास्तव में उचित परिवर्तन हुआ है या यह सिर्फ बाहरी लोगों को दिखाने के लिए है। यदि श्री रामूवालिया ग्रुप काफी दूरदर्शी है तो दलों को आपसी सहयोग से मिलाकर ग्रुप बनाए जाएं ताकि वर्तमान अधिकारियों को हटाया जाए तथा नए अधिकारी लाए जा सकें। अन्यथा श्री रामूवालिया फिर से वही स्थिति ले आएंगे जिससे हम बहुत कठिनाई तथा संघर्ष से बाहर निकले हैं। यह बिल्कुल सही समय है जब हम कुछ हल खोजने के लिए शुरुआत करें। पिछले कुछ सप्ताहों में प्रधानमन्त्री महोदय ने पंजाब का दौरा किया था। एक बार मैं भी उनके साथ गया था हालांकि मैंने अपना अलग दौरा किया था। लेकिन मैंने पाया कि एक व्यक्ति सारे लोगों का ध्यान नहीं रख सकता तथा प्रधानमन्त्री जी के दौरे के अलावा अन्य समय में उनकी प्रतिक्रिया नहीं देखी जा सकती। मैं स्वयं डर गया था जब वे बार-बार बाहर आए तथा सब जगह सड़क किनारे खड़े लोगों के पास गए। ऐसा कहा जाता है कि उनका हृदय से स्वागत किया गया था। उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उस प्रभाव का क्या लाभ है यदि हम उस स्थिति उस वातावरण का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि वे सब दलों की एक बैठक बुलाएंगे तथा मुझे आशा है कि वह जानते हैं कि उन्हें क्या

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह बैठक बुलाई जाए कुछ ठोस सुझाव दिए जाएं तथा कुछ नीतियां तैयार किए जाएं। यही कारण है कि मुझसे पहले के वक्ता श्री बसव ने कहा था कि किससे बात करनी चाहिए। लेकिन आखिरकार यह स्थिति कब तक चलेगी? हमें कुछ करना होगा? यदि सब दल दलगत सीमाओं से ऊपर उठ कर बात करते हैं, कुछ ठोस हल लेकर सामने आते हैं तथा प्रधानमन्त्री महोदय उचित समाधानों को स्वीकार करते हैं तो निश्चय ही वातावरण में बदलाव आ सकता है। निस्संदेह अधिक लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा अधिक हो रही है लेकिन इस प्रकार की राजनैतिक प्रतिक्रिया तथा सभा के दोनों पक्षों की ओर से एक जैसी राजनैतिक प्रतिक्रिया अथवा सब दल मिलकर उनके मनोबल को तोड़ सकते हैं, एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें लोग दृढ़ता के साथ हर चीज का मुकाबला कर सकेंगे। मैं कह सकता हूं कि कुछ महीनों पहले हमने जैसा लोगों का मनोबल टूटता देखा तथा लोगों की भावना में परिवर्तन देखा है। अब नहीं है। ब्लैक थंडर आपरेशन के बाद आतंकवादियों का मनोबल काफी टूटा है। ग्रामीण लोगों में तथा बुद्धिजीवी वर्ग उनके काफी खिलाफ है। उनको वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। वे बहुत कम लोग हैं। वे उस आतंक तथा भय का लाभ उठा रहे हैं जो उन्होंने बनाया है। लेकिन यदि रामूवालिया का दल विशाल दृष्टिकोण अपनाए तथा श्री प्रकाश सिंह बादल भी अपनी आशंका तथा विरोध को छोड़ दें तो कुछ किया जा सकता है।

मैं कह सकता हूं यह बहुत ही रोचक बात है कि उस समय जब अकाली दल के नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे, श्री प्रकाश सिंह बादल को गिरफ्तार किया गया तब पंजाब के राज्यपाल ने मुझे बताया "मैं श्री प्रकाश सिंह बादल को गिरफ्तार नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा तथा प्रतिदिन वे मुझसे पूछते रहे कि "आप मुझे कब गिरफ्तार कर रहे हैं।" अब किसी राजनीतिज्ञ के लिए जेल सबसे सुरक्षित स्थान है तथा वे इसका लाभ उठा रहे हैं तथा इसके साथ ही वे अपने समुदाय के नेता भी बने रहते हैं। समुदाय के लोगों को इसे समझना चाहिए। सरकार ने उन पर अहसान किया है। मैंने राज्यपाल के कहा था कि वे उन्हें कह दें "यदि आप संरक्षण चाहते हैं यदि आप डरे हुए हैं हम आपको किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेज सकते हैं। आप जेल भेजे जाने की बात क्यों कर रहे हैं?" हम लोग बाहर रहते हैं। इस स्थिति को मैं कभी समझ नहीं पाया। आखिरकार हम लोग भी बाहर हैं। हम किसी प्रकार संरक्षण पाने के लिए जेल की ओर नहीं भागते हैं, मैं नहीं सोचता कि मैं गलत कह रहा हूं क्योंकि राज्यपाल कह रहे थे "मैं उनसे क्या कह दूं? मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता।" कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि "आप मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं।" लेकिन उन्हें वह सारा भय त्याग कर सामने आना चाहिए तथा अकाली दल के इस या उस पक्ष के साथ अपने मतभेदों को भूलकर तथा संयुक्त अकाली दल में स्थान को भूलकर अन्य दलों के साथ सहयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : बादल साहब हाऊस में हाजिर नहीं हैं और आप उनके बारे में कह रहे हैं। ये बड़े देशभक्त हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं जानता हूं कि आप बादल साहब के बारे में क्या सोचते हैं। अब यहां उनको डिफेन्ड कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप कह रहे हैं कि वे कावर्ड हैं। इतना कहने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : वे बचने के लिए जेल गए, ऐसा इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप जैसी शख्सियत से यह उम्मीद नहीं थी।

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं किसी का उदाहरण दे रहा हूं, जिसने मुझे बताया था।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : कौन से रिकार्ड से आप इसको कोट कर रहे हैं। आप सीनियर लीडर हैं और आप ऐसा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों : कल आप कह रहे थे "श्री भाटिया को देखिए वे हमारी तुलना श्री प्रकाश सिंह बादल के साथ कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने अपने भाषण में भाटिया का जिक्र बिल्कुल नहीं किया।

[हिन्दी]

आप बड़े आदमी हैं। ऐसे सुने-सुनाए इल्जाम न लगाएं, यह मैं कह रहा हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैंने बड़ी आथेरिटी से सुना है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आथेरिटी ने लिखकर दिया है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं उसके पास आपको ले जाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : श्री बादल यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा० जी० एस० ढिल्लों : बाहर कहते हैं, यहां भी कभी कह दिया करो। आप बादल का नाम नहीं सुनना चाहते। कल मुझे कहते थे कि भाटिया कौन हैं कहने वाले, हम और बादल एक हैं··· **(व्यवधान)**

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

[अनुवाद]

तथाकथित आतंकवादियों के आतंकवाद से पंजाब, मेरे समुदाय और हम लोगों की बदनामी हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य से बाहर रहने वाले लोग यह सोचते हैं कि सभी सिख एक जैसे हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम राष्ट्रवादी हैं। हमने देश के लिए कष्ट सहा है और ऐसा प्रभाव क्यों बनाया जाना चाहिए? बीदर में जो कुछ घटित हुआ उससे मुझे सदमा पहुंचा है। वहां रह रहे व्यक्तियों द्वारा छह अथवा सात छात्रों की हत्या कर दी गई। कर्नाटक से 200 से अधिक व्यक्ति भाग गए। अभी तक वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई है सिवाय इसके के पंजाब के राज्यपाल ने कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है और मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं क्योंकि मैंने पत्र की प्रतिलिपि देखी है। उन्होंने उन्हें लिखा कि जब वे—श्री राय पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री थे, उस समय बंगालियों को असम में इसी प्रकार के अत्याचार सहन करने पड़े थे और वे सभी प्रकार के कष्टों सहित पश्चिमी बंगाल में आये। अतः उन्होंने असम के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री सिन्हा को एक पत्र लिखा और श्री सिन्हा ने जवाब में यह कहा था कि मैं बातों का पता लगाने, अपना व्यक्तिगत आश्वासन देने, सुरक्षा और सभी प्रकार की उपलब्ध सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैं उन लोगों को अपने साथ वापस असम लाने के लिए आऊंगा। अतः उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमन्त्री श्री बोमई को एक उदाहरण दिया।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप एक क्षण के लिए मेरी बात मान ले तो मैं रिकार्ड को ठीक करना चाहूंगा। जहां तक बीदर समस्या का सम्बन्ध है इस बारे में कर्नाटक सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। मुख्यमन्त्री और श्री हेगड़े तुरन्त वहां गए। उन्होंने मामले के बारे में पूछताछ की और उन्होंने एक जांच स्थापित की। मुख्यमन्त्री महोदय ने घोषणा की—जैसाकि 1984 में हुआ था वैसा न होकर कोई भी अधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो भी दोषी पाया गया तो, उसे कठोरतम सजा दी जाएगी। बहुत से सिख नेताओं ने यह वक्तव्य दिया है कि वे कर्नाटक सरकार द्वारा तुरन्त की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट हैं। श्री बोमई को कार्यवाही करने के लिए श्री राय अथवा उनकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास नहीं करता परन्तु आपने जो कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। श्री राय के इंग्लैंड जाने से पहले जो कुछ घटित हुआ मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं। मैं उसके बाद की स्थिति के बारे में नहीं जानता। परन्तु आपने जो यह बात कही है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए हम आपकी सरकार को बधाई देते हैं। हम इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हैं। **(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन घटनाओं को यहां लाने का प्रयास मत कीजिए।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय इस बात को रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। मैं उस समय उपस्थित था और उस विधायक ने किसी मेडिकल कालेज के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। मुख्यमन्त्री महोदय ने भी मुझे यही बताया है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, मैं किसी भी व्यक्ति को विघ्न डालने की अनुमति नहीं दे रहा हूं और इस बात को रिकार्ड नहीं किया जाएगा। डा० ढिल्लों के भाषण और आपके उत्तर के अलावा अन्य किसी भी बात को रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। परन्तु जब तक श्री राय ने आपकी सरकार को पत्र लिखा है तब तक उन्होंने समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया था।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : वे पहले ही कार्यवाही कर चुके हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : पिछले कुछ दिनों से कुछ समाधान निकला है। हम उसका स्वागत करते हैं···(**व्यवधान**) मैं समझता हूं कि वह बहुत आवश्यक है। ऐसी छवि नहीं बनना चाहिए कि देश के अन्य भागों में भी पंजाब जैसी ही प्रतिक्रियाएं हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता। प्रो० दण्डवते मेरी बात को ठीक करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हमें कोयम्बटूर में घटित होने वाली बातों को भी ध्यान में रखना है। वहां सिखों के धन को लूट लिया गया। बहुत से लोगों को उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया। उन्हें मुआवजे के रूप में केवल 750 रु० दिए गए। वे न्यायालय गए और उस उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश ने 35 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्णय दिया।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : दिल्ली में क्या घटित हो रहा है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : दिल्ली में भी उन्होंने मुआवजा देने के लिए एक समिति नियुक्त की है। यह रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। उसकी अध्यक्षता मैंने की थी···(**व्यवधान**) यदि आप चाहते हैं तो हम आपको रिपोर्ट की एक प्रति दे सकते हैं। परन्तु मैं ऐसा नहीं सोचता कि दिल्ली में भी ऐसा घटित होना चाहिए। मैं अपना बचाव नहीं कर रहा और ना ही तमिलनाडु अथवा किसी अन्य स्थान पर आपको नाराज कर रहा हूं। परन्तु मैं सामान्य वातावरण के बारे में कह रहा हूं कि हमें अपने आपको संकुचित विचारों से बचाना चाहिए और इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें धर्मनिरपेक्ष तत्वों, राष्ट्रहित में काम करने वाले व्यक्तियों और अपने देश को प्यार करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिल सके, और अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन न मिल सके। यह मेरा सुझाव है। मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रकार आपको किसी तरह नाराज कर सकता हूं। अतः ये इस समूचे प्रश्न के विभिन्न पहलू हैं। मेरा सुझाव केवल यह है कि जब प्रधानमन्त्री महोदय एक बैठक बुलाते हैं, जब आप सभी लोग उनके साथ सहयोग करने का निर्णय लेते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं तो कोई समाधान अवश्य निकलना चाहिए। परन्तु यदि कोई समाधान नहीं निकलता तो फिर वे गुमराह किए गए युवक अपना रास्ता चुन सकते हैं। निश्चित रूप से वे बहुत अधिक नहीं हैं। हम प्रतिदिन बहुत सी हत्याओं के बारे पढ़ते रहते हैं, बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं आदि। परन्तु यह कब तक जारी रहेगा ? पंजाब में हमारा जीवन नरक है। मेरा घर अमृतसर जिले में है। 25 वर्षों तक यह कुख्यात तरण-तारण शहर मेरा चुनाव-क्षेत्र रहा है उसका सीमावर्ती जिला फिरोजपुर मेरा वर्तमान चुनाव क्षेत्र हैं जो कि दूसरा, सबसे अधिक प्रभावित जिला है। उसके बाद गुरुदासपुर क्षेत्र का नाम आता है। हम इस प्रकार कब तक कष्ट झेलते रहेंगे ? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि यह गतिरोध कब तक जारी रहेगा। और मुझे केवल यह आशा है कि जब

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

प्रधानमन्त्री महोदय आपको बुलाते हैं तो आपको एकत्र हो सहयोग करना चाहिए और कोई स्वीकार्य, ठोस और तर्कसंगत समाधान निकालना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय अपने भाषण के आरम्भ में ही मैं माननीय सदस्य श्री ढिल्लों को यह कहने के लिए बधाई देती हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बरनाला सरकार को बर्खास्त करना गलत था। हमने उस समय भी इस बात का विरोध किया था। श्री ढिल्लों ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। परन्तु मैं यह विश्वास करती हूं कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की भी यह राय हैं, परन्तु उन्हें ऐसा कहने की स्वतन्त्रता नहीं है।

परन्तु, स्वभाविक रूप से यह बात स्पष्ट है कि हम राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि यह वास्तव में विपरीत प्रभाव डालता है। मैं अपने पूर्व द्वारा इस बारे में उद्धृत किए गए आंकड़ों की जांच नहीं करना चाहती कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह हैं— ढिल्लों साहब के अन्तिम मुद्दे को मैं पहले लेना चाहूंगी—कि क्या पंजाब का मसला वास्तव में निराशाजनक है ? यह एक अत्यन्त कठिन समस्या है। और हम उन लोगों में से हैं जो अपने दृढ़ विश्वास के लिए प्रतिदिन अपनी जान दे रहे हैं। पंजाब में आतंकवादी निःसन्देह सभी राजनैतिक दलों और सभी सम्प्रदायों के लोगों की हत्या कर रहे हैं। यह भी सच है कि उन्होंने उन लोगों को अपना विशेष लक्ष्य बनाया हुआ है जोकि सैद्धान्तिक रूप से आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। इसलिए साम्यवादी उनका विशेष लक्ष्य बन गए हैं। मैं नम्रतापूर्वक इस वास्तविकता का उल्लेख करना चाहती हूं कि आज-कल पंजाब में केवल वही व्यक्ति अपना सिर ऊंचा रख सकता है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है। और इसलिए सकारात्मक रूप से यह आशा की जा सकती है कि यदि एक अलगाव विरोधी धर्मनिरपेक्ष संगठित शक्तियों का एक राजनैतिक वातावरण बनाया जा सके तो निश्चित रूप से पंजाब को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

अब एक प्रश्न को उठाया गया है। उदाहरणतया बशर साहब ने यह कहा है कि राजनैतिक दल हर समय एक राजनैतिक समाधान के लिए लिए आग्रह करते हैं और किसी भी व्यक्ति ने कोई राजनैतिक समाधान की पेश नहीं किया है। मैं इसी बात से अपने भाषण को आरम्भ करूंगी। मैं यह दावा नहीं कर रही कि सभी राजनैतिक दलों का यही विचार है। ऐसा नहीं भी हो सकता है। परन्तु निश्चित रूप से कुछ निर्णयों पर पहुंचा जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या उचित समय पर ऐसा प्रयास किया गया है, अथवा क्या अब ऐसा प्रयास किया जाएगा।

बशर साहब ने यह कहा है कि बातचीत किससे की जाए। मैं कहती हूं कि संसद में सभी विपक्षी दलों से बातचीत की जाए। परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के लोगों से उस भाषा में बातचीत की जाए जो उन्हें आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए खड़ा कर सके। और उनसे इस प्रकार बातचीत करना सम्भव है; यह एक ऐसी बात है जिसे पक्ष ने अभी तक आरम्भ नहीं किया है। यह राजनैतिक समाधान का मूल सिद्धान्त है।

जहां तक की जाने वाली राजनैतिक कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं बार-बार यह बता चुकी हूं कि जहां तक खालिस्तानी आतंकवादियों की निन्दा करने का सम्बन्ध है, मैं उन सब बातों को नहीं

दोहराऊंगी क्योंकि इस बारे में हमारे विचारों की जानकारी सुस्पष्ट है। अब मैं अपना भाषण केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को विफलता से आरम्भ करूंगी—अब इसकी जांच उन्हें करनी है कि क्या उनकी कोई विफलता रही है। मैं उन पर गम्भीर राजनैतिक विफलता का आरोप लगाती हूं। केन्द्रीय सरकार राजीव-लोंगोवाल समझौते के अन्तर्गत सभी राजनैतिक दलों की सहायता से एक राजनैतिक समाधान ढूंढने में विफल रही है। इसके साथ ही वह उन सभी जोधपुर बन्दियों को मुक्त करने में भी विफल रही है। जिनके विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप नहीं थे। वह वर्ष 1984 में दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर सिख-विरोधी दंगों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में भी विफल रही है। ये गम्भीर राजनैतिक विफलताएं हैं।

हमें यह जांच करनी चाहिए कि क्या कुछ कार्यवाही की जा सकती है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल ने विपरीत समय पर विपरीत कार्यवाही करने का विशेष कौशल प्राप्त कर लिया है। कुछ महीने पहले की गतिविधियों को ही ले लीजिए। ब्लैक थण्डर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आप्रेशन था। ईमानदारी की बात तो यह है कि ब्लैक थण्डर के बाद पंजाब के जीवन में एक सकारात्मक क्षण आया था। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का दृष्टिकोण आतंकवादियों के प्रति कुछ नम्र था तथा कुछ धार्मिक व्यक्ति भी इन बातों को जानकर क्रुद्ध हो गए थे कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने हर मन्दिर साहब को कैसे अपवित्र किया और उन्होंने उस पवित्र मन्दिर को कैसे मलीन किया। वह एक मनोवैज्ञानिक क्षण था। उस समय सत्ता पक्ष, सरकार और सत्ता पक्ष के उच्चाधिकारियों ने कैसा व्यवहार किया? उस समय क्या किया जा सकता था? हमें उन दो बातों को लेना चाहिए जिनका मैंने राजीव-लोंगोवाल समझौते के अलावा उल्लेख किया है। हमें जोधपुर बन्दियों के प्रश्न पर आना चाहिए। 138 व्यक्तियों को मुक्त कर दिया गया था। जहां तक मैंने सुना है वहां ऐसे 40 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप हैं। वहां ऐसे कुछ ही व्यक्ति थे जिन्हें उस समय मुक्त किया जा सकता था, आज जोधपुर बन्दियों के प्रश्न को उठाया जा रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए थी और आपको इसके लिए तैयार होकर आना चाहिए था और उन्हें छोड़ देना चाहिए था। यह सिखों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सिखों का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि किसी अन्य राजनैतिक मुद्दे से कम नहीं है, दिल्ली दंगों का प्रश्न है। यह कैसी बात है कि आपने अभी तक उन व्यक्तियों को सजा देने के बारे में कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की है जो कि दिल्ली दंगों को भड़काने के दोषी थे। इस बात को कौन नहीं जानता कि उन हत्याओं के लिए सत्ता पक्ष के प्रभावशाली व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, नैतिक तथा ठोस रूप से उत्तरदायी थे? क्या आपने स्पष्ट तौर पर उनमें से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही की हैं? मैं समझता हूं कि उसका असर पंजाब पर पड़ सकता था। क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की? नहीं। क्या राजनैतिक समाधान में वह एक महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकता था?

फिर राजीव-लोंगोवाल समझौते के ढांचे के अन्तर्गत यदि ब्लैक थण्डर के अलावा सभी कुछ नहीं किया जा सकता था तो आप कम से कम चण्डीगढ़ के बारे में तो कुछ कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। आप एक बड़ा साहसिक कदम उठा सकते थे। इससे धर्म-निरपेक्षता के पक्ष में आतंकवादियों के विरुद्ध एक वास्तविक जन आन्दोलन तैयार करने में और आतंकवादियों को अलग-थलग करने के लिए तुरन्त ही एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाती।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

3.00 म० प०

मेरा आरोप यह है कि ऐसा नहीं किया गया। प्रधान मन्त्री महोदय ने पंजाब का दौरा किया। मैं श्री ढिल्लों की इस बात से सहमत हूं कि उस समय वहां कुछ सकारात्मक वातावरण तैयार हो गया था। मैंने ऐसा सुना भी है। उसका उपयोग कैसे किया गया? प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा कि वे सभी राजनैतिक दलों को जल्दी ही पंजाब के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बुलाएंगे। कम से कम एक बार वे अपने सामान्य तरीके से अलग जा रहे थे। उन्होंने बिना किसी लालच दिए ऐसा कहा। परन्तु 31 तारीख को ही जोकि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक संवेदनशील दिन है, पंजाब के मसले पर सभी राजनैतिक दलों को वार्ता के लिए बुलाने के बजाए उन्होंने यह कहा कि सभी विरोधी दल लोगों के दुश्मन हैं। यद्यपि वे सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है परन्तु मैं यह नहीं जानती कि वे संसद में आकर ऐसा क्यों नहीं कहते। क्या इस मुद्दे पर राजनैतिक दलों को एकत्रित करने का यही तरीका है? फिर कुछ अन्य बातें भी हैं। जहां तक प्रधान मन्त्री के दौरे का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री द्वारा अथवा श्री राय द्वारा बहुत सी आर्थिक कार्यवाहियों, जिन्हें आर्थिक पैकेज कहा गया, की पेशकश की गई। उनमें के कुछ कार्यवाहियां बहुत अच्छी हैं। उदाहरणतया उन्होंने 246 करोड़ रु० की एग्रो-न्यूजप्रिण्ट परियोजना की आधार शिला रखी। मुझे आशा है कि आधार शिला केवल एक पत्थर बनकर ही नहीं रह जाएगी, जैसा कि अन्य स्थानों पर विगत में हुआ है। मुझे आशा है कि पंजाब में यह एक अलग बात होगी।

3.02 म० प० [श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए।]

फिर गोइदवाल साहिब और व्यास के बीच रेल लाइन बिछाने और 4 रसायन उद्योगों के लिए 100 करोड़ रु० की परियोजना बनाने की पेशकश का प्रश्न स्वागत योग्य है। जहां तक एक कृषि औद्योगिक विभाग बनाने का सम्बन्ध है या बहुत अच्छी बात है परन्तु आज पंजाब की धरती पर कौन बहुराष्ट्रीय पैप्सी कोला को कृषि संसाधन उद्योग के स्थान पर लेगा और कौन व्यक्ति इस बात को मान लेगा कि पैप्सी कोला कृषिक पंजाब में एक नया औद्योगिक आधार उत्पन्न कर देगा। यदि इससे कोई आधार बनेगा तो वह आधार आतंकवादियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके माध्यम से अमरीकी हस्तक्षेप के लिए बनेगा। क्या कृषि संसाधन के क्षेत्र मे भी हमारी देश में अनुसन्धान एवं विकास की कमी है? मैं नहीं समझती कि ऐसी बात है। परन्तु सत्तारूढ़ दल इसी प्रकार विचार कर रहा है।

कुछ सकारात्मक मुद्दे भी हैं परन्तु वे सकारात्मक मुद्दे एक तरह से निष्प्रभाव ही हैं जिनसे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता। यदि पैप्सी कोला को छोड़कर ये आर्थिक कदम उठाए जाते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी क्योंकि यदि पंजाब में जमींदारों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि की अपेक्षा औद्योगिक श्रमिकों की अनुपातिक वृद्धि होती है तो उससे वातावरण को सुधारने में सहायता मिलेगी। पंजाब में हरित क्रान्ति केवल एक वरदान ही नहीं रही है। इससे पंजाब में समृद्ध जमींदारों का एक समुदाय उत्पन्न हो गया है, जिसकी कतिपय महत्वाकांक्षाएं हैं। निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी जमींदार आतंकवादी है। यह मेरा तर्क नहीं है। निःसन्देह इस कारक ने पंजाब में समस्या को उलझाने में अपना योगदान दिया है। पंजाब के औद्योगिक श्रमिक वर्ग का स्वागत है। ये श्रमिक संख्या में थोड़े हो सकते हैं परन्तु उन्हीं की शक्ति से हमारा दल और कुछ छोटी शक्तियां एकजुट होकर आतंकवादियों से लड़ने में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है।

माननीय सदस्य श्री बशीर ने इस प्रश्न को उठाया है कि बातचीत किससे की जाए। सत्तारूढ़ दल में वास्तव में यह घटित हो रहा है कि बातचीत के लिए आतंकवादी-समर्थक किसी न किसी दल को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। रोडे के साथ क्या चल रहा है? यह आतंकवादियों के एक विशेष दल को आकर्षित करने का एक और प्रयास है। आपने पहले भी बहुत सारी कूटनीतियां अपनाई है। अब तक ऐसे लोगों के किसी एक दल पर निर्भर रहने की इस कूटनीति को पूर्णतया छोड़ दिया जाना चाहिए था। गृह मन्त्री महोदय ने उस कूटनीति को नहीं छोड़ा है जिसका उल्लेख पहले किया गया है।

अब, अन्त में पंजाब के लोगों में राजनैतिक आन्दोलन की बात है। पंजाब में एक जन-आन्दोलन होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वहां उसके लिए एक आधार है। हमारी शक्ति चाहे जो भी हो हमारे दल और जन-संगठन ऐसे आन्दोलन के लिए गांव-गांव जा रहे हैं निश्चित रूप से उनकी अपनी सुरक्षा है अन्यथा वे ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी वहां एक अच्छा प्रति उत्तर रहा है। यदि ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए कि सत्तारूढ़ दल में ऐसा एक जन-अभियान चलाने के लिए एक राजनैतिक इच्छा क्यों नहीं रही है? क्या सत्तारूढ़ दल ऐसी राजनैतिक इच्छा दर्शाने में समर्थ रहा है? नहीं। मुझे इस बारे में कुछ कहना है।

प्रधान मन्त्री के दौरे के समय उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कही। यह बात स्वागत योग्य है। परन्तु यदि वे धर्म और राजनीति को अलग करने के लिए दृढ़तापूर्वक कदम उठाते हैं, चुनाव लाभ के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों के एक वर्ग से आग्रह करने के प्रयास मुस्लिम कट्टरपन्थियों की बात मानने और हिन्दू धर्म के प्रयोग का लालच छोड़ देते हैं तो उनकी बात को बल मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय होना चाहिए सभी धर्म के लोगों और किसी भी धर्म में विश्वास न रखने वाले व्यक्तियों के लिए स्वतन्त्रता, सभी व्यक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना। परन्तु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। यदि सभी धर्मों के प्रति समान आदर के नाम पर राज्य और धर्म राजनीति और धर्म को मिलाया जाता है तो इससे केवल धर्मनिरपेक्षता का विनाश ही होगा। यह राजनैतिक आवश्यकता है। परन्तु दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल ने इस रवैये को अपनाया है और वह रवैया है पंजाब में एक संगठित आन्दोलन के निर्माण में रुकावट बनाना। अतः इस संकल्प का विरोध करते हुए मैं यह कहूंगी कि महान पंजाब का उद्धार अवश्य होगा और निश्चित रूप से हमारी महान मातृभूमि एक नये नेतृत्व अथवा एक मतांक नेतृत्व अथवा एक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व द्वारा खण्डित हो सकेगी। वास्तव में जो भी चुनावी लाभों के लिए हर प्रकार के गलत कार्य कर रहा है उसे कोई लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी बातों से ऊपर उठकर पंजाब समस्या के समाधान के लिए पंजाब के लोगों के साथ बातचीत की जाए। यदि इस इच्छा के साथ राजनैतिक कार्यवाही आरम्भ की जाती है तो वास्तव में उन कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है जिनका सामना पंजाब कर रहा है।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारतीय लोग इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और हमें यह कहना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमें अवश्य ऐसा करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूं कि पंजाब में सिख, हिन्दू और अन्य सभी लोग अपना सिर ऊपर उठाकर यह कह सकेंगे :

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

[हिन्दी]

न हिन्दू राज, न खालिस्तान ।
जुग-जुग जीवे हिन्दुस्तान ।।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने के लिए श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं। महोदय, वास्तव में प्रत्येक सत्र में पंजाब की समस्या के विषय पर चर्चा होती है और यहां जिन समाधानों का उल्लेख किया जाता है उनमें से अधिकांश हर सत्र में दोहराए जाते हैं। किन्तु सच्चाई यह है कि पंजाब में स्थिति खराब बनी हुई है और अभी हमारी परेशानी दूर नहीं हुई है। निश्चय ही हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि राष्ट्रपति राज के पश्चात् सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए अनेक व्यापक उपाय किए थे। उन्होंने सहज ही उन कट्टरपन्थियों को दबाया जो बलपूर्वक कुछ सुधार करना चाहते थे। इसको पूरी तरह दबा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने भी हत्याओं की संख्या घटाने के लिए और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इसके अलावा गुरुदासपुर और अमृतसर के आतंकवादी क्षेत्रों में तीन और पुलिस क्षेत्र बनाए गए। सीमा पर घेराबन्दी करने की व्यापक परियोजना भी आरम्भ की गई थी। तस्करों को सजा देने के लिए उपाय भी किए गए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किए गए। हमें मालूम हो गया है कि ग्राम स्तर पर भी आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए जनता को सम्बद्ध करने हेतु शान्ति समितियां स्थापित की गयीं। गुप्तचर नेटवर्क को सशक्त बनाने का काम भी किया गया है। हाल ही में ओपरेशन ब्लैक थण्डर और कारिडोर परियोजनाएं भी आरम्भ की गयीं। अन्त में, प्रधान मन्त्री के इस क्षेत्र के व्यापक दौरे से इस राज्य की जनता में अधिक विश्वास उत्पन्न हो गया। फिर पंचायत चुनावों की घोषणा भी हुई, अतः राजनीतिक प्रणाली का पुनः उद्धार करने का प्रयास भी किया गया।

अतः राष्ट्रपति राज लागू से सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं और यदि निर्दोष हताहत व्यक्तियों की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं हुई है, जनता में धीरे-धीरे सोच-विचार में परिवर्तन आ रहा है। निश्चय ही हत्याओं के आंकड़ों से पता चलता है कि स्थिति में अभी सुधार नहीं हुआ है। 11 मई, 1987 से जुलाई, 1988 तक 2422 लोगों की हत्या हुई जिनमें 469 आतंकवादी भी थे। और अगस्त और सितम्बर के दो महीनों में कुल 286 व्यक्तियों की हत्या हुई जिनमें 11 आतंकवादी भी थे। अतः सच्चाई यह है कि हत्याएं जारी है किन्तु राष्ट्रपति शासन में जो उपाय किए जा रहे हैं उनसे स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वहां के लोग साहस से काम ले रहे हैं और वे आतंकवादियों से लड़ने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं जो स्थिति कुछ महीने पूर्व नहीं थी।

अतः, महोदय, राष्ट्रपति शासन से निश्चय ही स्थिति में सुधार हो गया है किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह सच है कि किसी स्तर पर सरकार भी कभी-कभी अस्थिरता का दृष्टिकोण

व्यक्त करती है। उन्होंने ओप्रेशन ब्लैक थण्डर के उपाय किए थे किन्तु उसके पश्चात् प्रभाव बहुत कम हो गया जब श्री रोडे को अपने सभी साथियों के साथ स्वर्ण मन्दिर में जाने की अनुमति दे दी गयी। जहां तक कि एक घोषणा भी की गई थी कि दीवाली पर्व को सरबत खालसा होगा। किन्तु राज्यपाल ने 11 अक्तूबर को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि स्वर्ण मन्दिर में दीवाली के दिन कोई सरबत खालसा नहीं होगा या ऐसी कोई बैठक नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री रोडे को भक्त के व्यक्तिगत रूप में जाने दिया गया। राज्यपाल ने इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि अकाल तख्त के जत्थेदार श्री जसबीर सिंह रोडे अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने मन्दिर में प्रार्थना करने के बदले और कुछ किया ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में जो कुछ उन्होंने मन्दिर में किया उन्हें ऐसा पूर्व तय की गई बात के अनुसार नहीं करना था।

इसके अतिरिक्त जहां तक सीमा का सम्बन्ध है, दूसरी एक समस्या श्री चमन लाल द्वारा दिए गए पत्रकार सम्मेलन के कारण उत्पन्न हुई जो राज्य के पुलिस महानिदेशक थे। यह बात विवादास्पद है कि क्या इस अधिकारी को वरदी पहनकर पत्रकारों को बुलाकर अपनी शिकायतों को खुलेआम स्पष्ट करके अपने उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाना चाहिए था।

इन सब बातों के अतिरिक्त स्थिति ऐसी है कि इस समय राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के बिना और कोई विकल्प नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल राज्य के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है और यह कहना सम्भव नहीं है कि यदि इस स्तर पर चुनाव की घोषणा की जाती है तो क्या स्थायी सरकार सत्ता में आएगी।

यद्यपि विपक्षी दलों द्वारा अनेक सुझाव दिए जा रहे हैं, परन्तु उनके द्वारा कोई ठोस सुझाव नहीं दिया जा रहा है। केवल यह कहने से कि कोई राजनैतिक समाधान ढूंढ निकाला जाए और विपक्षी दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए, इन बातों से हमें कोई लाभ नही होगा। अन्ततोगत्वा क्या किया जाए? कोई ठोस सुझाव नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीय दलों के पास भी कोई समाधान नहीं है। किन्तु वे केवल यह कह रहे हैं कि बैठक बुलाई जानी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। मेरे विचार में उनका एकमात्र सुझाव चर्चा है। किन्तु ठोस सुझावों के बिना कोई लाभदायक चर्चा नहीं हो सकती है। निःसन्देह ही यह सच है कि राजनीतिक समाधान निकालने के लिए कोई बातचीत, आदान-प्रदान और विचार-विमर्श होना चाहिए और इस कार्य में विपक्षी दलों सहित सभी राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए ताकि इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान ढूंढ निकाला जा सके। इस उद्देश्य से अन्य सभी राजनीतिक दलों को सच्चे मन से सामने आकर इस स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए और राजनैतिक समाधान निकालने में सरकार की सहायता करने के प्रयास करने चाहिए। तब तक इस समस्या का समाधान निकालने का काम सत्तारूढ़ दल पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

हां, अभियान चलाने के सुझाव भी दिए गए हैं। निश्चय ही यह एक अच्छा सुझाव है कि सार्वजनिक अभियान होने चाहिएं जिनमें सभी राजनीतिक दल भाग लें और उस राज्य के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति भी भाग लें ताकि हम जनता को आतंकवाद से लड़ने और इसे समाप्त करने का साहस दे सकें और इस बड़े राज्य को अपने देश की मुख्य धारा में ला सकें।

किन्तु पहले हमें इन सब चीजों को निश्चित करना चाहिए, और जब तक और उपाय नहीं

[श्री शरद दिघे]

किए जाते हैं तब तक राष्ट्रपति शासन को चालू रखने के सिवा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। कोई भी लोकतान्त्रिक यह नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति शासन ही इसका समाधान है। जैसाकि एक माननीय सदस्य श्री ढिल्लों ने कहा है, किसी भी राज्य में लोकप्रिय शासन का कोई विकल्प नहीं है।

यह बिल्कुल सही है और हम सभी इससे सहमत हैं। किन्तु जब तक ऐसी स्थिति नहीं बन जाती जब हम चुनाव की घोषणा कर सके और एक लोकप्रिय सरकार बना सकें, तब तक हमें राष्ट्रपति राज को जारी रखने का समर्थन करना होगा, और इस संकल्प का विरोध करने का कोई लाभ नहीं। चूंकि इस अवस्था में कोई अन्य समाधान नहीं है, इसलिए इस सांविधिक संकल्प को स्वीकृति देनी होगी और मैं अपने मित्रों के साथ सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी सम्भव हो राजनीतिक समाधान ढूंढ़ निकाला जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि चुनावों की घोषणा की जा सके और लोकप्रिय सरकार स्थापित की जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर) : चेयरमैन साहब, मैं उस रैजोल्यूशन की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं जो कल होम मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान के सामने रखा। कई सदस्यों ने यह कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त प्रेजीडेंट रूल के बगैर और कोई चारा नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस समस्या का पालिटिकल सोल्यूशन निकालने का भी प्रयत्न करना चाहिए। महज यह कहना कि इसका पालिटिकल सोल्यूशन निकलना चाहिए, अपने आप में काफी नहीं है। विरोधी दल के जो सदस्य यह कहते हैं कि इसका पालिटिकल सैल्यूशन होना चाहिए, मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस तजवीज सामने आनी चाहिए। महज हवा में बात करने से बात नहीं बनेगी। यह एक कौमी मसला है। इस कारण कौमी मसले के तौर पर इसको लेना चाहिए और राजनीति से अलग होकर हमें यहां नेक-नीयती से कोई इसका हल ढूंढ़ना चाहिए।

आज हम यह महसूस करते हैं कि पंजाब हमारे बिल्कुल साथ है। पंजाब आज जिस हालात से गुजर रहा है उसको देखकर हम सबको बहुत दुख होता है। बदकिस्मती से मेरा स्टेट भी उसमें दाखिल हो गया है। वहां के लोगों के दुख-दर्द का हमें अन्दाजा है और हम जानते हैं कि वे किस हालत में वहां रह रहे हैं व किस हालात में वह दिन गुजार रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस हिम्मत और हौंसले से वह इस संकट का मुकाबला कर रहे हैं उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि गवर्नर साहब का एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। हमारे गवर्नर साहब लिमटेशन्स के बावजूद बहुत दिलेरी से काम कर रहे हैं। पंजाब के हालात को देखते हुए प्रेजीडेंट रूल के सिवाय और कोई दूसरा रूल वहां नहीं चल सकता है।

हमारा ख्याल था कि जनरल जिया की मौत के बाद पाकिस्तान का नजरिया कुछ बदल जायेगा, लेकिन बदकिस्मती से जनरल जिया के वक्त की बनी हुई पालिसी को ही अपनाया जा रहा है। जनरल जिया की मृत्यु के बाद कश्मीर में तोड़-फोड़ के वाकयात रहनुमा हुए और उसकी इब्तदा तब हुई जब वहां के डी० आई० जी० के मकान पर हमला किया गया। उस वक्त हमने यह सोचा कि

इसमें शायद कोई हकीकत न हो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हकीकत हामने आ गयी और वाकयात से जायद कि बाजाब्ता एक मुनिज्जम साजिश है। किस तरह, कि कश्मीर के नौजवानों को यूथ को एक्रास दि बोर्डर ट्रेंड किया जाता है और बाजाब्ता उनको तैयार किया जाता है यहां तोड़-फोड़ करने के लिए। एक बात मैं अपनी हुकूमत से और स्टेट गवर्नमेंट से भी मुझे गिला है कि यह सब कार्यवाही पिछले कम से कम 8 महीने से चल रही थी और आपके पास एक नहीं कई एजेंसियां हैं तो क्या आपको यह मालूम नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है और उसके बारे में क्या कुछ किया गया, पहले से उसको रोकने के लिए, आपको हमें यह बताना पड़ेगा। उसके साथ ही अब उनकी एक सिचुएशन आ गई, पाकिस्तान की कोशिश है कि वह अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर, पंजाब में यहां पर एक फियर साइकोसिस पैदा करना चाहता है और उसको अनडू करने के लिए कश्मीर में, पंजाब में या बाकी मुल्क में हमें इसको फाइट आउट करने के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए। एक तो जहां-जहां इसका असर है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीका है और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका यह है कि हमें बड़े मैच्योर लोगों के यह काम सुपुर्द करना चाहिए क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। स्ट्रेस एण्ड स्ट्रेसिस में एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ता है और इसका अंदाजा एडमिनिस्ट्रेटर को ही हो सकता है। खुसूसन कश्मीर में और पंजाब में जहां-जहां जयराम हैं उनको खत्म करने के लिए हमारी एप्रोच सख्त होनी चाहिए लेकिन ह्यूमन भी होनी चाहिए। ऐसी बात न हो जिससे कोई ऐसी बात हो जिसका उल्टा असर पड़े।

इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन इसके साथ जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी यह जिम्मेदारी है। पंजाब में और कश्मीर में भी हमें पौलिटिकल बैरियर्स को अलग करके लोगों को तैयार करना है। इसको फेस करने के लिए जैसा पंजाब में किया गया, लाइक माइण्डेड जो लोग हैं, वहां पर भी वह कोशिश कर रहे हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर के अन्दर यह काम बाकी है लेकिन इसके साथ ही मैं हुकूमत से यह अर्ज करूंगा कि वह उन लोगों का नोटिस जरूर ले, जो लोग और पार्टियां आज कश्मीर की हरकत को, जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, कण्डेम नहीं करते। उन लोगों का नोटिस लेना चाहिए जबकि हमारे कौमी इत्तहार्द को ललकारा जा रहा है और हमारे अन्दर रहकर जो लोग खामोश रहते हैं, उनके बारे में हमें अपना रवैया बिल्कुल साफ करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या वह फिर भी यहां हिन्दुस्तान के शहरी कहलाने के काबिल हैं या नहीं, इस बात का फैसला जरूर करना है।

इसके साथ ही मैं कश्मीर के बारे में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हम जब यह बात सुनते हैं···काश्मीर के लोगों ने 1947 से लेकर आज तक कई तूफानों का मुकाबला किया। 1947 में, 1965 में और 1971 में बराबर पाकिस्तान की तरफ से जो भी साजिशें की गई, काश्मीर के मुसलमानों ने बिलखसूस बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया। वहां के हिन्दुओं और सिखों ने भी उनका साथ दिया लेकिन मुसलमानों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि वे वहां पर अक्सीरियत मे हैं। मुझे दुःख है कि यहां से आवाजें उठती हैं और इस किस्म की सिचुएशन्स का नाजायज फायदा उठाकर यह कहा जाता है कि 370 को खत्म करो। 370 ने आपका क्या बिगाड़ा है। इसलिए मैं उन दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म की बातें न कहें जिनसे वहां के मुसलमानों का दिल दुखे। काश्मीर के हिन्दू, मुसलमान और सिख भी ऐसे हिन्दुस्तानी है जैसे और हैं।

इन अल्फाज के साथ मैं इस करादाद की पुरजोर ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री ए० सी० षण्मुख (वेल्लोर) : सभापति महोदय, अ० भा० अ० द्र० मु० क० की ओर से मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का सख्त विरोध करता हूं। मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान संकल्प में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की और अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। मेरी समझ में यह नहीं आया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को उचित ठहराने के लिए पंजाब के राज्यपाल ने यथार्थ में क्या सिफारिशें की है। और अब चौथी बार सरकार इस सदन के समक्ष राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए यथार्थ में जो सिफारिशें की हैं उन्हें सभा पटल पर रखा जाए। मेरा यह आरोप भी है कि केन्द्रीय सरकार चुनाव आयोग से इसकी स्वतन्त्रता छीन लेने पर तुली हुई है। संविधान में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य में एक वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। अब मुझे यह जानकारी नहीं है कि क्या ऐसा प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से प्राप्त किया गया है या नहीं। किन्तु सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 में पहले ही संशोधन कर दिया है जिससे सरकार को चुनाव आयोग से इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त न करना पड़े कि राज्य में चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना चाहिए। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति शासन को पंजाब की समस्या का हल बताया। इस वर्ष समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस सरकार ने बरनाला सरकार की प्रशंसा की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बरनाला सरकार को समर्थन दिया गया। जब सरकार ने आपके कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो आपने सरकार पदच्युत करवा दी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बरनाला सरकार के शासनकाल में भी पंजाब में हत्याएं होती रहीं। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी हत्याएं हो रही हैं। मेरे विचार से राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद पंजाब की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। प्रत्येक दिन बीस व्यक्तियों की हत्याएं हो जाती हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार दावा कर रही है कि वह पंजाब में हत्यायें रोकने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। परन्तु सभी नीतियां तथा उपाय असफल रहे हैं। तथा राज्य में हत्यायें रोकने के लिए उन्होंने अनेक कानून भी बनाए हैं। आपने बहुत से कानूनों में संशोधन किए हैं तथा सभी संविधान में भी संशोधन किया है परन्तु अभी तक पंजाब की समस्या का कोई हल नहीं दिखायी दिया है। यह शर्म की बात है कि राष्ट्रपति शासन के बाद भी पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है परन्तु सरकार राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की इच्छुक है।

अब सरकार ने राज्य में पंचायती चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। बातचीत चल रही है। पहले राज्य की विधान सभा के चुनाव कराये जाने चाहिए तत्पश्चात आपको पंचायती चुनाव कराने चाहिए। मैं समझता हूं कि आतंकवादी अलगावादी, राज्य में अपनी गतिविधियां करने के बाद गांवों के दूर-दराज के इलाकों में शरण लेते हैं तो क्या पंचायती चुनाव कराना इतना अधिक सम्भव है। मैं यह नहीं जानता कि सरकार यह क्यों कहती है कि विधान सभा का चुनाव कराना सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि पंजाब की विधान सभा के चुनाव बिना किसी विलम्ब के कराये।

रहन्

*मूलतः तमिल में दिए गए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पंजाब की समस्या के समाधान के लिए बहुत से विपक्षी सदस्यों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन को जारी रखा जाए क्योंकि राज्य की समस्याओं के लिए यही समाधान होगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया था। दो वर्ष के बाद भी वे राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं इसका मतलब है कि केन्द्रीय सरकार राज्य में शांति लाने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में बुरी तरह असफल रही है। वह अब भी पंजाब की समस्या के लिए समाधान नहीं ढूंढ़ सकती है। राज्य सभा में भी उसने संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन पाकिस्तान के साथ लगती हुई पंजाब की सीमा पर सुरक्षा पट्टी बनाने के लिए संकल्प शीघ्रता से पारित कराया। फिर क्या हुआ? क्या इस संकल्प को कभी क्रियान्वित किया गया? उस मामले में यह शीघ्रता से क्यों पारित किया गया? इसलिए मुझे यह आशय निकालना पड़ा कि अनुच्छेद 356 का उन राज्यों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है जो केन्द्रीय सरकार के अनुसार कार्य नही करते हैं। इस अनुच्छेद का दुरुपयोग उन चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है जो केन्द्रीय सरकार के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। आपने मिजोरम की चुनी हुई सरकार गिराई। नागालैंड तथा तमिलनाडु में भी आपने ऐसा ही नाटक किया। आपने लगभग सभी विपक्षी राज्य सरकारों को गिरा दिया आपका उद्देश्य गलत तरीकों से सत्ता में आने का लगता है। तमिलनाडु में भी जानकी रामचन्द्रन की चुनी हुई सरकार सत्ता में थी तमिलनाडु में अनुचित तरीकों से सत्ता हथियाने के लिए आपने राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया और शीघ्र ही चुनाव कराने का वायदा किया। क्या आपने चुनाव कराये? इसके विपरीत आपने राज्य में दो बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए कहा। परन्तु अब भी अनिश्चित है कि तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के चुनाव कराये जायेंगे या नहीं। अब आप राज्य की सत्ता में आने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का इन्तजार कर रहे हैं। शायद आप अब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु राज्य की विधान सभा के चुनाव शीघ्रता से कराये जायें। राष्टपति शासन की अवधि न बढ़ायी जाए। राष्ट्रपति शासन की आड़ में आप राज्यों में कांग्रेस का शासन लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से ऐसे कदम सफल नहीं होंगे। शायद आप तमिलनाडु में वन्नियार आन्दोलन के तुच्छ आधार पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यदि इस वजह से राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जा सकती है तो प्रधानमन्त्री वहां का तीन बार दौरा कैसे कर सकते थे जिनकी सुरक्षा का बन्दोबस्त अब तक भारत के अन्य प्रधानमन्त्रियों को प्रदान की गई सुरक्षा से कहीं अधिक है। इसलिए मैं यह नहीं सोचता कि इस आन्दोलन से राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे कारण बताये बिना राज्य की विधान सभा के चुनाव कराये जाएं।

आपको जनता की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको लोगों की इच्छाओं के आगे झुकना चाहिए। आपको जनता की राय मालूम करनी चाहिए और तत्पश्चात देखना चाहिए कि क्या राज्य की जनता राष्ट्रपति शासन का स्वागत करती है। अन्यथा आप जनता मे गम्भीर फूट डाल देंगे।

मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि पंजाब और तमिलनाडु में शीघ्रता से चुनाव कराये मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि सरकार संविधान से अनुच्छेद 356 को निकालने पर भी विचार करें।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन को कोई भी पसंद नहीं करता। खास तौर पर जो प्रजातन्त्र का प्रेमी है वह तो इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। किन्तु हमें और हमारी सरकार को विवश हो करके पंजाब में राष्ट्रपति के शासन को एक्सटेंड करना पड़ता है। अभी भी वहां ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, सबसे पहले मैं पंजाब की जनता को, पंजाब के सिखों को, पंजाब के हिन्दुओं को और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि पंजाब में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखा और आतंकवादियों के इतने कत्लों के बावजूद बनाये रखा। यह इस बात का सूचक है कि पंजाब की जनता में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कितनी रुचि है और इसके प्रति उनमें कितना आकर्षण है। उन्होंने सारे देश को दिखा दिया है कि भले ही कुछ शक्तियां आतंकवादियों के रूप में वहां खालिस्तान बनाने का प्रयत्न करें, देश को खंडित करना चाहें लेकिन वहां के लोग इसको कभी भी पसंद नहीं करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब हमें ब्लेक थंडर आप्रेशन के बाद प्रमाण मिल गए हैं, सबूत मिल गए हैं···आतंकवादियों से जो जानकारी मिली है और हमने उस जानकारी को पाकिस्तान सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, तो हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से कार्यवाही कर रहा है, उसके खिलाफ हमें सख्त कदम उठाने होंगे। हमारे जो समर्थक देश हैं, जो देश प्रजातन्त्र को मानते हैं, उनके समक्ष हमको पाकिस्तान की इस प्रकार की कार्यवाही का भण्डोफोड़ करना चाहिए, अपनी एंजेसीज को स्ट्रेंगदन करके वहां पर बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे साथ इस तरह की एक अनडिक्लेर्ड वार छेड़ रखी है और हमें उसका मुकाबला करना है।

अब प्रश्न है कि समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बात किससे की जाए, यह बात सही है कि वहां पर इस समय कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिससे बात की जाए, इस समय वहां पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन यह बात भी सही है कि जब हमारे प्रधानमन्त्री ने दो बार पंजाब का दौरा किया है तो विरोधी पार्टियों को बुलाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमने पहले अकालियों को अवसर दिया और मैं कहता हूं कि अब भी अगर हम अवसर देंगे और ये पावर में आ जायेंगे, लेकिन वहां पर शासन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इनमें नेतृत्व के लिए संघर्ष रहेगा, न बादल वहां पर शासन चला सकते हैं, न बरनाला चला सकते हैं। कोई भी अकालियों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। इसलिए वहां पर जो शक्तियां जनतन्त्र में विश्वास करती हैं, धर्म-निरपेक्ष हैं, उन सबको पंजाब के मामले में एक हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और इस तरह की जितनी भी सेकुलर फोर्सेस वहां पर हैं, सबको एक होकर वहां पर चुनाव में भाग लेना चाहिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र के टुकड़े न होने देने के लिए, सबको एक मंच पर आकर चुनाव लड़ना चाहिए और वहां पर शासन करना चाहिए, इस तरह से एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए। वहां पर और कोई शासन नहीं कर सकता, यह हमने अच्छी तरह से आंच लिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सारी सेकुलर फोर्सेस को एक होकर विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए, तभी जाकर इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुरक्षा बल और पुलिस बल ने आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए बहादुरी से काम किया है, उन्होंने बहुत से हाइड आउट्स निकाले हैं, बहुत से हथियार पकड़े हैं, जिन जवानों ने बहादुरी से काम किया है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ईनाम दिया जाना चाहिए, उनको तरक्की दी जानी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि वे और अधिक ताकत के साथ स्थिति का मुकाबला कर सकें। इंटैलिजैंस फोर्सेज का भी एक बड़ा भारी खतरनाक काम है इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस बल के जो लोग रिटायर हो जाते हैं और आतंकवादियों विरुद्ध बहादुरी से काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो इन्टैलीजेंस की सूचना देता है, उसके प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं करें तो उनका मनोबल गिर जाएगा इसलिए यह आवश्यक है कि उनका मनोबल मजबूत किया जाए। पहले भी मैंने कहा है और अब भी कहना चाहता हूं कि बार्डर एरियाज को सील करने में क्या कठिनाई है। इसको सील करने की आवश्यकता है। जो भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए वह किसी भी हालत में हमारे देश के अन्दर न घुस सके। अगर घुस जाता है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है और किसकी ड्यूटी होने पर वह घुसा और किस प्रकार घुसा। पाकिस्तान बार्डर को सील करके हमारी जो मिलीटरी या बी० एस० एफ० की फोर्सेज हैं, उनको हम इस प्रकार कर्तव्यबद्ध करें जिससे वे अपने कर्तव्यों को अदा करके सुरक्षा कर सकें और जिससे आतंकवादी प्रवेश न कर सकें। बेरोजगारी की समस्या के लिए हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी कहा है कि उसके लिए कुछ कदम उठाए हैं। कुछ कारखारखाने स्थापित किए हैं। उनको बी० एस० एफ० और पुलिस में भर्ती करने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। कुछ नौजवान जो आतंकवाद की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको बी० एस० एफ० और पुलिस में भर्ती करने की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। जो सैक्युलर फोर्सेज हैं और धर्मनिरपेक्षता को मान्यता देती हैं उन पार्टियो के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत की जानी चाहिए। अभी प्रधानमन्त्री जी के दौरे के बाद वातावरण बना है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और यह स्थिति पैदा होनी चाहिए कि हमें छह महीने का टर्म दोबारा एक्सटेंड न करना पड़े। छह महीने का टर्म एक्सटेंड करने के लिए आना पड़े तो बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तो प्रजातन्त्र के अन्दर चुनाव होना आवश्यक है इसलिए विधान सभा के चुनाव तुरन्त होने चाहिए और पापुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को संगठित होकर, ताकत पैदा करके, वातावरण पैदा करके पंजाब में पावर में आना चाहिए तभी वहां सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मेरे विचार से इसका खण्डन नहीं किया जा सकता कि ब्लैक थंडर ऑपरेशन के बाद स्थिति लगातार सामान्य हुई है। यह ऑपरेशन सरकार की राजनैतिक इच्छा का प्रदर्शन था तथा इसके द्वारा मन्दिर को आतंकवादियों और अवसरवादियों से मुक्त रखा जा सका है। दर असल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी भी इसके कारण मन्दिर में वापस आ सकी तथा वह भी इस बात को अब संकोच से मान रहे हैं। सरकार ने यह भी दिखा दिया है कि सरकार आतंकवादियों में बहके हुए नवयुवकों को अपना शत्रु नहीं मान रही है। इसके विपरीत सरकार उन्हें रोजगार देकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है जैसा कि

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

मेरे साथी ने अभी बताया कि कुछ उद्योग पहले ही शुरू हो चुके हैं कुछ स्थापित किये जा रहे हैं। परन्तु हम सब को मालूम होना चाहिये कि आतंकवाद का कोई सरल समाधान नहीं है। शारीरिक शक्ति से शासन करने के लिये आतंकवादी सरकार की नैतिक शक्ति को लगातार चुनौती देने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश हिंसायें या घटनायें अमृतसर, गुरदासपुर तथा फिरोजपुर जैसे उन्हीं जिलों में हो रही हैं। जहां हमने अपनी सेनायें भेज रखी हैं। दरअसल में अमृतसर को अमृतसर पट्टी, अमृतसर तथा अजनाला तीन जिलों में बांट दिया गया है। यद्यपि इन क्षेत्रों में पुलिस की 60 बटालियनें हैं साथ ही अर्द्ध सैनिक बल भी है फिर भी आपको मालूम होगा कि अधिकांश घटनायें इन्हीं स्थानों पर हो रही हैं? क्योंकि आतंकवादी लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं तथा सरकार की शक्ति को चुनौती देना चाहते हैं। वे इन क्षेत्रों में उत्साह भंग करना चाहते हैं इसलिये इन लोगों को विशेषत: उनको जो जानकारी देते हैं और आतंकवाद से लड़ते हैं सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। हमें लोगों के मन में विश्वास भी पैदा करना है तथा यथा सम्भव सुरक्षा प्रदान करनी है। तत्पश्चात लोगों को यह भी बताया जाना चाहिये कि यह हिंसा उन लोगों का उत्साह भंग करने के लिये की जा रही है, तथा लोगों का भय दूर करना हमारे लिये सम्भव होगा वे इसमें हमारी सहायता भी करेंगे। प्रधानमन्त्री के दौरे से यह स्पष्ट हो गया है तथा लोगों ने भी अनुभव किया है कि उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। अधिकांश संख्या में लोग उनकी बात सुनने के लिये एकत्रित हुये तथा यह भी खुशी की बात है कि बाढ़ से भारी नुकसान के बावजूद भी पंजाब की जनता ने राहत के लिये नहीं कहा। उन्होंने अपने पुर्नवास के लिये ऋण चाहा तथा वायदा किया कि वे अपना ऋण वापस कर देंगे। हमें मालूम है कि पंजाब के लोग बड़े उद्यमी हैं अन्य राज्यों की स्थिति के विपरीत ऋण वापस करने के लिये वे अधिक पैदावार करके ऋण वापस कर सकते हैं। आज राज्य आतंकवादियों से संघर्ष कर रहा है तथा लोगों में विश्वास की भावना पैदा कर रहा है, मेरा सुझाव है कि हमें कोई तकनीक अपनानी चाहिये जिससे कि हम आतंकवादियों से संघर्ष कर सकें। हमें उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिये जहाँ आतंकवादी अधिक संख्या में हैं तथा जहाँ इकट्ठे होते हैं, उस क्षेत्र को घेर लेना चाहिये जिससे कि वहां रहने वाले लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें, वह स्वयं विश्वास कर सकें और निर्भीक बन सकें। इससे पहले मैंने मलाया में जरनल थाम्पसन का उल्लेख किया था जहाँ पहचान पत्र जारी कर दिये गये तथा गाँवों को इस ढंग से बसाया कि आतंकवादी न घुस सकें और न निकल सकें तथा उन्हें सुरक्षात्मक घेरा प्रदान किया गया जिससे कि उस क्षेत्र के अन्दर जाँच की जा सके। इस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए इससे लोगों में विश्वास करने में हमें सहायता मिलेगी। आसूचना विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है इन्हें मजबूत बनाया जाना चाहिए हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए इन्हीं के कारण हम अतिंदर पाल सिंह तथा इससे पहले दिल्ली मे जिंदा जैसे व्यक्तियों को पकड़ सके। जिन व्यक्तियों पर हमारे बलों तथा सूचना विभाग को कुछ जानकारी देने का संदेह या उनके गुट को जाने बगैर ही उनकी हत्या कर दी गयी। दरअसल यह माना जाता है कि मारे गए लोगों में अधिकतर यानी 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग सिख थे। इसलिए अगर उन्हें यह प्रतीत हुआ कि वे पुलिस का किसी तरह का सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें अंधाधुंधा मार डाला गया इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उनकी सुरक्षा करें तथा इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे निर्भीक होकर आगे आयें और हमारी मदद करें।

इसका यह एक पहलू है—खुफिया विभाग को मजबूत किया जाए। दूसरे, सुरक्षा बलों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है हमें उनके कार्य का सराहना करनी चाहिये। पुलिस के कुछ अधिकारी तथा सिपाही मारे गए हैं उचित यही है कि सरकार को इनका मनोबल बढ़ाने के लिये पर्याप्त मुआवजा देना चाहिये क्योंकि मनोबल बहुत जरूरी है। पटियाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक मारे गये। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने उनके परिवारों की देखभाल की है इसी प्रकार कुछ जगह निरीक्षक तथा सिपाही मारे गये हैं। मेरा विश्वास है कि सरकार ने उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया है। मेरे मित्र श्री जैन ने अभी-अभी सीमा की नाकेबन्दी करने के बारे में कहा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह कार्य किस सीमा तक पूरा किया गया है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं क्योंकि कल इस सभा में यह आरोप लगाया गया था कि हथियारों तथा नशीली दवाओं दोनों की काफी तस्करी हो रही है तथा लोग भी सीमा से इधर उधर आ जा रहे हैं। हमने देखा है पाकिस्तान की ओर सीमा पार जाने अथवा वापिस भारत की सीमा पार करने की कोशिश में अनेक लोग सीमा पर ही मारे गए हैं। लेकिन सीमा की नाकेबंदी करने का निर्णय काफी समय पहले लिया गया था। हमें इसमें किस हद तक सफलता मिली है, हम चाहते हैं कि मन्त्री महोदय इसके बारे में हमें जानकारी दें। लोग कह रहे हैं कि पंजाब समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि कोई राजनैतिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा "पंचायत चुनावों से शुरूआत करनी चाहिए।" यदि हम पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए पंचायत चुनाव से इसकी शुरूआत करते हैं तो हम बुनियादी रूप से राजनैतिक ढांचे को तैयार कर सकते हैं। अतः हम यह कर रहे हैं। यहां राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे आगे आएं तथा इस प्रक्रिया में सहायता दें क्योंकि यह एक अच्छा प्रयोग होगा। इसकी शुरुआत की जा रही है तथा सभी राजनैतिक दलों को चाहिए कि वे इसका समर्थन करें। लेकिन जैसा कि प्रधान मन्त्री महोदय ने स्वयं अनेक बार स्पष्ट किया कि कठिनाई उन दलों के पहचान की है जिनके साथ हम बातचीत कर सकें। सरकार को उन लोगों का दल बनाने में भी सहायता करनी चाहिए जो पंजाब समस्या का समाधान करने के लिए आगे आने के इच्छुक हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग तथा दल ऐसे हैं जो शान्ति में तथा पंजाब समस्या का समाधान भारतीय संविधान के ढांके के अनुसार करने में विश्वास रखते हैं तथा हमें इस प्रकार के दलों को बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि बाद में हम उनके साथ विचार विमर्श कर सके। यह चुनौती की बात है कि क्या हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कुछ दलों के आतंकवादी तरीकों के जरिए अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश के साथ संघर्ष करने के लिए राजनैतिक संकल्प दर्शाएगा।

4.00 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

यह हमारे पड़ोसियों की ओर से एक चुनौती है जो यह सोचते हैं कि वे असंतुष्ट तत्त्वों के जरिए आपस में फूट डलवा सकते हैं। यह चुनौती है। मुझे विश्वास है। यह सभा इस चुनौती का सामना करने के लिए तथा विश्व को यह दिखाने के लिए कि भारत में आंतरिक भिन्नताएं होते हुए भी, यह राजनैतिक संकल्पों से सम्पन्न एक राष्ट्र है जो कि न केवल अस्तित्व बनाए रखने के लिए

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

अपितु एक राष्ट्र के रूप में अक्षुण है—तथा इस मामले में मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए न केवल संविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं अपितु विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प का समर्थन करें तथा पंजाब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सरकार की राजनैतिक रूप से सहायता करें।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, बूटा सिंह जी ने जो प्रस्ताव पंजाब की उद्घोषणा की पुष्टि करने के सम्बन्ध में रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब के बारे में मैंने विपक्ष की बातें सुनी हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मुखालफत विपक्ष के ज्यादातर लोगों ने की है। मैं यह समझता हूं कि पंजाब में जो उग्रवाद की स्थिति आज पैदा हुई है, उसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों के इस तरह के कामों के कारण ही वहां पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वहां पर अच्छा काम पार्टियों ने नहीं किया है। अच्छे काम भी किए हैं। सी० पी० आई० और सी० पी० एम० वालों ने भी वहां कुछ काम किया है। आज तो स्थिति यह है कि जो पार्टियां वजूद में ही नहीं हैं, जिनको हिन्दुस्तान और पंजाब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वे पार्टियां भी यहां पर इस तरह की बात करती हैं और कहती हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी पंजाब में चुनाव नहीं कराना चाहती है, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी तो पंजाब में चुनाव कराना चाहती है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं जिनमें चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। पंजाब में हमारी पार्टी ने ही चुनाव कराए थे और अकालियों को सत्ता सौंपी थी, लेकिन वे चल नहीं सके। बरनाला, तोहरा और बादल सरकार नहीं चला पाए और आज स्थिति यह हो गई है कि अकालियों की वह पार्टी मुख्तलिफ हिस्सों में बंट गई है। अकालियों को तो कांग्रेस ने सत्ता सौंपी और इन्होंने खुद ही ऐसे काम किए जिससे राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो गया। इन्होंने खुद ही ऐसे ग्रंथियों को बैठाया जिन्होंने स्वर्ण मन्दिर में असलहा जमा किया और वहां पर देश की जनता की असमत लूटी गई। हिन्दुस्तान के लोग जो स्वर्ण मन्दिर में अपनी श्रद्धा रखते थे और जो मन्दिर में माथा टेकने जाते थे, उनको उन्होंने गोलियों से भून डाला। उनकी श्रद्धा व आस्था को खत्म करने की कोशिश की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की वहां कार्यवाही चल रही थी, उसका मुकाबला वहां की जनता ने बड़ी बहादुरी से किया है।

सभापति महोदय, वहां पर हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई की लड़ाई नहीं है। वहां पर तो लड़ाई पाकिस्तान से आए हुए लोगों की है। आज स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान से लोग ट्रेंड होकर आते हैं और पाकिस्तान, काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में उग्रवादी गतिविधियां करते हैं। पाकिस्तानी लोग जो घुसपैठ करके देश के अन्दर आ जाते हैं। वे इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं। काश्मीर भी इन कार्यवाहियों, से बचा नहीं रह सका है। हिमाचल प्रदेश में भी गड़बड़ी की है। बसों में बम रखे गए हैं। पठानकोट, जसूर जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, वहां भी बसों में बम विस्फोट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ और नूरपुर में डकैतियां पड़ीं। इन डकैतियों में उग्रवादियों का ही हाथ था।

आज जो पार्टियां यहां बैठकर राष्ट्रपति शासन की अपोजीशन कर रही हैं, क्या उन्होंने कभी यह प्रयास किया कि वहां सद्भावना पैदा की जाए? क्या आप लोगों ने कभी यह कोशिश की कि पंजाब में इलैक्शन हो। आप लोग यहां बैठकर मुखालफत करते रहते हैं वहां जाने का प्रयास नहीं करते हैं। एक हमारे यहां हिन्दू महा सभा बनी है। यह हिन्दू महा सभा भी पंजाब में जहां मुकाबला हो रहा है, वहां नहीं जाती है। हिन्दू महासभा वालों ने वहां पर क्यों नहीं मुकाबला किया? वह "जय ओम्" और "जय शंकर" की करते हुए अमृतसर क्यों नहीं जाते हैं? वह तो सिर्फ हिमाचल में जाते हैं, जहां पुर-अमन है जहां कोई मरा नहीं है।

उग्रवादियों के लिए जो हमारे एम० पीज ने यहां पर विचार रखे और पंजाब से जो चुनकर आते हैं हमारे बुजुर्ग लोग डा० गुर दयाल सिंह ढिल्लों और भाटिया जी, उन्होंने जो विचार रखे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि पंजाब के हालात और सिचुएशन को मद्देनजर रखकर जो राष्ट्रपति शासन बढाने का काम हुआ है, यह बिल्कुल सही हुआ है। हम जम्हूरियत में यकीन रखते हैं, वहां पर चुनाव होंगे लेकिन सारे विपक्ष से किस-किस से सलाह करनी है? कोई 4 पार्टियां बन जाती हैं, कहीं 8 और 10 पार्टियां बन जाती हैं और वहां पर अकालियों की भी कई पार्टियां हैं, हम किस किस से सलाह और बात करें कि वहां उनका क्या प्रोग्राम है और पंजाब में अमनो-अमान कायम करने के लिए क्या वह चाहते हैं? जैसी परिस्थिति वहां पर रही और उसमें रे साहब ने काम किया है, बंगाल वाले उनकी मुखालिफ्त करते है, लेकिन बंगाल वालों को क्या पता कि वहां पर क्या हो रहा है? बंगाल वाले पंजाब में नहीं जाते हैं, सिर्फ थियोरिटिकल जो अखबारों में निकलता है, उसकी बात करते हैं।

पंजाब में ला० जगत नारायण को मारा गया जो कि "हिन्द समाचार" अखबार निकालते थे। वहां पर श्री रमेश को मारा गया और जिनके अखबार पंजाब में चलते थे उनको मार दिया गया लेकिन जो उग्रवादी हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा कि ये ठीक काम नहीं करते हैं। किसी अकाली पार्टी ने इसको अपोज नहीं किया। बरनाला साहब ने ठीक काम किया वहां पर, उस पर भी उनको सजा दी गई कि तुम आनन्दपुर साहब जाकर जूते साफ करो। इस तरह से सारे राष्ट्र को बदनाम करने के लिए चीफ मिनिस्टर को उन्होंने इस तरह की सजा दी। जिसने उनका मुकाबला किया, उसको इस तरह की सजा दी।

जब भिंडरावाला वहां बैठा था, जितने कत्ल उस समय हुए उनका इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए उन्होंने बात की कि हमने किया है, उग्रवादियों ने, खालसा दल ने इस तरह का कत्ले-आम किया है।

आज पंजाब में जो सद्भावना पैदा हुई है, आज जो पंजाब के लोग उग्रवाद का मुकाबला कर रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी तो इसका मुकाबला कर ही रही है लेकिन विपक्ष को यह चाहिए, वह देश में इस तरह का माहौल पैदा करे जिससे राष्ट्रपति राज वहां जल्दी से जल्दी खत्म हो। सरकार की हमेशा मन्शा है कि वहां जम्हूरी तरीके से सरकार बने, लेकिन अगर आप वहां जीत न सकें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जहां आप जीत जाते हैं वहां तो जम्हूरियत ठीक है और जहां आप हार जाते हैं, वहां जम्हूरियत को कहते हैं कि यह सरकार ठीक नहीं चल रही है।

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने सारे देश का दौरा किया। अभी बाढ़-पीड़ितों के राहत-कार्य के लिए उन्होंने पंजाब, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर और असम का, जितने प्रदेशों में बाढ़ से नुकसान हुआ है, उनका दौरा किया। उन्होंने वहां जाकर लोगों से सम्पर्क किया और लोगों को राहत पहुचाने के लिए कांग्रेस ने कार्य किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस काम के लिए आगे आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुसीबत के समय में देश के लिए काम किया है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंजाब के हालात से आपको वाकिफयत नहीं है, पंजाब के बारे में गलत बातें कही जाती हैं, उनका अर्थ यह होता है कि आप देश में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो काम किया है, वह काबिले-तारीफ है और पंजाब में राष्ट्रपति रूल जो कायम हुआ है, उसको आगे लागू रखने के लिए जो बिल सरदार बूटा सिंह जी लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हेत राम (सिरसा) : माननीय सभापति जी, पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए जो बिल लाया गया है, इसके बारे में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

आज से करीब 60 साल पहले जो पंजाब था, वह इतना सुन्दर था कि सारे हिन्दुस्तान में उसका मुकाबला नहीं था। सारी दुनिया को यह लगता था कि यह हिन्दुस्तान का कैलिफोर्निया है। हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा इलाका है। लेकिन आज उसको कौन सा कैंसर खा गया है, उसे कौनसी बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी को महज जानने के लिए कि उसमें कौनसी पार्टी काम कर रही हैं? पहले पंजाब एक सबसे प्रगतिशील और विकसित प्रान्त होता था।

आज पंजाब के जो हालात हैं आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं करीब सात साल से इसको भोग रहा हूं और मैं तब से पंजाब में ही था। आज पंजाब में नौकरी करने के लिए कोई जाना नहीं चाहता है और उसको बूचड़खाना माना जाता है। किसी अफसर को जब वहां भेजा जाता है तो वह कहता है कि आप मुझे किसी कुएं में डाल दो या किसी जंगल में भेज दो लेकिन पंजाब मत भेजो। वह वहां इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी जान को खतरा है।

1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबके सामने एक आदर्श था और एक सपना था व लोग मस्ती में रह रहे थे। वह कहते थे कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेगा। लेकिन कांग्रेस के राज के अन्दर महात्मा गांधी का वह सपना पूरा नहीं किया गया और उन्होंने महात्मा गांधी को भुला दिया। इस बीच में एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इस भ्रष्टाचार के बोलबाले के कारण चारों ओर कहीं भी किसी मूल्यों का जिक्र नहीं हुआ। जिस प्रकार के समाज की स्थापना हुई उसी की वजह से पंजाब के हालात खराब हुए। इस कारण से पंजाब आज जल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण समाज में फैली मूल्यहीनता है। धर्म का तो हिसाब-किताब ही अलग हो गया है। लड़ाई करने के सिवाय धर्म का कोई काम नहीं रह गया है। उसकी यही ध्येय रह गया है कि सिखों को हिन्दुओं से लड़ाओ और हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। इस वजह से मूल्यहीनता समाज के अन्दर पनप रही है। आज का जो नवयुवक है वह यह सोचता है कि बड़े-बड़े नेता जो कि खुद आदर्श लिए हुए नहीं हैं, वह हमको बहका रहे हैं और

खुद तो एअरकंडिशन्ड कमरों में रह रहे हैं और हमें कहते हैं कि एक आदर्श जीवन बिताओ। यह दुगली बातें नहीं चल सकतीं।

गांवों के अन्दर पर-कैपिटा इनकम एक रुपया 25 पैसे है। अगर बड़े जमीदारों का हिसाब निकाल दिया जाए तो गरीब आदमी के पास 36 पैसे एक दिन के पड़ते हैं। गरीब आदमी इससे कैसे अपने परिवार का गुजारा चला सकता है? वह कैसे इन पैसों से अपना पेट भर सकेगा और कैसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई कुछ कर रख सकेगा। ऐसे में वह यही सोचता है कि इन राज करने वालों और आरामशाही में रहने वालों को कुछ न कुछ परेशान करो। इस सरकार ने लगातार अपने गवर्नर बदले। इसका क्या कारण है? आपने जिन गवर्नरों की नियुक्ति की उन्होंने आम लोगों की मुसीबतों को उन्होंने नहीं देखा और न ही आम आदमी के बारे में सोचा व न ही सामाजिक मूल्यों के बारे में सोचा। यही वजह है कि हम इस समस्या को नहीं सुलझा सके। हमें सबसे पहले इस समाज को बदलना होगा, आम आदमी का जो दुख-दर्द है उसको दूर करना होगा और बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाना होगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो यही हालात उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य कई जगहों में पैदा हो जाएंगे। यह सारी की सारी मूल्यहीनता के कारण बीमारी फैली हुई है। हमारे देश के नेताओं का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। वह लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करें।

1947 के अन्दर जब हिन्दुस्तान जल रहा था और हिन्दुओं व मुसलमानों के बीच झगड़ा हो रहा था व गोलियां चल रही थीं। तो महात्मा गांधी उन लोगों के बीच गए और उन्होंने उन सब को शान्त करवाया। आज देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि दावे के साथ यह कह सके कि मैं सारे लोगों को शान्त करा सकता हूं। आज हर किसी को अपनी जान प्यारी है। कोई भी यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए हूं, पहले मैं मरूंगा बाद में तुम मरोगे। हर कोई यह सोचता है कि पहले हम बच जायें और देश भाड़ में जाता है तो जाये।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि देश के ढ़ांचे को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी और जब तक मूल्य नहीं बदलेंगे। न तो इसमें फौज कुछ कर सकती है, न पुलिस कर सकती है, न सिपाही कर सकता है। आज पाकिस्तान के सन्दर्भ में हम यह कह सकते हैं कि यह भी हमारी सरकार की गलती है कि जितने पड़ौसी देश हैं, उनके साथ हम मधुर सम्बन्ध नहीं बना सके हैं और फॉरन पॉलिसी के अन्दर जो कमी है, अब उसको इस तरह टैकल किया जाय कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे पड़ौसी के नाते सम्बन्ध रख सकें और उनको विश्वास दिला सकें कि हम अच्छे पड़ौसी की तरह जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी खुशी से जियो। इस तरह से पाकिस्तान के साथ डिप्लोमैटिक सम्बन्ध कायम करके उनको समझाया जा सकता है कि वे हमारे नवयुवकों को जो पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उनको और ज्यादा पथभ्रष्ट न करें। हमारा फर्ज है कि हम ऐसे मूल्य कायम करें और एक नये समाज की स्थापना के लिए हम काम करें।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी): सभापति महोदय, पिछले चार वर्षों के दौरान में इस सभा के 12 अधिवेशन हुए हैं तथा इन 12 अधिवेशनों के दौरान हमने अनेक बार, करीब 20 से भी अधिक बार पंजाब पर चर्चा की है चाहे वह नियम 193 के अन्तर्गत हो अथवा वर्तमान सांविधिक संकल्प के

[श्री शान्ताराम नायक]

रूप में हो। इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर यह आक्षेप किया है कि सरकार पंजाब की समस्या का समाधान करने में असफल रही है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों के दौरान आपने सरकार को कोई ऐसा सुझाव दिया है जो आपके अनुसार इस समस्या के समाधान में सार्थक हुआ हो। क्या आप बता सकते हैं कि हमने आपके कौनसे सुझावों को नहीं माना तथा जिनके कारण यह परिणाम हुए? आप बिल्कुल अस्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। आपके विचार सुसंगत नहीं हैं तथा आप अपने उन निवेदनों से पीछे हट रहे हैं जो आपने पिछली बार दिए थे। अतः यदि विपक्ष ने कोई रचनात्मक भूमिका अपनाई होती तो निःसंदेह उन्होंने कोई सुझाव दिया होता; देश को भी यह मालूम होगा कि विपक्षी दलों के वयोवृद्ध सदस्यों तथा नेताओं ने यह सुझाव दिए थे जिनका पालन सरकार ने नहीं किया। लोगों को इसकी जानकारी मिल जाती। लेकिन कहीं से भी किसी संगठन या संस्थान के द्वारा सरकार से यह कहते हुए या अनुरोध करते हुए नहीं सुना कि विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करें। चाहे वे सभा में दिए गए हों अथवा सभा के बाहर दिए गए हों। इस प्रकार की बातें नहीं हुई। मैं इस पहलू पर ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी मामले में दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी है तथा सरकार इसे अपने बलबूते पर कर रही है। आप भी जानते हैं कि सरकार की समस्याएं क्या हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए जो देश अथवा आम आदमी के लिए उत्तम साबित हों। आप एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रहे हैं तथा आपको इस मामले में सरकार पर किसी भी प्रकार का आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पहले समय-समय पर जब भी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई है उसमें से राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के बारे में सरकार का निर्णय एक बार भी सही नहीं था? क्या आपने कभी ऐसा कहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि हर बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना गलत था? क्या आपने कभी-कभी राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का समर्थन किया। आपने हर समय यही कहा कि फला समय राष्ट्रपति शासन बढ़ाना गलत था? आप वरीयता के आधार पर मसले पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ विरोध करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। अन्यथा कम से कम एक बार तो आपने यह कहा होता हां, इस समय राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।" सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का चाहे वह नरम कार्यवाही हो अथवा गम्भीर कार्यवाही हो आपने समय समय पर उसका विरोध किया है। अतः आप अपनी भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं।

मैं अपनी ओर से एक समाधान का सुझाव दे रहा हूं। मैं पंजाब के बारे में विशेष नहीं हूं। मेरे मित्रों ने समय समय पर इसके विषय में बोला है। आज हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि वहां विधान सभा के चुनाव कराए जाएं ताकि लोकप्रिय सरकार बहाल की जाए। चुनाव कराने की यही आवश्यकता के कारण ही सम्भवतः हम गलत दिशा की ओर चलने लगते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि और कोई समाधान नहीं है अथवा वर्तमान स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है हमारे सामने आवश्यकता यह है कि हम भविष्य में चुनाव कराएं। इन परिस्थितियों में मैं सुझाव दूंगा कि आज की पंजाब समस्या पर विचार करते हुए हमें इस समय चुनाव कराने की प्राथमिकता को त्याग देना चाहिए। सामान्यतया नियमानुसार हमें राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए हर छः मास के बाद सभा में

प्रस्ताव रखना होता है। अतः मेरा सुझाव है जब तक पंजाब में स्थिति में सुधार हो उसे एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाए और वहां पर केवल एक प्रशासक या सलाहकार जैसा कि राज्यपाल या केन्द्रीय सरकार ठीक समझे नियुक्त कर दिया जाए। इसमे आशंका समाप्त हो जाएगी तथा इससे सरकार के सामने यह भय भी नहीं रहेगा कि फलां फलां समय के भीतर विधान सभा के चुनाव कराए जाने हैं। पंजाब को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए तथा उसमें केवल एक प्रशासक होना चाहिए और विधान सभा नहीं होनी चाहिए क्योंकि लक्ष्यद्वीप, अंडमान दिल्ली, दादर तथा नागर हवेली जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों में विधान सभा नहीं हैं तथा सिर्फ एक प्रशासक या सलाहकार हैं।

मैं विपक्ष के सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं। मान लिजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि चुनाव कराए जा सकते हैं निस्संदेह हम इसमें संशोधन कर सकते हैं तथा इसे पुनः राज्य का दर्जा प्रदान कर सकते हैं आज जैसा कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए वे अनेक बार संविधान में संशोधन कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ दो संशोधनों की आवश्यकता होगी, एक पंजाब को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना तथा दूसरे जब स्थिति में सुधार हो इसे पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इसी बीच हम इस मामले को हल कर सकते हैं।

पद केवल एक कानूनी समाधान है। मैं नहीं जानता कि श्री रामूवालिया इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है निस्संदेह हम चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध हैं। जैसा कि प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि हमें पंचायतों के चुनाव कराने चाहिए जो कि लोकतन्त्र का आधार है। आप लोगों की राय जान सकते हैं कि क्या वे चुनावों के लिए तैयार हैं। हमें पंचायत के चुनावों से इसका पता चल सकता है। यदि पंचायत के चुनावों के बाद स्थानीय तंत्र एक समय तक ठीक से कार्य करता है तो केन्द्र शासित प्रदेश के दर्जे को सम्पूर्ण राज्य में बदला जा सकता है।

अन्त में दूसरे देशों में जब अमेरिका तथा ब्रिटेन में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को हम अपनी छवि बताते हैं, तो कभी कभी हम सिर्फ कुछ छोटी ग्रुप चर्चाएं करते हैं जिसमें शायद उनमें से कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि सरकार के तथा राजनीतिक दलों के कुछ प्रतिनिधि इन देशों में जाएं तथा छोटी सभाओं की अपेक्षा बड़ी-बड़ी बैठकें करें तथा न केवल नेताओं अपितु आम सिखों को भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताए। यहां श्री रामूवालिया जैसे लोग सहायता कर सकते हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गरीब देश के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान किया है। अब पंजाब में चौथी बार राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा रहा है। एक प्रजातान्त्रिक देश में पंजाब के लोगों का अनुभव अन्याय, अत्याचार और अवैधता से भरा है। पंजाब में कोई शान्ति नहीं है। पंजाब में लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई है। वहां अनेक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और वहां निर्दोष लोगों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। इस समय चार राज्यों अर्थात् पंजाब, नागालैण्ड, मिजोरम और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू है। लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। सम्भवतः कांग्रेस (आई) के राजनैतिक कारणों से ऐसा घटित हुआ है ? वे लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को

[श्री भद्रेश्वर तांती]

अस्थिर करने में निपुण हैं परन्तु यह उनका अन्तिम मौका है। इस बार इस देश के लोग उन्हें एक अच्छा सबक सिखाने जा रहे हैं। लोग उन्हें और अधिक सहन नहीं करेंगे।

पंजाब में क्या घटित हो रहा है? क्या आप पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने में सफल रहे हैं? हमें समाचार-पत्रों से पता चलता है कि वहां प्रतिदिन हत्याएं की जा रही हैं। वहां या तो बम विस्फोट होते रहते हैं अथवा गोलीकाण्ड होता रहता है। प्रशासन के नाम पर आपने सभी कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है परन्तु फिर भी आप विफल रहे हैं और ये अवैध हत्याएं जारी हैं।

हमारा देश एक गरीब देश है परन्तु मैं देखता हूं कि मन्त्री जनता के धन से विदेशी यात्रा करने में व्यस्त रहते हैं। मैंने कल की सत्ता पक्ष के सदस्यों की अल्प उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया था और आज भी 544 सदस्यों में से मुश्किल से 50-55 सदस्य उपस्थित हैं। जहां तक पंजाब, मिजोरम, नागालैण्ड और तमिलनाडु की समस्याओं का सम्बन्ध है उन्हें विरोधी पक्ष को अपने विश्वास में लेना चाहिए। प्रधान मन्त्री महोदय और सत्ता पक्ष द्वारा हम पर सुझाव प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। हम अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं परन्तु प्रधान मन्त्री महोदय के पास उन सुझावों को सुनने और विरोधी पक्ष के नेताओं से मिलने के लिए कोई समय नहीं है। लोकतन्त्र में बहुमत का निर्णय ही अन्तिम नहीं होता। अल्पमत की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अन्त में यह कहते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा कि आपको पंजाब, मिजोरम, नागालैण्ड और तमिलनाडु की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए। आपने पहले ही लोगों का विश्वास खो दिया है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को और आगे बढ़ाने का संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। वहां चौथी बार ऐसा किया जा रहा है। यह सरकार के लिए अपमानजनक है। राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी यह है कि इससे केन्द्र का प्रत्यक्ष शासन स्थापित होता है। इन सब बातों के बावजूद वर्षों से चल रही कूटनीति पंजाब में शान्ति लाने में असफल रही है। चुनाव द्वारा लोकप्रिय सरकार के लिए आवश्यक परिस्थिति वहां उत्पन्न नहीं की जा सकी है। अतः हम अभी यह सुझाव नहीं दे सकते कि वहां तुरन्त ही चुनाव कराए जाने चाहिए। परन्तु वहां कुछ कार्य अवश्य किया जाना चाहिए था, जिसे करने में यह सरकार विफल रही है। दिल्ली में ऐसी बहुत सी विधवाएं हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्हें सहानुभूति भी नहीं मिली है। दिल्ली में अब लगभग 10 हजार विधवाएं समाज से बाहर हैं। कम से कम उनके प्रति सहानुभूति तो जतायी ही जानी चाहिए। सरकार को इन विधवाओं की देखभाल करनी चाहिए। केवल तभी पंजाब के लोग यह समझेंगे कि सरकार को पंजाब के लोगों के साथ सहानुभूति है। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्र पंजाब में शान्ति के लिए पुकार रहा है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दे को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए। यह जो समस्या खड़ी हो गई है यह कांग्रेस दल की ही तो देन है। अब वे कहीं न कहीं से सुझाव तलाश कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार पूर्णतया विफल रही है और यह नहीं जानती की उसे आगे क्या करना है। मेरा सुझाव यह है कि नवम्बर, 1984 में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में दंगों

से प्रभावित व्यक्तियों के साथ सहानुभूति जतायी जानी चाहिए। हम रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना और वायुयान दुर्घटना से प्रभावित लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। परन्तु हमें पता लगा है कि दुर्भाग्य से इन अभागे निर्दोष लोगों को—जिन्होंने अपने संबंधियों और अपनी सम्पत्ति को खो दिया है उन्हें अब भी सहानुभूति नहीं मिल रही है। उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत सरकार उनकी भलाई के बारे में सोच रही है और सभी सम्भव तरीकों से उनकी सहायता करना चाहती है।

गृह मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं। हमने मिजोरम, नागालैण्ड और मेघालय में उचित सन्धि के बारे में सुना है। वे त्रिपुरा में ऐसा कर सकते थे। परन्तु वे पंजाब में विफल रहे हैं। सम्भवत: वे वहां सन्धि का प्रयास कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं है। त्रिपुरा में वे ऐसा कर चुके हैं। अनुचित सन्धि करके उन्होंने सरकार स्थापित कर ली है। वे मेघालय में भी ऐसा कर चुके हैं। वे नागालैण्ड और मिजोरम में ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार सम्भवत: वे किसी प्रकार की ऐसी सन्धि की आशा कर रहे हैं जिसके द्वारा कांग्रेस सरकार लाई जा सके। सम्भवत: वे इसका इन्तजार कर रहे हैं। समाधान में देरी करने का यह एक कारण हो सकता है। अत: सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जिसके द्वारा पंजाब में एक लोकप्रिय सरकार लाई जा सके।

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : सभापति महोदय, संविधान के उपबन्धों के अनुसार भारत एक संघीय देश है। यदि राष्ट्र की एकता और अखण्डता को कोई खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। मैं समझता हूं कि मार्शल ला भी लागू किया जा सकता है।

विरोधी पक्ष में कौन संघीय राष्ट्र भारत को अखण्डित देखना चाहता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति यहां है? मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति में यह कहने का साहस नहीं होगा कि भारत को अखण्डित और विघटित रहना चाहिए।

परन्तु उन्हें इन सभी बातों का विरोध करना पड़ता है। विपक्ष की ओर से देश की एकता और अखण्डता के लिए कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। श्री रामूवालिया को यह बताना चाहिए कि भारत सरकार को देश की एकता के लिए और पंजाब में शान्ति की स्थापना के लिए क्या उपाय करने चाहिए। महोदय, प्रत्येक व्यक्ति पंजाब में शान्ति चाहता है परन्तु विरोधी पक्ष की ओर से किसी भी व्यक्ति ने यह प्रस्ताव नहीं रखा है कि पंजाब में शान्ति लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आपका क्या प्रपोजल है?

श्री महावीर प्रसाद यादव : मेरा प्रपोजल यही है कि अगर जरूरत पड़े देश की एकता के लिए तो मार्शल ला लगाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया मुद्दे पर आइए। आपको बोलने के लिए केवल तीन मिनट मिले हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद यादव : मैं एक छोटी कथा सुनाता हूं। एक सियार वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके ऊपर एक छोटी टहनी गिरी तो उसको महसूस हुआ कि प्रलय आ गया। यह देखकर वह भागा तो रास्ते में गधा मिला। गधे ने पूछा कि क्या बात है, सियार ने कहा कि प्रलय आ गया। इस तरह फिर घोड़े से दोनों की मुलाकात हुई। जब सभी भाग रहे थे तो रास्ते में हाथी और बाघ भी मिले। दोनों ने पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि प्रलय आ गया। जब सभी भागे जा रहे थे तो फिर सिंह मिला। उसने पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि प्रलय आ गया, भागो। सिंह ने कहा कि कहां है प्रलय, मुझे दिखाओ। सब लौटकर के गए तो वृक्ष के नजदीक जाकर देखा कि वहां तो एक टहनी गिरी हुई है। इसी तरह यह विरोधियों की हालत है। किसी में सिंह की तरह देखने की ताकत नहीं है। इसी तरह इन लोगों को जब कभी कुछ होता है तो कहेंगे कि प्रलय आ गया वह चाहे फेयरफैक्स या बोफोर्स का मामला हो। सभी में ये लोग प्रलय ही देखते हैं। देश की एकता और अखण्डता को ये लोग नहीं देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ही देश की एकता और अखण्डता को कायम रख सकती है।

[अनुवाद]

मैं यह समझता हूं कि कोई अन्य पक्ष देश को संगठित नहीं रख सकता।

सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि आलोचना सकारात्मक, उचित और बिना किसी पूर्वाग्रह के होनी चाहिए। जब बिहार में अराजपत्रित अधिकारियों की हड़ताल थी तो विरोधी दल ने यह कहा था कि उन्हें केन्द्रीय वेतनमान दिया जाना चाहिए। अब, क्या पश्चिमी बंगाल में सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान दे रही है ? नहीं, पश्चिमी बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान नहीं दे रही है परन्तु वे हमें ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि भारत की एकता और अखण्डता को मजबूत बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, हम पंजाब पर इस सदन में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब भी बूटासिंह जी पंजाब में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लेकर यहां आए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बरनाला सरकार के बाद उन्होंने वहां पर हो रही हत्याओं में कितनी कमी की है। बरनाला सरकार के समय जितने लोग मारे जाते थे आज भी उतने ही मारे जा रहे हैं। यहां तक ही नहीं, बल्कि दिल्ली में भी आतंकवादियों द्वारा हत्यायें करने का जोर बढ़ गया है। पंजाब की समस्या हल करने के लिए और देश की एकता बनाए रखने के लिए आपने इस सदन से जो भी कानून मांगे हमने दिये, लेकिन आप इसको रोकने में असफल रहे, इन कानूनों को लागू करने की आपमें हिम्मत नहीं है। आप इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बतायें कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहते हैं। आपने इस सदन से जो कानूनों की मंजूरी ली उनको लागू करने के लिए पीछे हट रहे हैं। भाटिया साहब बता रहे थे कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, मैं यह कहना चाहता हूं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इस सदन में जो भी राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व करता है चाहे सी०पी०आई०हो०सी०पी०आई० (एम) हो, भा०ज०पा० हो, जनता हो,

लोकदल हो सब पार्टी के लोगों को वह नहीं छोड़ रहे हैं उनके नेताओं को मार रहे हैं। यह केवल राजनीतिक समस्या है और आप इसे आर्थिक समस्या का जामा पहना रहे हैं। जिसके चलते आपने वहां पेप्सी कोला का प्लांट लगाने की अनुमति दी। यह एक मल्टी नेशनल कम्पनी है इसमें अमरीकी लोगों का भी हिस्सा है। अमरीका पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है। आप सब इसको जानते हैं। आपने क्या कभी इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, यू० एन० ओ० में विरोध किया? क्या कभी इसके विरुद्ध आवाज उठाई? आपने समझा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया साहब के इन्तकाल के बाद पंजाब की समस्या हल हो जाएगी और आतंकवाद खत्म हो जायेगा, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। आपने राज्य सभा में सुरक्षा पट्टी वाला जो विधेयक था वह वापिस ले लिया, जबकि हमारे दल ने आपका इसके लिए समर्थन किया था। हमने देश की एकता के लिए आपका साथ दिया था लेकिन आपने उसको वापिस ले लिया। अब यह हथियार, राकेट और आदमी कहां से आ रहे हैं। कोई मच्छर या पक्षी नहीं हैं ये आतंकवादी। आपने भिण्डरावाले को पैदा किया और उसके परिवार के सदस्य को दुबारा स्वर्ण मन्दिर हमें जाने की अनुमति दी। 24 घंटे आपने पता नहीं उसको क्या समझाया। अगर पूजा करना चाहते हैं तो कहीं भी की जा सकती है। इसके विरोध में आपके आई० जी० ने आपको इस्तीफा दे दिया। (व्यवधान)

राज्य सभा में दो अगस्त के प्रश्न को और उसके जवाब को मैं कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"पश्चिमी भारत में, पाकिस्तान के सीमावर्ती कितने जिलों के निवासियों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं और अब तक कितनी तहसीलों को इसमें शामिल किया गया है तथा कितनी तहसीलों को शामिल किया जाना बाकी है और यह कार्य कब तक पूरा होगा?"

उत्तर यह है:

"सरकार ने राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर जिलों में क्रमशः पूगल, नचना, कर्णपुर और चौहाटन तहसीलों और गुजारात में भुज ताल्लुक में पहचान-पत्र जारी करने की पायलट-योजना को अनुमति प्रदान कर दी है। पजाब सरकार भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी करने की योजना पर विचार कर रही है। इस पायलट योजना के परिणामों के आधार पर पश्चिमी सीमा के अन्य सीमावर्ती जिलों में पहचान पत्र जारी करने की योजना को बढ़ाया जा सकता है।"

[हिन्दी]

सरकार का निर्णय मेरी समझ में नहीं आया कि जब आप राजस्थान में आइडैन्टिटी कार्ड ईश्यू कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं तो फिर पंजाब के लिए वह स्कीम अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुई जो कि सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित राज्य है। पंजाब में हमारी पार्टी के प्रेजीडैन्ट के रूप में श्री हिताभिलाषी का चुनाव 20 सितम्बर को हुआ और जैसे ही वे पार्टी कार्यालय में पहुंचे, कुछ लोगों ने उनके बारे में पूछना आरम्भ कर दिया: कब आते हैं, किस कार से आते हैं और कब जाते हैं। एक

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

नौजवान ने आकर पार्टी को भी सूचित किया। इसके आधार पर हमारी पार्टी की ओर से स्थानीय पुलिस अधिकारियों से निवेदन किया गया कि जैसे आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर पुलिस चौकी बनाई है, वैसे ही कुछ पुलिस के कर्मचारी हमारे कार्यालय पर भी तैनात कर दो तो सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि पुलिस की ओर से हमें यह जवाब मिला कि हमारे पास पुलिस के आदमी नहीं हैं। उसके तीसरे दिन ही हमारे प्रेजीडैन्ट श्री हिताभिलाषी की हत्या कर दी गयी। यह सब क्या हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि आप बरनाला साहब से झगड़ा करना चाहते हैं और हुकूमत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और यहां संसद से मंजूरी लेकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा लेटैस्ट "दी सैंडे औब्जर्वर" में पहले पृष्ठ पर जो कुछ छपा है, क्या सरकार को उसकी जानकारी है। महरोली में गोविन्द सदन के बाबा वहां क्या कर रहे हैं, वहां हमारे गृह मन्त्री जी भी जाते हैं, वहां रिवौल्वर आदि पकड़े गए हैं, सरकार का इस बारे में क्या कहना है। मैं कहता हूं कि आप हिम्मत के साथ काम करो, डट कर आतंकवाद का मुकाबला करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश की एकता के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। भाटिया साहब, आपको समझ लेना चाहिए कि आज देश का हर नागरिक आपसे नाराज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदेशी हथियार सिर्फ पंजाब में ही नहीं आ रहे हैं बल्कि हमारे आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद और कुरनूल जिलों में भी नक्सलवादियों के पास से पकड़े गए हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि उन्हें पंजाब के जरिए हथियार मिल रहे हैं। इसलिए विदेशी हथियार पंजाब से आगे सारे देश में स्मलिंग किए जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। उसे देखते हुए क्या हमारी सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध इस प्रकरण को यू एन ओ में उठायेगी।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में पंजाब की समस्या पर अनेकों बार चर्चा हो चुकी है और आज भी हो रही है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाना चाहते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि पंजाब में आज जैसी स्थिति है, उससे हम ही नहीं, विपक्ष में बैठे हुए हमारी साथियों के दिलों में भी यह निश्चत भावना है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का जो कदम उठाया जा रहा है, वह कई दृष्टि से सही है। उसके लिए मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। पंजाब में प्रतिदिन जो हत्यायें हो रही हैं, चारों ओर अराजकता का तांडव है, इस स्थिति में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराना और सरकार बनाना बिल्कुल असम्भव है। हमारे विपक्ष के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हम यहां आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, क्योंकि यह संकल्प सरकार की ओर से सदन में लाया गया है इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए, इससे समस्या का निदान नहीं हो सकता। वैसे हमारे विरोधी भाई भी महसूस करते हैं कि पंजाब की स्थिति साधारण नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र और समाज के लिए एक चुनौती है। पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता के खिलाफ है, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। वह किसी एक पार्टी या दल को चुनौती नहीं है। इसलिए सभी पार्टियों को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। हम देखें कि पंजाब में देश को विभाजित करने वाली शक्तियां किस ढंग से काम कर रही हैं। ये वही शक्तियां हैं जो देश के हर कोने में काम कर रही हैं, सक्रिय हैं। ये वही शक्तियां हैं जो यहां बाबरी मस्जिद के नाम से या राम जन्मभूमि के नाम से ऐसा माहौल पैदा करना चाहती हैं जिससे देश बिखर जाए।

पंजाब में भी वही शक्तियां हैं। उनका मुकाबला करने के लिए मैं पूरे राष्ट्र से अपील करना चाहता हूं। आप उन्हें अपना प्रतिनिधि न मानें, उनके साथ कोई नहीं अगर इसी को चाहे वे इस तरफ के हों, चाहे उस तरफ के हों। क्या ये ही इस्लाम के प्रतिनिधि होते हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये बात करने के लायक नहीं है। इनसे बात न की जाए। आम लोग उसके लिए तैयार हैं जो देश की एकता को रखना चाहते हैं। क्या यही हैं हिन्दू धर्म के ठेकेदार जो रामजन्म भूमि के नाम सामने पर आना चाहते हैं। इनको बोलने न दिया जाए। धर्म को मानने वाली आम जनता है, वे उसके प्रतिनिधि हैं। हम गलत लोगों को प्रतिनिधि मानकर चर्चा करना चाहते हैं। यही हालात पंजाब की है। जब भी पंजाब के लिए हमको बात करनी होती है, हम उन शक्तियों को क्यों नही देखते हैं जो राष्ट्र के लिए कुरबानी दे रही हैं, हम उनसे क्यों चर्चा नहीं करते? पंजाब के असली लोग वही हैं, पंजाब के शाही लोग वही हैं, देश भक्त वही हैं। हम क्यों नहीं सब देश भक्त इकट्ठे होकर, एक साथ खड़े होकर इसका मुकाबला करते। आप उन साथियों को भूल गए जो आपके साथ कुरबानी देने के लिए तैयार हैं। उस कांग्रेस के लिए दिल में दर्द नहीं है जिसने गांधी जी जैसा बलिदान राष्ट्र की एकता के लिए दिया। उनको आप क्यों भूल गए। मैं यह उन साथियों से कह रहा हूं जिनकी तरफ मेरी नजर है। उन कम्यूनिष्ट साथियों से कह रहा हूं, आप उनको क्यों भूल गए जिन्होंने देश की एकता के लिए अपना बलिदान दिया। राष्ट्रनेता महात्मा गांधी ने अपना बलिदान किया, आप वह भूल गए। इंदिरा गांधी के बलिदान को भूल गए जिन्होंने देश के लिए कुरबानी की। उनके साथ आप कहते हैं कि हमारा दुश्मन एक नम्बर का है और उनके साथ नहीं बैठना चाहते। और जो साम्प्रदायिकतावादी हैं उनके साथ आप बैठने के लिए तैयार हैं। छोड़िए ये रास्ता। आईए हम और आप एक साथ कुरबानी देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे पहले कह रहे हैं। आप अपना मानस बनाईए। साम्प्रदायिकता विनाश की साथी हो सकती है आपकी साथी कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं हम एक साथ मोरचा बनाएं। हम राष्ट्र को बचाने के लिए, मोर्चा बना रहे हैं। यह कोई साधारण आतंकवाद नहीं है। ये आतंकवादी साधारण नहीं हैं। इनके पीछे एक साजिश है। हर पार्टी ने साजिश का नाम लिया है। विदेशी शक्ति काम कर रही है। हर पार्टी ने नाम लिया है कि इस साम्प्रदायिकता के लिए बिदेशी शक्ति काम कर रही है। इसलिए इस साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए हम क्यों न साथ हों।

मैं दावा करता हूं कि पंजाब इन साम्प्रदायिक लोगों का नहीं है। पंजाब भगतसिंह का है। पजाब उन बाबाओं का है जिन्होंने देश को आजाद किया, जिन्होंने देश को टुकड़े होने से बचाया। पंजाब मास्टर तारासिंह का है जिन्होने कहा कि देश के टुकड़े बाद में होंगे, पहले मेरे टुकड़े करो। देश के टुकड़े हम नहीं होने देंगे। रामूवालिया जी आप उनके वशंज हैं, आप इन शक्तियों के नहीं हैं जो देश को टुकड़े करना चाहती हैं। हम सब एक साथ मिलकर क्यों न इसका मुकाबला करें। किस की शक्ति है जो साम्प्रदायिकता को फैला सके। पंजाब को तोड़ सके। खालिस्तान का नारा लगाने वाले आज कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आज पंजाब की सारी जनता देश की एकता और अखण्डता के लिए सामने है। मैं आपका अधिक समय न लेकर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि देश की एकता और अखण्डता को जब तक गांधी जी के बलिदान की आवाज देश और दुनिया के अन्दर है तब तक देश को कोई तोड़ नहीं सकता है। जब तक सन्त लोंगावाल जी की आवाज है, तब तक देश टूट नहीं सकता है। मेरी सन्त जी से तीन बार चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कोई काम और आन्दोलन नहीं करेंगे जिससे देश टूटे। उन्होंने अपना बलिदान किया हैं। हमारे देश को कोई तोड़ नहीं

[श्री केयूर भूषण]

सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं इंदिरा जी का बलिदान, उनके खून की एक-एक बूंद देश की एकता और अखण्डता के लिए है। इस आधार पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस जो उसकी वंशज है, कांग्रेस जो उसकी सूत्रधार है, देश की एकता और अखण्डता के लिए हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं और सभी पार्टियों के लिए हम यह बात कहते हैं।

अन्तिम बात कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं, हमारे नेता राजीव गांधी ने जो आवाज दी है, पंजाब की एकता और अखण्डता के लिए कि हम सब मिलकर एक साथ बैठें और बात करें, मैं अपने विपक्ष के लोगों से बात करना चाहता हूं कि अगर आप में राष्ट्रीयता है, तो आप "लेकिन", "किन्तु" और "बट" मत कहिए, उनके आह्वान पर एक साथ बैठ जाइए, रास्ता जरूर निकलेगा, पंजाब के लिए रास्ता निकलेगा, बाबरी मस्जिद के लिए भी रास्ता निकलेगा और देश की एकता और अखण्डता मजबूत होगी। इसके लिए मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, हम वर्षों से पंजाब की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

लोकप्रिय सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। परन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान अधिक हत्यायें हो रही हैं और राष्ट्रपति शासन के दौरान लगभग 3500 लोगों की हत्यायें हो चुकी हैं। राष्ट्रपति शासन के 18 महीने बाद भी आप समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं।

प्रधान मन्त्री राजीव गांधी पंजाब गए। उन्होंने कहा कि यह विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को बुलायेंगे तथा वर्तमान स्थिति का हल ढूंढने के लिए बातचीत करेंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया ? क्या उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बुलाया ? परन्तु इसके बजाय उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के विरोधी हैं वे देश के दुश्मन हैं। यदि प्रधानमन्त्री की ऐसी मानसिकता है तो वह देश की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं ? वह एक तानाशाह की तरह बातें कर रहे हैं।

पंजाब में रोज लोगों की हत्यायें हो रही हैं। परन्तु प्रधानमन्त्री पंजाब की समस्या का स्थायी हल निकालने के बजाय पंजाब में पंचायती चुनाव कराने की सोच रहे हैं। जब वह वास्तविक हल निकालने असमर्थ तो पंजाब जाने का क्या फायदा है ? यह बड़ी हास्यास्पद बात है। यह तमिलनाडु जैसा रवैया अपना रहे हैं। वह पंजाब की एक झोंपड़ी में भी नहीं जा सकते। परन्तु तमिलनाडु में वोट के लिए प्रत्येक झोंपड़ी में घुस रहे हैं।

आज सुबह मैंने समाचार पत्र में पढ़ा जिसमें प्रधानमन्त्री ने कहा है कि हमें फिजूल खर्च रोकना पड़ेगा। परन्तु प्रधानमन्त्री जब भी तमिलनाडु जाते हैं तो 6 करोड़ रुपए प्रतिदिन व्यय होते हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्येक दौरे पर 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का फिजूल खर्च होता है।

सिखों अनुभव करते हैं कि उनके साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ नयी योजनायें शुरू करने से उनके आंसू नहीं पूछेंगे। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि 2000

वर्ष पहले सिख धर्म की स्थापना हुई। क्या…** जो व्यक्ति है भारत का इतिहास और भूगोल नहीं जानता वह हमारा प्रधानमन्त्री है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मेरा आप से अनुरोध है कि पंजाब समस्या का हल ढूंढने के लिए सच्चाई से प्रयास करें। वहां पक्षपात पूर्ण योजनायें बनाएं। केन्द्र की झूठी तथा गलत नीतियों के कारण पंजाब की समस्या जटिल होती जा रही है। आपने अनुच्छेद 249 लागू करके सुरक्षा पट्टी बना दी है। आपने 59 वां संविधान संशोधन भी कर लिया है। आपने अपने शस्त्रागार में बहुत से हथियार एकत्रित कर लिए हैं। परन्तु फिर भी आप पंजाब की समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कुछ साथियों ने पूछा है कि इसका क्या हल है ? आपने कहा कि आप पंजाब की समस्या के लिए हल निकालेंगे परन्तु आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

पंजाब में हमारे भाई मारे जाते हैं। श्रीलंका में भी हमारे भाई मारे जाते हैं। यह वहां की दिन चर्या हो गई है। यदि आप 18 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद पंजाब की समस्या हल नहीं कर सकते तो छः महीने या एक साल लेने का क्या लाभ है ?

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : चेयरमैन सर, मेरे सामने दो रिपोर्ट हैं—राष्ट्रपति राज पंजाब में बढ़ाने के मामले में एक रिपोर्ट सरकार बूटासिंह जी ने यहां पढ़ी थी और उसमें कहा था कि राष्ट्रपति राज बढ़ाया जाए और दूसरी रिपोर्ट आनरेबल प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है—

[अनुवाद]

"हत्यायें, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री मानते हैं।" शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है।

[हिन्दी]

मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लीडर आफ दी हाउस ने कहा कि यह स्थिति है। स्थिति यह है कि—

[अनुवाद]

"आज प्रधानमन्त्री राजीव गांधी मानते हैं कि पंजाब में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तथा चुनी हुई सरकार के कार्यकाल से अधिक हत्यायें हो रही हैं।"

"पंजाब का बड़ा दावा"

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

[हिन्दी]

शीर्षक के नीचे एक्सप्रेस लिखता है—

[अनुवाद]

"बरनाला सरकार के कार्यकाल के दौरान 789 हत्यायें हुई जबकि 15 महीने के राष्ट्रपति शासन की अवधि में 2,422 लोगों की हत्यायें हो चुकी हैं।"

"परन्तु रिपोर्ट में आगे कहा गया है दैनिक प्रेस रिपोर्ट पर आधारित गैर सरकारी आंकड़ों से 15 महीने के राष्ट्रपति शासन की अवधि दौरान मारे गए लोगों की संख्या 3,300 से अधिक है।"

महोदय, यह स्थिति है।

[हिन्दी]

आज की एक रिपोर्ट यह है कि "आपरेशन ब्लैक थंडर के बाद से अमृतसर जिले में आतंकवादियों ने आम जनता से जबरन धन वसूलने का का काम तेज कर दिया है और वे लगभग एक करोड़ रुपए की मोटी रकम ऐंठ चुके हैं।" इसके बाद पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि—

"तरन-तारन और पट्टी में कार्यरत कई सरकारी अधिकारियों को हर महीने कुछ राशि आतंकवादियों को देनी पड़ती है।"

मेरा यह कहना है कि गृह मन्त्री जी इसका खंडन करें। अगर लोगों के बीच यह चली गई तो खतरनाक होगा। ऐसा क्यों है। इसके आगे यह भी लिखा है कि—

"स्थानीय पुलिस अपने इलाके की अच्छी तस्वीर पेश करने के कारण इनकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं देती है।"

पंजाब की आज यह स्थिति है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं इधर या उधर के किसी भी भाई पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं। हालत यह है कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट रैंक के चार मिनिस्टरों के कत्ल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के पांच दर्जन से ज्यादा लीडर मारे गये और कांग्रेस के दूसरे वर्कर भी मारे गये। इसके अलावा अकाली दल लोंगोवाल ग्रुप के एम० एल० ए० और जत्थेदार भी मारे गये। बी० जे० पी० का प्रेजीडेंट राष्ट्रपति राज में मारा गया और कई सीनियर पुलिस आफिसर व बड़े-बड़े जर्नलिस्टों का कत्ल हुआ। मैं यह कहता हूं कि यह बातें एक दूसरे पर लांछन लगाने की नहीं हैं। हम सब को मिलकर इसका हल ढूंढ़ना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों का ताकत तब मिलती है वह हम सभी बातें तो आतंकवाद को खत्म करने की करते हैं व देश की एकता और अखंडता तथा पाकिस्तान का हस्तक्षेप खत्म करने की करते हैं लेकिन जब वक्त आता है तो पालिटिकल फायदा लोगों के सामने उठाते हैं।

आज ढिल्लों साहब ने बहुत दिलेरी से कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तरह से कह दिया कि किलिंग बढ़ रही हैं। ढिल्लो साहब एक बहुत बड़े नेता है और मैं उनकी इज्जत करता हूं। बरनाला गवर्नमेंट को डिसमिस करना गलत था। मैं यह चाहता हूं कि होम मिनिस्टर यह कह ही दे कि बरनाला की चुनी हुई सरकार को डिसमिस करना गलत था और वह हरियाणा के चुनावों के कारण किया गया था। गलती तो हर इन्सान से होती है। अत: वह इसको अवश्य कह दें और इससे सब को फायदा होगा। कि आज पोजीशन क्या है। मैं आपके जरिये देश के सामने कह रहा हूं कि अब आतंकवादी हरियाणा में फैल गये हैं, दिल्ली में फैल गये है, जम्मू-कश्मीर तक उनके बाजू बढ़ गये हैं, अभी सुल्तानपुरी जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश तक वह बढ़ गये हैं इसलिए अकेले अकालियों को दोष देना या किसी अकाली धड़े को दोष देना कि पंजाब में उसने बढ़ा दिया। यह तो सारे देश में बढ़ रहे हैं इसलिए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

मैं दो बातें सबसे बराबर कहता हूं, एक तो दिल्ली के दंगाकारियों को सजा दी जानी चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस पार्लियामैण्ट्री पार्टी की मीटिंग में कहा, उन्होंने फरमाया, बहुत अच्छी बात कही कि सहनशीलता, अहिंसा और रहमदिली भारतीय राजनीति का, गांधी जी का आधार रहे। इसी को बुनियाद बनाकर मैं कहता हूं कि दिल्ली में दंगा करने वालों ने अहिंसा को तोड़ा, उन्होंने कत्ल किये इसलिए रहमदिली यह मांग करती है कि जिन लोगों के आदमी मारे गये हैं, उनकी तसल्ली के लिए, देश की तसल्ली के लिए कातिलों को ओपन स्पेशल कोर्ट्स बनाकर सजा दीजिए। मैं गांधी जी को कोट करता हूं। गांधी जी ने कहा था कि इन्साफ किया ही नहीं जाना चाहिए, इन्साफ दिखाई देना चाहिए, इसलिए अगर इन्साफ को दिखाई देना है···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी हां, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। मैंने आपको बहुत समय दे दिया है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप जी हां कहते हैं तो वह सोचते हैं कि आप उनसे सहमत हैं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : दूसरे मेरे पंजाब की बदकिस्मती है कि वहां से बहुत से हिन्दू भाई प्लान करके बाहर आये हैं। आज बहुत से वक्ता बोले हैं, कांग्रेस के भी बोले हैं मगर पंजाब के माइग्रेट करने वाले हिन्दुओं के लिए किसी मित्र ने एक लफ्ज नहीं कहा। वैसे ही भूल गये कि वह यहां आ गये हैं। मैंने कह दिया कि आपने जान-बूझकर नजरअंदाज नहीं किया, आपके मन में नहीं, यह तो रूटिन बात हो गई मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के गांवों से हिन्दू गांव छोड़ कर शहरों में आ गये और पट्टी, तरनतारन से छोड़कर अमृतसर आ गये ! एक सिख मि० सतवन्त सिंह ने कहा कि सिख भी गांव छोड़ रहे हैं, पोजीशन यह है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पंजाब में आतंकवादियों के हाथों जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं उनको शहीद मानकर एक लाख रुपया उनके वारिसों को दिया जाता है।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू भाई पंजाब से आकर दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब से माइग्रेट करके आये हैं, सर्दी आ रही है इसलिए उनकी रिहायश, खाने-पीने, दवाई की व्यवस्था और महीने के खर्च के लिए कोई ठोस चीज दी जानी चाहिए।

आखिर में मैं यह कहता हूं कि पंजाब को प्राब्लम इमोशनल है और क्रिटीकल है। यह सभी लेविल्स पर, इमोशनल लोगों को जोधपुर से छोड़ना, साबित फौजियों को बहाल करना, दिल्ली के दोषियों को सजा देना। आप बार-बार कहते हैं पोलिटिकल लेविल पर किससे बात करें, छोड़ो बात किससे करें, आप पंजाब के लोगों से सीधे बात करें और पंजाब की ऑल पार्टीज मीटिंग करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मशाविरा लें कि क्या एक्शन लिया जाए।

मैं खत्म करता हूं। मैं प्रसीडैण्ट रूल के एक्सटेंशन का विरोध करता हूं।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, बहुत इन्तजार के बाद इस पंजाब के मसले पर बोलने का समय दिया गया।

सत्य और झूठ को एक तराजू पर तौला जाय तो सत्य का पलड़ा कभी भी भारी हो सकता है। आज हिन्दुस्तान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन की अवधि पंजाब में बढ़ाने हेतु प्रस्ताव इस सदन में आया हुआ है। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान एक ही बात कही कि पंजाब में हत्या का जो नंगा नाच किया जा रहा है उसे खत्म किया जाय। सदन ने यह भी माना कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आपका जो ब्लैक-थंडर आपरेशन हुआ उसके बाद अनेक आतंकवादी पकड़े गए और उन लोगों ने जो बयान दिए, उनसे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि बार-बार इसी सदन में पाकिस्तान के बारे में चर्चायें होती हैं और हमारे गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंह ने इसी सदन में अपने जवाब में कहा था कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि पंजाब में आतंकवादियों को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, फिर आपने अभी तक कौन-सी ऐसी स्पष्ट नीति इस सदन में घोषित की कि हम पाकिस्तान पर हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करने हेतु पत्राचार करेंगे या भारत की विदेश नीति से उनको स्पष्ट अवगत करायेंगे? आज हालात यह हैं कि हिन्दुस्तान का अवाम बराबर यह सोचते ही रह गया कि कम से कम पंजाब का मसला, पंजाब में खूनी संघर्ष बन्द हो, लेकिन जैसा कि कई साथियों ने कहा है जब तक जनतन्त्र की नीव मजेबूत नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति शासन को कितना ही बढ़ाते जायें, वहां पर आप हत्याओं पर काबू पाने में सफल नहीं हो सकते हैं। यदि हत्याओं का सिलसिला देखा जाये तो जैसा सभी लोगों ने कहा है, जब वहां पर बरनाला की सरकार थी तो उस समय प्रजातन्त्र में उतनी हत्यायें नहीं हुई थीं जितनी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान हुई हैं। (व्यवधान) मैं समझता हूं इस सदन में हम जो इन्डेपेन्डेन्ट मेम्बर हैं उनका भी हाल वही है। हम सुबह से शाम तक बोलने के लिए खड़े रहते हैं और आप कह देते हैं समय हो गया, जैसे पजाब में निरीह लोग मारे जाते हैं हम भी यहां पर मारे जाते हैं। जैसे ही हम खड़े हुए, घण्टी बजनी शुरू हुई। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का मुझे विरोध

करने की कोई जरूरत नहीं है। परन्तु मैं एक या दो बात कहना चाहता हूं। मैंने श्री रामूवालिया का भाषण सुना तथा वास्तव में उनके भाषण ने ही मुझे यह कहने के लिए बाध्य किया है।

उन्होंने सुझाव दिया है कि सर जोड़ना चाहिए। हम वर्षों से पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री रामूवालिया ने सुझाव दिया है कि हमें एक जुट होकर पंजाब की समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं। मेरे विचार से यहां उपस्थित राज्य मन्त्री को उनके आंकड़ों का खण्डन करना चाहिए तथा बताना चाहिए कि क्या पंजाब में हत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है—मुझे श्री रामूवालिया के भाषण में कतई सन्देह नहीं है। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि पंजाब में कानून तथा व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह एक राजनैतिक समस्या है और इसलिए हमें राजनैतिक हल ढूंढ़ना चाहिए। जब मैं इस संकल्प का विरोध नहीं करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक हल ढूंढ़ने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। यदि मुझे अधिकार मिलता तो मैं श्री बरनाला को आगे लाने का प्रयास करता तथा श्री बादल के साथ सहयोग करता। आखिरकार अकाली दल का विभाजन भी देश की अखंडता के लिए मुसीबत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनैतिक हल निकाला जाए तथा विभिन्न अकाली गुटों को एकजुट करके मुख्यधारा का अंग बनाया जाए।

5.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राजनैतिक हल से मेरा आशय है कि प्रधानमन्त्री को विपक्षी नेताओं की तुरन्त बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि हम समय खो रहे हैं तथा निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए मेरा ठोस सुझाव है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हमें यह मानना चाहिए कि पंजाब को राजनैतिक हल की जरूरत है। मेरा माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि विपक्षी नेताओं की बैठक बुलायें ताकि हम सहयोग दे सकें और हम इस समस्या का हल निकालें।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा का वाद-विवाद सुनने का अवसर मिला इसलिए यहां का वाद-विवाद सुनने का अवसर नहीं मिला। परन्तु मैं उन बातों का जवाब देने का प्रयास करूंगा जो माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद के दौरान पूछी हैं।

मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है कि मई 1987 की बात करें तथा पूछें कि क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन गलत या सही लागू किया गया था। उस समय सरकार ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी तथा यह बता दिया था कि पंजाब में हत्याओं या हिंसा या अन्य बातों के कारण राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रारम्भिक विचार था कि श्री बरनाला की सरकार आतंकवाद से लड़ने का साहस खो दिया है। यह विभाजित दलों की विभाजित सरकार थी इसलिए आतंकवाद से लड़ने की क्षमता या साहस नहीं था।

गत डेढ़ साल के राष्ट्रपति शासन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है कि पंजाब में प्रशासन आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह इसी के परिणाम हैं।

यह सच है कि हत्याओं में वृद्धि हुई है। मैं उसका प्रतिवाद नहीं करता हूं। कुछ समय के

[श्री पी० चिदम्बरम]

दौरान हत्याएं बढ़ी हैं। यह अब भी बहुत अधिक है। कोई सरकार, कोई नागरिक तथा कोई मनुष्य को इस सच्चाई से खुश नहीं हो सकता कि प्रत्येक महीने 100 या 70 लोग मारे जाते हैं। ये संख्यायें गलत हैं। परन्तु यदि आप स्थिति देखें तो आपको प्रतीत होगा कि पंजाब में कुछ राजनैतिक नेताओं को रिहा करने से गत वर्ष के अन्त तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा कुछ रुकावट आयी है इस वर्ष के शुरू में भाषणों से, अफवाहों से तथा राष्ट्र विरोधी तथा आतंकवादी ताकतों को सहयोग देने से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। परन्तु ऑपरेशन 'ब्लैक थंडर' के बाद यदि आप आंकड़े देखें तो मई, 1988 में हत्यायें सबसे अधिक हुईं, जून में मई से कम, जुलाई में जून से कम, अगस्त में जुलाई से कम तथा सितम्बर में अगस्त से कम हत्यायें हुईं। इससे स्पष्ट है कि रुकावटों के बावजूद पंजाब में प्रशासन आतंकवादियों तथा आतंकवाद से निपटने में सक्षम है। मेरे पास साढ़े उन्नीस महीने के आंकड़े हैं जब बरनाला मुख्य मन्त्री थे तथा साढ़े सत्तरह महीने के राष्ट्रपति शासन के भी आंकड़े हैं। संख्याओं से क्या स्पष्ट होता है? संख्याओं से स्पष्ट होता है कि हत्यायें अब भी अधिक हो रही हैं—मैं मानता हूं कि अधिक हैं—प्रशासन आतंकवाद तथा आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा सका है। बहुत से हथियार तथा गोला बारूद पकड़े गए हैं। 1987 के अन्तिम दिनों में तथा इस वर्ष के प्रारम्भ में पंजाब में अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग से संघर्ष में काफी परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए इससे पहले हमारे पास रॉकेट, रॉकेट लाउन्चर, मिसाइलें, एन्टी टैंक ग्रेनेट की पावर— चार्ज यूनिट तथा एल० एम० जी० नहीं थीं। ये अकेले पंजाब में लाए गए है क्योंकि पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। इस सच्चाई के बावजूद कि संघर्ष अधिक हुआ है तथा अत्याधुनिक हथियार लाए गए हैं पंजाब में प्रसाशन आतंकवाद तथा आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष कर सका है। जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं वे सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर भी हैं उनमें से अधिकांश को समाप्त कर दिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। तथाकथित जनरल लाभ सिंह, श्री अवतार सिंह ब्रह्मा तथा अन्य बहुत से, जिनके नाम आम लोगों के दिमाग में हैं वे हैं या वे गिरफ्तार कर दिए गए हैं या फिर प्रभारविहीन हो गए। इसका मतलब यह नहीं है कि पंजाब की समस्या को कम महत्व दिया जा रहा है।

महोदय, आज प्रश्न यह है कि क्या हम राष्ट्रपति शासन समाप्त कर सकते हैं तथा चुनाव करा सकते हैं? हाल में प्रधानमन्त्री 21 सितम्बर, 1988 तथा 13 अक्टूबर, 1988 को दो बार पंजाब का दौरा किया। दोनों बार मुझे प्रधानमन्त्री के साथ जाने का सुअवसर मिला। पंजाब में हमने जो कुछ देखा है उसकी हकीकत यह है, माननीय सदस्य इससे सहमत हो या स्वयं वहां जाए, पंजाब की स्थिति के बावजूद भी पंजाब की जनता का प्रशासन में विश्वास है तथा आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशासन की क्षमता में विश्वास है। अन्य स्थानों की आम जनता की तरह उनकी सड़क, पानी, बिजली, स्कूल तथा रोजगार की समस्याएं हैं। दरअसल उनके दिमाग में आतंकवाद तो है, लोग आपस में आतंकवाद के बारे में बातें तो करते हैं, परन्तु यह बात नहीं है कि पंजाब के लोग आतंकवाद से भयभीत हैं। पंजाब की जनता अभी निराश नहीं हुई है; जो स्वाभाविक स्नेह और प्यार उन्होंने प्रधान मन्त्री के प्रति व्यक्त किया जिसे देखकर ही विश्वास किया जास कता है। उनके प्रति बहुत ही स्नेह दर्शाया गया और गांव की सड़कों और सभाओं दोनों में जनता की बहुत भीड़ थी। उन्होंने घोंडवाल,

जालंधर और जैता में सभाओं को सम्बोधित किया। जालंधर में वर्षा के साथ ही सभा आरम्भ भी हुई और समाप्त भी हुई। किन्तु पूरे एक घंटे तक एक बच्चा भी अपने स्थान से नहीं हिला। वरदी पहने हुए बच्चे, महिलाएं और पुरुष वर्षा में प्रधानमन्त्री का भाषण सुनने के लिए एक घण्टे तक बैठे रहे। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाब की जनता आतंकवाद से डर गई है और सरकार पर से उनका विश्वास उठ गया है। इसके विपरीत जो कुछ हमने देखा उससे यह प्रतीत होता है कि पंजाब की जनता को पंजाब की स्थिति से निपटने की सरकार की क्षमता पर पूरा विश्वास है।

प्रश्न यह है : क्या हम राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके चुनाव करवा सकते हैं? मैं इस पर विस्तारपूर्वक बात नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल तीन या चार समाचार पत्रों से पढ़ता हूं। उन्होंने प्रधानमन्त्री की पंजाब की यात्रा के पश्चात की स्थिति का एक यथार्थवादी मूल्यांकन किया है। 22 सितम्बर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में आया है :

> "प्रधानमन्त्री की यह घोषणा कि पंचायत चुनाव शीघ्र कराएं जाएं। जो इस बात का द्योतक है कि विधान सभाओं के चुनाव बहुत पीछे नहीं रहेंगे। किन्तु चुनावों के लिए उचित वातावरण बनाने पर बहुत कुछ निर्भर है। जब तक आतंकवादी बन्दूक चलाते रहेंगे और जनता में आतंक फैलाएंगे, स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रचार को तेज किया जाए और साथ ही पंजाब की संकटपूर्ण स्थिति का अन्त करने के प्रयासों को समाप्त किया जाए। प्रस्तावित सर्व-दलीय बैठक सही दिशा में एक कदम है और दूसरा कदम सिख नेताओं के साथ चर्चा होना करना चाहिए। पंजाब समस्या के समाधान के लिए प्रधानमन्त्री ने जो नई पहल की है वह सफल होनी चाहिए और ऐसा वातावरण बनाने में सहायक होना चाहिए जिससे आतंकवाद और विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववादियों का मुकाबला किया जा सकता है।"

यह है अमृत बाजार पत्रिका। मैं 25 सितम्बर 1988 की सम्पादकीय से दो वाक्य पढ़ता हूं :

> "हाल की बेचैनी के लिए प्रधानमन्त्री का नुसखा प्रारम्भिक स्तर पर सुधार करना है। वे पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि ऐसी परिस्थितियों में स्थिति में सुधार आया है। पंजाब का साधारण व्यक्ति जिसको अस्थिर बनाने वाली शक्तियों के विरुद्ध शान्ति तथा धैर्यपूर्ण मुकाबले के लिए प्रधानमन्त्री से प्रशंसा प्राप्त हुई वह अब राज्य में एक आदर्श वातावरण में अपनी सरकार चुन सकेगा।"

महोदय, 24 सितम्बर, 1988 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" के सम्पादकीय में कहा गया है :

> "श्री गांधी के प्रस्ताव से जिसमें कहा गया है कि पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे ऐसा लगता है राजनीतिक प्रक्रिया बहाल होने में सतर्क प्रयास आरम्भ हो रहे हैं। सम्भवतः पंचायत चुनावों की समाप्ति के पश्चात और यदि स्थिति में सुधार होगा तो राजनीतिक बातचीत आरम्भ की जा सकती है। श्री राजीव गांधी ने फिर पंजाब की कार्यसूची में राजनीति लाई है, अब औरों को इसका उत्तर देना है।"

[श्री पी० चिदम्बरम]

महोदय, मैं और भी बात कह सकता था। किन्तु स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन प्रधानमन्त्री का दौरा, यह घोषणा कि पंचायत चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे, श्री नरसिंह राव की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली मन्त्रीपक्षीय समिति का गठन, पंजाब में राजनीतिक दलों के विपक्षीय नेताओं को बातचीत करने का निमन्त्रण देना, और उनके साथ व्यापक विचार-विमर्श का आश्वासन पंजाब समस्या के लिए एक व्यापक राजनीतिक पहल है। और मुझे पूरी आशा है कि सदन प्रधानमन्त्री द्वारा की गई पहल का स्वागत करेगा और इस कार्य को आगे ले जाने की अनुमति देगा ताकि हम पंजाब की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आजकल राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है और मैं आशा करता हूं कि पंचायत चुनाव करवाने से पंजाब में राजनीतिक प्रक्रिया पुनः बहाल होने के हमारे प्रयास सफल होंगे और एक व्यापक परिवर्तन आएगा।

महोदय, मुझे विश्वास है कि कुछ मामलों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की गई थी और इनमें से कुछ का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। पहले जोधपुर के अभियुक्तों के सम्बन्ध में कहता हूं। मैं यह स्पष्ट करता हूं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है जोधपुर के अभियुक्तों का मामला कोई राजनैतिक मामला नहीं है और न ही यह कोई ऐसा राजनैतिक मामला है कि इसको किसी की भी सुविधा के अनुसार प्रयोग किया जा सके। जोधपुर के अभियुक्तों पर गम्भीर आपराधिक आरोप हैं जिनमें युद्ध छेड़ने का आरोप भी है। वे युद्ध-बन्दी नहीं है, वे अभियुक्त हैं। उनके मामले की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश दिया है। फिर भी हमने समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा की है और आरम्भ में 45 व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुकदमा वापस लिया है और उनमें से 40 को मुक्त किया है जो हिरासत में लिए गए थे और हमने फिर 137 व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुकदमें वापस लिए हैं और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया है। आठ सदस्यों वाली मन्त्रालयी समिति के आगे यही समस्या है और उचित समय पर हम लगातार इस मामले की समीक्षा करेंगे और साक्ष्य के पश्चात मामलों को देख के यदि हम समझेंगे कि अतिरिक्त कार्यवाही की जरूरत है तो आगे कार्यवाही की जाएगी। मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को परेशान करने के लिए जोधपुर को राजनीतिक दांवपेंच बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यह कोई राजनीतिक दांवपेंच नहीं है।

जहां तक दिल्ली में दंगों का सम्बन्ध है, कई बार हमने कहा है कि इस देश की कानूनी प्रक्रिया जटिल है कि यह कहना सम्भव नहीं है कि किस समय सभी मामले उठाए जाएं और पूरे किए जाएंगे। (व्यवधान) फिर भी माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में एक मामले में, राज्य बनाम श्रीराम तथा अन्य छः व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया और उन्हें भारतीय दण्डसंहिता के खंड 147 और 148 के अन्तर्गत दो वर्षों का कठोर कारावास, और भारतीय दण्डसंहिता के खंड 436 के अन्तर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रु० का जुर्माना किया गया है और खण्ड 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास और 2000 रु का जुर्माना किया गया है। अतः यह एक साक्ष्य है कि सरकार ने इन मामलों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। इसके बदले सरकार इन मामलों पर मुकदमा चलाने को तत्पर है चाहे कोई भी मामले दर्ज किए गए हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने क्या किया है? (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : न्यायालयों में जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, पुलिस स्टेशनों पर जो

भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी सुनवाई होगी और यदि इन मामलों में न्यायालय तेजी से निर्णय देंगे तो निश्चय ही सरकार बहुत प्रसन्न होगी।

कुछ टिप्पणियों का आरोप श्री चमनलाल को लगाया गया है। महोदय, विपक्ष ने श्री चमन लाल को महानिरीक्षक (सीमा-सुरक्षा) नियुक्त नहीं किया, सरकार ने श्री चमनलाल को महानिरीक्षक (सीमा सुरक्षा) नियुक्त किया। पंजाब कार्य योजना के पश्चात हमने एक अधिकारी को चुनकर महा-निरीक्षक (सीमा सुरक्षा नियुक्त) किया। हमने ही उन्हें यह नीति दी कि यदि "आप आतंकवादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे तथा आप ऐसे व्यक्ति के लिए सहायक होंगे जो निर्दोष है और जिसको परेशान किया जा रहा है। यह सरकार की नीति है, और उन्होंने सरकार की नीति का पालन किया। उनका पुलिस अध्यक्ष के साथ कुछ मतभेद था। मेरा विचार है कि श्री के० पी० एस० गिल और श्री श्री चमन लाल दोनों के विचार सही हैं। उन दोनों के विचार सही हैं और मतभेद भी सही है। यदि किसी अधिकारी के मतभेद सही हैं और वह अपने विचार व्यक्त करना चाहता है अतः यह निवेदन है कि उस व्यक्ति को अलग करें, जिस प्रकार पंजाब सरकार ने उसको निकाल देना ही अच्छा समझा, यह मामला पंजाब सरकार ही निपटाएगी। अतः मैं यह नहीं कहूंगा कि एक विचार सही है और दूसरा गलत है। दोनों अच्छे अफसर हैं दोनों के विचार सही हैं। यदि समझने में कोई मतभेद है तो वह पंजाब सरकार दूर करेगी। मेरे विचार में विपक्ष श्री चमनलाल को सरकार को परेशान करने में प्रयोग नहीं करेगी। हमने श्री चमन लाल की चुन लिया। हमने उन्हें एक नाजुक स्थान पर रखा। उन्होंने अच्छा काम किया। उनके विचार सही हैं। अध्यक्ष के साथ यह एक सच्चा मतभेद है। प्रशासन प्रणाली के साथ वह मतभेद पंजाब सरकार द्वारा निपटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको और किसी प्रकार से अधिक बढ़ाना उचित नहीं है।

जैसे मैंने पहले कहा यह चुनाव कराने का समय नहीं है। पंजाब की स्थिति का कोई निष्पक्ष पर्यवेक्षक इस बात से सहमत होगा कि सरकार को उसी पथ पर चलना है जो इसने चुन लिया है। हमें पंचायत चुनाव कराने हैं। हमें विपक्ष के नेताओं को निमन्त्रण देना है। हमें व्यापक रूप से सलाह देनी है। मन्त्रालयी समिति के समक्ष यह समस्या है और इसने पहले ही दो बैठकें की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो यह प्रक्रिया हमने आरम्भ की है यह निश्चय ही हमें राजनीतिक पथ पर आगे ले जाएगी और राजनीतिक समाधान निकालने में हमारी सहायता करेगी।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और इस संकल्प के लिए सभा का समर्थन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1988 से छह माह की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.33 म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देने से पूर्व, मुझे सदन को सूचित करना है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) और (3) के अनुसरण में विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने की सिफारिश की है।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, ऐसा क्यों है कि उसी दिन प्रस्तुत भी किया जा रहा है और उसी दिन विचार-विमर्श भी ? इसको आज प्रस्तुत किया जा सकता है और आप इसे कल पारित कर सकते हैं। यह सिद्धांत की बात है, जिसका निर्णय अन्य विधेयकों की भांति आपको करना होगा। आप इसे आज पुरःस्थापित कीजिए। फिर हमें इस पर विचार करने के लिए समय दीजिए और जो कुछ हमें इस विधेयक पर कहना है कहने दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री भगत।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

**

श्री एच० के० एल० भगत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अमल दत्ता : इसे यहीं तक रहने दीजिए। इसे आज ही पारित करने का प्रयास मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह देखना सदन का काम है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपने इसके बारे में नहीं बताया है। (व्यवधान)

---

*दिनांक 3 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदन पर छोड़ दिया जाये कि हम क्या निर्णय लें।

श्री अमल दत्ता : इस पर कल विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मन्त्री महोदय की बात सुन लेनी चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। वास्तविकता यह है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कोई अत्यावश्यकता नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : आप मुझे अपनी बात कहने से रोकना क्यों चाहते हैं ? यदि आप इसे पारित नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि मैंने इस प्रश्न के बारे में सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर ली है जिनमें श्री बसुदेव आचार्य भी शामिल हैं कि हमें इस विधेयक को पारित करना चाहिए और वे सहमत भी हो गए थे। आप सभी ने हमें लिखा है। पिछली बार आप इस विधेयक को पारित करना चाहते थे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हम बिना चर्चा के इस विधेयक को पारित नहीं कर सकते।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इस सदन और राज्य सभा के सभी नेताओं से बातचीत कर चुका हूं। आप सभी ने सहमत होकर यह कहा था कि "हमें इसे आज ही पारित करना चाहिए"। इस विधेयक को राज्य सभा में भेजा जाना है ताकि इसे दिवाली से इसे पारित किया जा सके। आप सभी इससे सहमत थे। यदि आप अपनी बात को रिकार्ड कराना चाहते हैं तो यह एक अलग बात है। परन्तु यदि आप इसे आज पारित नहीं करना चाहते हैं, तो यह सदन पर निर्भर है। आप सभी ने हमें लिखा है और इस बारे में सहमत हैं कि इस विधेयक को आज ही पारित कर दिया जाएगा। इसमें विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपकी बात रिकार्ड कर ली गई है। मैं सुझाव दूंगा कि विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्री बसुदेव आचार्य को बोलने के लिए समय दिया जाना चाहिए। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। वे सुझाव देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य भाषण देंगे।

श्री अमल दत्ता : यह कहा गया है कि यह सरकार की ओर से दीवाली का उपहार है। यदि इसमें कोई सिद्धांत निहित नहीं है तो हम कोई उपहार नहीं लेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : यदि आप आज विधेयक को पारित नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैंने दिवाली का उपहार इसलिए कहा था क्योंकि आप सभी सहमत थे। मैंने आपसे और सभी दलों के नेताओं से बात की थी। मैंने दूसरे सदन के नेताओं से भी बात की थी। इसे आज इस सदन में और कल दूसरे सदन में और कल दूसरे सदन में पारित करने का निर्णय लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य अपना भाषण दें।

श्री बसुदेव आचार्य : इतनी जल्दबाजी क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ? क्या आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री बसुदेव आचार्य जो कुछ कहना चाहेंगे, कहेंगे।

श्री अमल दत्ता : मुझे मुख्यतः यह आपत्ति है कि विधेयक पर बोलने के लिए कोई समय नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : यदि वे इसे आज पारित नहीं करना चाहते तो इसे कल पारित होने दीजिए। मुझे आपत्ति नहीं है। पहले वे इसे आज ही पारित करना चाहते थे। वे मुझे लिखते हैं। वे और अधिक मांगते हैं। वे इस आज ही पारित करने का सपना देखते हैं। फिर वे खड़े होकर इसका विरोध करते हैं। यदि वे व्यवहारिक बनना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। यदि वे व्यवहारिक नहीं बनना चाहते हैं तो इसे आज नहीं कल पारित होने दीजिए। आप सहमत होकर भी खड़े हो जाते हैं। यह अजीब बात है। (व्यवधान) यदि आप इसे आज पारित नहीं करना चाहते हैं तो मैं कल के लिए भी तैयार हूं। इस बारे में सदन निर्णय करेगा। इसे बिना किसी आपत्ति के सर्व सम्मति से पारित किया जाना चाहिए। सदन इसे बिना किसी विरोध के और बिना किसी संशोधन के पारित करेगा। यह निर्णय सभी दलों द्वारा लिया गया था।

श्री अमल दत्ता : आप हमें पर्याप्त समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व सम्मति से निर्णय लेना सदन पर छोड़ दिया जाये। यदि इस बारे में कोई मतभेद हैं तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आपसे निर्णय करने के लिए कहा गया है। यदि आप कहते हैं कि विधेयक पारित किया जाये तो मैं अनुमति दूंगा। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो इसे रहने दीजिए। मैं इसे आप पर थोप नहीं सकता। बस बात खत्म हुई।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, श्री आचार्य को बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। हम उनकी बात सुनना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : उन्होंने विधेयक को पुरःस्थापित किया। यह ठीक हैं। परन्तु इस पर कल अथवा इस माह के दौरान किसी भी समय चर्चा की जानी चाहिए। हम विधेयक का अध्ययन करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : आज इसकी सूचना राज्य सभा को भेज दी जानी चाहिए, राज्य सभा में इसको परिचालित दिया जाना चाहिए और राज्य सभा में कल पारित कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक को आज पारित करने के बारे में सदन की सर्वसम्मत राय है अथवा नहीं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता, कृपया बताइये कि आपकी क्या राय है ?

श्री अमल दत्ता : हम इस पर कल चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है कि श्री अमल दत्ता इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री अमल दत्ता : मुद्दा यह है कि हम संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके लिए समय दिया जाना चाहिए···(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण देने नहीं जा रहा हूं। उन्हें संसदीय नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए···(व्यवधान) आप सरकार से क्यों नहीं कहते ? वे इसे पहले क्यों नहीं ला सके ? वे इसे कल पुरःस्थापित कर सकते थे। वे इसे बहुत पहले परिचालित कर सकते थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि यह उन्हीं से सम्बन्धित है। वे इस के उद्देश्य से बनाई गई समिति में सर्व सम्मति से इसे पारित करने पर सहमत थे। परन्तु यदि वे इसे कल के लिए विलम्बित करके इसे कल पारित करना चाहते हैं तो यह उन पर है। यदि वे चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले विषय पर आता हूं।

5.42 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों और खेतीहर मजदूरों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करते हैं। दो घण्टे निर्धारित है। श्री जंगा रेड्डी चर्चा आरम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि आप किस समय चर्चा को समाप्त करने जा रहे हैं। यह चर्चा 6 म० प० पर समाप्त होगी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज चर्चा आरम्भ करेंगे और उसे कल जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम किसान आन्दोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम इसे दिन की समाप्ति पर और रात तक जारी रखते हैं तो यह

[प्रो० मधु दण्डवते]

वांछनीय नहीं होगा। अतः कृपया पहले इसका निर्णय कीजिए। क्या आप सदन को 6 बजे स्थगित करके इसे कल पुनः लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री की राय क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : यह सदन की आम राय है। यदि वे इस चर्चा को कल जारी रखना चाहेंगे तो मैं यह कहूंगी कि कल का दिन गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है और हम इसे कल समाप्त नहीं कर पायेंगे (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमें इस चर्चा को आज 6 बजे तक और कल 12 बजे से पुनः जारी रखना चाहिए। यही विकल्प है···(व्यवधान) ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम आज 9 बजे तक चर्चा जारी नहीं रखना चाहते जिसके लिए किसानों ने कई दिनों तक धरना दिया। यह उचित नहीं है। आप कृपया हमें बताएं कि आपकी क्या राय है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम 6 बजे तक चर्चा जारी रखेंगे और उसके बाद हम यह निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। श्री जंगा रेड्डी चर्चा आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश की लगभग 70 से 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और खेती पर निर्भर है। हम जानते हैं कि देहातों में कुछ लोगों के पास खेत हैं और कुछ लोग खेती के दूसरे धन्धों से अपनी जीविका चलाते हैं या खेती पर आश्रित हैं। पिछले 10 सालों में हमारे देश के किसानों की जितनी दुर्दशा हुई है, उन्हें जिस उपेक्षित भाव से देखा जा रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। जिस किसान के पास छोटी भूमि है, उसे अपना जीवन सरलता से सुगमता से बिताना दूभर हो रहा है। यदि हमने आजादी मिलने के 40 सालों में एक बार भी किसानों और उनकी समस्याओं की ओर देखा होता तो यह स्थिति न होती। आज हर किसान किसानी के धंधे से परेशान है, दुखी है और उसे छोड़ना चाहता है। यदि आप गांवों में जाकर किसान से पूछें कि किसान वृत्ति या व्यवसाय के सम्बन्ध में तुम्हारा क्या ख्याल है तो वह यही उत्तर देगा कि इस दुनिया में किसानों से बदतर किसी दूसरे व्यक्ति की जिन्दगी नहीं है। आज जिसके पास 30 एकड़ या 50 एकड़ जमीन है, बड़ा किसान है, वह भी उसे छोड़ने के लिए तैयार है और चाहता है कि यदि उसे कोई सरकारी नौकरी या बाबू का पद मिल जाए तो वह उसे बेच कर शहरों में जाकर बस जाए। जब बड़े किसानों की यह स्थिति है तो छोटे और मार्जिनल किसानों के बारे में आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं, वह तो बेहद परेशान है। यही कारण है कि आजादी मिलने के 40 साल बाद भी आज किसान एजीटेशन करने पर उतारू हैं। दूसरी ओर हमारे प्रधानमन्त्री जी बोलते हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित देश के कुछ उत्तरी भागों में हरित क्रान्ति हो चुकी है और दूसरी हरित क्रान्ति होने वाली है। देश के दक्षिण भागों में भी होने वाली है। मुझे उनका आशय समझ नहीं आया। यदि आज एक ओर हरित क्रान्ति हो रही है तो दूसरी ओर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के आन्दोलन हो रहे हैं। किसानों में असंतोष के पीछे मूल कारण क्या हैं, क्या सरकार ने कभी उनके बारे में सोचा है। उनके पास इसके लिए समय नहीं है कि वह किसानों के बारे में सोचे। किसानों में एकता

का अभाव ही उनकी कठिनाइयों का मूल कारण है। उनमें संगठन नहीं है। कई राजनीतिक दल किसानों के बीच घुस कर अपना इंटरैस्ट साध रहे हैं। आन्दोलनों के कारण किसानों में एकता बन नहीं पा रही है। आपको याद होगा कि मद्रास में 10 साल पहले श्री सत्य नारायण स्वामी ने राजनैतिक पार्टी से अलग होकर किसानों का आन्दोलन खड़ा किया था, जिसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में किसान जेलों में गए परन्तु उस समय के मुख्यमन्त्री एम० जी० आर० ने उनसे बात करने से इन्कार कर दिया, जैसे अभी हमारे प्रधानमन्त्री जी ने बोटक्लब पर आये किसानों से बात करने से मना कर दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ, जिस वक्त चुनाव आये, वे ही एम० जी० रामाचन्द्रन खुद नारायण स्वामी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, अभिवादन किया और उनसे चुनावों में समर्थन मांगा। इतना ही नहीं उनकी तमाम मांगें मान लीं। नारायण स्वामी ने वहां ऐसा आन्दोलन खड़ा कर दिया था कि शहरों में तरकारियों से लेकर दूध और अन्य दैनिक जीवन के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का अभाव पैदा हो गया। बाद में सरकार को झुकना पड़ा। वैसे ही महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में किसानों का आन्दोलन चल रहा है। चाहे बी० जे० पी० हो, सी० पी० एम० हो या अन्य कोई दल, सभी किसानों के साथ, उनके सिद्धांतों के अनुकूल चल रहे हैं।

आप तो जानते हैं कि बंगाल में जूट के बारे में किसान आन्दोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लास्ट वन इयर से मेरठ में श्री टिकैत के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा है। गुजरात में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है। आन्ध्र प्रदेश में हम एक साल से आन्दोलन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है। किसान को अब यह बात समझ में आ गई है कि एकता और संगठन के बिना सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार तब झुकती है जब कोई झुकाने वाला हो। अगर देश के अन्य प्रदेशों में देखा जाए तो हर जगह किसानों की मांगों के प्रति आन्दोलन चल रहे हैं। मगर हमारे राजीव गांधी भाषण देते हैं, लेकिन बात करने से इन्कार करते हैं। किसानों के बारे में भाषण देते हैं, बात नहीं करते हैं। यह कार्य 6 महीने से शुरू किया है। अगर वे किसानों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो हम तो उनका स्वागत करेंगे। किसानों के लिए जो कुछ रियायत देना चाहते हैं, उसकी घोषणा जल्दी की जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहा है। किसान कभी रोड पर आने वाला नहीं है, बस जलाने वाला नहीं है, केवल जेलों को भरने वाला है, धरना देने वाला है। बस नहीं जलाएगा। आज यदि कर्मचारी बस जलाते हैं, मजदूर आन्दोलन करते हैं, सम्बन्धी मन्त्री लोग बात करने आते हैं, लेकिन आज किसान आन्दोलन करता है, तो राजीव गांधी उनसे बात करने को भी तैयार नहीं हैं।

देश भर में किसान अपनी मांगों के बारे में आन्दोलन चला रहे हैं। उनकी सब मांगें जायज हैं सिवाय एक-दो को छोड़कर। सब मांगें कामन हैं। वे ऐसी मांगें हैं जो सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित हैं, सिर्फ एक-दो क्षेत्रीय मांगों को छोड़कर। उसके सम्बन्ध में क्या केन्द्र सरकार अपने राज्य के मन्त्रियों को राज्य स्तर पर किसानों के नेताओं और राजनीतिक नेताओं को बुलाकर बात करने और उनकी तकलीफों को सुनकर उनकी सभी जायज मांगों को मानने का निर्देश नहीं दे सकती। दे सकती है, लेकिन नहीं देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि मन्त्री हमेशा हरियाणा से आते हैं, चाहे वे राव बीरेन्द्र सिंह हों, चाहे भजन लाल हों और चाहे बंसीलाल हों या कोई और हों। यह बात सही है कि हरियाणा और पंजाब को देखकर हम कृषि के क्षेत्र में बहुत खुश होते हैं। इन राज्यों ने देश में अन्नोत्पादन में प्रथम

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

स्थान रखा है । लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान जितने कष्ट करते हैं, उतने ही कष्ट देश के अन्य क्षेत्रों के किसान भी करते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई सुविधा नहीं है । यदि पानी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रबन्ध उनको हो जाए, तो वे लोग भी अपना स्थान बना सकेंगे । किसानों के लिए पानी और बिजली का प्रबन्ध पूरे भारत में करना होगा । इसी के लिए वे लोग मांग कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं । आप तो जानते हैं कि किसानों को पहले भूमि चाहिए भूमि के बाद पानी चाहिए । आज स्थिति यह है कि 40 साल के बाद भी आप लोगों को पानी नहीं दे सके हैं । बिना पानी के भूमि में खेती नहीं हो सकती है । एक-दो साल से पानी नहीं बरसा है और अकाल की स्थिति बन गई है । इस साल तो बाढ़ ज्यादा आ गई । इस प्रकार से भारत का किसान अकाल और बाढ़ के बीच में पिस रहा है । हम लोग हमेशा यहां चार साल से हर साल बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाते हैं । हमारी मशीनरी है, इस बाढ़ और सूखे को हम वैज्ञानिक ढंग से रोक सकते हैं । अगर देश में किसी कारण से पानी नहीं गिरा तो हमारे पास नदियां हैं जिनसे हम देश के किसानों को पानी दे सकते हैं । लेकिन केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण यह कोई काम नहीं हो पा रहा है । प्रदेश सरकारें अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार उनको अनुमति नहीं देती है । तीस-तीस साल से मामले पड़े हुए है । हमने वाटर कंसटेटिव कमेटी में पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं । चाहे कांग्रेस सरकार हो या गैर-कांग्रेस सरकार हो, हमारे देश में 78 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लानिंग कमीशन और वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री की बिना इजाजत के चल रहे हैं । आंध्र प्रदेश में तेलुगू-गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है । शंकरानन्द जी हमको इसका उत्तर दें कि इसके क्या कारण हैं ; पानी तो देश में सिर्फ 4 महीने बरसता है । इस पानी को रिजरवॉयर के रूप में प्रिजर्व करके जरूरत पड़ने पर उपयोग हम कर सकते हैं । हम जानते हैं कि इतना पानी होते हुए भी एक प्रदेश में पानी होता है और एक में अकाल होता है, प्रदेश के एक जिले में अकाल है और दूसरे जिले में बाढ़ है । उसका नियन्त्रण करने के लिए हमने क्या सोचा है ? इसका क्या कारण है ? क्या इसकी तरफ दिल नहीं है ?

40 साल में केवल उद्योग की प्रगति की बात हुई है लेकिन उद्योग में भी वही हालत है और खेतीबाड़ी में भी वही हालत है, इसका क्या कारण है, क्या आपके पास कोई पालिसी नहीं ? जब कहीं कोई अकाल होता है या गहराई से सूखा पड़ता है तो आई० आर० डी० से तत्कालिक रूप से पैसा देकर उस बाढ़ को खत्म करने की कोशिश करते हैं । तात्कालिक रूप से केवल आप टैम्पोरेरी मेजर करते हैं लेकिन पमानेंट रूप से इसका हल करने के लिए आपने क्या सोचा है ? मेरे ख्याल में आपने कुछ नहीं सोचा है । उसके बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं है । आप केवल आई० आर० डी० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० से पैसे देते हैं लेकिन उसका क्या हो रहा है यह आपने सोचा नहीं है । इतना होने पर भी आपने सिंचाई का प्रबन्ध कितने परसैंट किया है । मैं आन्ध्र की मिसाल देता हूं हमारे यहां 33 परसैंट भी सिंचाई का अभी प्रबन्ध नहीं हुआ है और इन्डीपैंडैंट होने के बाद भी 10 परसैंट भी ज्यादा नहीं कर सके हैं । आज किसान अपने माथे पर, पसीने पर भरोसा करके निर्भर है, वह अपनी भाग्य रेखा पर निर्भर करके अपना काम चला रहा है । अपनी भाग्य रेखा आकाश पर और भगवान पर देखते हुए वह अपनी आजीविका चला रहा है, उसने अपनी वृत्ति को रखा हुआ है । उसका कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं है इसलिए वह उसे ढंढ़ रहा है और उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है । इसलिए आज किसान अपने बारे में सोचने का ख्याल ही कर रहा है । सिंचाई के प्रबन्ध के लिए केन्द्र की सरकार की ओर से 60, 70 परसैंट परमानेंट बजट रखना चाहिए । आप स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे दो कि इसके बारे में चिट्ठी लिखो ।

बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़े हैं। हमारे यहां पोचमपाड़ प्रोजेक्ट है, आज से 35 साल पहले हमारे पं० नेहरू ने उसकी नींव डाली थी। ये 35 साल 1994 में खत्म होने वाले हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। नागार्जुन सागर की भी हालत वही है नर्वदा की भी हालत वही है। हमारे आसमाबाद जिले में एक प्रोजेक्ट है पुट्टोबागू। उसका इरिगेशन का क्षेत्र 4 हजार एकड़ होगा 15 साल उसे प्रारम्भ हुए हो गए, उसका खर्चा है 50 करोड़। आई० टी० डी० फंड का क्या आप कर रहे हैं? केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार क्या कर रही है? 15 साल के बाद आज भी हमारे विधायक उसकी क्लीयरेंस मांगने के लिए यहां पर आए लेकिन उसका क्लीयरेंस नहीं दिया गया बल्कि हमारे विधायकों पर गैस चलाई गई और उन पर लाठी चार्ज किया गया। उनसे बात करने के लिए राजीव गांधी जी के पास समय ही नहीं है। ठीक है समय नहीं है, लेकिन 15 साल पहले कांग्रेस सरकार ने ही उसकी नींव डाली है इसे शुरू किया है। 15 साल से आपने क्लेम नहीं दिया। अब काम हो रहा है, 5 साल के बाद काम खत्म हो जाएगा।

मेरा निवेदन है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो वह बीच में नहीं पड़ा रहना चाहिए। पोचमपाड़ में तो अब मट्टी भर रही है। 4 साल के बाद उसमें पानी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लानिंग कमीशन, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और सिंचाई मिनिस्ट्री को इस बारे में देखना चाहिए कि कौन-कौन सा प्रोजेक्ट कब होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं 15 मिनट और लूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बीस मिनट ले चुके हैं। अपने भाषण को अगले पांच-सात मिनट में समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं कल कन्टीन्यु करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इसे आज ही समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, इनको आप नेशनल प्रोजेक्ट बनाइए। सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिए। अगर सिंचाई का प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं होता है तो खुद किसान अपना करता है तो वह मौलिक होता है। मौलिक के लिए कर्जा लेता है। कर्जा लेने के बाद, इलैक्ट्रिक पम्प लगाता है, इलैक्ट्रिक पम्प लगाने

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

के बाद उसे पानी नहीं मिलता है। लोन लेने के बाद अगर पत्थर निकलता है, पानी नहीं आता है तो उसे तकलीफ होती है।

6.00 म० प०

वह 10 लाख लोन लेता है और लोन लेने के बाद बावड़ी खोदता है तो उसमें पानी नहीं मिलता है तो वह अपने भाग्य को कोसता है। ऐसे समय में वह कैसे लोन चुका सकेगा। आपको ऐसे समय में किसानों की पूरी सहायता करनी चाहिए। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा ? आज भी किसान प्रकृति के सहारे अपनी खेती करता है और जिस वर्ष प्रकृति उसका साथ नहीं देती है तो वह माथे पर हाथ रख कर रोता है। मेरा यह कहना है कि सिंचाई का प्रबन्ध सरकार को अपनी तरफ से करना चाहिए। आप एच० पी० के ऊपर 200-300 रुपए चार्जिस लगाते हैं। हमारे आन्ध्र प्रदेश में एच० पी० के पीछे 18 रुपए लिए जाते हैं। ऐसे ही चार्जिस आप हरियाणा, पंजाब और दूसरे प्रदेशों में रख सकते हैं। जहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है वहां पानी मुफ्त दे दो। हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने टैरिफ भी कम कर दिया है। आपने यह टैरिफ उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बहुत बढ़ा दिया है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को यह चाहिए कि वह एग्रीकल्चरल टैरिफ को मीनिमम और मैक्सीमम बनाए। इसके कारण आज कई जगहों में आन्दोलन हो रहे हैं। आप सिंचाई का प्रबन्ध नहीं करते हैं। अगर वह सिंचाई का प्रबन्ध खुद करते हैं तो आप जुर्माना लगाते हैं और अगर वे लोन लेते हैं तो लोन के बारे में कोई कंडिशन लगा देते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कर्जा न चुकाने पर आपने आज तक कितने उद्योगपतियों को जेल भेजा है। वैसे तो आप इन्डस्ट्री लगाने के लिए सबसिडी देते हैं। आपकी सेंट्रल सबसिडी 25 परसेंट और स्टेट सबसिडी 10 परसेंट है। लेकिन लिमिटेड कम्पनी लगाकर वह लोगों को डुबाते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं भजन लाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसे कितने लोगों को जेल भेजा है। एक हमारे यहां श्री रंगा रेड्डी है। उसकी दो एकड़ जमीन थी और उसने दो हजार रुपए कर्जा लिया। उसने 600 रुपए का तो पेमेंट कर दिया लेकिन बाकी पैसा न देने के कारण उसे जेल भेज दिया। जेल से छूटने के लिए उसने 6200 रुपए दिए। यह आपकी सरकार की नीति है और यह आपकी रिजर्व बैंक की नीति है। ऐसा स्टेट बैंक आफ इन्डिया ने किया है। मैं भजन लाल जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो उसकी लैंड नीलाम करो लेकिन उसको जेल मत भेजो। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कितने उद्योगपतियों को अपने उद्योग सिक करने की वजह से जेल भेजा ? मेरे ख्याल से आप इसका जवाब नहीं दे पायेंगे। आपने उद्योगपतियों का 45 हजार करोड़ रुपया राइट-आफ कर दिया। यह आज की स्थिति है। किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट को आपने जेल नहीं भेजा। अब हमारे पास कितना है, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स कैसा गोल माल करते हैं, हम जानते हैं। एक इण्डस्ट्री लगाते हैं, एक मशीन लाते है, दूसरी मशीन लाते हैं, अलग-अलग मशीन लाते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज कन्क्लूड।

श्री सी० जंगा रेड्डी : साहब, मुझे कम से कम घण्टा चाहिए। आप 15 मिनट में घण्टी बजाएंगे तो मैं भाषण देना बन्द कर दूंगा। मैं कल कण्टीन्यू करूंगा। देखिए साहब, आप क्यों घण्टी बजा रहे हैं। मैं रेज कर रहा हूं, आप घण्टी मत बजाइए। घण्टी बजाने से परेशानी होती है। मुझे तेलगु में बात करनी पड़ती है। यह सारे भारत वर्ष की प्राब्लम है। किसान की प्राब्लम मामूली नहीं

है। अगर किसान भूखा है, तुम भी भूखे हो, मैं भी भूखा हूं, ये भी भूखे हैं, यह समझना चाहिए। राजीव गांधी नहीं समझे इसलिए किसानों का आन्दोलन उठ रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरे किसानों का कर्जा मिलाकर भारत वर्ष में कितना है, 42000 करोड़, 50 परसेण्ट है, उसको राइट आफ करने में क्या दिक्कत है। 50 परसेण्ट आफ दि टोटल इण्डस्ट्रियलिस्ट्स का जितना राइट ऑफ किया है, उतना है। मैं बताना चाहता हूं, आप मिसाल देखिए। जिन्होंने 3000 लिया, माविलाला कृष्णैया सन आफ गोविंदया, कलासी डिस्ट्रिक्ट चित्तूर, उन्होंने कितना कर्जा लिया? 3000, उन्हें चुकाना पड़ा 7200, एक आदमी ने 1500 रुपए लिए, सुनिए भजन लाल जी···

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : मैं सुन रहा हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : 6200 रुपए अदा किए। यह आंकड़े हैं हमारे पास। एक आदमी ने 2000 लिया, उसके पीछे उसको 6200 देना पड़ा। एक आदमी ने 2300 लिया, उस को 7000 देना पड़ा। एक आदमी ने 1100 लिया उसको 5250 देना पड़ा। कितना गुनाह है।

प्रो० मधु दण्डवते : बोफोर्स ने लिया है, वह दिया ही नहीं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अगर बोफोर्स का पैसा आता तो किसान खुद यह करता।

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : सबने टेप रिकार्डर खरीदे हैं, वह सब भेज दिए हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : बैरागी जी की कविता और भाषण सब एक ही है। एक आदमी ने 1200 लिया, उसने 6700 रुपए चुकाए। ऐसी कई मिसालें हमको मिलती हैं। उन्हे आगे यह कहना पड़ा कि राजामुन्दरी जेल में एक आदमी को एक दो महीने कोड़े पड़े। आपका सैण्ड रेवेन्यू एक्ट क्या कर रहा है किन्तु आप लोगों ने उसको मौका नहीं दिया। आप जानते हैं कि अकाल है, सात साल से पानी नहीं है, अगर इस साल पानी हुआ तो बहुत पानी हो गया, वह भी खेत खत्म, यह भी खेत खत्म। आप जानते हैं, ज्यादा पानी से भी खत्म, कम पानी से भी खत्म। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कर्जे को जरा मुक्त करो। किसानों को एक बार के लिए ऋण से मुक्त करो। 40 सालों में आपने इण्डस्ट्रियलिस्ट्स का 145,000 करोड़ रुपए का कर्ज राइट आफ किया तो किसान के लिए भी करो। होगा बाकी 22000 करोड़, उसमें से 11000 करोड़ आपका होगा, हिसाब लगाकर मुक्त करो। किसान को दोबारा अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए करो। इतना होने पर भी किसान कभी-कभी खाद पानी जोड़कर, बारिश होकर, मौसम अच्छा होकर अगर पैदावार निकालता है तो उसकी क्या हालत है? आप जानते हैं आप इस साल बाहर से क्या-क्या मंगा रहे हैं। इस साल और पहले साल कपास बहुत ज्यादा हो गई फिर भी आप पाकिस्तान से मंगाते हैं। एक साल अकाल हो गया गया तो थाईलैंड से आपने 10 लाख टन चावल मंगाया। क्या बात है? शक्कर आप मंगा रहे हैं, दाल मंगा रहे हैं, तेल मंगा रहे हैं, हर चीज मंगा रहे हैं, क्या बात है। हरित क्रान्ति हो गई, 40 साल के बाद फिर भी हमें दूसरे देशों पर अनाज के लिए निर्भर होने की सम्भावना हो रही है। यह क्या बात हो रही है? किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है। भजन जाल जी हमें सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए। हमें रेम्युनरेटिव प्राइस चाहिए। हम गिरने वाले हैं इसलिए लकड़ी का सहारा लेना चाहते हैं। आप इन किसानों को इनपुट्स दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि चावल गेहू तो हर आदमी के लिए चाहिए। लेकिन इन्डिस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स हर आदमी को नहीं चाहिए। चूंकि हर आदमी के लिए चावल और गेहूं चाहिए इसलिए क्या आप किसान की हत्या कर के दूसरों को खिलएंगे। जैसे

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

हमारे एन० टी० आर० तीन रुपए किलो चावल खरीद कर दो रुपए में दे रहे हैं। उसी प्रकार से आप चाहें, तो पांच रुपए में खरीद कर, दो रुपए में दें। आप सेंट्रल सबसिडी दें। हमें क्या ऐतराज है। भजन लाल जी आप कभी मार्केट में जाइए, तो टमाटर 20 रुपए किलो मिलता है। अगर डाक्टर बतलाता है कि टमाटर का रस पिओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो कोई कैसे पिएगा। सीताफल हमारे यहां मुफ्त मिलता है। एक रुपए में तीन। लेकिन यहां 10-12 रुपए किलो मिलता है। लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि बीच में दलाल होते हैं। कारण यह है कि आपके पास तरकारियों को हिफाजत से रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी कारण किसान डूब रहे हैं और दलाल बन रहे हैं और आप मौज से होकर मस्त हो कर एअरकंडीशंड कमरे में सो रहे हैं यह क्या बात है, इसीलिए किसानों को रोड़ पर आना पड़ा।

[अनुवाद]

हमें आपका समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। हम आपकी सरकार अथवा किसी अन्य सरकार की दया पर निर्भर नहीं हैं। हम अपना मूल्य चाहते हैं।

[हिन्दी]

आप प्राइस फिक्स करते हैं। अगर आप कंजूमर के बारे में सोचते हैं, तो आप सबसिडी दे दो। लेकिन आप ओपन मार्केट करो और ओपन मार्केट में कम से कम जो दाम होना चाहिए वह फिक्स करो। आप अभी से बता दीजिए कि अगले साल धान का दाम इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह गेहूं का दाम इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मार्केट में कम दाम पर बिकने वाला है, कोई दलाल बीच में कम दाम लगाकर खरीदने की कोशिश करता है, तो आप इन्टरवीन कर के खरीद लीजिए और अगर दाम ज्यादा होता है तो उसको भी नियंत्रित कीजिए। लेकिन हमें तो रेम्युनरेटिव प्राइस चाहिए। आपकी सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए। आप जो तय कर रहे हैं वह केवल सपोर्ट प्राइस ही तय कर रहे हैं। आप देखिए फर्टीलाइजर में 50 किलो यूरिया पर दस-बीस रुपया आपने बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब यह कि आपने सबसिडी कम कर दी। 1980 में चरण सिंह ने जो 1300 करोड़ रुपया किया था आपने छः हजार करोड़ कम कर दिया और इस साल आपने वह और भी कम दिया। यह लिखा हुआ है, यह मैंने आपकी स्टेटमेंट में पढ़ा है। आप बतलाइए, एक मन धान पर दस रुपए अगर आपने बढ़ा दिए, तो उससे क्या होता है। एक मन का जो खर्च होता है, उसका भी आप हिसाब लगाइए और उस पर 20 प्रतिशत लाभ जोड़िए और रेम्युनरेटिव प्राइस फिक्स कीजिए और उसके बाद किसान जहां भी चाहे, अपना धान और गेहूं ले जाकर बेचने का उसे मौका दीजिए।

अगर हम लेवी के बारे में पूछते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश में आप लेवी लगा रहे हैं। लेवी के खिलाफ हमने लड़ाई की और अब राजीव गांधी और लेवी के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। लेवी का मतलब क्या है जबरदस्ती किसी की चीज ले लेना।

उपाध्यक्ष महोदय : पंद्रह मिनट हो गए हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं खत्म कर रहा हूं।

मैं कह रहा था कि हमें रेम्युनरेटिव प्राइस चाहिए और जो रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट पर है, उसको भी दूर करना चाहिए। आप जो लेवी लगाते हैं, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। लेकिन मिलर क्या करेगा। अगर दो सौ रुपए में वह लेता है और 150 रुपया सरकार देती है, तो बाकी पैसा वह निकालेगा। (व्यवधान)

पांच मिनट और बैठिए साहब। आपने फसल बीमा के बारे में बतला दिया। हम तो सरवे नम्बरवाइज पूछ रहे थे। अगर एक आदमी इन्श्योरेंस कराता है, तो उसका पैसा उसकी पत्नी को मिलता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इसलिए हम सरवे नम्बरवाइज पूछ रहे थे आपने आन्ध्र प्रदेश में आकर बतला दिया कि हम गांव को यूनिट बना रहे हैं। आप सर्वे नम्बरवाइज बनाइए। जो स्टेटमेंट आपने दिया था मैंने उसे पढ़ा है। मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं।

एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लैंड एक्वीजीशन एक्ट है उसको बदलने की जरूरत है। मैं आपको बहुत मजेदार बात बताऊं—कि हमारी सरकार लैंड एक्वीजीशन के केसेस में इन्कम टैक्स लगा रही है। जैसा कि किसी ने बताया कि पंद्रह साल पहले किसान की जमीन लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत ली गयी थी और उसका दो हजार का दाम लगाया। पंद्रह साल हो गए, उसके बाद इन्टरेस्ट दे रहे हैं और सूद के ऊपर इन्कम टैक्स वसूल कर रहे हैं। भजन लाल जी आप जरा मेरी बात सुनिए, यह क्या हो रहा है। क्या इन्कम टैक्स के लिए इन्टरेस्ट दिया था। पेमेंट करने में आपने देरी की इसलिए गलती आपकी है। जितनी जमीन आपने ली है हम चाहते हैं, उतना ही जमीन खरीद कर आप हमें दीजिए। इस बारे में आप श्री चव्हाणजी को चिट्ठी लिखिए। इसी कारण किसान आज आन्दोलन कर रहा है। देश का किसान काम करता है। अकाल और बाढ़ के कारण वह तबाह हो गया है, उसको ऋणमुक्त करना चाहिए। वोट क्लब पर सात दिन पहले जो रैली हुई है, वैसी रैलियां आगे भी होने वाली हैं। यदि किसान परेशान होगा, तो देश परेशान होगा। किसान अगर भूखा रहेगा तो उसका असर देश पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 30 प्रतिशत किसान नगरों में रिक्शा चलाना शुरू किए हैं। मैं चाहता हूं कि किसान को ऋण-मुक्त करना चाहिए, बिजली उसकी फ्री देनी चाहिए और बैंक लोन उसको कम सूद पर देना चाहिए, ताकि किसान अपना काम कर सके। वोट क्लब पर जो रैली हुई है, उस रैली में किसान जो अपनी डिमाण्ड लेकर आए हैं उन पर कम से कम दिल्ली की सरकार, केन्द्रीय सरकार गौर करे और उनको यहां का दरवाजा खटखटाने का मौका दे। लेकिन सरकार ने जो रैली यहां वोट क्लब पर हुई उनके लिए पानी तक बन्द कर दिया। यह काम आपने बहुत खराब किया।

श्री भजन लाल : इसका जवाब कल देंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं कहना चाहता हूं कि आप हर प्रदेश के किसान को यहां पर न आने का मौका देते हुए आप समझदार नेताओं को बुलाकर जो किसानों की डिमाण्ड्स हैं, उन डिमाण्ड्स को आप स्वीकार करें और उन को ऋण मुक्त करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, 4 नवम्बर, 1988/13 कार्तिक, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मिसल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित